لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है)
मुअल्लिफ़
अल्लामा सय्यद गुलाम जीलानी
मेरठी अलैहिर्रहमा
निज़ामे
शरीअत
रज़वी किताब घर देहली-6

© जुमला हुक़ूक़ बहक़्क़े नाशिर महफ़ूज़ हैं।

नाम किताब	निज़ामे शरीअ़त
नाम मुसन्निफ़	मौलाना सय्यद ग़ुलाम जीलानी मेरठी
बएहतिमाम	हाफ़िज़ मुहम्मद क़मरुद्दीन रज़वी
प्रूफ़ रीडर	मु0 साजिद हाशमी
बारे अव्वल	1999
सफ़हात	304
नाशिर	रज़वी किताब घर दिल्ली.6
टाइप सेटिंग	रज़वी कम्प्यूटर प्वाइन्ट, दिल्ली–6

भिवंडी ऑफ़िस

रज़वी किताब घर

114, ग़ैबी नगर, भिवंडी, ज़िला थाना–421302 (महाराष्ट्र)

फोन : 55389

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

बिरादराने इस्लाम!

इंसान की ज़िन्दगी दो हैं, एक दुनियावी जो थोड़े ज़माने तक बाक़ी रहकर ख़त्म हो जाती है, ख़ालिक़े आलम ने जितना ज़माना उसके लिए मुक़र्रर फ़रमाया है उससे एक सेकेण्ड घट सकती है न बढ़ सकती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई ऐसी ताक़त नहीं जो उसमें कमी बेशी कर सके। इंसान की दूसरी ज़िन्दगी उख़रवी है जो हमेशा–हमेशा रहने वाली है दुनियावी ज़िन्दगी की तरह उसके लिए कोई हद नहीं कि वहां पहुंच कर ख़त्म हो जाये, उस हमेशा बाक़ी रहने वाली ज़िन्दगी का ख़ैरो ख़ूबी के साथ गुज़रना चूंकि दुनियावी ज़िन्दगी के कामियाब होने पर मुन्हसिर है, इसलिए हर आक़िल का फ़र्ज़ है कि अपनी दुनियावी ज़िन्दगी कामियाब बनाने के वास्ते हर मुम्किन कोशिश अमल में लाए। और हर वक़्त, हर आन इसकी दुरुस्ती की जानिब मुतवज्जह रहे, बाक़ी रही यह बात कि दुनियावी ज़िन्दगी को किस तरह कामियाब बनाया जाए? तो इस सवाल का जवाब यह हैकि कामियाबी का सिर्फ़ एक तरीक़ा है उसके अलावा जिस क़दर तरीक़े हैं सबके सब दर हक़ीक़त ज़िन्दगी को ख़राब करने वाले हैं, और वह एक तरीक़ा यह हैकि दुनियावी ज़िन्दगी में, इन्सान के दो तअ़ल्लुक़ हैं एक ख़ालिक़ से दूसरा मख़लूक़ से, इन दोनों तअ़ल्लुक़ात को ताज़ीस्त उसी तरह क़ाइम रखे जिस तरह सय्यदुल अबरार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाइम रखा और उनके मुतअ़ल्लिक़ जो हिदायात फ़रमायीं उन सबको अपना नसबुलऐन बनाए, यानी अपनी ज़िन्दगी को महबूबे ख़ुदा की ज़िन्दगी के सांचे में ढाल कर आपके रंग में रंग जाए, अपने लैलो नहार को आपके लैलो नहार के साथ इस तरह मुताबिक़ करले कि इबादत व रियाज़त में, मुआ़शरत व मुआ़मलात में, गुफ़्तार व रफ़्तार में, नशिस्त व बरख़ास्त में, ख़ुर्द व बुज़ुर्ग और अहबाब की मुलाक़ात में, ख़ुर्दो

नोश और लिबास में, इंसानी ज़रूरियात से फ़रागत और जिस्म की तहारत में, बेदारी और ख़्वाबे राहत में, अलग़रज़ जुमला आमाल और अख़लाक़ियात में आपके नक़्शे क़दम को अपना पेशवा बनाले, यहां तक कि उसी हालत में दारे–फ़ानी से मुल्के जावेदानी की तरफ़ रुख़्सत हो जाए।

दुनिया में हर क़ौम अपने मज़हब मुआशरत और अपने पेशवा के तर्ज़े अमल की मज़बूती से पाबन्द रहती है बल्कि अपनी मुआशरत, अपना तमद्दुन, अपने तरीक़े, दूसरी अक़वाम में राइज करने के लिए हर क़ौम न सिर्फ़ माली इसार बल्कि जानी क़ुरबानी भी कर गुज़रती है।

मगर बड़े शर्म की बात है कि मुस्लिम कहलाएं और इस्लामी मुआशरत, इस्लामी आदाब तर्क करते जाएं, अंग्रेज़ को दुश्मने इस्लाम समझें मगर मुआशरत में अंग्रेज़ी क़वानीन को अपने ऊपर मुसल्लत इस दर्जा कर लिया है कि बोल–चाल में अंग्रेज़ी अन्दाज़ मरग़ूब, खाने पीने में अंग्रेज़ी तरीक़े महबूब, उठने बैठने में अंग्रेज़ी आदाब मतलूब, यहां तक कि शकल व सूरत में अंग्रेज़ नमूदार, औलाद की तालीम व तरबियत में अंग्रेज़ी उसूल दरकार, मस्तूरात के लिबास और ज़ेब व ज़ीनत में मेम साहब के अतवार पसन्द हैं।

आह! मक़ामे ग़ैरत हैकि ज़बान से ख़ुदा व रसूल की मुहब्बत का दम भरें और अमल में दुश्मनाने खुदा व रसूल का साथ दें, क्या अहले मुहब्बत का शेवा यही है?

ऐ प्यारे भाईयो! और ऐ इस्लाम के शैदाईयों! सुनो! और ख़ूब ग़ौर से सुनो! कि शहंशाहे मदीना ने अपनी ज़िन्दगी में "लैल व नहार" इस तरह गुज़ारे कि दुनियावी मशाग़िल और ज़रूरियाते ज़िन्दगी को अंजाम देते वक़्त भी यादे इलाही से ग़फ़लत न हुई। फ़क़ीरों की सदा याद रख भूले मत का मतलब यही है, और उख़रवी ज़िन्दगी की कामियाबी इसी तरीक़े से हासिल होती है।

सोने का इस्लामी तरीक़ा

सय्यदे अम्बिया महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले बिस्तरा साफ़ फ़रमाते थे फिर दायें करवट पर लेट कर दायें हाथ को दायें रुख़सारे के नीचे रखते और अपने मअबूद हक़ीक़ी की जनाब

मे अर्ज़ करते "بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى" तर्जुमा ("ऐ अल्लाह तेरे ही नामे पाक की मदद से सोऊंगा और तेरी ही मदद से बेदार होऊंगा") हमारे लिए इसमें यह तालीम हैकि बन्दा हर मौके पर मअबूदे हकीकी की तरफ़ मुतवज्जह रहे अपने हर काम को उसी के ज़ेरे क़ुदरत एतेकाद करे. नींद भी उसी के ज़ेरे क़ुदरत है। जब चाहे तारी फ़रमा दे और जब तक चाहे तारी रखे। चुनांचे अम्बियाए बनी इस्राईल में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर सौ साल तक और असहाबे कहफ़ पर तीन सौ साल तक बहुक्मे इलाही नींद तारी रही जिससे इस्लामी तारीख़ का मुताला करने वाले असहाब वाक़िफ़ हैं और वह जब चाहता है नींद को आने से रोक देता है।

रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि हम बिस्तर पर पड़े-पड़े करवटें बदलते रहते हैं और चाहते हैं कि नींद आजाये मगर नहीं आती। क्यों? इस लिए कि वह नहीं चाहता, और जब चाहता है आ जाती है, नींद भी एक क़िस्म की मौत हैकि बदन के तमाम आज़ा इसके आने के बाद अपने-अपने कामों से मुअत्तल हो जाते हैं और नींद से बेदार करना हयाते साबिक़ का वापस फ़रमाना है, तो मालूम हुआ कि जो मअबूदे हक़ीक़ी उस पर क़ादिर है वह यक़ीनन मारने के बाद जिलाने पर भी क़ुदरत रखता है, पस इसको पेशे नज़र रखने के बाद हर आक़िल इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस्लाम का पेश करदा अक़ीदा क़तअन सही है कि दुनियावी ज़िन्दगी ख़त्म होने के बाद बनी नवे इन्सान को फिर से ज़िन्दा सिर्फ़ इस लिए किया जाएगा, ताकि दुनिया में रह कर जो आमाल किए हैं उनकी वहां पर जज़ा पाएं और दूसरे मज़हब वालों का यह कहना कि ज़िन्दगी सिर्फ़ दुनिया ही की ज़िन्दगी है इसके ख़त्म होने के बाद फिर ज़िन्दा होना नहीं यक़ीनन ख़िलाफ़े अक़्ल है और अपने अहवाल में ग़ौर व फ़िक्र न करने पर मबनी है।

मरकज़े हिदायत क़ासिमे विलायत मौलाए मुश्किलकुशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैंकि रब्बुल-आलमीन की नेमतें तक़सीम फ़रमाने वाले आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक मरतबा कुछ बांदियां लाई गयीं, चक्की पीसने से मालिके कौनैन की साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथों में चूंकि छाले पड़ गए थे इस लिए मैंने उनसे कहा कि हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर घर के काम-काज के लिए बांदी तलब कर लीजिए, चुनान्चे वह तीन

मरतबा हाज़िर हुई मगर मुलाकात न हो सकी। बाद नमाज़े इशा जब हुज़ूर मकान में तशरीफ़ लाए तो हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनकी आमद का तज़किरा किया, आप उसी वक़्त हमारे यहां तशरीफ़ लाए, बाद इजाज़त मकान में दाख़िल हुए, हम दोनों बिस्तर पर लेट चुके थे, मैंने बिस्तर से उठना चाहा मगर उस शब में सर्दी चूंकि शदीद थी इस लिए उठने से रोक दिया, और फ़रमाया, जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो, फिर अपनी साहबज़ादी से फ़रमाया कि आज हमारे यहां किस ज़रूरत से जाना हुआ था? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! चक्की पीसने से बड़ी तकलीफ़ होती है, और मेरे दोनों हाथों में छाले पड़ गए हैं, तो मैं इस लिए हाज़िर हुई थी कि बांदी अता फ़रमा दी जाए। इर्शाद फ़रमाया क्या इससे बेहतर चीज़ न बताएं? अर्ज़ क्या, हां इर्शाद फ़रमाइए, फ़रमाया जब बिस्तर पर लेटो तो चौंतीस (34) बार *अल्लाहु अकबर* और तैंतीस (33) बार *सुब्हानल्लाहि* और तैंतीस (33) बार *अल्हम्दुलिल्लाहि* पढ़ लिया करो, जो चीज़ तुमने तलब की थी उससे यह बेहतर है।

मुस्लिम ख़्वातीन ख़ुसूसियत के साथ इस वाक़िया पर ग़ौर करें कि उनकी ज़िन्दगी के लिए इसमें बेहतरीन हिदायात हैं—

(1) शौहर की माली हालत अगर ख़ादिमा रखने की इजाज़त न देती हो तो बीवी का फ़र्ज़ है कि घर के काम,ख़ुद अंजाम दे, शौहर से बेजा मुतालबे न किए जाएं जैसा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अमल कर के बताया कि सब काम अपने हाथ से अंजाम दिए...... यहां तक कि चक्की भी पीसी।

(2) घर के काम करने से तकलीफ़ होती हो यहां तक कि हाथों में छाले पड़ जाने की नौबत भी आजाए तो आली ज़र्फ़ बीवियां ज़बान पर हरफ़े शिकायत भी नहीं लातीं चेह जाएकि रूठ कर काम—काज छोड़ दें जिससे शौहर को तकलीफ़ पहुंचे, बल्कि ऐसे वक़्त को सब्र व सुकून से गुज़ार देती हैं, जैसे कि सरदारे अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चहेती साहबज़ादी ने अमल कर दिखा दिया।

(3) शौहर का भी फ़र्ज़ हैकि बीवी की आसाइश व राहत का ख़्याल रखे, और उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए मुनासिब तदाबीर इख़्तियार करता रहे जैसा कि शेरे ख़ुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने

अपने अमल से बताया कि बांदियों के आने की इत्तला पाकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मशवरा दिया कि हाज़िर होकर बांदी के लिए दरख़्वास्त पेश करें ताकि तकालीफ़ से नजात मिले।

(4) मौजूदा ज़माने में तालीम–याफ़ता ख़्वातीन चक्की पीसने को ऐब समझती हैं उनको इस वाक़िया से यह सबक़ लेना चाहिए कि अगर ऐब होता तो शहनशाहे कौनैन सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम अपनी साहबज़ादी के लिए किस तरह गवारा फ़रमाते। बाज़ ख़्वातीन यह ख़्याल रखती हैंकि चक्की पीसना ऐब तो नहीं मगर शरीफ़ों के लिए मौज़ूं भी नहीं, उन्हें अपने ख़्याल की इस तरह इस्लाह कर लेनी चाहिए कि महबूबे किब्रिया अलैहित्तहियतु वस्सना की साहबज़ादी से ज़्यादा तो दर–किनार कोई ख़ातून शराफ़त में उनकी बराबर भी नहीं हो सकती, तो अगर चक्की पीसना, शरीफ़ों के लिए मौज़ूं न होता तो आप उनसे फ़ौरन तर्क करा देते। पस मालूम हुआ कि शरीफ़ों के लिए चक्की पीसना नामौज़ूं नहीं।

(5) इस वाक़िआ से यह सबक़ भी मिला कि जिस्मानी राहत के सवाल को किसी मसलिहत के मातहत पूरा न करते हुए अगर कोई अच्छी बात तालीम की जाए तो शाने अदब यही हैकि उसको बे–चूँ व चिरा तस्लीम करलें और अपने सवाल के पूरा करने पर असरार न करें जैसा कि ख़ातूने जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने अमल कर के दिखा दिया।

रहमते दोजहां सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान, सोते वक़्त आयतलकुर्सी पढ़ले तो ख़ुद भी अमन में रहेगा और इसका हमसाया भी, बल्कि हमसाये का हमसाया भी, बल्कि उसके इर्द–गिर्द के मकानात भी अमन में रहेंगे। (बैज़ावी शरीफ़)

बा वज़ू सोना

जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि सरदारे दारैन ताजदारे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जो मुसलमान बावज़ू सोए और उसी शब में इन्तिक़ाल हो जाए तो उसको मर्तबए शहादत नसीब होगा।

औलियाए किराम फ़रमाते हैं जो शख़्स हर वक़्त बावज़ू रहता है तो अल्लाह तआला सात चीज़ों से उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाता है।

(1) फ़रिश्तों को उसकी सुहबत में रहने की रग़बत होती है। (2) आमाल लिखने वाले फ़रिश्तों का क़लम उसके लिए सवाब लिखने में मुसलसल जारी रहता है। (3) उसके तमाम आज़ा तस्बीह करते हैं (4) अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है कि इससे तकबीरे ऊला फ़ौत न हो (5) सोने की हालत में भूत परी के नुक़सान पहुंचाने से फ़रिश्ते ऐसे शख़्स की, हिफ़ाज़त करते हैं (6) जानकनी की सख़्ती से ऐसा शख़्स महफ़ूज़ रहता है (7) जब तक वज़ू है अल्लाह तआला की अमान में है। हदीस में है, फ़रमाया "اَلْوُضُوْءُ حِصْنُ الْمُؤْمِنِ" यानी वज़ू मोमिन का मुहाफ़िज़ है, इसी वास्ते मख़दूम हज़रत शाह मीना क़ुद्देस सिर्रहू की एहतियात का यह आलम था कि नींद से जिस वक़्त बेदार होते फ़ौरन तयम्मुम फ़रमा लेते फिर वज़ू की तैयारी में मशग़ूल होते, वज़ू और तयम्मुम के मुतअल्लिक़ एक नुक़ता बयान फ़रमाया जो महफ़ूज़ कर लेने के क़ाबिल है, इर्शाद फ़रमाया कि बशर की असल ख़िलक़त पानी और मिट्टी से है, दुनिया की आग इन दोनों से बुझ जाती है तो क़वी उम्मीद हैकि आख़िरत की आग भी इन से बुझ जाए।

ख़ौफ़नाक ख़्वाबों का इलाज

अर्श की इज़्ज़त फ़र्श की ज़ीनत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक साहब ने हाज़िर होकर ख़ौफ़नाक ख़्वाबों की शिकायत की फ़रमाया कि सोते वक़्त पढ़ा करो। "اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ط"

यानी मैं अल्लाह तआला के कामिल कल्मात की पनाह में आता हूं, उसके ग़ज़ब व अज़ाब से और उसके बन्दों की शरारत से और शैतानों के वसवसों से और उनके हाज़िर होने से।"

शब में बेदार हो तो क्या करे?

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि महबूबे दोजहां शाफ़अे आसियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे

मुबारक जब खुलती तो अपने मअबूदे हकीकी की याद बई अल्फ़ाज़ फरमाते" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ" यानी मअबूदे बरहक सिर्फ अल्लाह है न उस जैसी किसी की ज़ात है न उस जैसी किसी की सिफ़ात है, दुनिया व आख़िरत में सरकशों पर कहर फरमाना उसकी शान है, तमाम आसमान व ज़मीन और दोनों की दर्मियानी काइनात की परवरिश फ़रमाने वाला है हर चीज़ पर ग़ालिब हैकि उसके कब्ज़ए क़ुदरत से कोई मखलूक बाहर नहीं हो सकती, ख़ताकारों की दुनिया और आख़िरत में बकसरत ख़ता–पोशी फ़रमाने वाला है।

तालीमाते सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल में हमारे लिए यह तालीम हैकि दुनियावी तअल्लुकात को क़ाइम रखते हुए मअबूदे हक़ीक़ी के साथ, इतना क़वी तअल्लुक़ पैदा करना चाहिए कि सोते–सोते अगर आँख खुल जाए, तो लबों को उसकी याद में बेसाख़ता जुम्बिश होने लगे, ज़बान पर बिला–तवक़्क़ुफ़ उसका ज़िक्र जारी होजाए। चुनान्चे रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की बदौलत सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में यह कैफ़ियत पैदा होगई थी। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हम हुज़ूर की मजलिस में हाज़िर थे, आपने इर्शाद फ़रमाया कि इस वक़्त एक जन्नती मर्द आ रहा है, कुछ वक़्फ़ा के बाद एक अन्सारी इस तरह हाज़िर हुए कि उनके बायें हाथ में जूते थे और रेशे मुबारक से आबे वज़ू के क़तरे टपक रहे थे, दूसरे दिन आपने फ़रमाया कि तुम्हारे पास इस वक़्त एक जन्नती मर्द आ रहा है। चुनांचे वही अन्सारी उसी शकल से फिर हाज़िर हुए तीसरे दिन आपने फिर वही अल्फ़ाज़ फ़रमाए और वही अन्सारी उसी हय्यत से मजलिस में हाज़िर हुए। मजलिस बरख़ास्त होने पर अब्दुल्लाह इब्ने अमर बिन अलआस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन अन्सारी के साथ बई ख़्याल उनके मकान पर गए कि रात वहीं पर गुज़ारें और यह मालूम करें कि वह क्या चीज़ है जिसकी बिना पर उनको तीन मर्तबा जन्नती फ़रमाया गया। रात भर उनके हालात का मुताला करके बयान फ़रमाया कि रात में उन्होंने जितनी मर्तबा करवट बदली हर मर्तबा उनकी ज़बान पर *अल्लाहु अकबर* जारी होता था (2) सय्यदुल मुरसलीन

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इबतदा में मौला तआला की सिफ़ते कह्हार और आख़िर में सिफ़ते ग़फ़्फ़ार बयान करके हमें यह तालीम फ़रमाई कि आकिल का फर्ज़ है कि मौला तआला की इन दोनों सिफ़तों को पेशे नज़र रखे यानी उसके क़हर से डरता भी रहे, और मग़फ़िरत की उम्मीद भी रखे न सिफ़ते क़ह्हार को फ़रामोश करके बे–ख़ौफ़ होजाए, एलानिया तौर पर बेबाकी और जसारत के साथ अहकामे शरीअत की ख़िलाफ़–वर्ज़ी करने लगे न सिफ़ते ग़फ़्फ़ार को भुला कर उसकी रहमत से मायूस हुए कि अल्लाह तआला की रहमत से काफ़िर मायूस होते हैं, मोमिन मायूस नही होता। क़ुरआन पाक में फ़रमाया لَا يَايْـئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ यानी अल्लाह तआला से काफ़िर कौम ही मायूस होती है। जिस तरह सिफ़ते ग़फ़्फ़ार को फ़रामोश करके रहमते इलाही से मायूस होना क़ुरआनी इर्शाद के मुताबिक़ काफ़िर की शान है इसी तरह सिफ़ते क़ह्हार को भूलाकर बेख़ौफ़ और बेबाक होजाना काफ़िर के साथ मख़सूस है। मोमिन दोनों सिफ़तों को पेशे नज़र रखता है इसी वास्ते फ़रमाया गया, कि ईमान ख़ौफ़ व उम्मीद के दर्मियान है (3) उन जन्नती, अन्सारी के वाक़िया से यह सबक़ मिला कि जूते बाएं हाथ में लिए जाएं।

हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रहमते परवरदिगारे आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जब बन्दा बिस्तर या ज़मीन पर सोए और शब में दायें या बाएं करवट बदल कर मुन्दर्जा ज़ैल अल्फ़ाज़ के साथ ज़िक्रे इलाही करे तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों को मुख़ातिब करके फ़रमाता है कि मेरे इस बन्दे को देखो यह मुझको इस वक़्त भी नहीं भूला, तुमको इस बात पर गवाह बनाता हूं कि मैंने इसको आग़ोशे रहमत में लेकर इसके गुनाह मुआफ़ फ़रमा दिए। اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(तर्जुमा) मैं इक़रार करता हूं कि मअ़बूदे बरहक़ तन्हा अल्लाह ही है, ज़ात व सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए हकीकी बादशाहत है, और सब ख़ूबियां उसी के लिए सज़ावार हैं ज़िन्दा फ़रमाता है और वफ़ात देता है और ख़ुद ऐसा ज़िन्दा हैकि मौत नहीं आ सकती उसी के दस्ते

क़ुदरत में सब भलाईयां हैं और वह हर मुम्किन चीज़ पर क़ुदरत रखता है।"

शब में बिस्तरे से उठकर वापस आए तो क्या कहे

हज़रत अबूहुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि रहमते दोजहां सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम में से जब कोई शब में बिस्तर से उठकर फिर वापस आए तो उसको झाड़े और करवट पर लेट कर बारगाहे इलाही में यूं अर्ज़ करे। "بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ رَدَدْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ اَحَدًا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ۝"

(तर्जुमा) "ऐ अल्लाह तेरे ही नामे पाक की मदद से करवट पर लेटा और तेरी ही मदद सें मैं करवट पर लेटा और तेरी ही मदद से उठूंगा अगर तू मेरी जान को रोक ले तो इसकी बख़्शिश फ़रमा दीजियो और अगर वापस फ़रमाए तो इसको इस अख़लाक़ व औसाफ़ के साथ महफ़ूज़ रखियो जिनके साथ तू नेक बन्दों की हिफ़ाज़त फ़रमाता है।"

दर्मियान शब में आसमान की तरफ़ निगाह करे तो क्या कहे

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्न अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि काली कमली वाले आक़ा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम रात का कुछ हिस्सा गुज़रने के बाद बाहर तशरीफ़ लाए और आसमान की तरफ़ नज़र फ़रमा कर यह आयत "اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" तिलावत फ़रमाई जिसका तर्जुमा यह है। "बेशक आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश और रात–दिन के आने जाने में निशानियां हैं (जो क़ादिरे मुतलक़ के वजूद पर दलालत करने वाली हैं) अक़लमन्दों के लिए जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में ग़ौर करते हैं (और उससे अपने बनाने वाले की क़ुदरत व हिकमत पर इस्तिदलाल करते हैं यह कहते हुए) ऐ रब हमारे तूने यह बेकार न बनाया (बल्कि अपनी मअ़रफ़त के वास्ते रौशन दलील बनाया)

पाकी है तुझे हमें दोजख़ के अज़ाब से बचाले (चौथा पारह सूरए आले इमरान) फिर बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया। "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَّ فِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا وَّ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَّعَنْ یَّمِیْنِیْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِیْ نُوْرًا وَّمِنْ بَیْنِ یَدَیَّ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِیْ نُوْرًا وَّمِنْ فَوْقِیْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِیْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِیْ نُوْرًا یَّوْمَ الْقِیَامَةِ"

यानी ऐ अल्लाह मेरे क़ल्ब में नूर पैदा फ़रमा दे और मेरे आँखों में नूर और मेरे कानों में नूर और मेरे दायें नूर और मेरे बायें नूर और सामने नूर और पीछे नूर और मेरे ऊपर और मेरे नीचे नूर (यानी मेरे क़ल्ब और क़ालिब के हर हिस्से को मुनव्वर फ़रमादे) और क़ियामत के दिन मुझे अ़ज़ीम नूर अता फ़रमाना" फ़क़ीह अबुललैस समरक़न्दी सिर्रहुल–क़वी ने इर्शाद फ़रमाया कि बाज़ रिवायतों में आया है कि जिसने सितारों को देखा और उनके अजाइबात और अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत में तफ़क्कुर कर के मुन्दर्जा ज़ैल आयत पढ़ी तो उसके नामए आमाल में आसमान के सितारों की तादाद के बराबर नेकियां लिखी जाएंगी। "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (तर्जुमा) "ऐ हमारे परवरदिगार तूने इसको बेकार न बनाया तुझको पाकी है हर ऐब से तू हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा।"

शबे क़दर देखे तो क्या दुआ मांगे

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अगर शबे क़दर देखूं तो क्या कहूं? फ़रमाया यह दुआ मांगो। "اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ" ऐ अल्लाह बेशक तू मुआ़फ़ फ़रमाने वाला है, मुआ़फ़ी को पसन्द फ़रमाता है, तू मुझको मुआफ़ फ़रमा दे।

तालीमात– मज़र्रत और मनफ़अ़त दो चीज़ें हैं, हर सलीमुल अक़ल इंसान मज़र्रत से बचता और उसके दूर करने की तलब अपनें क़ल्ब में रखता है। मनफ़अ़त को हासिल करता और उसके हुसूल की ख़्वाहिश अपने दिल में रखता है बल्कि हैवानात भी मज़र्रत रिसां चीज़ों से बचते और नफ़ा बख़्श अशिया की जानिब माइल होते हैं, यह बातें ज़ाहिर हैं, उनमें ग़ौरो–फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, हां क़ाबिले ग़ौर चीज़ यह हैकि दफ़ाअे मज़र्रत और हुसूले मनफ़अ़त में से किस को मुक़द्दम रखा जाए यानी पहले मज़र्रत के दफ़ा करने की जानिब तवज्जोहह की जाए फिर हुसूले

मनफ़अत की तरफ़, या पहले मनफ़अत हासिल करे फिर मज़र्रत दूर करने की तरफ़ मुतवज्जह हो। महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में मौला तआला से नेअमतें मांगने के लिए नहीं फ़रमाया बल्कि कोताहियों और ख़ताओं की मुआफ़ी तलब करने को हुक्म देकर इस अमर को वाज़ेह फ़रमा दिया कि मज़र्रत का दफ़ा करना मनफ़अत की तहसील से ज़्यादा अहमीयत रखता है, बन्दा को चाहिए कि दफ़ाअे मज़र्रत की तलब को तलबे मनफ़अत पर मुक़द्दम रखे (2) शबे क़दर जो अनवारे इलाही के नुज़ूल और दुआओं के मक़बूल होने के लिए मख़सूस वक़्त है उसमें मुआफ़ी तलब करने का हुक्म देकर हमें यह तालीम भी फ़रमा दी कि अफ़ज़ल औक़ात में अहम तरीन मुरादें तलब करना चाहिए (3) इस इर्शाद फ़रमूदा दुआ में हमें तरीक़े सवाल की यही तालीम दी गई कि जिससे सवाल किया जाए साइल को यह चाहिए कि पहले मक़ाम के मुनासिब सिफ़ात के साथ उसकी तारीफ़ करे जैसा कि इस सवाल में मौला तआला को सिफ़ते उफ़ू के साथ सराहा गया फिर उस सवाल को पेश करे ताकि इस सवाल के पूरा होने में ताख़ीर न हो, और साइल मंज़िले मक़सूद तक जल्द तर पहुंच जाए।

अच्छा ख़्वाब देखे तो क्या करे

सरकारे कौनैन ताजदारे दारैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रामया कि जब अच्छा ख़्वाब देखें तो बेदार होने पर अल्लाह तआला की हम्द बजा लायें और कहें अल्हम्दुलिल्लाहि और सिर्फ़ दोस्त या आलिम से बयान करें, इल्मे ताबीर के जानने वाले अइम्मह फ़रमाते हैं कि ख़्वाब न औरत से बयान किया जाए न दुश्मन से।

बुरा ख़्वाब देखे तो क्या करे

महबूबे ख़ुदा सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, कि जब बुरा ख़्वाब देखें तो बेदार होने के बाद बाएं जानिब तीन मर्तबा "थू थू" करदें और तीन मर्तबा اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ पढ़ें और करवट बदल लें और किसी से बयान न करें तो नुक़सान न पहुंचेगा।

जिससे ख़्वाब बयान करें वह क्या कहे

फ़ारूके आज़म अमीरूल मोमेनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहर बसरा में बहैसियत हाकिम मुक़र्रर फ़रमाया था उन्हें एक मुरासला तहरीर फ़रमाया कि मुसलमानों में से जब कोई ख़्वाब देखकर अपने भाई से बयान करे तो भाई को चाहिए कि यूं कहे "خَيْرًا لَّنَا وَشَرًّا لِّأَعْدَائِنَا" (तर्जुमा) यह हमारे लिए बेहतर हो और दुश्मनों के लिए बुरा। मक़ामे ग़ौर है कि फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र में इस्लामी आदाब किस क़दर अहमीयत रखते थे कि दारुल–ख़िलाफ़ा की जानिब से जो मुरासला जा रहा है उसमें अबूमूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया जाता है कि मुसलमानों को यह इस्लामी तरीक़ा तालीम करदें इसके बाद हर मुसलमान को चाहिए कि अपने नफ़्स का जाइज़ा ले कि इस्लामी आदाब की तरफ़ रग़बत रखता है या ग़ैर मुसलमान अक़वाम के तरीक़ों को पसन्द करता है। इल्मे ताबीर के जानने वाले अइम्मा फ़रमाते हैं कि ताबीर देने वाले को चाहिए के बर वक़्त तुलूऐ–आफ़ताब और बवक़्ते ग़ुरूब और ज़वाल के वक़्त और रात में ताबीर न दे।

(फ़तहुलबारी शरह बुख़ारी शरीफ़)

झूटा ख़्वाब बयान करने का हुक्म

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि अशरफ़े अम्बिया हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिसने झूट ख़्वाब बयान किया तो बरोज़े क़ियामत उस वक़्त तक अज़ाब में गिरिफ़्तार रहने का मुस्तहिक़ होगा जब तक जौ के दो दानों में गिरह न लगाए और गिरह हरगिज़ न लगा सकेगा और जो शख़्स ऐसे लोगों की बातों की तरफ़ कान लगाएगा जो उसको सुनाना नहीं चाहते तो क़ियामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा और जो शख़्स तसवीर बनाएगा तो क़ियामत में उस वक़्त तक अज़ाब में मुबतला रहने का सज़ावार होगा जब तक उसमें रूह फूंके और हरगिज़ न फूंक सकेगा। (बुख़ारी शरीफ़)

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का ख़्वाब

यह याद रहे कि अम्बियाए–किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख़्वाब वही होते हैं हज़रत सुमरा बिन जुनदुब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि मालिके कौनैन सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने बाद नमाज़े फ़जर फ़रमाया तुममें से किसी ने ख़्वाब देखा है। हाज़ेरीन ने अर्ज़ किया नहीं फ़रमाया लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पास दो आदमी आए और हाथ पकड़ कर ज़मीने शाम की तरफ़ मुझे ले चले, तो देखा कि एक आदमी बैठा है और एक खड़ा है जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है उस बैठे हुए के जबड़े में इस तरह दाख़िल करता हैकि चीरता हुआ गुद्दी तक पहुंचता है फिर निकाल कर दूसरे जबड़े में दाख़िल करता है उस वक़्त तक पहला जबड़ा असली हालत पर जाता है फिर उससे निकाल कर उसमें और उससे निकाल कर उसमें यही अमल जारी है। मैंने दरियाफ़्त किया। यह क्या है तो उन दोनों आदमियों ने कहा कि चलिए, चुनांचे हम चले, यहां तक कि एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो चित लेटा हुआ है और एक आदमी उसके सर के क़रीब खड़ा है जिसके हाथ में एक पत्थर है उस लेटे हुए के सर पर इस क़दर ज़ोर से मारता है कि सर कुचल जाता है। फिर पत्थर को उठाकर लाता है उस वक़्त तक सर अपनी असली हालत पर आजाता है फिर पत्थर से सर को कुचल देता है यही अमल जारी है मैंने दरियाफ़्त किया कि यह क्या है उन्होंने कहा कि चलिए, चुनांचे हम चले यहां तक कि तनूर के मानिन्द एक ग़ार देखा जो ऊपर तंग और नीचे से बहुत कुशादा था। उसमें आग जल रही थी। अंदर कुछ बरहना मर्द और औरतें थीं। आग के शोले जब बुलन्द होते तो वह मर्द और औरतें उनके साथ ग़ार के मुंह तक पहुंचते और शोलों के पस्त होने से फिर अन्दर चले जाते मैंने दरियाफ़्त किया यह क्या है, तो उन्होंने कहा कि चलिए। चुनांचे चले, यहां तक कि एक ख़ून की नहर पर पहुंचे उसमें एक आदमी था और एक आदमी किनारे पर जिसके सामने पत्थर पड़ा हुआ था। अन्दर वाला आदमी किनारे के क़रीब पहुंच कर जब निकलना चाहता तो यह किनारे वाला इस क़दर ज़ोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता कि जहां था वहीं पहुंच जाता फिर वह किनारे की तरफ़ निकलने के वास्ते आता यह फिर पत्थर मारता यही अमल तरफ़ैन से जारी

था। मैंने दरियाफ़्त किया कि यह क्या है। उन्होंने कहा कि चलिए। चुनांचे चले हत्ता कि एक सरसब्ज़ बाग़ में पहुंचे उसमें एक बड़ा दरख़्त था जिसकी जड़ में एक बूढ़े आदमी और कुछ बच्चे थे उस दरख़्त के क़रीब एक आदमी आग जला रहा था। मेरे दोनों साथी मुझ को लेकर उस दरख़्त पर चढ़ गये और दरख़्त के दर्मियान एक मकान था उस में मुझको दाख़िल कर दिया। ऐसा ख़ूबसूरत मकान मैंने न देखा था। उसमें बूढ़े और जवान मर्द थे बच्चे और औरतें भी थीं फिर मुझ को उस मकान से निकाल कर दरख़्त के ऊपर चढ़े और ऐसे मकान में दाख़िल किया जो उससे बेहतरीन था। उसमें बूढ़े और जवान थे मैंने उन दोनों साथियों से कहा कि तुमने मुझे रात भर घुमाया बताओ मैंने जो कुछ देखा वह क्या है तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी के जबड़े चीरे जा रहे थे वह झूटा है कि झूटी बात कह देता था। सुनने वाले उस बात को औरों से बयान करते वह दूसरों से यहां तक दुनिया भर में फैल जाती। क़ियामत तक उस पर यही अज़ाब किया जाएगा और जिसका सर कुचलता मुलाहिज़ा फ़रमाया था यह वह शख़्स है जिसको अल्लाह तआला ने इल्मे क़ुरआन अता फ़रमाया न रात में उसकी तिलावत की न दिन में उसके अहकाम पर अमल किया क़ियामत तक उस पर यही अज़ाब होता रहेगा और जिनको उस ग़ार में मुलाहिज़ा फ़रमाया था यह वह मर्द और औरतें हैं जिन्होंने दुनिया में ज़ेनाकारी की थी और जिसको ख़ून की नहर में मुलाहिज़ा फ़रमाया वह सूद ख़ोर है और उस बड़े दरख़्त की जड़ में जो बूढ़े आदमी थे वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलतु वस्सलाम हैं उनके पास जो बच्चे थे वह लोगों की औलाद हैं और उस दरख़्त के क़रीब जो साहब आग जला रहे थे वह मालिक ख़ाज़िने जहन्नम हैं, और जिस मकान में आप पहली मर्तबा दाख़िल हुए थे वह आम मुसलमानों का मकान है और यह मकान शहीदों के वास्ते है, मैं जिब्रईल हूं और यह मीकाईल हैं आप सर उठाइये। हुज़ूर फ़रमाते हैं कि मैंने सर उठाया तो एक सफ़ेद अब्र नज़र आया। उन दोनों ने अर्ज़ किया कि यह हुज़ूर का मक़ाम है आपने फ़रमाया कि छोड़ो ताकि मैं दाख़िल होजाऊं। अर्ज़ किया कि अभी आपकी उमर बाक़ी है जब पूरी होजाएगी तो इसमें तशरीफ़ ले जाएंगे।

(बुख़ारी शरीफ़)

सोने से बेदार हो तो क्या करे

हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़्वाब से बेदार होते तो यह कल्मा फरमाते اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ ـ

(तर्जुमा) सब ख़ूबियां अल्लाह तआला के लिए जिसने मौत (ख़्वाब) के बाद हमें हयात (बेदारी) अता फ़रमाई और रोज़े कियामत आमाल की जज़ा के वास्ते उसकी बारगाह में हाज़िर होने के लिए मुर्दों को ज़िन्दा कर के क़ब्र से निकाला जाएगा।

तालीमात: – इस नबवी अमल में हमारे लिए चन्द चीज़ों की तालीम है (1) यह कि वसूले नेअ़मत पर अपने मुनइम का शुक्र बजा लाए ताकि हस्बे वादा मजीद क़ुरआनी नेअमतें पाए (2) मुनइम की बवजहे नेअ़मत ताज़ीम करने को शुक्र कहते हैं यह ताज़ीम कल्ब से हो या ज़बान से या दीगर आज़ा से जिस तरह से भी होगी शुक्र अदा हो जाएगा। मगर जो ताजीम ज़बान से की जाए वह आला दर्जा का शुक्र है। इस लिए कि यह नेअ़मत को ज़्यादा आशकारा करती है। बख़िलाफ़ क़ल्बी ताज़ीम के कि वह खुद मख़फ़ी चीज़ है। नीज़ ताज़ीम ज़बान की दलालत, सबूते नेअ़मत पर ज़ाहिर तर है। ज़की बलीद हर शख़्स उस पर मुत्तला हो सकता है। बशर्ते कि मआनी अल्फ़ाज़ से वाक़फ़ियत रखता हो। बख़िलाफ़ दीगर आज़ा की ताज़ीम के कि उसकी दलालत ऐसी नहीं नज़र बर–आं सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया।
اَلْحَمْدُ رَاْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ مَنْ لَّمْ يَحْمَدْهُ ـ यानी ज़बान से ताज़ीम करना आला दर्जा का शुक्र है। जिसने ज़बान से ताज़ीम न की उसने अल्लाह तआला का आला दर्जा का शुक्र अदा न किया। यह तो इर्शादे नबवी है और वह अमल था कि नेअ़मत बेदारी पाने पर अपने मुनइम हक़ीक़ी की मज़कूरा बाला कल्मात के साथ ज़बान से ताज़ीम बजा लाए। पस नबवी कौल और नबवी अमल दोनों से हमें यह तालीम दी गई कि हुसूले नेअ़मत पर शुक्र का आला दर्जा इख़्तियार करें। (3) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन कल्मात में बेदारी का तज़किरा फ़रमा कर

यह तालीम भी फरमादी कि कल्मात शुक्र में इस नेअमत का भी जिक्र कर देना चाहिए जिसके हुसूल पर शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस लिए कि जिक्रे नेअमत से मुनइम की मुहब्बत बढ़ती और खुलूस पैदा होता है।
(4) अरबी ज़बान में लफ्ज़ ना जमा की ज़मीर (प्रोनाउन) है जब मुतकल्लिम अपने साथ किसी हैसियत से औरों को शरीक करना चाहता है तो उस वक्त जमा की ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। मसलन बन्दा मौला तआला से दुआ करता है। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ हमको सीधा रास्ता दिखा। यानी सीधे रास्ते की तलब में। बन्दे ने अपने साथ दूसरे दीनी भाईयों को भी शरीक कर लिया। इसी वास्ते *एहदिनी* اِهْدِنَا में ज़मीर जमा जिक्र की और अगर किसी हैसियत से दूसरों को शरीक करना मकसूद न होता तो اِهْدِنِيْ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ कहा जाता जिसका तर्जुमा यह होता "मुझको सीधा रास्ता दिखा" और कभी दूसरों को अपने साथ सवाब में शरीक करने के लिए मुतकल्लिम जमा की ज़मीर इस्तेमाल करता है। मसलन मुस्लिम ने कहा *नह–मदुल्लाह तआला* हम अल्लाह तआला की हम्द करते हैं तो चूंकि अल्लाह तआला की हम्द में जो कल्मा मुस्लिम की ज़बान से निकलता है उस पर सवाब मिलता है इसलिए यहां पर जमा की ज़मीर इस्तेमाल करने से मकसूद यह है कि इन कल्मात के सवाब में दूसरों को शरीक कर लिया जाए। अगर यह मकसूद न होता तो वाहिद की ज़मीर लाई जाती और *अहमदुल्लाह तआला* कहा जाता और तर्जुमा यह होता " मैं अल्लाह तआला की हम्द करता हूं। पस नज़र बर–आँ रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा बाला कल्माते शुक्र जमा की ज़मीर के साथ *अहयाना* और *अमातना* फरमा कर उनके सवाब में अपने साथ अपनी उम्मत को भी शरीक फरमा लिया तो हमें इस अमले नबवी से यह तालीम हासिल हुई कि मुस्लिम का अखलाकी और मज़हबी फर्ज़ है कि अपने दीनवी भाईयों की हमदर्दी और खैर ख्वाही में फिरौगुज़ाश्त न करे। उनको हर मुम्किन तरीके से नफा पहुंचाने की सअी अमल में लाए हत्ता कि कल्माते हम्द व शुक्र में भी उनको शरीक करले।

ईसाले सवाब का एक तरीका यह भी है इसी वास्ते सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बरवक्ते बैअत यह शर्त भी फरमाते कि बैअत होने वाला हर मुसलमान की खैर ख्वाही करेगा। बुख़ारी शरीफ़ में

हैकि जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली ने फ़रमाया कि मैंने हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर इस शर्त से बैअत की थी कि नमाज पढता रहूंगा जकात देता रहूंगा और हर मुसलमान की खैर ख़्वाही करता रहूंगा। चुनांचे हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर शर्तों के साथ ताज़ीस्त इस शर्त को भी कामिल तौर पर पूरा फ़रमाते रहे, एक मर्तबा अपने ग़ुलाम को घोड़ा ख़रीदने के वास्ते हुक्म फ़रमाया। ग़ुलाम ने एक घोड़ा तीन सौ रुपया में ख़रीदा और घोड़े वाले को हमराह लेकर वापस आया ताकि उसको कीमत दिलवा दीजाए। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घोड़े वाले से फ़रमाया कि तुम्हारा घोड़ा तीन सौ रुपये से जाइद कीमत का है इसको चार सौ में फ़रोख़्त करते हो, उसने कहा आपको इख़्तियार हैं। आपने फ़रमाया चार सौ रुपये से भी ज़ाइद का है, पाँच सौ में फ़रोख़्त करते हो। उसने कहा आप मुख़्तार हैं। आप क़ीमत बढ़ाते गए वह राज़ी होता गया। यहां तक कि उसको आठ सौ में ख़रीद फ़रमाया। लोगों ने कहा आपने यह क्या किया। जब वह तीन सौ में दे चुका था फिर क़ीमत बढ़ाने के क्या माने। आपने फ़रमाया मैंने रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस शर्त पर बैअ़त की थी कि हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करूंगा तो उसको पूरा कर रहा हूं। *सुबहानल्लाह* 'ईं कार अज़ तू आयद व मर्दां चुनीं कुनन्द'। बिरादराने इस्लाम! इस वाक़िया को पढ़ने या सुनने के बाद हर मुसलामन मर्द और हर मुस्लिम ख़ातून का फ़र्ज़ हैकि अपने—अपने दिल के गोशों पर गहरी नज़र डालकर मालूम करें कि उनमें से किसी अपने मुसलमान भाई की बदख़्वाही का इरादा या उसको ज़रर पहुंचाने का ख़्याल तो पोशीदा नहीं है अगर हो तो फ़ौरन क़ल्ब को उससे पाक करलें और हुज़ूरे क़ल्ब के साथ बारगाहे इलाही में अर्ज़ करें *या रब्ब मुहम्मद* शबे मेअराज के दुल्हा का सदक़ा *या रब्ब मुहम्मद* किश्वरे रिसालत के बादशाह का सदक़ा *या रब्ब मुहम्मद* सब्ज़ गुम्बद वाले आक़ा का सदक़ा हज़रत जरीर की तरह हमारे दिलों को भी मुसलमान भाईयों की ख़ैरख़्वाही के जज़बात से लबरेज़ फ़रमादे और उनकी तरह ताज़ीस्त उस पर आमिल रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन! (5) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन कल्माते शुक्र के अख़ीर में وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ फ़रमा कर मसला मआद पर

तम्बीह फरमा दी और यह तालीम दी कि जो जात नींद तारी करने के बाद बेदार करने पर कादिर है वह इस पर भी कादिर है कि दुनिया मे मौत देने के बाद कियामत के दिन जिन्दा फरमाए इस लिए कि नींद भी एक किस्म की मौत है और यह तालीम भी फरमाई की इंसान को मरने के बाद जिन्दा हो कर अपने आमाल की जजा पानी है। आकिल का फर्ज है कि इसको पेशे नजर रखते हुए अमल करे कभी उससे गाफिल न हो।

नमाज़े तहज्जुद

नमाज़े इशा के बाद और फजर सादिक से पहले इस दर्मियान में सोने के बाद जो नवाफिल पढ़े जायें उनको नमाज़े तहज्जुद कहते हैं कम से कम इसकी दो रकअतें हैं और ज़्यादा से ज्यादा आठ। इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तहकीक पर चार-चार करके पढ़ना अफज़ल है हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यह नमाज़ फर्ज़ थी। उम्मत से फर्ज़ियत मनसूख हो गई अब सुन्नत है।

नमाज़े तहज्जुद की फ़ज़ीलत

क़ुरआने करीम में मुतअ़द्दद मक़ामात पर तहज्जुद पढ़ने वालों का तज़किरा फ़रमाया। इक्कीसवें पारह में सुरए सज्दा के दूसरे रुकूअ़ में इस तरह ज़िक्र फ़रमाया। تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ یعنی شب میں ان کے

यानी शब में उनके पहलू बिस्तरों से अलाहिदा हो जाते हैं नाराज़गी के खौफ़ और रहमत की तमअ़ में अपने रब की इबादत करते हैं और हमारी दी हुई दौलत से हमारी राह में खर्च करते हैं तो आँखों को ठंडक पहुंचाने वाली नेअमतें जो उनको वास्ते पोशीदा रखी गई हैं उनका किसी नफ्स को इल्म नहीं। हत्ता कि फ़रिश्ते भी उनसे लाइल्म हैं।

हदीस:– में फ़रमाया कि अल्लाह तआला क़ियामत में जब तमाम अव्वलीन व आख़रीन को जमा फ़रमाएगा तो मुनादी ऐसी आवाज़ से निदा करेगा जिसको तमाम मख़लूक़ सुनेगी कि अभी सबको मालूम हुआ जाता है कि आज मौला तआला के करम का ज़्यादा हक़दार कौन है। फिर मुनादी

वापस आकर कहेगा वह हज़रात खड़े होजायें जिनके पहलू शब में बिस्तर से अलाहिदा होजाते थे ऐसे बन्दे कम तादाद में होंगे। फिर लौटकर मुनादी आएगा और कहेगा वह हज़रात भी खड़े होजायें जो तंगदस्ती और बीमारी में अल्लाह तआला की बारगाह में आला दर्जे का शुक्रिया पेश किया करते थे और यह भी क़लील होंगे। फिर उन सब को जन्नत में ले जायेंगे उसके बाद बाक़ी लोगों का हिसाब होगा। (तफ़सीर कश्शाफ़)

हदीस: – सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि शैतान सोते वक़्त गुद्दी पर तीन गिरह लगा देता है, हर एक गिरह की जगह यह कल्मात पढ़–पढ़कर दम करता है।

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ तर्जुमा बड़ी रात पड़ी है सोता रह। पस अगर बन्दा शब में बेदार हुआ और ज़िक्रे इलाही किया तो एक गिरह खुल जाती है फिर वज़ू किया तो दूसरी गिरह खुल जाती है फिर नमाज़ पढ़ी तो तीसरी गिरह खुल जाती है फिर सुबह को बन्दा बश्शाश होता है और अगर शब में बेदार न हुआ तो क़ल्ब में इन्क़बाज़ और तबीअ़त कसलमन्द होती है।

सरकारे दारैन सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। ऐ अबूहुरैरा! तुम चाहते हो कि हालते हयात व ममात में क़ब्र में और क़ब्र से उठते वक़्त क़ियामत के दिन तुम पर अल्लाह तआ़ला की रहमत हो तो रात में उठकर अपने रब को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ो। ऐ अबूहुरैरा अपने घर के गोशों में नमाज़ पढ़ो तो तुम्हारे घर का नूर आसमान में पहुंचेगा जैसे कि सितारों का नूर ज़मीन वालों को महसूस होता है।

हदीस: – नीज़ फ़रमाया रात की नमाज़ इख़्तियार करो कि यह तुम से पहले नेक बन्दों का तरीक़ा है औरक़ुरबे इलाही के हुसूल का ज़रीया है, गुनाह मुआफ़ होने का सबब और बदन की बीमारियां दूर होने के लिए मूजिब है और गुनाहों से रोकने वाला है।

हदीस: – सय्यदे अम्बिया सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से फ़रमाया कि अगर तुम किसी सफ़र का इरादा करो तो उसके लिए सामान करोगे अर्ज़ किया जी हां। फ़रमाया। तो सफ़रे क़ियामत के लिए सामान करना ज़्यादा अहम है। हम ऐसी चीज़ें तालीम करदें जो उस दिन तुम्हें नफ़ा पहुंचायें। अर्ज़ किया। मेरे

मां-बाप हुज़ूर पर क़ुर्बान हों तालीम फ़रमाईए। फ़रमाया सख़्त गर्मी के दिन रोज़ा रखा करो। क़ियामत की गर्मी से महफ़ूज़ होने के लिए शब की तारीकी में दो रकअ़त पढ़ा करो क़ब्र की वहशत दूर होने के वास्ते, हज किया करो ताकि तुम्हारे अज़ीमुश्शान काम बहुस्न व बख़ूबी अंजाम पायें। मिस्कीन पर सदक़ा करो। इतनी ताक़त न हो तो अच्छा कल्मा ज़बान से निकालो यह भी सदक़ा करना है या बुरी बात कहने से ज़बान रोको यह भी सदक़ा करना है।

हदीस: – अशरफ़े अम्बिया सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने दुआ फ़रमाई कि अल्लाह तआ़ला उस बन्दे पर रहम फ़रमाए जिसने शब में उठकर नमाज़ पढ़ी फिर अपनी बीवी को बेदार किया तो उसने भी नमाज़ अदा की और अगर बीवी इंकार करे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क दे इसी तरह औरत के लिए भी दुआ फ़रमाई कि अल्लाह तआ़ला उस औरत पर रहम फ़रमाए जिसने शब में बेदार होकर नमाज़ पढ़ी फिर अपने शौहर को बेदार किया तो उसने भी नमाज़ अदा की और अगर शौहर इंकार करे तो औरत उसके चेहरे पर पानी छिड़क दे। कैसे ख़ुश नसीब हैं वह मर्द औरत जो महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की इस दुआ का मिस्दाक़ बनें।

हदीस: – हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स का तज़किरा किया गया जो रात भर सोया रहा यहां तक कि सुबह होगई फ़रमाया यह ऐसा शख़्स है जिसके कान में शैतान पेशाब कर गया जिसकी वजह से शब की बरकतों से महरूम रहा!

हदीस: – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम शब में इस क़दर क़ियाम फ़रमाते कि पाए मुबारक मुतवर्रम होकर फट जाते। एक मर्तबा मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त क्यों फ़रमाते हैं जब कि अल्लाह तआ़ला ने हुज़ूर के सदक़े में हुज़ूर के अगले पिछले जुमला मुतअ़ल्लेक़ीन की लग़ज़िशें और उनके गुनाह मुआफ़ फ़रमाया, तो क्या मैं बन्दए शुक्र गुज़ार न बनूं यानी शब बेदारी और उसमें यह सख़्त तरीन रियाज़त परवरदिगारे आलम के इस एहसाने अज़ीम का शुक्रिया है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक होने वाले मेरे तमाम मुतवस्सेलीन

की लग़ज़िशों और ख़ताओं की मग़फ़िरत मेरी वजह से फ़रमा दी। यूसुफ़ इब्ने मेहरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि ज़ेरे अर्श एक फ़रिश्ता बशक्ले मुर्ग़ है जिसके पंजे मोतियों के और कांटा सब्ज़ ज़मुर्रद का। जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुज़र जाता है तो अपने बाज़ू फड़फड़ा कर बोलता और कहता है। चाहिए कि क़ियाम करने वाले क़ाइम हो जायें और जब निस्फ़ रात गुज़र जाती है तो पहले की तरह बाज़ू फड़फड़ा कर कहता हैकि नमाज़े तहज्जुद पढ़ने वाले उठ बैठें और जब दो तिहाई रात गुज़र जाती है तो फिर बाज़ू फड़फड़ा कर कहता है। चाहिए कि नमाज़ पढ़ने वाले उठ जाएं और जब फ़जर तुलूअ होती है तो बाज़ू फड़फड़ा कर कहता है कि ग़फ़लत वाले अपने गुनाहों के साथ उठ बैठें (अहयाउल उलूम) और अगर फ़जर से पेशतर उठकर मअबूदे हक़ीक़ी की जनाब में सर बसुजूद होजाते और इस्तिग़फ़ार करते तो वह अपनी रहमत से मग़फ़िरत फ़रमा देता गुनाह बाक़ी न रहते। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निस्फ़ शब बेदार रहते। एक मर्तबा कुछ लोगों के पास से आप का गुज़र हुआ तो उन्होंने आपको देखकर कहा कि यह तमाम शब बेदार रहते हैं आपने दिल में कहा कि शर्म की बात है कि लोग मेरे मुतअल्लिक़ ऐसी चीज़ बयान करें जो मैं नहीं करता। इसके बाद तमाम शब में बेदार रहना शुरू कर दिया और पैंतालीस बरस तक इशा के वज़ू से नमाज़े फ़जर अदा फ़रमाई।

मसनवी

चश्महाए आशिक़ां रा ख़्वाब नीस्त
यक ज़मां आँ चश्महाए आब नीस्त
ख़्वाब रा बा दीदए आशिक़ चह कार
चश्मे ऊ चूं शमअ बायद अश्कबार

मुस्लिम ख़्वातीन ग़ौर फ़रमायें। ख़्वाजा हुसैन सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पास एक कनीज़ थी जिसको फ़रोख़्त फ़रमा दिया जब वह ख़रीदने वाले के यहां पहुंचीं तो रात आधी गुज़रने पर उठ बैठीं और बआवाज़े बुलन्द कहने लगीं कि ऐ घर वालो नमाज़–नामज़! उन्होंने मुतवज्जह होकर दरियाफ़्त किया कि क्या सुबह होगई उन कनीज़ ने

फरमाया कि आप लोग फर्ज नमाज के सिवा और नमाज नही पढते। उन्होने कहा नही, कनीज सुबह को हसन सालेह की खिदमत मे हाजिर हुई और अर्ज किया कि आपने ऐसे लोगो के हाथ मुझे फरोख्त फरमा दिया जो नमाजे तहज्जुद नही पढते। मुझे वापस फरमाले। चुनांचे ख्वाजा ने वापस फरमा लिया। अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मेरे पास एक कनीज थी मैंने आधी रात गुजरने पर देखा कि सज्दा मे पड़ी कह रही हैं। इलाही मेरे साथ जो तुझको मुहब्बत है उसके वसीले से मेरी मग़फिरत फरमादे। मैने कहा कि यूं न कहो! बल्कि यूं कहो कि मुझको जो तेरे साथ मुहब्बत है इलाही उसके वसीले से मेरी मग़फिरत फ़रमादे, इस लिए कि हो सकता है कि वह तुमसे मुहब्बत न फ़रमाता हो। कनीज़ ने कहा कि खामोश रहो। उसको मेरे साथ मुहब्बत है जभी तो मुझको दारुलशिर्क से दारुलइस्लाम में पहुंचाया। वह मुझसे यक़ीनन मुहब्बत फ़रमाता है जभी तो मुझको बेदार करके अपनी जनाब में सज्दे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और आप को बिस्तर पर सोता रखा। अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैंकि इस गुफ़्तगू से मुतअस्सिर होकर मैंने उनसे कहा कि अल्लाह तआला के लिए मैंने तुमको आज़ादा कर दिया। कनीज़ ने कहा कि ऐ मेरे आका तुमने मेरे साथ बुरा किया अब तक मुझे दो अज्र मिलते थे एक तुम्हारी ख़िदमत का और एक अपने मालिके हक़ीक़ी की ख़िदमत का, अब एक ही रह गया यह कह कर कनीज़ ने एक चीख़ मारकर कहा कि यह तो मेरे मजाज़ी मालिक की जानिब से आज़ादी है तो हक़ीक़ी मालिक की जानिब से आज़ादी कैसी होगी। फिर ज़मीन पर गिरीं और जान बहक़ हो गयीं बशारते अ़जीम यह कि तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे।

दौलते तहज्जुद पाने के शराइत

शब में बेदार होकर इबादत में मशगूल होना बहुत दुश्वार है मगर जो लोग मुन्दर्जा ज़ैल शराइत के पाबन्द होते हैं उनको हर शब यह दौलत हासिल होती है उसके हुसूल के वास्ते चार शर्तें ज़ाहिरी हैं और चार बातनी। ज़ाहिरी यह हैं (1) कम खाना कि ज़्यादा खाने से पानी ज़्यादा पिया जाएगा जिससे नींद ग़ालिब होगी और शब में उठना गिराँ होगा (2) दिन में इस कदर शाक़ काम न करे जिससे आज़ा में मांदगी और आसाब में

कमज़ोरी पैदा होजाए इस लिए कि इससे भी नींद का ग़लबा होता है (3) दिन में कैलूला तर्क न करे कि कियामे शब में मदद पहुंचाने के वास्ते मसनून है (4) तमाम शर्तों से अहम शर्त यह है कि गुनाहो का इरतेकाब न करे कि उससे क़ल्ब में क़सावत पैदा होती है जो बन्दे और असबाबे रहमत के दर्मियान हाइल हो जाती है इमाम सौरी रहमतुल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मैं एक गुनाह के बाइस पांच महीने तक क़ियामे शब से महरूम रहा। लोगों ने दरियाफ़्त किया कि वह गुनाह क्या था। फ़रमाया मैंने एक शख़्स को रोते देखकर अपने दिल में कहा कि यह रियाकार है।

बातनी शर्तें यह हैं (1) क़ल्ब को कीनए-मुस्लिम से पाक और फ़ुज़ूल अफकारे दुनियवी से साफ़ रखे वरना बेदारी नसीब भी हुई तो बहालते नमाज़ यही ख़्यालात क़ल्ब में आएंगे। (2) क़ल्ब में ख़ौफ़े इलाही के साथ आरज़ूओं की कमी हो (3) आयाते क़ुरआनी व,अहादीसे नबवी और असलाफ़ के मक़ालात से क़ियामे शब की फ़ज़ीलत मालूम करे ताकि रग़बत मुस्तहकम होजाए। (4) हुब्बे इलाही और यह एतेक़ाद रखे कि मैं अपने रब से मुनाजात कर रहा हूं और वह मेरे अहवाल पर मुत्तला है। यह बातनी शर्तों में सबसे अहम शर्त है।

कपड़े पहने तो क्या पढ़े

नींद से बेदार होकर कपड़े पहने तो बारगाहे इलाही में मुन्दर्जा ज़ैल कल्मात बतौरे शुक्रिया अदा करे। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते है कि अगले पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो जायेंगे।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ هٰذَا وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ ۔

तर्जुमाः— सब ख़ूबियां अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको यह कपड़ा पहनाया और मेरी क़ुव्वत व ताक़त के बग़ैर मुझको यह अता फ़रमाया।

कपड़े पहनने का इस्लामी तरीक़ा

जिन कपड़ों में पहनते वक़्त दायें बाएं जानिब होती है और उनमें पहले दायें जानिब पहनें फिर बाएं। मसलन कुर्ता पहनना है तो पहले दाईं आस्तीन पहनें फिर बाईं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जब तुम कपड़े पहनो तो दायें जानिब से इब्तदा करो। पाएजामा को

बैठकर पहने और अमामा खड़े होकर बांधे। अमामा की मिक्दार छः गज़ है।

कपड़े उतारे तो क्या पढ़े

यह पढ़े بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ यानी अल्लाह तबारक व तआला के नामे पाक की मदद से कपड़ा उतारता हूं जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मुस्लिम कपड़े उतारने का इरादा करे तो इन कल्मात को पढ़ले बदन के जिन हिस्सों का छिपाना ज़रूरी है उन हिस्सों और जिन्नों की निगाहों के दर्मियान इन कल्मात के पढ़ने से पर्दा क़ाइम हो जाता है। फिर जिन्नों को वह हिस्से नज़र नहीं आते इस लिए मुस्लिम उनके ज़रर से महफ़ूज़ होजाता है। नाफ़ के नीचे से घुटने के नीचे तक मर्द को छिपाना ज़रूरी है चेहरे और हथेलियों के सिवा सारे बदन का छिपाना औरत पर लाज़िम है लेकिन बवजहे फ़ितना ग़ैर महरम के सामने मुंह खोलना मना है।

कपड़े उतारने का इस्लामी तरीक़ा

जिन कपड़ों में दायें–बाएं जानिब हैं उतारते वक़्त पहले बाएं आस्तीन उतारे फिर दायें ऐसे ही पाजामा का बायां पाइंचह पहले उतारे फिर दायां पाजामा को बैठकर उतारे।

नया कपड़ा पहने तो क्या पढ़े

जलीलुलक़दर सहाबी हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैंकि महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम जब किसी क़िस्म का नया कपड़ा पहनते तो यह दुआ पढ़ते। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهٗ.

तर्जुमा:– ऐ अल्लाह तेरे लिए हम्द है कि तूने मुझको यह नया कपड़ा पहनाया मैं तुझसे इसकी ख़ैर और जिस काम के लिए यह है उसकी ख़ैर मांगता हूं और उसकी शर से और जिस काम के लिए यह है उसकी शर से तेरी पनाह तलब करता हूं

तालीमात: – जिस तरह दुनिया की दूसरी चीज़ों में ख़ैर और शर

दोनों को दख़ल है। नबवी इर्शाद से मालूम हुआ कि कपड़े में भी खैर और शर दोनों होती हैं। कपड़े में ख़ैर यह है कि आराम पहुंचाए तकलीफ़देह चीज़ों से महफ़ूज़ रखे। शर यह हैकि उससे किसी क़िस्म की तकलीफ़ पहुंचे। मसलन कपड़े में पाँव उलझा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। जिस मक़सद के लिए कपड़ा पहना है उसमें भी ख़ैर और शर दोनों होती हैं। कपड़े को बदन छिपाने या ज़ेब व ज़ीनत की नीयत से इस्तेमाल किया तो यह ख़ैर है और अगर तकब्बुर या रियाकारी की नीयत से इस्तेमाल किया तो यह शर है (2) इस नबवी इर्शाद से हमें यह तालीम भी हासिल हुई कि मुस्लिम का तअल्लुक़ अपने मअ़बूदे हक़ीक़ी के साथ इतना क़वी होना चाहिए कि ज़िन्दगी की हर छोटी से छोटी ज़रूरत अंजाम देते वक़्त तवज्जोहह उसी की जानिब रहे यहां तक कि कपड़े पहनते वक़्त उससे ग़ाफ़िल न हो। (3) यह तालीम भी हासिल हुई कि नेअ़मत मिलने पर पहले मौला तआ़ला की बारगाह में आला दर्जा का शुक्रिया पेश करे ताकि हस्बे वादए इलाही मज़ीद नेअ़मतों के पाने का मुस्तहिक़ बने फिर दूसरी हाजतों के तलब करने की तरफ़ मुतवज्जह हो।

कपड़ों के मसाइल

सुर्ख़ कपड़ा पहनना मर्दों के लिए मकरूह है। बशर्ते कि कम में रंगा हो, वरना जाइज़ है। जलीलुल क़दर सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं एक शख़्स सुर्ख़ कपड़े पहने गुज़रा और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुज़ूर ने सलाम का जवाब न दिया (तिर्मिज़ी शरीफ़) ज़ाफ़रान में रंगे हुए कपड़े भी मर्द के वास्ते मकरूह हैं औरतों के वास्ते मकरूह नहीं। बारीक कपड़े पहनना जिनसे बदन नज़र आए औरत के लिए दुरुस्त नहीं। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैंकि मेरी बहन असमा हुज़ूर की ख़िदमत में बारीक कपड़े पहन कर हाज़िर हुईं। हुज़ूर ने उनकी जानिब से मुंह फेर लिया और फ़रमाया: ऐ असमा, औरत जब बालिग़ हो जाए तो चेहरे और कफ़े दस्त के सिवा बदन के किसी हिस्से का देखा जाना दुरुस्त नहीं। पाएजामा या तहबन्द इतना दराज़ कि टख़नों के नीचे पहुंचे मर्द के वास्ते मकरूह है सरवरे काइनात सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि

वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। मोमिन का एज़ार निस्फ़ पिन्डली तक होना चाहिए और अगर टखनों तक हो तब भी कोई हर्ज नहीं और जो टखनों के नीचे हो वह दोज़ख में जाएगा। यह कल्मा तीन मर्तबा फ़रमाया और जो शख़्स तकब्बुर और शेख़ी से एज़ार दराज़ करेगा अल्लाह तआला रोज़े क़ियामत उसकी जानिब नज़रे रहमत न फ़रमाएगा। अ़मामा यानी पगड़ी, टोपी के ऊपर बांधना चाहिए। हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि हमारे और मुशरेकीन के दर्मियान यह फ़र्क़ हैकि हम टोपी पर अ़मामा बांधते हैं और वह बग़ैर टोपी के।

क़ौमी इम्तियाज़

क़ौमे मुस्लिम की पस्ती का एक अहम सबब यह भी है कि उसने अपने क़ौमी इम्तियाज़ को तर्क कर दिया। दूसरों को अपने अन्दर जज़्ब करने के बजाए ख़ुद उनके अन्दर जज़्ब होगई। हर क़ौम की बक़ा उसके इम्तियाज़ात के साथ वाबस्ता है इम्तियाज़ात के ख़त्म होने से क़ौम फ़ना हो जाती है दूसरी अक़वाम की निगाहों में उसकी वक़अ़त बाक़ी नहीं रहती। इसी नुकता पर मुतनब्बह करने के लिए सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ यानी जो शख़्स जिस क़ौम के साथ मुशाबेहत इख़्तियार करेगा वह उसी क़ौम में शुमार किया जाएगा। ख़्वाह मुशाबेहत आमाल में हो या अख़लाक़ में या लिबास में या किसी और चीज़ों में। अभी अभी गुज़रा कि क़ौमी इम्तियाज़ की अहमियत मलहूज़ रखते हुए यह गवारा न फ़रमाया कि मुस्लिम, ग़ैर मुस्लिम के साथ अ़मामा बांधने में भी मुशाबह हो और साफ़–साफ़ फ़रमाया कि अ़मामा के बारे में हमारा क़ौमी इम्तियाज़ यह है कि टोपी पर बांधा जाए ताकि मुस्लिम क़ौम अपने लिबास में भी ग़ैर मुस्लिम से मुमताज़ रहे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं मुझे सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने दो कपड़ा पहने हुए देखा जो गुलाब के ज़ेरे में रंगे हुए थे यानी ज़र्द थे तो फ़रमाया बेशक यह काफ़िरों का लिबास है आइन्दा न पहनना। उन्हें हुज़ूर की नागवारी का एहसास हुआ मकान पर वापस आए और उन दोनों कपड़ों को जला दिया। दूसरे दिन ख़िदमत में हाज़िर हुए दरियाफ़्त फ़रमाया वह कपड़े क्या हुए अर्ज़ किया

उनको जला दिया गया। फ़रमाया अपने घर की औरतों में से किसी को दे दिए होते कि औरतों के लिए ज़र्द कपड़ों के पहनने में कोई हर्ज नहीं। आह मक़ामे ग़ौर है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रंग में भी कुफ़्फ़ार के साथ मुशबेहत गवारा न फ़रमाई और आज हमारी हालत इस क़दर ना गुफ़्तनी हो चुकी है कि ग़ैरों की मुआशरत वज़ा क़ता और लिबास में डूब गए हैं इस्लामी तरीक़े छोड़ते चले जा रहे हैं इन्हीं हालात से मुतअस्सिर होकर इक़बाल ने कहा था– अशआर

कौन है तारिके आईने रसूले मुख़्तार
मसलिहत वक़्त की है किसके अमल का मेयार
शोर है होगए दुनिया से मुसलमां नाबूद
हम यह कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद
किस की नज़रों में समाया है शेआरे अग़यार
हो गई किसकी निगह तरज़े सलफ़ से बेज़ार
वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद
यह मुसलमां हैं जिन्हें देख के शरमाएं यहूद
क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं
कुछ भी पैग़ामे मुहम्मद का तुम्हें पास नहीं
यूं तो सय्यद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़ग़ान भी हो
तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो

बुज़ुर्गाने दीन के कपड़े

अपने पास रखना हुसूले बरकत के लिए मुफ़ीद है। उन्हें धोकर पानी अगर मरीज़ों को इस्तेमाल कराया जाए तो शिफ़ा हासिल होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबज़ादी हज़रत असमा ने एक जुब्बा निकाला और फ़रमाया यह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा है जो हज़रत आइशा के पास था जब उनका विसाल हुआ तो मेरे पास आया, तो अब हम बग़र्ज़ हुसूले शिफ़ा उसे धोकर मरीज़ों को पिलाते हैं।

जूते पहनने और उतारने का इस्लामी तरीक़ा

हज़रत अबूहुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जब तुम में से कोई जूता पहने तो पहले दायां फिर बायां और जब उतारे तो पहले बायां फिर दायां। नीज़ फ़रमाया कि एक जूता पहन कर न चले या दोनों पहने या दोनों उतार दे।

ज़र्द जूता पहनना

ना पसन्दीदा है। मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं जो ज़र्द रंग का जूता पहनेगा उसके अफ़कार में कमी होगी।

सियाह जूता पहनना

नापसन्दीदा है। जलीलुल क़दर सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और इमामे जलील मुहम्मद बिन कसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सियाह जूता पहनने से मना फ़रमाते थे। इस लिए कि इससे अफ़कार पैदा होते हैं। (रूहुल बयान शरीफ़)

बैतुलख़ुला जाने का इस्लामी तरीक़ा

दाख़िल होने से पहले पढ़े *बिस्मिल्लाहि* इस लिए कि मुख़बिरे सादिक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। तुममें से जब कोई बैतुलख़ुला में जाने का इरादा करे तो *बिस्मिल्लाहि* पढ़ले। जिन्नों की निगाहों और बदन के उस हिस्से के दर्मियान पर्दा क़ाइम हो जाएगा। जिसका छुपाना ज़रूरी है। फिर शयातीन और जिन्न नुक़सान न पहुंचा सकेंगे। बैतुलख़ुला में जाते वक़्त पहले बायां पाँव दाख़िल करे और क़ज़ाए हाजत के लिए इस तरह बैठे कि न क़िब्ला को मुंह हो और न पुश्त। शर्मगाह को न दाहिने हाथ से छूए न दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे हज़रत अबूसईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जब दो शख़्स पाख़ाने को जाएं और सतर खोल कर बातें करें तो अल्लाह तआला उन पर ग़ज़ब फ़रमाता है।

नंगे सर पेशाब पाखाने को जाना मकरूह है।

बैतुलखुला से निकलने का इस्लामी तरीक़ा

निकलते वक्त दाहिना पाँव पहले निकाले और यह कल्मा पढ़े। *गुफ़रानक* यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूं कि इतनी देर तेरे ज़िक्र से साकित रहा। हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम जब बैतुलखुला से बाहर तशरीफ़ लाते तो कल्मा मज़कूरा फ़रमाते।

पेशाब से न बचने की सज़ा

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम दो क़ब्रों के पास पहुंचे और फ़रमाया कि इन दोनों क़ब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है और किसी ऐसी चीज़ की बिना पर अज़ाब नहीं हो रहा जिससे बचना दुश्वार होता। एक पर इस लिए अज़ाब हो रहा है कि पेशाब से न बचता था और दूसरे पर इस लिए कि चुग़ली खाता था। फिर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक तर शाख़ लेकर उसके दो हिस्से किए और हर क़ब्र पर एक–एक हिस्सा नस्ब फ़रमाया। सहाबए किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह यह अमल किस लिए किया। फ़रमाया शाखें जब तक खुश्क न होंगी बेशक अज़ाब में कमी होती रहेगी। (बुख़ारी शरीफ़) वह मुस्लिम मर्द और वह ख़्वातीन ख़ुसूसियत से तवज्जोहह फ़रमाएं जो पेशाब कर के बग़ैर इस्तिनजे के पाएजामा बांध लेते हैं।

तालीमात: – (1) इस वाक़िआ से नबवी आँखों की इम्तियाज़ी शान ज़ाहिर होती है कि मौला तआ़ला ने उन्हें वह मख़सूस बीनाई अता फ़रमाई है जिससे ज़मीन के अन्दरूनी हालात भी नज़र आते हैं। दूसरे अम्बियाए किराम अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आँखों को भी यह इम्तियाज़ बख़्शा गया था।

बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकत

हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक क़ब्र के पास से गुज़रे। मुलाहिज़ा फ़रमाया कि अज़ाब के फ़रिश्ते मुर्दे पर अज़ाब कर रहे हैं। यह

मुलाहिज़ा फरमाते तशरीफ ले गए। अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर वापसी में फिर ऊपर से गुज़रे। मुलाहिज़ा फरमाया कि उसी मुर्दे के पास रहमत के फरिश्ते मौजूद हैं और उनके साथ नूरानी तबाक़ है। मुतअज्जिब होकर बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया वही आई, कि ऐ ईसा यह बन्दा गुनहगार था इसी वास्ते इन्तिकाल के बाद से अब तक अज़ाब में गिरिफ्तार रहा। उसने अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था। उसके लड़का पैदा हुआ जिसको वह परवरिश करती रही यहां तक कि जब वह बड़ा हुआ तो उसको मुअल्लिम के सपुर्द कर दिया अभी मुअल्लिम ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई उसने पढ़ी तो मुझे शर्म आई कि मैं अपने बन्दे पर ज़मीन के अन्दर अज़ाब करूं दरां हालेकि उसका बेटा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम लेता हो इस लिए अज़ाब को रहमत से बदल दिया गया। (तफ़सीर कबीर)

नबवी आँखों की ख़ुसूसियत

आँखों से किसी चीज़ को देखने के लिए दो शर्तें हैं। एक यह कि रौशनी हो, तारीकी में आँखों से कोई चीज़ नज़र न आएगी। दूसरी शर्त यह है कि जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वह आँखों के सामने हो अगर सामने नहीं, पसे पुश्त है हरगिज़ नज़र न आएगी मगर महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँखों के वास्ते इनमें से कोई शर्त न थी। उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर को जिस तरह रौशनी में नज़र आता था उसी तरह तारीकी में। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हबीबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया ।।اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا

اِسْتَوُوْا فَوَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ اِنِّیْ لَاَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِیْ كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ

यानी नमाज़ के वक़्त सफों को सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, इस लिए कि कसम है उस जात की जिसके क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है। बेशक मैं तुमको पीछे से देखता हूं जैसे कि सामने से (अबू दाऊद शरीफ़) बल्कि हुज़ूरे पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते थे जो लाखों मील की मुसाफ़त पर आसमानी हिजाबात में पोशीदा हैं। बुख़ारी शरीफ़ में हैकि हुज़ूरे पुर नूर ने फ़रमाया

وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَاَنْظُرُ اِلٰی حَوْضِیْ الْاٰنَ यानी ख़ुदा की क़सम बेशक मैं इस वक़्त

अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं और इन ख़ुदा भाती आँखों की आला दर्जा की खुसूसियत यह है जो किसी आँख को नसीब हुई और न ता कियामत नसीब हो कि उन्होंने शबे मेअ़राज में ज़ाते इलाही को देखा जिसके देखने की ताब व ताक़त आख़िरत से पहले किसी मख़लूक़ को नहीं दी गई।

शेअर

मूसा ज़ होश बयक पर–तवे रिफ़ात
तू ऐन ज़ात मी नगरी दर तबसे

(2) इस वाक़ेआ से यह तालीम भी हासिल हुई कि सब्ज़ो शादाब चीज़ों के क़ब्र पर रख देने से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाती है उल्माए रब्बानी ने इसकी वजह यह बयान फ़रमाई हैकि नबातात जब तक खुश्क न हों ज़िन्दा रहते हैं और अपनी मख़सूस ज़बान से अपने पैदा करने वाले की तस्बीह करते हैं जो अल्लाह तआ़ला के ख़ास बन्दों की समझ में आती है। तस्बीह ज़िक्रे इलाही है और ज़िक्रे इलाही की बरकत से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाती है और कभी अज़ाब बिल्कुल मौक़ूफ़ कर दिया जाता है जैसा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलामके वाक़िया से ज़ाहिर हुआ।

सवाल:- सब्ज़ व शादाब नबातात के क़ब्र पर रखने से जब अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है तो उन्हीं लोगों की क़ब्र पर रखना चाहिए जिनके मुतअ़ल्लिक़ ज़न्ने ग़ालिब हो कि अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब में गिरिफ़्तार होंगे ताकि उनके रखने से अज़ाब में कमी होजाए और जिन बन्दों के मुतअ़ल्लिक़ यह गुमान नहीं किया जा सकता जैसे कि औलिया व शोहदा उनके मज़ारात पर फूल वग़ैरह रखने से क्या फ़ाइदा।

जवाब:- फ़ाइदा यह हैकि नबातात जब तक खुश्क नहीं होते ज़िक्रे इलाही करते रहते हैं जिसको अल्लाह तआ़ला के यह महबूब बन्दे सुनते हैं और ज़िक्रे इलाही से उनके क़ुलूब को ख़ास फ़रहत और रूहानी सुकून हासिल होता है तो यह ऐसा ही है जैसा कि हम अपने किसी बुज़ुर्ग की ख़िदमत में अतर पेश करने की सआ़दत हासिल करें तो जिस तरह अतर से क़ल्ब में फ़रहत महसूस होती है इसी तरह औलियाए किराम को नबातात की तस्बीह से रूहानी लज़्ज़त व सुरूर हासिल होता है इसी वास्ते नबवी अमल को पेशे नज़र रखते हुए जलीलुल क़दर सहाबी बुरैदा इब्न हसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वसियत फ़रमाई थी कि मेरी क़ब्र पर

खजूर की दो सब्ज़ शाखें रख दी जाएं। (फ़तहुल बारी)

नबवी बौल व बराज़

उम्मुल मोमेनीन हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा की भांजी ओमैमा बिन्ते रोकैया रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाती हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के पास एक खजूर की लकड़ी का प्याला था जिस तख़्त पर आप शब में आराम फ़रमाते थे उसके नीचे रखा रहता था। शब में जब ज़रूरत होती तो उसमें पेशाब फ़रमा लिया करते थे। मुवर्रेख़ीन बयान फ़रमाते हैं कि एक साहब ने नादानिस्ता तौर पर प्यास की शिद्दत में इस प्याले के पेशाब को पानी ख़्याल कर के पी लिया जब तक ज़िन्दा रहे उनके बदन से ख़ुशबू आती रही। बल्कि चन्द पुश्तों तक उनकी औलाद के बदन में भी ख़ुशबू बाक़ी रही। एक मर्तबा अपनी ख़ादिमा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा से फ़रमाया प्याले में पेशाब है उसको फेंक आओ, वह प्याले को वहां से उठा ले गयीं और फेंकने के बजाए पेशाब को पी लिया, वापस आने पर फ़रमाया पेशाब क्या हुआ अर्ज़ किया प्यास लगी थी इस लिए पी लिया। आपने यह नहीं फ़रमाया कि हमारा पेशाब नापाक होता है नापाक चीज़ को क्यों पिया, जाओ मुंह को पाक करो आइन्दा ऐसा न करना बल्कि मुस्कुराए और फ़रमाया कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द न होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि ताज़ीस्त उन्हें पेट के दर्द की शिकायत नहीं हुई उम्मे यूसुफ़ नामी एक और ख़ादिमा थीं, उन्हों ने भी आपका मुबारक पेशाब पी लिया। फ़रमाया कभी बीमार न पड़ोगी, उमर भर तन्दुरुस्त रहीं आख़री वक़्त में अ़लालत पेश आई जो मौत के लिए बहाना थी और उसी में इन्तिक़ाल फ़रमाया। नज़र बरां उल्मा ने फ़रमाया कि आपका "बौल व बराज़" पाक और तय्यब व ताहिर था। बदन मुबारक से बौल व बराज़ ख़ारिज होते वक़्त ख़ुशबू महकती थी। ज़मीन बौल व बराज़ को निगल जाती थी। ज़मीन की ज़ाहिरी सतह पर मुतलक़ असर न रहता था।

(अशअ़तुल लमआत वग़ैरह)

वज़ू के तारीख़ी हालात

क़ुरआन पाक में सूरए माइदा की वह आयते करीमा जिसमें वज़ू का बयान है अगरचे मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई मगर वज़ू उससे पेशतर

मक्का मुकर्रमा में फ़र्ज़ हो चुका था बल्कि वज़ू साबिक़ शरीअ़तों के उन अहकाम से है जो इस शरीअ़त में भी बरक़रार है। इसी वास्ते वज़ू इस उम्मत के खुसूसियात से नहीं पहली उम्मतों में भी था लेकिन इस उम्मत की यह खुसूसियत है कि क़ियामत के दिन वज़ू की वजह से उसके मुंह हाथ पाँव चमकेंगे। दूसरी उम्मतों को यह इम्तियाज़ी शान हासिल न होगी।

सवाल:- जब वज़ू का हुक्म पहले से चला आ रहा है तो आयते वज़ू के नाज़िल होने से क्या फ़ाइदा?

जवाब:- एक फ़ाइदा यह है कि उम्मत वज़ू के बारे में ब-ईं ख़्याल तसाहुल न करे कि वज़ू मुस्तक़िल इबादत तो है नहीं, नमाज़ के ताबेअ़ है। लिहाज़ा इसकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिए उसके बयान में मुस्तक़िल आयत नाज़िल फ़रमा दी गयी, अगरचे उसका हुक्म पहले से साबित था इसी वास्ते नमाज़े पंजगाना की फ़र्ज़ियत से पेशतर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम और साहाबए किराम मक्का मुकर्रमा में दो रकअ़त सुबह और दो रकअ़त शाम वज़ू के साथ अदा फ़रमाते थे।

वज़ू से सग़ीरा और कबीरा गुनाह धुल जाते हैं

रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुसलमान बन्दा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह छोटे हों या बड़े सब धुल जाते हैं और जब नाक में पानी डाल कर साफ़ करता है तो नाक के गुनाह छोटे हों या बड़े सब धुल जाते हैं और जब चेहरा धोता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। यहां तक कि पलकों के और जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं। यहां तक कि नाखुनों के और सर का मसह करता है तो सर के गुनाह। यहां तक कि कानों के और पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह छोटे-बड़े सब धुल जाते हैं। यहां तक कि पाँव के नाखुनों के, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने यह बशारते अ़ज़ीमा बयान करके फ़रमाया لَا تَغْتَرُّوْا यानी इस पर मग़रूर न हो जाना कि गुनाहों का इर्तकाब शुरू कर दो। यह समझते हुए कि वज़ू में सब धुल जायेंगे।

औलिया आँखों से गुनाह धुलते देखते हैं

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब लोगों का आप वज़ू देखते तो बेऔनेही उन गुनाहों को पहचान लेते जो धुलकर पानी के साथ गिरते और जुदा–जुदा जान लेते कि यह धोवन गुनाहे कबीरा का है या सग़ीरा का या ख़िलाफ़े औला का। बिला तफ़ावुत इसी तरह जैसे अजसाम को कोई मुशाहिदा करता है एक मर्तबा कूफ़ा की जामा मस्जिद के हौज़ पर तशरीफ़ ले गए एक जवान वज़ू कर रहा था उसका पानी जो टपका इमाम ने उस पर नज़र फ़रमाई और जवान से फ़रमाया: ऐ मेरे बेटे मां–बाप को ईज़ा देने से तौबा कर उसने फ़ौरन अर्ज़ की मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जनाब में इससे तौबा करता हूं। एक शख़्स का धोवन देख कर फ़रमाया, शराब पीने से और आलाते लहव लइब सुनने से तौबा कर। वह भी उसी वक़्त ताइब हो गया। सय्यदी अब्दुल वहाब शअ़रानी क़ुद्देस सिर्रहु ने यह भी फ़रमाया कि हज़रत अली ख़्वास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुनाहों के धोवन जुदा–जुदा पहचानते कि यह हराम का है या मकरूह का या ख़िलाफ़े औला का। एक बार मैं उनके साथ जामा अज़हर के हौज पर गया। हज़रत ने इस्तिंजा करना चाहा मगर कुछ देखकर लौट आए। मैंने सबब पूछा। फ़रमाया अभी उसमें कोई कबीरा गुनाह धो गया है और मैंने उस शख़्स को देखा था जो हज़रत से पहले यहां तहारत कर के जा चुका था। मैं उसके पीछे गया और उससे बयान किया कि हज़रत यूं फ़रमाते हैं। उसने कहा वाक़ई हज़रत ने सच फ़रमाया मुझसे ज़ेना वाक़ेअ़ होगया था। फिर हज़रत की ख़िदमत में हाज़िर होकर ताइब हो गया।

(मीज़ान अलशरीअतुल कुबरा)

वज़ू के फ़राइज़

चार हैं (1) मुंह धोना। (2) केहोनियो समेत दोनों हाथ का धोना। (3) सर का मसह करना। (4) टख़नों समेत दोनों पाँव का धोना। याद रहे किसी अज़्व के धोने के यह माना हैं कि उस अज़्व के हर हिस्से पर कम अज़ कम दो दो बूंद पानी बह जाए, भीग जाने या तेल की तरह चपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना न कहेंगे, न उससे वज़ू अदा होगा, इस अम्र का

लिहाज़ बहुत ज़रूरी है लोग इस तरफ़ तवज्जोहह नहीं करते और नमाज़े अकारत जाती हैं।

मिस्वाक के शरअी और तिब्बी फ़वाइद

बाज़ चीज़े ऐसी हैं जिनका हुक्म हर शरीअ़त में था उन्हीं में से मिस्वाक भी है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि दस चीज़े फ़ितरत से हैं (यानी उनका हुक्म हर शरीअत में था) मूंछें कतरना। डाढ़ी बढ़ाना। मिसवाक करना। नाक में पानी डालना। नाखुन तरशवाना। उंगलियों की चेन्नटें धोना। बग़ल के बाल दूर करना। मूए ज़ेरे नाफ़ मूंडना। इस्तिन्जा करना। कुल्ली करना। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो नमाज़ मिस्वाक करके पढ़ी जाए वह उस नमाज़ से कि बे मिस्वाक पढ़ी गई सत्तर हिस्से अफ़ज़ल है। नीज़ फ़रमाया इसमें दस ख़ूबियां हैं। मुंह को साफ़ करती है। मौला तआ़ला के नज़दीक पसन्दीदा है। फ़रिश्तों के लिए मूजिबे फ़रहत, निगाह को रौशन करती है। दाँतों को साफ़ रखती है। मसूढ़ों को मज़बूत करती है, दाँतो की ज़र्दी दूर करती हैं। खाने को हज़्म करती है। बलग़म को निकालती है। मुंह की बू को पाकीज़ा करती है। वज़ू की इबतदा में मिस्वाक करना मसनून है। इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। हदीस में फ़रमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू किया सर से पाँव तक सारा बदन पाक होगया और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह वज़ू किया तो उतना ही बदन पाक हुआ जिस पर पानी गुज़रा।

वज़ू के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम जब जुनब होते और खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो नमाज़ का सा वज़ू फ़रमा लेते नीज़ फ़रमाया कि जब तुम में कोई अपनी बीवी के पास जाकर दोबारा जाना चाहे तो वज़ू करे।

मसला— क़ुरआने करीम छूने के लिए वज़ू फ़र्ज़ है।

मसला— ज़बानी क़ुरआने करीम पढ़ने के लिए वज़ू मुस्तहब है।

मसला— झूट बोलने, गाली देने, काफ़िर से बदन छूने, क़हक़हा

लगाने के बाद वजू मुस्तहब है।

ग़ुस्ल का बयान

इसकी फ़र्ज़ियत मक्का में नाज़िल हुई। इसमें तीन फ़र्ज़ हैं (1) कुल्ली कि मुंह के हर पुर्ज़े गोशे होंट से हल्क की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। अक्सर लोग यह जानते हैं कि थोड़ा-सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं। अगरचे ज़बान की जड़ और हल्क के किनारे तक न पहुंचे। यूं ग़ुस्ल नहीं होता न इस तरह नहाने के बाद नमाज़ जाइज़ है बल्कि फ़र्ज़ हैकि दाढ़ों के पीछे गालों की तह में दाँतों की जड़ और खिड़कियों में ज़बान की हर करवट में। हल्क के किनारे तक पानी बहे। (2) नाक में पानी डालना। यानी दोनों नथनों का धुलना जहां तक नर्म जगह है। पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए बाल बराबर जगह भी धुलने से न रहे वरना ग़ुस्ल न होगा। नाक के अन्दर रेंठ सूख गई है तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है। नीज़ नाक के बालों का धोना फ़र्ज़ है। बुलाक़ का सुराख़ अगर बन्द न हो तो उसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है और अगर तंग है तो हरकत देना ज़रूरी है वरना नहीं। (3) तमाम ज़ाहिर बदन। यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बह जाना। अक्सर अवाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे यह करते हैं कि सर पर पानी डाल कर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि ग़ुस्ल हो गया। हालांकि बाज़ आज़ा ऐसे हैं कि जब तक उनकी ख़ास तौर पर एहतियात न की जाए नहीं धुलेंगे और ग़ुस्ल न होगा। चूंकि शरअ़ में शर्म नहीं इस लिए वह मक़ामात बयान किए जाते हैं ताकि मर्द व औरत अमल करके ग़ुस्ल की ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो सकें।

आठ मक़ाम जिनकी एहतियात मर्दों पर लाज़िम है

(1) गुंधे हुए बाल खोल कर जड़ से नोक तक धोना (2) मूंछों के नीचे की खाल अगरचे घनी हों (3) दाढ़ी का हर बाल जड़ से नोक तक (4) उनसयैन के मिलने की सतहें को बे जुदा किए न धुलेंगी। (5) उनसयैन की सतहे ज़ेरीं जोड़ तक (6) उनसयैन के नीचे की जगह जड़ तक (7) जिसका ख़तना न हुआ हो बहुत उल्मा के नज़दीक उस पर फ़र्ज़ हैकि खाल चढ़ सकती हो तो हशफ़ा खोल कर धोए (8) इस क़ौल पर उस खाल

के अन्दर पानी पहुंचाना ज़रूरी होगा वे चढ़ाए उसमें पानी डाले कि चढ़ने के बाद बन्द होजाएगी।

दस मक़ाम जिनकी एहतियात औरतों पर लाज़िम है

(1) गुन्धी चोटी में हर बाल की जड़ तर करनी। चोटी खोलनी ज़रूरी नहीं मगर जब ऐसे सख़्त गुन्धी हो कि बे खोले जड़ तर न होएंगी तो खोलना लाज़िम है। (2) ढलकी हुई पिस्तान व शिकम के जोड़ की तहरीर (4.5.6.7) फ़र्जे ख़ारिज के चारों लबों की जेबीं जड़ तक। (8) गोश्त पारए बाला का हर परत कि खोले से खुल सकेगा। (9) गोश्त पारा ज़ेरीं की सतह ज़ेरीं (10) इस पारह के नीचे की ख़ाली जगह ग़र्ज़ फ़र्जे ख़ारिज के हर गोशे पुर्ज़े का ख़्याल लाज़िम है।

अहादीस

(1) हज़रत उम्मुल मोमेनीन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जिनाबत का ग़ुस्ल फ़रमाते तो इबतेदा यूं करते कि पहले हाथ धोते फिर नमाज़ का सा वज़ू करते फिर उंगलियां पानी में डालकर उनसे बालों की जड़ें तर फ़रमाते। फिर सर पर तीन लप पानी डालते फिर तमाम जिल्द पर पानी बहाते। (बुख़ारी शरीफ़)

ग़ुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं

(2) यही उम्मुल मोमेनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फ़रमाती हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ुस्ल के बाद वज़ू नहीं फ़रमाते। (3) हज़रत यअ़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैंकि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को मैदान में नहाते मुलाहिज़ा फ़रमाया फिर मिम्बर पर तशरीफ़ ले जाकर हम्दे इलाही के बाद फ़रमाया अल्लाह तआला हया फ़रमाने वाला और पर्दा पोश है। हया और पर्दा करने को पसन्द फ़रमाता है। जब तुम में कोई नहाए तो उसे पर्दा करना लाज़िम है।(4) हज़रत उम्मुल मोमेनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि उम्मे सोलैम रज़ियल्लाहु

तआला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह। अल्लाह तआला हक बयान करने से हया नहीं फरमाता तो क्या जब औरत को इहतिलाम हो तो उस पर गुस्ल है। फ़रमाया हां जब कि पानी (मनी) देखे यह सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुंह ढांक लिया और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या औरत को इहतिलाम होता है। फ़रमाया हां। (अबूदाउद शरीफ़)

उम्महातुल मोमेनीन की खुसूसियत

उम्महातुल मोमेनीन को अल्लाह तआला ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होने से पेशतर भी इहतिलाम से महफ़ूज़ रखा था इस लिए कि इहतिलाम में शैतान की मुदाख़लत है और शैतानी मुदाख़लतों से अज़वाज मुतह्हरात पाक हैं। इसी वास्ते उनको हज़रत उम्मे सोलैम के इस सवाल पर तअज्जुब हुआ (5) हज़रत मौलाए मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता या जुनब हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं जाते।

अम्बियाए किराम की खुसूसियत

अम्बिया–ए–अलैहिमुस्लातु वस्सलाम भी इहतिलाम से महफ़ूज़ होते हैं और वजह वही हैकि इहतिलाम में शैतान की मुदाख़लत होती है और शैतानी मुदाख़लत से अम्बियाए किराम पाक होते हैं।

सवाल – हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया *याजूज व माजूज* तीन क़िस्म के हैं। एक तो वह हैं जिनका क़द एक सौ दस हाथ लम्बा है। दूसरे वह हैं जो एक सौ बीस हाथ लम्बे और इतने ही चौड़े हैं। तीसरे वह हैं जो अपने एक कान को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। उन्हीं *याजूज व माजूज* के मुतअल्लिक़ मुअर्रेख़ीन फ़रमाते हैं कि यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं मगर हज़रत हव्वा के बतन से नहीं इस लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सोते में इहतिलाम हुआ। इहतिलाम से जो माद्दा निकला वह मिट्टी के साथ मख़लूत हो गया उससे

याजूज व माजूज पैदा हुए। (फ़तहुल बारी वग़ैरह) तो फिर यह कहना किस तरह दुरुस्त है कि अम्बियाए किराम को इहतिलाम नहीं होता।

जवाब- इहतिलाम दो क़िस्म पर है। क़िस्मे अव्वल। जो अक्सर व बेश्तर पेश आती है। यह है कि शैतान बहालते ख़्वाब मर्द या औरत की शकल में नज़र आए और उससे सुहबत हो या सिर्फ़ छेड़-छाड़ जिसकी बिना पर माद्दा निकले। अम्बियए किराम और अज़वाजे मुतह्हरात इस क़िस्म से पाक हैं कि उसमें शैतान की मुदाख़लत है। क़िस्म दोम वह है जिसमें शैतान की मुदाख़लत न हो मसलन माद्दा की तौलीद ज़्यादा हुई और तबीअ़त ने फ़ुज़लात की तरह उसको भी दफ़ा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम का इहतिलाम इसी क़िस्म का था।

सुबह सादिक़

ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। हर सुबह को हातिफ़े ग़ैबी तमाम मख़लूक़ात को ख़िताब करके कहता है कि बादशाह क़ुद्दूस की तस्बीह पढ़ो। उम्मुल मोमेनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि महबूबे दो जहां सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त यह दुआ मांगते-

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और पाकीज़ा रोज़ी और मक़बूल अमल का साइल हूं।

इल्म नाफ़े

तालीमातः-वह है जिसकी तहसील करने वालों के हक़ में महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो शख़्स ऐसे बन्दों को देखना चाहे जिनको अल्लाह तआ़ला ने नारे दोज़ख़ से आज़ाद फ़रमाया है तो वह इल्मे दीन के तलबा को देख ले उस ज़ात की क़सम क़ब्ज़ए क़ुदरत में नफ़्से मुहम्मद है बसिलसिलए तहसील इल्म जब तालिबे इल्म की किसी आलिम के पास आमद व रफ़्त होती है तो हर क़दम पर एक साल की इबादत का सवाब उसके वास्ते लिखा जाता है और जन्नत में हर क़दम के बदले उसके लिए एक शहर तामीर होता है। ज़मीन पर

चलता है तो जमीन उसके वास्ते दुआए मग़फ़िरत करती है। सुबह व शाम उसके लिए मग़फ़िरत होती रहती है।

उल्माए रब्बानी

जिन हज़रात को इल्मे नाफ़े हासिल होता है उनको उल्माए रब्बानी कहते हैं जो अपने लैल व नहार को मख़लूक़ की इल्मी ख़िदमात में सर्फ़ करते हैं। उनकी अलामत यह हैकि इस्लामी मफ़ाद के ख़िलाफ़ अग़ियार के हाथों पर किसी क़ीमत में फ़रोख़्त नहीं होते बल्कि अपने सच्चे अमल से अग़ियार को इस्लाम का ख़ादिम बना देते हैं ऐसे उल्मा का मर्तबा ज़ाहिर करने कि लिए एक मर्तबा सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया।

वालिद के चेहरे की तरफ़ नज़र करना इबादत है। काबा मुकर्रमा की जानिब नज़र करना इबादत है। कुरआन पाक में नज़र करना इबादत है और आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। (मगर आलिम की यह भी खुसूसियत है) कि उसके हक़ में यह भी इर्शाद फ़रमाया कि जिसने आलिम की ज़ियारत की तो उसने गोया मेरी ज़ियारत की और जिसने आलिम से मुसाफ़ा किया तो गोया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया और जो आलिम के पास बैठा तो गोया मेरे पास बैठा और जो दुनिया में मेरे पास बैठा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन भी उसको मेरे साथ बिठाएगा। (रूहुल बयान) मक़ामे ग़ौर है जिस इल्म के सीखने और सिखाने वालों की बारगाहे इलाही में यह इज़्ज़त व मन्ज़ेलत है। उसकी जानिब से मुस्लिम क़ौम बिलखुसूस तबक़ए रऊसा ने कैसी शदीद ग़फ़लत इख़्तियार की है। الامان الحفيظ। चूंकि यह तबक़ा फ़िक्रे मआ़श से सुबुकदोश होता है नज़र–बरां उसका अव्वलीन फ़र्ज़ था कि अपनी औलाद को इस इल्म के सीखने के वास्ते पेश करता या कम अज़ कम इल्म के सीखने और सिखाने वालों की ज़रूरियात को महसूस करते हुए मख़सूस तौर पर उनकी इआ़नत में हिस्सा लेता तो आज यह मनहूस दिन देखना नसीब न होता कि उल्मा के एक गरोह ने अगरचे वह क़लील ही सही दुश्मनाने इस्लाम के दोश बदोश होकर इस्लामी मफ़ाद के ख़िलाफ़ इक़दाम किया और कर रहा है जिससे दीनी और दुनियावी हर एतेबार से क़ौमे मुस्लिम को वह ठेस लगी है जो सख़्त दर्दनाक होने के बाइस ज़बान से बयान की जा सकती है और न तहरीर में लाई जा सकती

है। अगरचे यह ठेस तो उसी गरोह ने लगाई मगर बई माना उसमें यह भी शरीक हैं कि दीनी उलूम से उन्होंने शदीद बे तवज्जोहही बरती जिसका नतीजा इस शकल में ज़ाहिर हुआ। दीनी उलूम की जानिब से ग़फ़लत और दुश्मनाने इस्लाम के उलूम की तरफ़ रग़बत का यह आलम कि अपनी औलाद अपनी दौलत को उनके लिए वक़्फ़ कर दिया है। औलाद को उन्हीं उलूम की तालीम दिलाना फ़ख़र समझते हैं। दौलत को उन पर सर्फ़ करना हुसूले मेअ़राज का वाहिद ज़रीआ तसव्वुर करते हैं। अंग्रेज़ी मदारिस क़ाइम करने के लिए अनथक कोशिशें की जाती हैं। अंग्रेज़ी खेल–कूद के वास्ते बड़े–बड़े चन्दे भी दिए जाते हैं। जिनसे बजुज़ तज़ीअ़े औक़ात कोई नतीजा नहीं निकलता बल्कि बाज़ खेलों से बेहयाई पैदा होती है। दीनी उलूम के लिए चन्दा करना तो बहुत ही मअ़यूब है कि इसमें इनसल्ट होती है। चन्दा देने में भी हज़ार हीले किए जाते हैं। हमारे इसी क़िस्म के नागुफ़तनी हालात हैं जिनकी बिना पर मौजूदा अज़ाबे इलाही मुसल्लत है कि हस्बे मन्शा ग़ेज़ा मिलती है न पहनने को कपड़ा दस्तियाब होता है न अमन व अमान के साथ सफ़र कर सकते हैं। न घर पर रहकर चैन की नींद सो सकते हैं। अमने आम्मा में ख़लल पड़ गया है। अगर अब भी ग़फ़लत के पर्दे न उठे और यही लैल व नहार रहे तो न मालूम कैसे शदीद अज़ाब नाज़िल हो जायेंगे। आक़िल वह है जो हवादिसे रोज़गार से इबरत हासिल करके जल्द से जल्द अपने अमल की इस्लाह के वास्ते मुतवज्जा हो जाए लिहाज़ा अगर हम चाहते हैं कि मौजूदा मसाइब से रिहाई मिले और आइन्दा आने वाली हौलनाक आफ़तों से महफ़ूज़ रहें तो फ़ौरन मशरूअ़ आमाल से ताइब होकर उलूम की ख़िदमत शुरू करदें अपने बच्चों को दीनी उलूम की तालीम दिलाएं। अपनी दौलत से दीनी उलूम की ख़िदमत करें। दामे, दरमे, क़दमे, सुख़ने जिससे जो ख़िदमत मुम्किन हो उससे दरेग़ न किया जाए।

रिज़्के तय्यब

ग़ेज़ा वग़ैरह हर वह चीज़ जिससे इनतेफ़ा हासिल करने पर जानदार क़ादिर हो उसको "रिज़्क़" कहते हैं हलाल वह है जिसको शरीअ़त जाइज़ फ़रमाए, तय्यब वह है जिस पर क़ल्ब मुतमइन हो। ग़ेज़ा को इंसानी आमाल व अख़लाक़ में काफ़ी दख़ल है जिस तरह फलों का ख़ुश ज़ाइक़ा और बद ज़ाइक़ा होना तुख़्म से मुतअ़ल्लिक़ है कि जैसा तुख़्म होगा वैसा

ही फल। उसी तरह हमारे अखलाक व आमाल का हुस्नो क़ुब्ह हमारी रोज़मर्रा की गेज़ा से वाबस्ता है कि ना–मशरूअ गेज़ा से कल्ब व कालिब दोनों की तखरीब होती है। वेहयाई, बुज़–दिली, करावत वगैरह मज़मूम अखलाक कल्ब में पैदा होते हैं। ज़ेना, चोरी, क़ुमार बाज़ी, सूदख्वारी मआसी का सुदूर आज़ा से होता है मशरूअ गेज़ा से कल्ब में हया, शुजाअत, रिक्क़त, इन्कसारी वगैरह अखलाके हसना पैदा होते हैं। आज़ा से आमाल सालेह सादिर होते हैं। ताआत की आदाएगी से गिरानी नहीं महसूस होती बल्कि इबादात के लिए आज़ा नर्म मुनक़ाद होजाते हैं जिस तरह जौ बोने से गेहूं पैदा होने की उम्मीद रखना ख़्याले खाम है। उसी तरह ना–मशरूअ गेज़ा इस्तेमाल करके पाकीज़ा अखलाक़ और नेक आमाल की तवक़्क़ो करना सलीमुल–अक़्ल इंसान का काम नहीं। चूंकि नेक आमाल पाकीज़ा ग़ेज़ा से पैदा होते हैं। ग़ेज़ा उनके लिए बमनज़ेलह तुख़्म है इस लिए सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा बाला दुआ में ग़ेज़ा को आमाल पर मुक़द्दम ज़िक्र फ़रमाया।

सिद्दीकी तक़वा

हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक ग़ुलाम था जो हर शब अपनी मज़दूरी के दामों से खाने की कोई चीज़ खरीद कर लाता। आप उसको तनाउल फ़रमाते मगर खाने से पेश्तर यह दरियाफ़्त फ़रमा लेते कि इस खाने को किस तरह और कहां से हासिल किया। एक शब ग़ुलाम खाना लेकर हाज़िर हुआ आपने हस्बे मामूल दरियाफ़्त किए बग़ैर उसमें से एक लुक़मा खा लिया ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि हर शब सवाल फ़रमाते थे कि खाना कैसे मिला इस वक़्त दरियाफ़्त न किया। फ़रमाया हशत। फिर तर्के सवाल का उज़्र बयान फ़रमाया कि भूक की शिद्दत के बाइस यह उजलत हुई। अच्छा अब बताओ कहां से लाए हो। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया ज़माना जाहिलीयत में कुछ लोगों के लिए मन्तर पढ़ा था जिस पर मुआविज़ा का वादा कर चुके थे आज उनके यहां तक़रीब वलीमा थी। मैंने उनको वह वादा याद दिलाया तो उन्होंने यह खाना दिया। यह सुनकर हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन* पढ़ा और कै करना शुरू कर दिया।

बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह लुक़मा कै के ज़रीए निकल आए। चेहरे का रंग बदल गया मगर वह लुक़मा न निकला। हाज़रीन ने मशवरा दिया कि कुछ पानी पी कर कै की जाए तो कामियाबी हो जाएगी। चुनांचे मशवरा पर अमल फ़रमाया तो वह लुक़मा ख़ारिज होगया। हाज़रीन ने अर्ज़ किया कि इस लुकमा की वजह से इस क़दर तकलीफ़ बर्दाश्त की जा रही थी। फ़रमाया मैं ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना हैकि अल्लाह तआला ने हर उस जिस्म पर जन्नत हराम फ़रमादी है जिसने हराम गेज़ा इस्तेमाल की। (तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)

फ़ारूक़ी एहतियात

अमीरुल मोमेनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूध नोश फ़रमाया। खुश ज़ाइक़ा मालूम हुआ जिसने पेश किया था उससे दरियाफ़्त किया दूध कहां से आया, उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं फ़लां चश्मा पर गया था। वहां ज़कात के ऊँट पानी पीने आए थे। उनका दूध दूह कर तक़सीम हुआ मुझको जो मिला वह इस मश्कीज़ा में भर कर ले आया तो यह वही है जो आपने नोश फ़रमाया। अमीरुल मोमेनीन ने फ़ौरन मुंह में हाथ डालकर कै कर दिया। यह कमाले एहतियात थी वरना शरअन वह आपके लिए जाइज़ था। इस लिए कि सदक़ा का माल अगर फ़क़ीर किसी को पेश करदे तो उसके हक़ में हदिया होता है। जिसके इस्तेमाल में असलन मुज़ाइक़ा नहीं (मिशकात शरीफ़) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआए मज़कूरा में इल्मे नाफ़े, रिज़्क़े तय्यब, अमले मक़बूल, इन तीन चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया। वजह यह है कि नफ़्से इंसानी का कमाल इल्म व अमल पर मौक़ूफ़ है। जब तक यह दोनों हासिल न हों बन्दा अख़लाक़े इलाही का कमाहक़्क़हु मज़हर नहीं हो सकता। अमल क़ुबूल से पेशतर रिज़्क़ तय्यब को इस लिए ज़िक्र फ़रमाया कि अमल मक़बूल इसका नतीजा है।

अमल मक़बूल

वह होता है जो तय्यब हो और तय्यब वह होता है जो महज़ अल्लाह के लिए किया जाए और आमिल ममनूआत से मुजतनिब हो, ख़ालिद बिन सअदान ने हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ किया वह

हदीस बयान फरमाइए जो खुद आपने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुन कर महफूज फरमाई हो और उस वक्त से आज तक उसको पेशे नजर रखा हो। यह सुनकर हजरत मआज रजियल्लाहु तआला अन्हु आबदीदा होगए। फरमायाः मैं एक मर्तबा हुजूर के साथ एक सवारी पर सवार था। मैंने अर्ज़ किया मेरे मां–बाप आप पर क़ुरबान हों। या रसूलल्लाह कुछ बयान फ़रमाइए। आपने आसमान की जानिब नज़र फरमाकर यह कल्मात पढ़े। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یَقْضِیْ فِیْ خَلْقِهٖ بِمَا اَحَبَّ. सब ख़ूबियां अल्लाह के लिए हैं कि अपनी मखलूक़ में जो हुक्म चाहता है नाफ़िज़ फ़रमाता है। फिर फरमाया ऐसी बात बयान करता हूं जो किसी नबी ने अपनी उम्मत से बयान नहीं फ़रमाई। अगर तुमने इसको महफ़ूज़ रखा तो नफ़ा देगी और अगर सुन कर महफ़ूज़ न किया तो बरोज़े क़ियामत बारगाहे इलाही में तुम्हारे पास हुज्जत न रहेगी। अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन की तख़लीक़ से पहले सात फ़रिश्ते पैदा फ़रमाए। उनमें से हर आसमान के दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फ़रमा दिया। बन्दे के सुबह से शाम तक के आमाल किरामन कातेबीन लिखकर ले जाते हैं जिनमें आफ़ताब की तरह चमक–दमक होती है। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो दरबान कहता है। ठहरो इन आमाल को आमिल के मुंह पर मारदो और कहदो अल्लाह तआला तेरी मग़फ़िरत न फ़रमाए। मैं ग़ीबत पर निगरां हूं इन आमाल का करने वाला मुसलमान की ग़ीबत करता है। लिहाज़ा इसके आमाल को यहां से आगे न बढ़ने दूंगा किरामन कातेबीन इसी तरह एक बन्दे के आमाल ले कर दूसरे आसमान तक पहुंचते हैं। वहां का दरबान कहता है ठहरो इनको आमिल के मुंह पर मार दो और कहो कि अल्लाह तेरी मग़फिरत न फ़रमाए। इन आमाल से दुनिया हासिल करना मक़सद था। मैं यहा से आगे न जाने दूंगा। एक बन्दे के आमाल सदक़ा और बकसरत नमाज़ें बड़ी ख़ुशी के साथ फ़रिश्ते तीसरे आसमान तक लेकर पहुंचते हैं दरबान कहता है ठहरो इनको आमिल के मुंह पर मारदो और कहो अल्लाह तेरी मग़फ़िरत न करे। यह लोगों से तकब्बुर के साथ पेश आता है। इन आमाल को यहां से आगे न बढ़ने दिया जाएगा। एक बन्दे के सितारों की तरह चमकते आमाल चौथे आसमान तक लेकर फ़रिश्ते पहुंचते हैं। दरबान कहता है ठहरो इनको आमिल के मुंह पर मार दो और कहो कि अल्लाह तेरी

मग़फ़िरत न फ़रमाए। यह खुद बीनी में गिरिफ़्तार है इसके आमाल यहां से आगे न जाने दिए जाएंगे और तीन रोज़ तक इस आमिल पर दरबान लानत करता रहता है। एक बन्दे के आमाल फ़रिश्तों की जमाअतों के साथ पांचवें आसमान तक ले जाते हैं। दरबान कहता है ठहरो इनको आमिल के मुंह पर मार दो यह इल्मे दीन हासिल करने वालों और नेक बन्दों के साथ हसद करता और इनके हक़ में बुरे अल्फ़ाज़ ज़बान से निकालता है। इसके आमाल यहां से आगे न जाने दूंगा। फ़रिश्ते ऐसे शख़्स पर ताज़ीस्त लानत करते रहेंगे। एक बन्दे के आमाल छटे आसमान तक पहुंचते हैं दरबान कहता है ठहरो इनको आमिल के मुंह पर मार दो कि इसके क़ल्ब में क़सावत है बन्दगाने ख़ुदा को मुसीबत में मुबतला देखकर ख़ुश होता है। इस लिए अमल यहां से आगे न जाने पायेंगे। एक बन्दे के आमाल सातवें आसमान तक पहुंचते है। दरबान कहता है कि ठहरो इनको आमिल के मुंह पर मार दो इसने यह अमल इस लिए किए हैंकि शहर बशहर शोहरत हो, लोग अपनी मजालिस में उनका चरचा करें। लिहाज़ा यहां से आगे न जाने पायेंगे। एक बन्दे के आमाल अर्श तक पहुंचते हैं। सातों आसमानों के फ़रिश्ते हमराह होते हैं और इस आदमी के मुवाफ़िक़ गवाही देते हैं अल्लाह तआला फ़रमाता है इसने यह आमाल मुझे ख़ुश करने के लिए नहीं किए हैं। रियाकारी मक़सद है तो फ़रिश्ते कहते हैं। इस पर हमारी लानत और तेरी लानत। आसमान वाले फ़रिश्ते कहते हैं इस पर अल्लाह की लानत। सातों ज़मीन और आसमान की लानत और यह सुनकर हज़रत मआज़ रोए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं क्या करूं फ़रमाया अपने नबी की इक़तेदा करो। ईमान पर क़ाइम रहो अगरचे अमल में तक़सीर हो। अपने भाईयों के हक़ में ज़बान न खोलो। अपने भाईयों की मज़म्मत को अपने तक़द्दुस का ज़रीआ न बनाओ। अपने भाईयों को गिराकर बुलन्दी हासिल न करो और लोगों को दिखाने के वास्ते अमल न करो। (तम्बीहुल ग़ाफ़िलीन)

तयम्मुम का बयान

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ
النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

(तर्जुमा) अगर तुम बीमार हो या सफर में या तुम में का कोई पाएखाने से आया या औरतों से जिमा किया और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का कसद कर के अपने मुंह और हाथों का मसह करो (सूरः माइदा) माहे शअबानुल मुअज्जम सन् 5 हिजरी में गजवा बनी मुस्तलक से वापसी पर जिसको गजवए मरयसबअ भी कहते हैं मकामे बिदाया (जातुलजैश) में इसका हुक्म नाजिल हुआ। यह दोनों मकाम मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के दर्मियान वाकेअ हैं। इस हुक्म के नुजूल का सबब मुफस्सरीन ने यह बयान किया कि उम्मुल मोमेनीन हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा की हैकल टूटकर गिर गई थी। उसको तलाश करने के वास्ते मकामे बिदाया जातुलजैश में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मआ लश्करे इस्लाम इकामत फरमाई उम्मुल मोमेनीन फरमाती हैं कि इस मकाम पर पानी था न लशकरियों के साथ नजरबस लोगों ने हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर अर्ज़ किया आप नहीं देखते कि सिद्दीका ने क्या किया हुजूर को और सबको ठहरा लिया न यहां पर पानी है न लोगों के साथ। यह सुनकर अबूबकर सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सिद्दीका के पास तशरीफ लाए। दरां हालिकि हुजूर पुरनूर अपना सरे मुबारक उनके ज़ानू पर रखकर आराम फरमा रहे थे। और उन पर एताब करते हुए फ़रमाया कि तूने रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम और लोगों को रोक लिया। हालांकि न यहां पर पानी है न लोगों के साथ, और उनकी कोख में अपने हाथ से कूंचने लगे। वह फरमाती हैं कि हुज़ूर पुरनूर के आराम फ़रमाने के बाइस मैंने जुंबिश न की। जब सुबह हुई हुज़ूर उठे। अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम नाज़िल फरमाई। लोगों ने तयम्मुम किया। उस पर ओसेद बिन होज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ आले अबू बकर यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं "यानी ऐसी बर ..तें तुम से होती ही रहती हैं।" उम्मुल मोमेनीन फ़रमाती हैं कि जब मेरी सवारी का ऊँट उठाया गया तो वह हैकल उस के नीचे मिली। *सुब्हानल्लाह* मौला तआला ने महबूब–ए–महबूब की बदौलत हुक्मे तयम्मुम नाज़िल करके किस क़दर अज़ीमुश्शान तख़फ़ीफ़ फ़रमा दी जो गुज़श्ता उम्मतों को हासिल न थी। इसी वास्ते तयम्मुम इस उम्मत के खुसूसियात से है।

तयम्मुम में फ़र्ज़ तीन हैं

(1) नीयत हुसूले तहारत का दिल से इरादा नीयत कहलाता है। पस अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर मुंह और हाथों पर फेर लिया और नीयत न की तयम्मुम न होगा। (2) सारे मुंह पर हाथ फेरना इस तरह कि कोई हिस्सा बाक़ी न रह जाए। अगर बाल बारबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम न हुआ। (3) दोनों हाथ का केहुनियों समेत मसह करना इसमें भी यह ख़्याल रखना ज़रूरी हैकि ज़र्रा बराबर बाक़ी न रहे वरना तयम्मुम न होगा।

मसला- अंगूठी छल्ले पहने हो तो उन्हें हटाकर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औरतों को इसमें ज़्यादा एहतियात दरकार है। कंगन चूड़ियां जितने ज़ेवर पहने हों सबको हटाकर हाथ फेरें।

तयम्मुम का इस्लामी तरीक़ा

बिस्मिल्लाह कहकर दोनों हाथों को ज़मीन पर मारे। उंगलियां खुली रहें। फिर एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मार कर दोनों हाथों को झाड़े पहले मुंह का मसह करे और दाढ़ी में ख़िलाल। फिर दोबारा ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और उनको बतरीक़े मज़कूर झाड़कर फिर दायें हाथ का मसह इस तरह किया जाए कि बाएं हाथ के अंगूठे के इलावा चार उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पुश्त पर रखे और उंगलियों के सरों से केहुनी तक ले जाए फिर वहां से बायें हाथ की हथेली से दाहिने के पेट को मस करता हुआ गट्टे तक ले जाए और बाएं अंगूठे की पुश्त को मसह करे और इसी तरह दाहिने हाथ से बाएं का मसह करे फिर उंगलियों में ख़िलाल।

मसला: – तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता जो जिन्स ज़मीन से हो और जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसला: – जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी कर सकता है यह जो मशहूर है कि मस्जिद की ज़मीन या दीवार से तयम्मुम नाजाइज़ या मकरूह है, ग़लत है।

मसला: – सलाम का जवाब देने और दुरूद शरीफ़ वग़ैरह वज़ाइफ़ पढ़ने और सोने और बेवज़ू के मस्जिद में जाने और ज़बानी क़ुरआन शरीफ़

वग़ैरह पढ़ने के लिए तयम्मुम जाइज़ है। अगरचे पानी पर क़ुदरत हो मगर इस तयम्मुम से नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसला: – क़ैदी को क़ैद–ख़ाने वाले वज़ू न करने दें तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले फिर उस नमाज़ का इआदा करे।

मसला: – जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है या ग़ुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी जाता रहता है और इलावा उनके पानी के इस्तेमाल पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जाएगा।

ग़ुस्ल का तयम्मुम

वज़ू की तरह होता है। कोई फ़र्क़ नहीं। नबवी अहद में यह वाक़िआ पेश आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़र में थे और दोनों को ग़ुस्ल की ज़रूरत हुई और किसी को यह इल्म न था कि वज़ू की तरह ग़ुस्ल के लिए भी तयम्मुम होता है। चुनांचे पानी दस्तियाब न होने पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बईं ख़्याल तयम्मुम नहीं किया कि वह बजाए ग़ुस्ल काफ़ी न होगा और उनकी नमाज़ क़ज़ा हो गई और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह ख़्याल किया कि ग़ुस्ल में सब बदन पर पानी बहाया जाता है तो ग़ुस्ल के तयम्मुम में सब बदन पर मिट्टी लगना चाहिए। नज़र–बराँ वह ज़मीन पर ख़ूब लोटे और इस तरह तयम्मुम करके नमाज़ अदा की फिर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर वाक़िआ अर्ज़ किया तो आपने यह हिदायत फ़रमाई कि वज़ू की तरह ग़ुस्ल के वास्ते तयम्मुम काफ़ी था।

मसला: – जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ है उसे यह ज़रूरी नहीं कि ग़ुस्ल और वज़ू दोनों के लिए दो तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों की नीयत करले दोनों हो जायेंगे और अगर सिर्फ़ ग़ुस्ल या वज़ू की नीयत की जब भी काफ़ी है।

मोज़े पर मसह करने का इस्लामी तरीक़ा

यह है कि दाहिने हाथ की तीन उंगलियां दाहिने पाँव की पुश्त के सिरे पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पाँव की पुश्त के सिरे पर रखकर बक़दरे तीन अंगुल के पिंडली तक खींच ले जाए।

मसला: - मसह में दो फ़र्ज़ हैं (1) हर मोज़े का मसह हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर हो (2) मोज़ा की पीठ पर हो। अगर मसह तीन उंगलियों के बराबर न किया या पीठ पर न किया तो मसह न होगा।

मसला: - मसह करने के लिए चन्द शर्तें हैं (1) मोज़े ऐसे हों कि टख़ने छुप जायें। अगर दो एक अंगुल कम हों जब भी मसह दुरुस्त है मगर एड़ी न खुली हो (2) पाँव से चपटा हो कि उसको पहन कर आसानी के साथ चल-फिर सकें (3) चमड़े का हो या सिर्फ़ तल्ला चमड़े का और बाक़ी किसी दबीज़ चीज़ का जैसे किर्मिच वग़ैरह। हिन्दुस्तान में जो उमूमन सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं उन पर मसह जाइज़ नहीं (4) वज़ू कर के पहना हो (5) न हालते जनाबत में पहना हो न बाद पहनने के जुनब हुआ हो। (6) मुद्दत के अन्दर हो और उसकी मुद्दत मुक़ीम के लिए एक दिन-रात है और मुसाफ़िर के वास्ते तीन दिन और तीन रात (7) कोई मोज़ा पाँव की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो यानी चलने में तीन अंगुल बदन ज़ाहिर न होता हो अगर तीन अंगुल फटा हो और बदन तीन अंगुल से कम दिखाई देता है तो मसह जाइज़ है और अगर दोनों तीन-तीन अंगुल से कम फटे हों और मजमूआ तीन अंगुल या ज़्यादा है तो भी मसह हो सकता है। सिलाई खुल जाए जब भी यही हुक्म है।

मसह किन चीज़ों से टूटता है

जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनसे मसह भी जाता रहता है और मुद्दत पूरी होजाने से भी और मोज़ा उतार देने से भी अगरचे एक ही उतारा हो।

आज़ाए वज़ू पर मसह करने के मसाइल

मसला: - आज़ाए वज़ू अगर फट गए हों या उनमें फोड़ा या और कोई बीमारी हो उन पर पानी बहाना ज़रर करता है या तकलीफ़ शदीद होती है तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है और अगर यह भी नुक़सान करता है तो उस पर कपड़ा डाल कर कपड़े पर मसह करे और अगर यह भी मुज़िर हो तो मुआफ़ है और अगर उसमें कोई दवा भर ली है तो उसका निकालना ज़रूरी नहीं उस पर से पानी बहा देना काफ़ी है।

मसला: - किसी फोड़े या ज़ख़्म या फ़स्द की जगह पट्टी बांधी है

और उसको खोल कर पानी बहाने से या उस जगह मसह करने से या खोलने से जरर होता है या खोलने वाला बांधने वाला नही तो इन सब सूरतों मे उस पट्टी पर मसह किया जाए और अगर पट्टी खोल कर पानी बहाने मे जरर नही तो धोना जरूरी है और अगर खुद उस पर मसह कर सकते हों तो पट्टी पर मसह करना जाइज नहीं और जख्म के इर्द–गिर्द अगर पानी बहाना जरर नहीं करता तो धोना ज़रूरी है वरना उस पर भी मसह करलें और अगर उस पर भी मसह न कर सकते हों तो पट्टी पर मसह करलें और पूरी पट्टी पर मसह करना बेहतर है और अक्सर हिस्सा पर ज़रूरी है और एक बार मसह काफ़ी है तकरार की हाजत नहीं और अगर पट्टी पर मसह न कर सकते हों तो ख़ाली छोड़ दें। जब इतना आराम हो जाए कि पट्टी पर मसह करना ज़रर न करे तो फ़ौरन मसह करलें फिर जब इतना आराम हो जाए कि पट्टी पर से पानी बहाने में नुक़सान न हो तो पानी बहायें। फिर जब इतना आराम हो जाए कि ख़ास अज़्व पर मसह हो सकता है तो फ़ौरन मसह करलें फिर जब इतनी सेहत हो जाए कि अज़्व पर पानी बहा सकते हैं तो पानी बहाए।

मसला:– हड्डी के टूट जाने से तख़्ती बांधी गई हो तो उस का भी यह हुक्म है।

मसला:– तख़्ती या हड्डी खुल जाए और हुनूज़ बांधने की ज़रूरत है तो फिर दोबारा मसह नहीं किया जाएगा वही पहला मसह काफ़ी है और जो फिर बांधने की ज़रूरत न हो तो मसह टूट गया। अब उस जगह को धो सकें तो धोलें वरना मसह करलें।

नजासत का बयान

नजासत दो क़िस्म की है। एक वह जिसका हुक्म सख़्त है उसको ग़लीज़ा कहते हैं। दूसरी वह है जिसका हुक्म हल्का है, उसको ख़फ़ीफ़ा कहते हैं।

नजासते ग़लीज़ा का हुक्म

यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है। बेपाक किए नमाज़ पढ़ले तो होगी ही नहीं

और अगर क़स्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ और अगर दिरम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है, बे पाक किए नमाज़ पढ़ी तो अगरचे हो गई मगर मकरूह तहरीमी हुई कि उसका दोबारा पढ़ना वाजिब है। अगर न पढ़ी तो गुनहगार होगा और अगर दिरम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेपाक किए नमाज़ हो जाएगी। लेकिन ख़िलाफ़े सुन्नत और उसका दोबारा पढ़ना बेहतर है।

दिरम का वज़न और उसकी पैमाइश

नजासते ग़लीज़ा अगर गाढ़ी है जैसे पाख़ाना, लीद, गोबर तो दिरम के बराबर या कम या ज़्यादा के माना यह हैं कि वज़न में उसके बराबर या कम ज़्यादा हो और दिरम का वज़न शरीअ़त में इस जगह साढ़े चार माशे है और नजासते ग़लीज़ा अगर पतली हो जैसे आदमी का पेशाब, शराब तो दिरम से मुराद उसका फैलाव है जो तक़रीबन यहां के चाँदी के रुपये की बराबर होता है।

मुन्दर्जा ज़ैल चीज़ें नजासते ग़लीज़ा हैं

इंसान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे ग़ुस्ल या वज़ू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है। जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता ख़ून, भर मुंह कै, हैज़ व निफ़ास व इस्तिहाज़ा का ख़ून, मनी, मज़ी, पीप, दुखती आँख से जो पानी निकले, नाफ़ या पिस्तान से जो दर्द के साथ पानी निकले। दूध पीते बच्चे या बच्ची का पेशाब, शीर–ख़्वार का भर मुंह डाला हुआ दूध ख़ुशकी के हर जानवर का बहता ख़ून, हराम चौपाए (जैसे कुत्ता, शेर, लौमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, ख़च्चर, हाथी, सूवर) का पाख़ाना, पेशाब, घोड़े की लीद हर हलाल चौपाए का पाख़ाना। बकरी, ऊँट की मेंगनी और जो परिन्दा ऊँचा न उड़े जैसे मुर्ग़ी और बतख़ उसकी बीट, हर क़िस्म की शराब। नशा दिलाने वाली ताड़ी। साँप का पाख़ाना, पेशाब। उस जंगली साँप और मेंडक का गोश्त जिनमें बहता ख़ून होता है और उनकी खाल। सूवर का गोश्त, हड्डी, बाल, हाथी की सूंड की रुतूबत, शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिन्दे, चौपायों का झूटा और पसीना और लुआब। हराम जानवरों का पित्ता, छिपकली या गिरगिट का ख़ून। हर चौपाए की जुगाली। हराम जानवरों का दूध। मुर्दार का गोश्त और चर्बी।

नजासते खफ़ीफ़ा का हुक्म

यह हैकि कपड़े के हिस्से या बदन के जिस अज़्व में लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है। मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम। आस्तीन में उसकी चौथाई से कम इसी तरह हाथ में हाथ की चौथाई से कम, तो मुआफ़ है कि इससे नमाज़ हो जाएगी और अगर पूरी चौथाई में हो तो बे–धोए नमाज़ न होगी।

दोनों नजासतों के हुक्म का फ़र्क़

उस वक़्त है जब बदन या कपड़े में लगीं और अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी में गिरे तो चाहे नजासते ग़लीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा कुल नापाक हो जाएगी अगरचे एक क़तरा गिरे जब तक वह पतली चीज़ दह दर दह न हो यानी दस हाथ लम्बी और दस हाथ चौड़ी जगह में न हो।

मुन्दर्जा ज़ैल चीज़ें नजासते खफ़ीफ़ा हैं

जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय,बैल, भैंस, बकरी, ऊँट वग़ैरह उनका पेशाब, घोड़े का पेशाब और परिन्दे का गोश्त हराम हैं ख़्वाह शिकारी हो या नहीं जैसे कौवा, चील, शिकरा, बाज़, बहरी इसकी बीट हलाल ज़ानवरों का पित्ता।

मुन्दर्जा ज़ैल चीज़ें पाक हैं

लिहाज़ा कपड़े या बदन को लग जाएं तो वह नापाक न होगा

ऊँचे उड़ने वाले हलाल परिन्दे जैसे कबूतर,मैना, मुर्ग़ाबी, क़ाज़ वग़ैरह की बीट। चमगाडर की बीट और पेशाब, मछली और पानी के दीगर जानवरों का ख़ून, खटमल और मच्छर का ख़ून, ख़च्चर और गधे का लुआब व पसीना, गोश्त या तिल्ली या कलेजी में जो ख़ून बाक़ी रह गया, जो ख़ून ज़ख़्म से बहा न हो, घोड़ी का दूध नापाक चीज़ का धुवां, रास्ते की कीचड़ जब तक उसका नजिस होना मालूम न हो, सूवर के तमाम जानवरों की वह हड्डी जिस पर मुर्दार की चिकनाई न लगी हो और बाल और दांत जो गोश्त सड़ गया।औरत के पेशाब के मुक़ाम से जो रुतूबत निकले। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है चौपाए हों या परिन्दे उनका झूटा और पसीना व लुआब।

मुन्दर्जा ज़ैल चीज़ें मकरूह हैं

उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज़, बहरी, चील वग़ैरह का झूटा। कौव्वे का झूटा, बिल्ली, चूहे, छिपकली का झूटा, लेकिन मकरूह झूटे का खाना मालदार को मकरूह है ग़रीब–मुहताज को बिला कराहत जाइज़ है।

पाक करने का इस्लामी तरीक़ा

नजासत अगर दलदार हो जैसे पाख़ाना, गोबर, ख़ून वग़ैरह तो धोने में कोई गिनती की शर्त नहीं। बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही बार धोने से पाक हो जाएगा और अगर चार पाँच मर्तबा धोने से दूर हो तो चार पाँच मर्तबा धोना पड़ेगा। हां अगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा कर लेना मुस्तहब है और अगर नजासत पतली है तो तीन मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा बक़ुव्वत निचोड़ने से पाक होगा और क़ुव्वत के साथ निचोड़ने के यह माना है कि वह शख़्स अपनी ताक़त भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा न टपके। अगर कपड़े का ख़्याल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो कपड़ा पाक न होगा और अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा हैकि कोई दूसरा शख़्स निचोड़े जो ताक़त में उससे ज़्यादा है तो दो–एक बूंद टपक सकती है तो उसके हक़ में पाक और उस दूसरे के हक़ में नापाक है। पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना बेहतर है और तीसरी मर्तबा निचोड़ने से कपड़ा भी पाक होगया और हाथ भी। लेकिन अगर पहली और दूसरी मर्तबा हाथ पाक नहीं किया और उसकी तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया इस लिए हर मर्तबा हाथ पाक कर लेना चाहिए।

जो चीज़ निचोड़ने के क़ाबिल नहीं उसके पाक करने का इस्लामी तरीक़ा

जैसे चटाई, बर्तन, जूता उसको धोकर छोड़ दें। यहां तक कि पानी टपकना बन्द हो जाए तो यूंही दो मर्तबा और धोयें। तीसरी मर्तबा जब पानी

टपकना बन्द हो गया। वह चीज़ पाक होगई उसे हर मर्तबा धोने के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। यूंही जो कपड़ा अपनी नाज़ुकी के सबब निचोड़ने के काबिल नहीं उसे भी इसी तरह पाक किया जाए और अगर ऐसी चीज़ हैकि नजासत उसमें जज़्ब नहीं होती जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना चिकना इस्तेमाली बर्तन, या लोहे ताँबे, पीतल वग़ैरह धातों की चीज़ें तो उसे फ़क़त तीन बार धो लेना काफ़ी है इसकी भी ज़रूरत नहीं कि इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना मौक़ूफ़ हो जाए।

आईना और शीशे

की चीज़ें, पालिश की हुई लकड़ी बल्कि तमाम वह अशिया जिन में मसाम न हों यूं भी पाक हो जाती हैंकि कपड़े या पत्ते से इस क़दर पोंछ दी जायें कि असर बिल्कुल जाता रहे।

ग़ल्ले को पाक करने का इस्लामी तरीक़ा

ग़ल्ला जब पैर में हो और उसकी मालिश के वक़्त बैलों ने उस पर पेशाब किया जैसा कि उमूमन होता है तो अगर उस में से मज़दूरी दी गई या ख़ैरात की गई या चन्द शरीकों में तक़सीम हुआ तो सब पाक हो गया। और कुल बजिन्सेही मौजूद है तो नापाक है और अगर उसमें से इस क़दर जिसमें इहतियात हो सके कि इससे ज़्यादा नजिस न होगा धोकर पाक करलें तो सब पाक हो जाएगा।

बहती चीज़ों के पाक करने का इस्लामी तरीक़ा

तेल या पिघला हुआ घी या कोई बहती हुई चीज़ नापाक हो जाए तो पाक करने का आसान तरीक़ा यह हैकि उस चीज़ को इतने बड़े बर्तन में करदें कि उसका कुछ हिस्सा ख़ाली रहे फिर ऊपर से पाक पानी या उसी जिन्स की पाक चीज़ डालें। यहां तक कि बर्तन के मुंह से उबलने लगे इस तरीक़ा से उबल कर जो बर्तन से बाहर गिरा वह और जो बर्तन में रह गया। सब पाक हो जाएगा और अगर घी वग़ैरह जमा हुआ है तो उसे पिघला कर इसी तरीक़े से पाक कर सकते हैं।

मअज़ूर किस को कहते हैं?

हर वह शख़्स जिसको कोई ऐसी बीमारी हैकि एक वक़्त नमाज़ का पूरा ऐसा गुज़र गया कि वज़ू के साथ नमाज फ़र्ज अदा न कर सका। वह मअज़ूर है। मअज़ूर का हुक्म यह है कि वक़्त में वज़ू करले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे उस वज़ू से पढ़े इस बीमारी से वज़ू नहीं जाएगा। जैसे क़तरे का मर्ज़ या दस्त या हवा ख़ारिज होना या दुखती आँख से पानी गिरना या फोड़े नासूर से हर वक़्त रुतूबत बहना या कान या नाक या पिस्तान से पानी निकलना, नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से मअज़ूर का वज़ू टूट जाएगा। जब दूसरी नमाज़ का वक़्त आए तो फिर वज़ू करे। अगर मअज़ूर को ऐसी बीमारी है जिसके सबब कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दिरम से ज़्यादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना मौक़ा हैकि उसे धोकर पाक कपड़ों से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धोकर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर जानता हैकि नमाज़ पढ़ते–पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जाएगा तो धोना ज़रूरी नहीं इसी से पढ़े और अगर दिरम के बराबर है तो पहली सूरत में धोना वाजिब है और अगर दिरम से कम है तो सुन्नत और दूसरी सूरत में मुतलक़ न धोने में कोई हर्ज नहीं।

अज़ान की इबतिदा

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज़ की फ़र्ज़ीयत के बाद जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फ़रमा रहे। बग़ैर अज़ान के नमाज़ होती रही। हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा में रौनक़ अफ़रोज़ हुए तो कुछ ज़माना तक वहां पर भी बग़ैर अज़ान के नमाज़ होती रही। हिजरत को एक साल न हुआ था कि अज़ान का हुक्म आगया। इस की क़दरे तफ़सील यह है कि महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा में क़ियाम फ़रमाया तो औक़ाते नमाज़ मालूम होने के लिए ऐसी चीज़ मुक़र्रर न थी जिससे आमतौर पर नमाज़ के औक़ात मालूम होते और आदते करीमा यह थी कि कभी ताजील फ़रमा कर नमाज़ अव्वल वक़्त में अदा फ़रमाते और कभी ताख़ीर होती बाज़ सहाबए किराम शरफ़े इक़तेदा हासिल करने के लिए वक़्त से

पहले हाज़िर हो जाते जिससे उनके कामों में फ़ुतूर वाकेअ हो जाता और बाज़ सहाबए किराम यह ख़्याल करके कि हुज़ूर ताख़ीर से नमाज़ अदा फ़रमाएंगे अपने कामों में मसरूफ़ रहने के बाइस देर में पहुंचते जिसकी वजह से शर्फ़े इक़तेदा फ़ौत हो जाता। नज़र बरआं मजलिसे मुशावरत मुनअकि़द हुई और इस चीज़ को ज़ेरे बहस लाया गया कि ऐसी निशानी तजवीज़ करें जिससे सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज़ का वक़्त मालूम हो जाए ताकि किसी की जमाअत फ़ौत न हो। बाज़ असहाब ने यह मशवरा दिया कि नाक़ूस बजा दिया करें। आपने उसको पसन्द न किया और फ़रमाया कि यह नसारा के इस्तेमाल में है इस लिए मुनासिब नहीं। बाज़ हज़रात ने यह राए पेश की कि बूक़ बजाया जाए। आपने इसको भी मंज़ूर न किया और फ़रमाया यह यहूदी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ की राए यह हुई कि दफ़ बजवा दिया जाए आपने इसको भी क़ुबूल न किया और फ़रमाया कि रोमियों का तरीक़ा है। बाज़ ने अर्ज़ किया कि आग रौशन करा दी जाए। आपने उसको भी यह फ़रमाते हुए मुस्तरद कर किया कि यह मजूसियों का तरीक़ा है। बाज़ ने अर्ज़ की कि वक़्त पर एक झंडा नसब कर दिया जाए जिन लोगों को नज़र आए वह दूसरे अशख़ास को मुत्तलअ़ करदें मगर यह सूरत भी पसन्द न फ़रमाई। यहां तक कि मजलिस बरख़ास्त हो गई और किसी चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ राए न हुआ। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुतफ़क्किराना हालत में दौलतकदे पर तशरीफ़ लाए। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद सहाबी फ़रमाते हैंकि हुज़ूर के मुतफ़क्किर होने के बाइस मुझको भी फ़िक्र दामनगीर हुई। शब में सोया तो ग़ुनूदगी में देखा कि एक आने वाला आया जो दो सब्ज़ कपड़े पहने था। एक दीवार पर खड़ा होगया उसके हाथ में नाक़ूस था। मैंने कहा इसको फ़रोख़्त करते हो। उसने कहा क्या करोगे। मैंने जवाब दिया कि इत्तलाअ के लिए नमाज़ के वक़्त बजाया करेंगे। उसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ बता दूं जो इस से अच्छी है। मैंने कहा हाँ बताइए तो उसने कि़ब्ला रुख़ खड़े होकर अज़ान कही फिर कुछ देर तवक़्क़ुफ़ करने के बाद इक़ामत यानी तकबीर पढ़ी। फिर मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर यह ख़्वाब अर्ज़ किया फ़रमाया कि ख़्वाब हक़ है। बेलाल को बता दो इस लिए कि उनकी आवाज़ तुम से ज़्यादा बुलन्द है। हज़रत बेलाल रज़ियल्लाहु

तआला अन्हु ने बुलन्द मकाम पर खड़े होकर अज़ान कही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ान सुनकर दौड़ते हुए खिदमते अकदस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि क़सम है उस जात की जिसने आपको नबीए बरहक़ बनाकर भेजा है। मैंने भी ऐसा ही ख़्वाब देखा मगर यह मुझ पर सबकत ले गए। मरवी हैकि इस शब में सात सहाबए किराम ने यही ख़्वाब देखा था और ख़्वाब में आने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे।

सवाल- अज़ान हुक्मे शरई है और हुक्मे शरई नबी के ख़्वाब से तो साबित होता है। इस लिए कि नबी का ख़्वाब वही होता है। लेकिन ग़ैर नबी के ख़्वाब से कोई हुक्म शरई साबित नहीं हो सकता फिर अज़ान कैसे साबित हुई।

जवाब- अज़ान का सुबूत भी ग़ैर नबी के ख़्वाब से नहीं बल्कि बज़रीआ वही हुआ है। जैसा कि एक रिवायत में वारिद है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िदमत में हाज़िर होने से पेशतर वही नाज़िल हो चुकी थी। पस अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और दीगर सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के ख़्वाबों से वही की मुवाफ़िक़त हुई यह नहीं कि उनसे अज़ान का सुबूत हुआ।

इस उम्मते मरहूमा की खुसूसियत

मौला तआला ने अपने हबीबे करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सदके में इस उम्मते मरहूमा को बहुत सी खुसूसियात से मुम्ताज़ फ़रमाया मिनजुम्ला उन खुसूसियात के एक खुसूसियत यह भी है कि इकामत यानी तकबीर की तरह अज़ान भी इसी उम्मत के साथ मखसूस है। दूसरी उम्मतों को यह शर्फ़ अता न हुआ।

सवाल- हदीस में वारिद है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो वहशत दामनगीर हुई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाज़िर होकर अज़ान कही जिससे वहशत का इज़ाला हुआ। जब अज़ान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में साबित हुई तो इसको उम्मते मरहूमा के खुसूसियत से शुमार करना किस तरह दुरुस्त हो सकता है।

जवाब- अज़ान अज़ क़बील खुसूसियात बईं माना हैकि उसके

ज़रिये औकाते नमाज़ का एलान करना सिर्फ़ उसी उम्मत के वास्ते तजवीज़ हुआ। गुज़श्ता उम्मतों की नमाज़ का एलान बज़रीए अज़ान न था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अज़ान का सुबूत ज़रूर हुआ मगर दफ़ा वहशत के लिए न औक़ाते नमाज़ की इत्तला के वास्ते (हाशिया तहतावी अली मुराक़ी अलफ़लाह) एलान नमाज़ के इलावा दीगर मक़ासिद के लिए भी अज़ान कही जाती है।

आग बुझाने के वास्ते अज़ान

देना मुस्तहब है। उल्मा फ़रमाते हैंकि जब कहीं आग लग जाए और बुझाने से न बुझती हो तो अज़ान कहो कि उसकी बरकत से आग खुद बुझ जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जब आग देखो *अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर* की बकसरत तकरार करो कि वह आग बुझा देता है। *अल्लाहु अकबर* अज़ान में छः बार है तो अज़ान से *अल्लाहु अकबर* की बकसरत तकरार भी हासिल हुई और उसके साथ अज़ान में दीगर कल्मात तय्येबात ज़ाइद हैं सो उनकी ज़ियादत मुफ़ीद व मक़सूद है कि नुज़ूले रहमत के लिए ज़िक्रे इलाही करना है जो उन कल्मात से भी हासिल हो जाता है।

परेशानी दूर करने के लिए अज़ान

परेशान आदमी के कान में अज़ान देना मुस्तहब है। अमीरुल मोमेनीन सय्यदेना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजह्हुलकरीम फ़रमाते हैं कि मुझे सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़मगीन देखा तो इर्शाद फ़रमाया कि ऐ अली मैं तुझे ग़मगीन पाता हूं। अपने किसी घर वाले से कहो कि तेरे कान में अज़ान कहे इस लिए कि अज़ान ग़म व परेशानी को रफ़ा करती है। मौलाए आला और मौला अली से जिस क़दर इस हदीस के रावी हैं सबने फ़रमाया कि हमने इसे तजरबा किया तो ऐसा ही पाया।

मय्यत की वहशत दूर करने के लिए अज़ान

बाद दफ़न मय्यत पर अज़ान देना मुस्तहब है कि मय्यत उस वक़्त

सख़्त हुज़्न व ग़म की हालत में होती है और दफ़ा ग़म के लिए अज़ान मुजर्रब है नीज़ मुसलमान भाई के रंज व ग़म और उसकी वहशत को दूर करके उसे खुश करना मौला तआ़ला को बहुत महबूब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। बेश.क अल्लाह तआ़ला के नज़दीक फ़र्ज़ों के बाद सब आमाल से ज़्यादा मुसलमान का खुश करना है। सय्यदेना हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक तुम्हारा अपने भाई को खुश करना मुजिबे मग़फ़िरत है। नीज़ हदीस में वारिद है कि जब बन्दा क़ब्र में रखा जाता है और सवाले नकीरैन होता है तो शैतान वहां भी ख़लल अन्दाज़ होता है और जवाब में बहकाता है। नकीरैन जब सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है तो शैतान मय्यत के सामने ज़ाहिर होकर अपनी जानिब इशारा करता है कि मैं तेरा रब हूं, तो अज़ान देने से यह अ़ज़ीम फ़ाइदा है कि शैतान वहां से दूर हो जाता है। मुहद्दिस तिब्रानी अपनी किताबे मोअ़जम औसत में हज़रत अबूहुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी हैं कि तबीबे रूहानी महबूबे सुब्हानी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जब शैतान का खटका हो फ़ौरन अज़ान कहो वह दफ़ा हो जाएगा।

बारिश तलब करने और वबा दफ़ा करने के लिए अज़ान

देना मुस्तहब है और इसका एक तरीक़ा यह हैकि नमाज़ की तरह इमाम के पीछे सफ़ बांधकर खड़े हों कि इमाम सूरए यासीन बआवाज़ बुलन्द पढ़े और मुबीन पर अज़ान कहे और सब मुक़्तदी भी उसके साथ अज़ानें कहें और दूसरा तरीक़ा यह हैकि अपने—अपने मकानात की छतों पर या तन्हा या चन्द अशख़ास मिलकर अज़ानें कहें। अल्लाह तआ़ला अज़ान की बरकत से बारिश अता और वबा दूर फ़रमाएगा। (फ़तावा रज़विया) बारिश रोकने के लिए भी इसी तरीक़े से अज़ान दी जाए।

मर्ज़ उम्मुस्सिबयान से हिफ़ाज़त के लिए अज़ान

सय्यदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैकि रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया

कि जिसके बच्चा पैदा हो और उसके दायें कान में अज़ान और बायें कान में इक़ामत कहे तो वह बच्चा उम्मुस्सिबयान के ज़रर से महफ़ूज़ रहेगा। मौजूदा वक़्त में उम्मुस्सिबयान की शिकायत ज़्यादा सुनने में आ रही है और इसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने हादीए बरहक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। इस्लामी तालीमात से दिलचस्पी रखने वाले मर्द और मज़हबी आमाल की ख़ूगर ख़्वातीन तो अभी तक अमल पर कारबन्द हैं। इसी वास्ते उनके बच्चे इस ख़बीस मर्ज़ से महफ़ूज़ रहते हैं। मगर नसरानी तहज़ीब और नसरानी तालीम की दिलदादा ख़्वातीन ने इसको नज़र–अन्दाज़ कर दिया है। इसी वास्ते उनके अक्सर व बेशतर बच्चे इस मर्ज़ में ज़ाया हो जाते हैं।

जंगल में रास्ता मालूम करने के लिए अज़ान

जब जंगल में रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला न हो तो उस वक़्त अज़ान कहे अल्लाह तआला अज़ान की बरकत से रास्ता बताने वाला ज़ाहिर फ़रमा देगा। उसके इलावा दीगर उमूर के वास्ते भी अज़ान मुफ़ीद है किसी मक़ाम पर जिन्न सरकशी करता हो वहां पर अज़ान कही जाए अज़ान की बरकत से जिन्न अपनी सरकशी से बाज़ आएगा। या उस मक़ाम ही को छोड़ देगा। बद मिज़ाज आदमी और बद मिज़ाज जानवर की बद मिज़ाजी दफ़ा के लिए भी अज़ान उसके कान में कही जाए। अज़ान की बरकत से बदमिज़ाजी दूर हो जाएगी।

अज़ाने नमाज़ के जवाब का इस्लामी तरीक़ा

मुअज़्ज़िन जब अज़ान कहे तो सुनने वाला भी उन कल्मात को पढ़ता जाए मसलन मुअज़्ज़िन कहे *अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर* तो सुनने वाला भी कहे इसी तरह से आख़िर अज़ान तक लेकिन जब मुअज़्ज़िन حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ और حَیَّ عَلَی الْفَلَاح कहे तो सुनने वाला इन दोनों कल्मों के बाद لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہ भी कहे।

जवाबे अज़ान का सवाब

रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों की जमाअत को ख़िताब करके फ़रमाया: ऐ औरतो जब तुम

बेलाल को अज़ान व इक़ामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। इस लिए कि अल्लाह तआला तुम्हारे लिए हर कल्मा के बदले एक लाख नेकी लिखेगा और हज़ार दर्जे बुलन्द फ़रमाएगा और हज़ार गुनाह मुआफ़ फ़रमाएगा औरतों ने अर्ज़ की यह तो औरतों के लिए हुआ मर्दों के लिए क्या है। फ़रमाया मर्दों के वास्ते दूना है। (इब्ने असाकिर) मक़ामे ग़ौर है कि अज़ाने फ़जर में सतरह (17) कल्मे हैं बाक़ी अज़ानों में पन्द्रह (15) कल्मे तो जिस औरत ने अज़ाने फ़जर का जवाब दिया उसके नामए आमाल में सतरह लाख नेकियां लिखी जायेंगी और सतरह हज़ार दर्जे बुलन्द होंगे और सतरह हज़ार गुनाह मुआफ़ किए जायेंगे और अगर बाक़ी चार अज़ानों का जवाब भी दिया तो साठ लाख नेकियां लिखी जायेंगी और साठ हज़ार दर्जे बुलन्द और साठ हज़ार गुनाह मुआफ़। पाँचों वक़्त की अज़ान का जवाब दिया तो सत्तर लाख नेकियां और लिखी जायेंगी और सत्तर हज़ार दर्जे बुलन्द सत्तर हज़ार गुनाह मुआफ़। यह औरतों के लिए और मर्दों के वास्ते दूना। यानी एक करोड़ चव्वन लाख नेकियां लिखी जायेंगी और एक लाख चव्वन हज़ार दर्जे बुलन्द और एक लाख चव्वन हज़ार गुनाह मुआफ़ किए जायेंगे और इक़ामत में सतरह कल्मे हैं तो पाँचों वक़्त की इक़ामत का सवाब औरतों के लिए यह हुआ कि पच्चासी लाख नेकियां पच्चासी हज़ार दर्जे बुलन्द और पच्चासी हज़ार गुनाह मुआफ़ और मर्दों के लिए दूना यानी एक करोड़ सत्तर लाख नेकियां और एक लाख सत्तर हज़ार गुनाह मुआफ़ और एक लाख सत्तर हज़ार दर्जे बुलन्द। पस अज़ान और इक़ामत दोनों के जवाब का सवाब औरतों के लिए एक करोड़ बासठ लाख नेकियां और एक लाख बासठ हज़ार दर्जे बुलन्द और एक लाख बासठ हज़ार गुनाह मुआफ़ और मर्दों के लिए तीन करोड़ चौबीस लाख नेकियां और तीन लाख चौबीस हज़ार दर्जे बुलन्द और तीन लाख चौबीस हज़ार गुनाह मुआफ़ *अल्लाहु अकबर* यह सिर्फ़ एक दिन की इक़ामत और अज़ान के जवाब का सवाब है जिसमें न पैसा सर्फ़ होता है न मुशक्क़त होती है। अगर बन्दा इसको अपना मामूल बना ले तो सवाब का क्या ठिकाना। मगर हमारे बहुत से भाई इस्लामी तालीम से नावाक़िफ़ होने के बाइस बेशुमार सवाब से महरूम रहते हैं। मौजूदा ज़माने में औरतों का मस्जिद में जाना बवजहे फ़ितना व फ़साद के ममनूअ़ है इस लिए वह सिर्फ़ अज़ान के जवाब पर

इकतफ़ा करें और अगर घर बैठे बवहजहे क़ुर्बे मस्जिद इक़ामत सुनने में आए तो उसका जवाब भी दिया करें।

आँखें दुखने का इलाज और बीनाई की गारन्टी

हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाते हैं जो शख़्स मुअज़्ज़िन से أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ सुनकर مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ तर्जुमाः– (मेरे महबूब और मेरी आँख की ठंडक मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे पाक को सुनने की वजह मेरा ग़ुंचए क़ल्ब शगुफ़्ता होगया) कहे फिर दोनों अंगूठे चूमकर आँखों पर रखे उसकी आँखें कभी न दुखेंगी। मस्जिदे मदीना तय्यबा के इमाम व ख़तीब अल्लामा शम्सुदीन मुहम्मद बिन सालेह अपनी तारीख़ में हज़रत मज्द मिस्त्री रहमतुल्लाह तआला अलैहि से नक़ल करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया जो शख़्स नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्रे पाक सुनकर कल्मा की उंगली और अंगूठा मिलाले और उन्हें बोसा देकर आँख से लगाए उसकी आँखें कभी न दुखेंगी। अल्लामा मौसूफ़ फ़रमाते हैं कि हज़रत मज्द मिस्त्री रहमतुल्लाह तआला अलैहि और हज़रत फ़क़ीह मुहम्मद अलैहिर्रहमा इन दोनों बुज़ुर्गों ने अपना तजर्बा भी बयान फ़रमाया कि हम जब से यह अमल करते हैं हमारी आँखें न दुखीं। फ़क़ीर ग़ुफ़ेरलहू भी तक़रीबन बीस साल से इस अमल पर हामिल है और बहमदिल्लाह उस वक़्त से आज तक आँखें दुखने की शिकायत न हुई और इस अमल पर कारबन्द होने से पेशतर हर साल यह शिकायत होती थी। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जो शख़्स मुअज़्ज़िन से أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ सुनकर मज़कूरा बाला दुआ पढ़े और अंगूठे चूमकर आँखों पर रखे तो न कभी अंधा होगा न आँखें दुखेंगी। (मुनीरुल मुईन)

हम ख़ुर्मा हम सवाब

सुब्हानल्लाह कैसा मुबारक अमल है कि दुनियावी और उख़रवी दोनों फ़ाइदे अपने अन्दर रखता है। इसी वास्ते इसको हम ख़ुर्मा हम सवाब से तअबीर किया गया। दुनियावी फ़ाइदा तो यही हैकि आँखें दुखने से महफ़ूज़ रहें और बीनाई ताज़ीस्त बाक़ी रहे। यह किस क़दर अज़ीमुश्शान

फ़ाइदा है। इंसान इस के हुसूल के वास्ते करीर रक़म सर्फ़ करता है और बहुत से रकम कसीर सर्फ़ करने के बावजूद कामियाब नहीं होते। मगर खुश क़िस्मत हैं इस अमल के करने वाले कि रक़म कसीर दर किनार उन्हें रक़म क़लील भी सर्फ़ करना नहीं पड़ती बे मेहनत व मुशक़्क़त उन्हें यह अज़ीमुश्शान फ़ाइदा हासिल हो जाता है। उख़रवी फ़ाइदा यह हैकि हदीस में वारिद है जब अज़ान में पहली बार اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ सुने صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. तर्जुमा:– (या रसूलल्लाह अल्लाह तआ़ला आप पर दुरूद भेजे) कहे और दूसरी बार قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ फिर अंगूठे के नाखुन को आँखों पर रख कर कहे اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ तर्जुमा:– ऐ अल्लाह मुझे समाअ़त और बसारत के साथ बहरहमन्द रखियो। नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अपने पीछे उसे जन्नत में ले जायेंगे इस अमल की चन्द सूरतें हैं जैसा कि बयाने बाला से ज़ाहिर है। आमिल को इख़्तियार है जो सूरत चाहे इख़्तियार करे। हर सूरत में दुनियावी उख़रवी दोनों फ़ाइदे हासिल होंगे।

दुरूद शरीफ़ और दुआए वसीला

जवाब अज़ान से फ़ारिग़ होने के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ कर दुआ पढ़े जो अज़ान के बाद पढ़ी जाती है। इसको दुआए वसीला कहते हैं। अक्सर लोग इससे नावाक़िफ़ हैं बग़ैर दुरूद शरीफ़ पढ़े दुआए वसीला पढ़ लेते हैं। महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं जब मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनो तो जैसे वह कहता है तुम भी कहते जाओ फिर जवाब से फ़ारिग़ होकर मुझ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ो कि जो शख़्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह तआ़ला उस पर दस मर्तबा दुरूद भेजता है फिर अल्लाह तआ़ला से मेरे वास्ते वसीला तलब करो वसीला जन्नत में एक मक़ाम है जो बन्दगाने खुदा से किसी एक बन्दा के वास्ते सज़ावार है मुझे उम्मीद है कि वह बन्दा मैं होऊंगा तो जो शख़्स मेरे वास्ते वसीला तलब करेगा उसके लिए मेरी शफ़ाअ़त वाजिब हो जाएगी।

(मुस्लिम शरीफ़)

दुआए वसीला

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

तर्जुमा:– ऐ अल्लाह इस दअ़वते ताम्मा और क़ियामत तक बाक़ी रहने वाली नमाज़ के रब अता फ़रमाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को वसीला और तमाम मख़लूक़ पर बरतरी और बुलन्द दर्जा और उन्हें मक़ामे महमूद में भेजना जिसका तूने वादा फ़रमाया है और हमें क़ियामत के दिन उनकी शफ़ाअ़त में दाख़िल फ़रमा देना बेशक तू वादा ख़िलाफ़ी नहीं फ़रमाता क्योंकि वादा ख़िलाफ़ी ऐब है और तुझमें कोई ऐब मुम्किन नहीं।

सवाल:– इस दुआ में दअ़वते ताम्मा से क्या मुराद है।

जवाब:– अज़ान के अल्फ़ाज़ मुराद हैं। जिनमें तौहीद व रिसालत की दअ़वत है। जब मुअज़्ज़िन اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه कहता है तो ख़ुद तौहीद की गवाही देते हुए दूसरों को रिसालत की दअ़वत देता है चूंकि अज़ान में तौहीद व रिसालत की तरफ़ दअ़वत होती है इस लिए अल्फ़ाज़े अज़ान को दअ़वत से तअ़बीर किया गया और इस दअ़वत को ताम्मा इस लिए फ़रमाया कि यह शिर्क के नुक़्स से पाक है या इस लिए कि तमाम अक़ाइद को जामेअ़ है क्योंकि तौहीद व रिसालत में तमाम अक़ाइद इजमालन आजाते हैं या इस लिए कि क़ियामत तक इसमें कोई तग़य्युर और तबदीली नहीं हो सकती, या इस लिए कि तमाम अक़वाल से अतम क़ौल इसमें मज़कूर है और वह *लाइला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह* है।

सवाल:– इस दुआ में वसीला से क्या मुराद है।

जवाब :– जन्नत में सबसे आला दर्जा को वसीला कहते हैं। जो जन्नत के तमाम दर्जात की निस्बत अर्श से क़रीब–तर है। या वसीला से मुराद महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व आलेहि वसल्लम को रोज़े हशर अर्शे आज़म पर बैठाना है जैसा कि हदीस में आया है कि मौला तआ़ला अपने महबूब को बेहतरीन सब्ज़ पोशाक पहनाकर अर्श पर बिठा एगा और

हुक्म देगा कि जो चाहो कहो और जो चाहो मांगो।

सवाल: - मक़ामे महमूद से क्या मुराद है।

जवाब: - क़ियामत का दिन इस क़दर तवील होगा कि काटे न कटे फिर सरों पे आफ़ताब और दोज़ख़ नज़दीक। उस दिन सूरज में दस बरस कामिल की गर्मी जमा कर दी जाएगी और सरों से कुछ ही फ़ासले पर होगा। प्यास की वह शिद्दत कि ख़ुदा न दिखाए। गर्मी वह क़ियामत की कि अल्लाह बचाए। बांसों पसीना ज़मीन में जज़्ब होकर ऊपर चढ़ेगा। यहां तक कि गले—गले से भी ऊँचा होगा। लोग उसमें ग़ोते खाएंगे। घबरा—घबरा कर दिल हल्क़ तक आ जाएंगे लोग इन अ़ज़ीम आफ़तों में जान से तंग आकर शफ़ीअ़ की तलाश में जाबजा फिरेंगे आदम व नूह ख़लील व कलीम और मसीह अ़लैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की ख़िदमात में हाज़िर होकर जवाब साफ़ सुनेंगे। सब अम्बिया फ़रमाएंगे। हमारा यह मर्तबा नहीं। हम इस लाइक़ नहीं। हमसे यह काम न निकलेगा। नफ़्सी—नफ़्सी तुम और किसी के पास जाओ यहां तक सब के बाद हुज़ूर पुरनूर शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलेहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होंगे हुज़ूर अक़दस *अनालहा अनालहा* फ़रमायेंगे। यानी मैं हूं शफ़ाअ़त के लिए— मैं हूं शफ़ाअ़त के लिए। फिर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हाज़िर होकर सज्दा करेंगे वह इर्शाद फ़रमाएगा।

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَوَا اشْفَعْ تُشَفَّعْ ऐ मुहम्मद अपना सर उठाओ और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी और मांगो तुम्हें अता होगा और शफ़ाअत करो कि तुम्हारी शफ़ाअ़त मक़बूल है। अब हुज़ूर की शफ़ाअ़त से हिसाब शुरू होगा। यही शफ़ाअ़ते कुबरा है जो मोमिन और काफ़िर सब के लिए होगी और उसी को मक़ामे महमूद कहते हैं। जहां तमाम अव्वलीन व आख़रीन में हुज़ूर की तारीफ़ और हम्द व सना का ग़ुल मच जाएगा और मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ सब पर खुल जाएगा कि बारगाहे इलाही में जो वजाहत हमारे आक़ा की है किसी की नहीं और बादशाहे हक़ीक़ी के यहां जो अ़ज़मत हमारे मौला के लिए है किसी के लिए नहीं।

शफ़ाअ़त के अक़साम

(1) शफ़ाअ़ते किब्रिया जिसका बयान अभी गुज़रा (2) यह कि

आपकी शफ़ाअत से एक जमाअत बग़ैर हिसाब जन्नत में दाख़िल होगी। इसकी तादाद में चन्द रिवायात हैं एक रिवायत यह हैकि एक लाख और उनमें हर एक हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और हर एक के साथ सत्तर हज़ार इसकी मीज़ान चार खरब सत्तानवे अरब होती है और दूसरी रिवायत में हैकि मेरी उम्मत से सत्तर हज़ार बे हिसाब जन्नत में दाख़िल होंगे और उनके तुफ़ैल में हर एक के साथ सत्तर हज़ार और रब्बे तबारक व तआ़ला उनके साथ तीन जमाअ़तें और देगा। मालूम नहीं हर जमाअ़त में कितने होंगे उसका शुमार वही जाने। तहज्जुद पढ़ने वाले भी बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। (3) एक ऐसी जमाअ़त जो बाद हिसाब दोज़ख़ में दाख़िल होने की मुस्तहिक़ हो चुकी, आपकी शफ़ाअ़त से बजाए दोज़ख़ के जन्नत में दाख़िल होगी। (4) बाज़ कुफ़्फ़ार के अज़ाब में आपकी शफ़ाअ़त की वजह से तख़फ़ीफ़ होगी जैसे आपके चचा अबूतालिब जो ईमान नहीं लाए थे। शफ़ाअ़त की यह चारों क़िस्में महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व आलेहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं। (5) दोज़ख़ में दाख़िल शुदा लोग आपकी शफ़ाअ़त से बाहर निकाल कर जन्नत में दाख़िल किये जायेंगे। (6) आपके शफ़ाअ़त के बाइस जन्नत में लोगों के दर्जे बुलन्द किए जायेंगे।

सवाल:- अल्लाह तआ़ला ने हुज़ूर पुरनूर को तमाम मख़लूक़ पर फ़ज़ीलत और बरतरी अता फ़रमाई क्योंकि सारी मख़लूक़ आप ही के तुफ़ैल में पैदा की गई है और आपको बुलन्द दर्जा भी अता किया इस लिए कि अल्लाह तआ़ला ने आपको अपना महबूब बनाया और किसी को महबूबियत के मर्तबा पर फ़ाइज़ नहीं किया। इसी तरह वसीला जो जन्नत में आला दर्जा है आप ही को मिलेगा क्योंकि आपने फ़रमाया है कि जिस बन्दे को वह मिलेगा उम्मीद हैकि वह मैं ही हूं और मक़ामे महमूद में भी आप भेजे जाएंगे। इसका वादा खुद अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने करीम में बईं अलफ़ाज़ फ़रमाया है— عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔ और यह मुम्किन नहीं कि अल्लाह तआ़ला वादा ख़िलाफ़ी करे फिर वसीला और फ़ज़ीलत और दर्जए रफ़ीअ़: और मक़ामे महमूद के लिए दुआ मांगने की क्या ज़रूरत रही।

जवाब:- बेशक यह बातें सही हैं। लेकिन हमको उनके वास्ते दुआ करने का हुक्म इस लिए दिया गया हैकि हम गुनाहगार महबूबे ख़ुदा

के दुआ–गो और ख़ैर अन्देशों में दाखिल हो जायें ताकि क़ुर्बे इलाही हासिल और नूरे ईमान ज़ाइद हो क्योंकि महबूबाने ख़ुदा के ख़ैर ख़्वाह और ख़ैर सगाल भी नेअ़मतों से नवाज़े जाते हैं। अबूलहब महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व आलेहि वसल्लम का बद तरीन दुश्मन और सख़्त तरीन काफ़िर था यहां तक कि उसकी मज़म्मत में सूरए तब्बत नाज़िल हुई। मगर हुज़ूर पुरनूर की विलादत की ख़ुशी में उसने बांदी आज़ाद कर दी थी। नज़र बरआं अल्लाह तआ़ला ने उसको रहमत से महरूम नहीं फ़रमाया। हर दो शम्बा को उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है तो जो मोमिन आपकी पैदाइश की हमेशा ख़ुशी मनाए और हर अज़ान के बाद आपकी ख़ैरख़्वाही में दुआ मांगता रहे। वह ख़ुदावन्दी इकराम व इनआ़म से किस तरह नवाज़ा न जाएगा।

अज़ान के मसाइल

मसला:– फ़र्ज़ पंजगाना कि उन्हीं में जुमा भी है जब जमाअ़त मुस्तहब के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा किए जायें तो उनके लिए अज़ान सुन्नते मुवक्किदा है और इसका हुक्म मिस्ले वाजिब है कि अगर अज़ान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार हों कि यहां तक कि इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआ़ला अलैहि ने फ़रमाया कि किसी शहर के सब लोग अज़ान तर्क करदें तो मैं उन से क़ेताल करूंगा और अगर एक शख़्स छोड़ दे तो उसे मारूंगा और क़ैद कर दूंगा। (ख़ानिया वग़ैरह)

मसला:– क़ज़ा नमाज़ मस्जिद में पढ़े तो अज़ान न कहे अगर कोई शख़्स शहर के अन्दर घर में नमाज़ पढ़े और अज़ान न कहे तो कराहियत नहीं कि वहां की मस्जिद की अज़ान काफ़ी है और कह लेना मुस्तहब है (शामी) मस्जिद में बिला अज़ान व इक़ामत जमाअ़त करना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:– अगर किसी बस्ती से बाहर बाग़ या खेती वग़ैरह में है और वह जगह क़रीब है तो बस्ती की अज़ान किफ़ायत करती है। फिर अज़ान कह लेना बेहतर है और जो क़रीब न हो तो काफ़ी नहीं, क़रीब की हद यह है कि बस्ती की अज़ान की आवाज़ वहां तक पहुंचती हो। (आलमगीरी)

मसला: – जमाअत भर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो अज़ान व इक़ामत से पढ़ें और अकेला भी क़ज़ा के लिए अज़ान व इक़ामत कह सकता है जब कि जंगल में तन्हा हो वरना क़ज़ा का इज़हार गुनाह है। इसी लिए मस्जिद में क़ज़ा पढ़ना मकरूह है और पढ़े तो अज़ान न कहे और वित्र की क़ज़ा में दुआए क़ुनूत के वक़्त हाथ न उठाए हां अगर किसी ऐसे सबब से क़ज़ा होगई जिसमें वहां के तमाम मुसलमान मुबतला हो गए तो अगरचे मस्जिद में पढ़ें अज़ान कहें। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला: – अहले जमाअत से चन्द नमाज़ें क़ज़ा हुई तो पहली के लिए अज़ान व इक़ामत दोनों कहें और बाक़ियों में इख़्तियार है ख़्वाह दोनों कहें या सिर्फ़ इक़ामत पर इकतेफ़ा करें और दोनों कहना बेहतर है। यह उस सूरत में हैकि एक मजलिस में वह सब पढ़ें और अगर मुख़्तलिफ़ औक़ात में पढ़ें तो हर मजलिस में पहली के वास्ते अज़ान कहें।

(आलमगीरी)

मसला: – वक़्त होने के बाद अज़ान कही जाए क़बल अज़ वक़्त कही गई या वक़्त होने से पहले शुरू हुई और असनाए अज़ान में वक़्त होगया तो इआदा किया जाए।

मसला: – अज़ान का वक़्त मुस्तहब वही है जो नमाज़ का है यानी फ़जर में रौशनी फैलने के बाद और मग़रिब में और जाड़ों की ज़ुहर में अव्वल वक़्त और गर्मियों की ज़ुहर और हर मौसम की असर व इशा में निस्फ़ वक़्त मुस्तहब गुज़रने के बाद मगर असर में इतनी ताख़ीर न हो कि नमाज़ पढ़ते–पढ़ते वक़्त मकरूह आजाए और अगर अव्वल वक़्त अज़ान हुई और अख़ीर वक़्त में नमाज़ हुई तो भी सुन्नते अज़ान अदा होगई।

(दुर्रे मुख़तार)

मसला: – फ़राइज़ के सिवा बाक़ी नमाज़ों मसलन वित्र, जनाज़ा, ईदैन, इस्तिस्क़ा, चाश्त, कसूफ़, ख़सूफ़, नवाफ़िल में अज़ान नहीं।

(आलमगीरी)

मसला: – औरतों को अज़ान व इक़ामत कहना मकरूह तहरीमी है। कहेंगी तो गुनहगार होंगी और इआदा की जाए।

(आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- औरतें अपनी नमाज़ अदा पढ़ती हों या क़ज़ा उसमें अज़ान व इक़ामत मकरूह है (दुर्रे मुख़तार) खुन्सा, फ़ासिक़ अगरचे आलिम ही हो और नशा वाले पागल और नासमझ बच्चे और जुनब की अज़ान मकरूह है इन सब की अज़ान का इआदा किया जाए। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अज़ान कहने का अहल वह है जो औक़ाते नमाज़ पहचानता हो और वक़्त न पहचानता हो तो इस सवाब का मुस्तहिक़ नहीं जो मुअज़्ज़िन के लिए है। (ग़ुनीया)

मसला:- एक शख़्स को एक वक़्त में दो मस्जिदों में अज़ान कहना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- बैठकर अज़ान कहना मकरूह है और कहे तो इआदा करे मगर मुसाफ़िर अगर सवारी पर अज़ान कहे तो मकरूह नहीं और इक़ामत मुसाफ़िर भी उतर कर कहे। अगर न उतरा और सवारी पर ही कह ली तो हो जाएगी।

मसला:- अज़ान क़िब्ला रू कहे और इसके ख़िलाफ़ करना मकरूह है इसका इआदा किया जाए मगर मुसाफ़िर जो सवारी पर अज़ान कहे और उसका मुंह क़िब्ले की तरफ़ न हो तो हर्ज नहीं।

मसला:- असनाए अज़ान में बात–चीत करना मना है। अगर कलाम किया तो फिर से अज़ान कहे। (सग़ीरी)

मसला:- कल्माते अज़ान में लह्न हराम है मसलन *अल्लाहु अकबर* की हमज़ा का मद के साथ *आल्लाहु* या *आकबर* पढ़ना इसी तरह *अकबर* में बे के बाद अलिफ़ बढ़ाना हराम है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- सुन्नत यह हैकि अज़ान बुलन्द जगह कही जाए कि पड़ोस वालों को ख़ूब सुनाई दे और बुलन्द आवाज़ से कहे। (बहर)

मसला:- अज़ान मिज़नह पर कही जाए या ख़ारिजे मस्जिद और मस्जिद में अज़ान न कहे। (आलमगीरी वग़ैरह) मस्जिद में अज़ान कहना मकरूह है। (फ़तहुल क़दीर वग़ैरह) यह हुक्म हर अज़ान के लिए है। फ़िक़ह की किसी किताब में कोई अज़ान मुस्तसना नहीं। अज़ान सानीए जुमा भी इसमें दाख़िल है हिन्दुस्तान में उमूमन ख़तीब के सामने हाथ दो हाथ के फ़ासिले पर यह कही जाती है। हदीस व फ़िक़ह दोनों के ख़िलाफ़ है।

इक़ामत के मसाइल

इक़ामत मिस्ल अज़ान है यानी अहकामे मज़कूरा इस के लिए भी है सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है इसमें बाद *हय्या अलल्फ़लाह* के *क़द क़ा–मतिस्सलात* दो बार कहें। इसमें भी आवाज़ बुलन्द हो मगर न अज़ान के मिस्ल बल्कि इतनी कि हाज़ेरीन तक आवाज़ पहुंच जाए। इसके कल्मात जल्द–जल्द कहे दर्मियान में सकता न करे न कानों पर हाथ रखना है न कानों में उंगलियां रखना। और सुबह की इक़ामत में اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم नहीं। इक़ामत बुलन्द जगह या मस्जिद के बाहर होना सुन्नत नहीं।

मसला:– इक़ामत में भी حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ حَیَّ عَلَی الْفَلَاح के वक़्त दाहिने बाएं मुंह फेरे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– जिसने अज़ान कही अगर मौजूद नहीं तो जो चाहे इक़ामत कह ले। बेहतर इमाम है मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उसकी इजाज़त से दूसरा कह सकता है यह उसी का हक़ है अगर बेइजाज़त और मुअज़्ज़िन को नागवार हो तो मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:– जुनब और बे–वज़ू की इक़ामत मकरूह है मगर इआदा न की जाएगी बख़िलाफ़ अज़ान के कि जुनब अज़ान कहे तो दोबारा कही जाए इसलिए कि अज़ान की तकरार मशरूअ़ है और इक़ामत दो बार नहीं। (दुर्रे मुख़तार)

मसला:– इक़ामत के वक़्त कोई शख़्स आया तो उसे खड़े होकर इन्तेज़ार करना मकरूह है बल्कि बैठ जाए जब حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर पहुंचे उस वक़्त खड़ा हो यूहीं जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वह भी बैठे रहें उस वक़्त उठें जब मुतकब्बिर حَیَّ عَلَی الْفَلَاح पर पहुंचे यही हुक्म इमाम के लिए है। (आलमगीरी) आजकल अक्सर जगह तो यहां तक है कि जब तक इमाम मुसल्ला पर खड़ा न हो उस वक़्त तक तकबीर नहीं कही जाती यह ख़िलाफ़े सुन्नत है।

मसला:– असनाए इक़ामत में भी मुअज़्ज़िन को कलाम करना जाइज़ नहीं जिस तरह अज़ान में।

मसला:– असनाए अज़ान व इक़ामत में उसको किसी ने सलाम किया तो जवाब न दे बाद ख़त्म भी जवाब देना वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

जवाबे अज़ान व इक़ामत के मसाइल

मसला: – जब अज़ान हो तो इतनी देर के लिए सलाम कलाम और जवाबे सलाम तमाम अशग़ाल मौक़ूफ़ कर दे यहां तक कि क़ुरआन मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आए तो तिलावत मौक़ूफ़ कर दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे इसी तरह इक़ामत में (आलमगीरी वग़ैरह) जो अज़ान के वक़्त बातों में मशग़ूल रहे उस पर मआज़ल्लाह ख़ातमा बुरा होने का ख़ौफ़ है। (फ़तावा रज़विया)

मसला: – रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो इतनी देर खड़ा हो जाए कि सुने और जवाब दे।

मसला: – अगर चन्द अज़ानें सुने तो इस पर पहले ही का जवाब है और बेहतर है कि सब का जवाब दे। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला: – अगर बवक़्ते अज़ान जवाब न दिया तो अगर ज़्यादा देर न हुई हो अब दे ले।

मसला: – ख़ुतबे की अज़ान का जवाब ज़बान से देना मुक़तदियों को जाइज़ नहीं।

मसला: – इक़ामत का जवाब मुस्तहब है इसका जवाब भी उसी तरह है फ़र्क़ इतना हैकि قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ के जवाब में اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ कहे। (आलमगीरी वग़ैरह)

पंजगाना नमाज़ का बयान

पांचों वक़्त की नमाज़ इतनी अहम चीज़ है कि इस्लाम के दूसरे अरकान जैसे रोज़ा, हज, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर जिब्राईले अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की वसातत से नाज़िल हुआ मगर इसके लिए वसातत गवारा न की बल्कि शबे मेअ़राज सातों आसमान और अर्श व कुर्सी के ऊपर अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुला कर दो बदो इसका हुक्म फ़रमाया फिर जिब्राईले अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने ज़मीन पर हाज़िर होकर पाँचों नमाज़ की अदा का तरीक़ा और उनके औक़ात तालीम किए। चूंकि यह पाँचों नमाज़ें इस उम्मत के हक़ में तमग़ाए इम्तियाज़ थीं और मौला तआला का इनआमे अज़ीम इस लिए फ़र्ज़

करने से हज़ार हा साल पेशतर उम्म्ते महबूब की फ़ज़ीलत ज़ाहिर करते हुए तौरेत शरीफ में फ़रमाया कि ऐ मूसा फ़जर की दो रकअ़तें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी जो उन्हें पढ़ेगा उस दिन–रात के सारे गुनाह उसके बख़्श दूंगा और वह शख़्स मेरे ज़िम्मे में होजाएगा ऐ मूसा ज़ुहर की चार रकअ़तें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी। उन्हें पहली रकअ़त के एवज़ बख़्श दूंगा दूसरी के बदले बर–वक़्त वज़न आमाल उनका पल्ला भारी कर दूंगा और तीसरी रकअ़त के एवज़ फ़रिश्ते ताइनात कर दूंगा। जो तस्बीह करेंगे और उनके वास्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे और चौथी रकअ़त के बदले उनके लिए आसमान के दरवाज़े कुशादा कर दूंगा। बड़ी–बड़ी आँखों वाली हूरें उन पर मुशताक़ाना नज़र डालेंगी। ऐ मूसा असर की चार रकअ़त अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी तो सातों आसमान और ज़मीन के तमाम फ़रिश्ते उनके वास्ते दुआए मग़फ़िरत करेंगे और फ़रिश्ते जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उस पर हरगिज़ अज़ाब न करूंगा। ऐ मूसा मग़रिब की तीन रकअ़तें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी।आसमान के सारे दरवाज़े उनके लिए खोल दूंगा। जिस हाजत का सवाल करेंगे उसे पूरा ही करूंगा। ऐ मूसा इशा की चार रकअ़तें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी वह दुनिया व माफ़िहा से उनके लिए अच्छी हैं वह गुनाहों से उन्हें ऐसे निकाल देंगी जैसे अपनी मांओं के पेट से पैदा हुए। ऐ मूसा वज़ू करेगा अहमद और उसकी उम्म्त जैसा कि मेरा हुक्म है तो मैं उन्हें अता फ़रमाऊंगा हर क़तरे के बदले एक जन्नत जिसका अर्ज़ आसमान व ज़मीन की चौड़ाई के बराबर होगा। ऐ मूसा! अहमद और उसकी उम्मत रमज़ान के रोज़े रखेगी हर रोज़े के बदले उन्हें जन्नत में एक शहर अता फ़रमाऊंगा और उस महीने में शबे क़दर ज़ाहिर करूंगा जो इस महीने में शर्मसारी और सिदक़े क़ल्ब से एक बार इस्तग़फ़ार करेगा अगर उसी शब या महीने भर में मर गया तो उसे तीस शहीदों का सवाब अता फ़रमाऊंगा। ऐ मूसा उम्म्ते मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) में कुछ ऐसे मर्द हैं जो हर शर्फ़ पर क़ाइम हैं। *ला इलाह इल्लल्लाह* की शहादत देते हैं तो उसके एवज़ उनकी जज़ा अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सवाब है और मेरी रहमत उन पर वाजिब और मेरा ग़ज़ब उन से दूर और उन में से किसी पर तौबा का दरवाज़ा बन्द न करूंगा। वह *ला इलाह इल्लल्लाह* की गवाही देते रहेंगे। (तम्बीहुल ग़ाफ़िलीन)

सवाल:- क्या यह पाँचों नमाज़ें पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ हुई थीं।

जवाब:- नहीं। हदीस में है "لَاخَيْرَ فِيْ دِيْنٍ لَاصَلٰوةَ فِيْهِ" उस दीन में भलाई नहीं जिसमें नमाज़ न हो। इससे मालूम हुआ कि हर आसमानी दीन में नमाज़ थी। इस्लामी तारीख़ देखने से इतना पता चलता है कि बनी इस्राईल पे दो रकअ़तें सुबह और दो रकअ़तें शाम के वक़्त फ़र्ज़ हुई थीं। बाक़ी उम्मतों का हाल खुदा जाने। हां हदीस से इतना ज़रूर साबित हैकि यह पाँचों नमाज़ें मजमूई हैसियत से इस उम्मत के साथ मख़सूस हैं। दूसरी उम्मतों पर पाँचों फ़र्ज़ न थीं।

सवाल:- कभी ऐसा होता हैकि बाज़ चीज़ें उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं होतीं मगर नबी पर होती हैं जैसे नमाज़े तहज्जुद हुज़ूर पुरनूर पर फ़र्ज़ थी हमपे नहीं तो क्या यह पाँचों नमाज़ें अम्बियाए साबेक़ीन पर फ़र्ज़ थीं।

जवाब:- नहीं। जिस तरह यह पाँचों नमाज़ें उम्मतों में इस उम्मत के साथ मख़सूस हैं इसी तरह अम्बिया में हमारे आक़ा व मौला जनाब अहमदे मुजतबा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व आलेहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं। हां अम्बियाए साबेक़ीन में से किसी ने फ़जर और किसी ने ज़ुहर और किसी ने असर और किसी नें मग़रिब और किसी ने इशा पढ़ी है ख़्वाह बहैसियत फ़र्ज़ ख़्वाह बहैसियत नफ़्ल चुनांचे इमाम राफ़ई़ शरह मसनद में फ़रमाते हैं कि फ़जर सब से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और ज़ुहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और असर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने और मग़रिब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने और इशा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी।

नमाज़ की छः शर्तें

यह हैं। (1) तहारत, (2) सतरे औरत, (3) इस्तक़बाले क़िब्ला, (4) वक़्त, (5) नीयत, (6) तकबीरे तहरीमा।

पहली शर्ते तहारत

यानी नमाज़ी के बदन का हदसे अकबर व असग़र और नजासते हक़ीक़िया बक़दरे मानेअ़ से पाक होना और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़ता है नजासते हक़ीक़िया बक़दरे मानेअ़ से पाक होना।

हदसे अकबर

उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे ग़ुस्ल वाजिब होता है और वह यह हैं। (1) मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अज़्व मख़सूस से निकलना पस अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई। बल्कि बोझ उठाने या बुलन्दी से गिरने के सबब निकली तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

(2) इहतिलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और इस तरी के मनी या मज़ी होने का यक़ीन या इहतिमाल हो तो ग़ुस्ल वाजिब है। अगरचे ख़्वाब याद न हो और अगर यक़ीन है कि यह मनी है न मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगरचे इहतिलाम याद हो और लज़्ज़ते इंज़ाल ख़्याल में हो तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं और अगर मनी न होने पर यक़ीन करता है और मज़ी का शक है तो अगर ख़्वाब में इहतिलाम होना याद नहीं तो ग़ुस्ल नहीं वरना है।

(3) हशफ़ा यानी सरे ज़कर का औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाख़िल होना दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब करता है। शहवत के साथ या बग़ैर शहवत इंज़ाल हो या न हो बशर्ते कि दोनों मुकल्लफ़ हों और अगर एक बालिग़ है तो उस बालिग़ पर फ़र्ज़ है और नाबालिग़ पर अगरचे ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं मगर ग़ुस्ल का हुक्म दिया जाएगा।

फ़ाइदा:- इन तीन वजूह से जिस पर नहाना फ़र्ज़ हुआ उसको जुनब और उन तीन चीज़ों को जनाबत कहते हैं।

हैज़ से फ़ारिग़ होना निफ़ास का ख़त्म होना

मसला:- काफ़िर मर्द और औरत जुनब है और दोनों से कोई मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ तो ग़ुस्ल वाजिब है। इसी तरह हैज़ व निफ़ास वाली काफ़िरा औरत पर इस्लाम क़ुबूल करने के बाद ग़ुस्ल वाजिब है। हां अगर इस्लाम लाने से पहले यह सब ग़ुस्ल कर चुके हों या किसी तरह तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ़ नाक में नरम बांसे तक पानी चढ़ाना काफ़ी होगा कि यही वह चीज़ है जो कुफ़्फ़ार से अदा नहीं होती। ग़र्ज़ जितने आज़ा का धोना फ़र्ज़ है अगर वह सब मुजिबाते ग़ुस्ल के बाद बहालते कुफ़्र ही धुल चुके थे, तो बाद इस्लाम इआदए ग़ुस्ल ज़रूरी नहीं वरना जितना

हिस्सा बाक़ी हो उतने का धो लेना फ़र्ज़ है और मुस्तहब यह है कि बाद इस्लाम पूरा ग़ुस्ल करे।

हदसे असग़र

उन चीज़ों को कहते हैं। जिनसे वज़ू टूट जाता है और वह यह हैं। पाख़ाना, पेशाब, मनी, मज़ी, वदी, कीड़ा, पथरी जो मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, हवा, जो मर्द या औरत के पीछे से ख़ारिज हो। ख़ून या पीप या ज़र्द पानी कहीं से निकल कर बहा और इस बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी, जिसका वज़ू या ग़ुस्ल में धोना फ़र्ज़ है, तो वज़ू जाता रहेगा और अगर सिर्फ़ चमका या उभरा और बहा नहीं जैसे सूई की नोक या चाक़ू का किनारा लग जाता है और ख़ून उभर या चमक जाता है। या ख़िलाल किया या मिस्वाक की या उंगली से दाँत मांझे या दाँत से कोई चीज़ काटी उस पर ख़ून का असर आगया। या नाक में उंगली डाली उस पर ख़ून की सुर्ख़ी आगई। मगर वह ख़ून इन सब सूरतों में बहने के क़ाबिल न था, तो वज़ू नहीं टूटेगा। मुंह भर कै, खाने या पानी या सफ़रा की वज़ू तोड़ देती है सो जाने से वज़ू टूट जाता है। बशर्ते कि दोनों सुरीं किसी चीज़ पर ख़ूब न जमे हों। जैसे उकडूं बैठकर सोने में या चित या पट या करवट पर लेट कर सोने में सुरीन किसी चीज़ पर जमते नहीं। लिहाज़ा इस तरह सोने पर वज़ू टूट जाएगा और अगर दोनों सुरीन ज़मीन या कुर्सी या बेंच पर हैं और दोनों पाँव एक तरफ़ फैले हुए या दोनों सुरीन पर बैठा है और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों पर मुहीत हों ख़्वाह ज़मीन पर हों या दोज़ानों सीधा बैठा हो या चार ज़ानों पालती मारे इन सूरतों में चूंकि सुरीन किसी न किसी चीज़ पर जमे हुए होते हैं। इस लिए इनमें से किसी सूरत पर सोने में वज़ू न टूटेगा।

एक बहुत ज़रूरी मसला

जिससे आम तौर पर लोग नावाक़िफ़ हैं यह है कि ओंघने या बैठे--बैठे झोंके लेने से वज़ू नहीं जाता। इसी तरह झूमकर गिर पड़ा और फ़ौरन आंख खुल गई तो वज़ू न गया लोग इन दोनों सूरतों में यह समझते हैंकि वज़ू जाता रहता है। बेहोशी और जुनून और ग़शी और इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ायें इन सबसे वज़ू टूट जाता है।

मसला:- औरत के आगे से जो ख़ालिस रुतूबत बे-आमेज़िश ख़ून निकलती है वज़ू नहीं तोड़ती और अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक न होगा।

नजासते हक़ीक़िया बक़दरे मानेअ़

उसको कहते हैं कि उसके बदन या कपड़े में लगे रहने से नमाज़ होती ही नहीं और उसकी मिक़दार नजासते ग़लीज़ा में यह हैकि साढ़े चार माशा से ज़ाइद हो और नजासते ख़फ़ीफ़ा में यह है कि कपड़े या बदन के उस हिस्से की चौथाई से ज़्यादा हो जिस हिस्से में लगी है नमाज़ सही होने के लिए कपड़े या बदन को इससे पाक करना ज़रूरी है और अगर नजासते ग़लीज़ा या ख़फ़ीफ़ा बक़दरे मानेअ़ से कम है तो इसका ज़ाइल करना सुन्नत है।

दूसरी शर्त सतरे औरत

औरत बदन के उस हिस्से को कहते हैं जिसका छुपाना फ़र्ज़ है। और सतर के माना छुपाना। मर्द के लिए नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक का हिस्सा औरत है और इसका छुपाना फ़र्ज़ है ख़्वाह नमाज़ में हो या बैरूने नमाज़। नाफ़ औरत में दाख़िल नहीं और घुटने दाख़िल हैं नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक नौ अज़्व हैं। जिनका शुमार और उनके तमाम अहकाम को आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ाँ साहब क़ुद्देस सिर्रहु ने इन चार शेअ़रों में जमा फ़रमाया है।

सतरे औरत बमर्द न अज़्व अस्त
अज़ तहे नाफ़ ता तहे ज़ानू
हरचेह रबअ़श बक़दरे रुक्न कशवद
या कशवदी व मय नमाज़ मजू
ज़कर व उनसीयैन व हलक़ए पस
दो सुरीं हर फ़ख़ज़ बज़ानुए ऊ
ज़ाहिरे अफ़ज़ल उनसीयैनो दुबुर
बाक़ी ज़ेरे नाफ़ अज़ हर सू

यानी नाफ़ के नीचे से घुटने के नीचे तक मर्द में आज़ाए औरत नौ हैं। जिनका छुपाना फ़र्ज़ है। इनमें से अगर किसी अज़्व का चौथाई हिस्सा

इतनी देर तक खुला रहा जितनी देर तीन मर्तबा *सुब्हानल्लाह* कहा जा सकता है तो नमाज़ जाती रहेगी इसी तरह अगर क़स्दन खोला और फ़ौरन छुपा लिया तब भी नमाज़ जाती रही और वह नौ अज़्व यह हैं। ज़कर उनसीयैन यह दोनों मिल कर एक अज़्व हैं। दुबुर यानी पाख़ाने का मक़ाम हर एक सुरीन जुदा औरत है हर रान जुदा औरत है चड्ढे से घुटने तक रान है। घुटना भी उस में दाख़िल है अलग अज़्व नहीं। नाफ़ के नीचे से अज़्वे तनासुल की जड़ तक और इसकी सीध में पुश्त और दोनों करवटों की जानिब सब मिलकर एक अज़्व है और दुबुर व उनसीयैन के दर्मियान की जगह भी एक मुस्तक़िल औरत है।

आज़ाद औरतों के लिए

बइस्तिसना पाँच अज़्व के सारा बदन औरत है और वह तीस आज़ा पर मुश्तमिल है। उनमें से जिसकी चौथाई खुल जाए नमाज़ का वही हुक्म है जो ऊपर बयान हुआ। सर यानी पेशानी के ऊपर से शुरू गर्दन तक और एक कान से दूसरे कान तक यानी आदतन जितनी जगह पर बाल जमते हैं। बाल जो लटके हों। दोनों कान। गर्दन, इसमें गला भी दाख़िल है, दोनों शाने, दोनों बाज़ू, उनमें केहुनियां भी दाख़िल हैं। दोनों कलाइयां, यानी केहुनी के बाद से गट्टों के नीचे तक। सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान की हद्दे ज़ेरीं तक, दोनों हाथों की पुश्त, दोनों, पिस्तानें जब कि अच्छी तरह उठ चुकी हों वरना सीने के ताबेअ़ हैं, जुदा अज़्व नहीं और उनके दर्मियान की जगह सीने ही में दाख़िल है जुदा अज़्व नहीं, पेट यानी सीने की हद्दे मज़कूर से नाफ़ के किनारए ज़ेरीं तक और नाफ़ का पेट में शुमार है। पीठ, यानी पीछे की जानिब सीने के मुक़ाबिल से कमर तक दोनों शानों के बीच में जो जगह है बग़ल के नीचे सीने की हद्दे ज़ेरीं तक दोनों करवटों में जो जगह है उसका अगला हिस्सा सीने में और पिछला शानों या पीठ में शामिल है और इसके बाद से दोनों करवटों में कमर तक जो जगह है उसका अगला हिस्सा पेट में और पिछला पीठ में दाख़िल है। दोनों सुरीन, फ़र्ज दुबुर दोनों रानें घुटने भी इन्हीं में शामिल हैं। नाफ़ के नीचे पेडू और इसके मुत्तसिल जो जगह है और उनके मुक़ाबिल की जानिब सब मिलाकर एक औरत है। दोनों पिंडलियां टख़नों समेत दोनों तलवे।

बांदी के लिए

आज़ाए औरत यह हैं। सारा पेट और पीठ, और दोनों पहलू और नाफ़ से घुटनों के नीचे तक, जिसमें सात अज़्व होते हैं।

मसला:– इतना बारीक दोपट्टा जिससे बाल की सियाही चमके। अगर औरत ने उसको ओढ़कर नमाज़ पढ़ी तो न होगी। जब तक उस पर कोई चीज़ न ओढ़े जिससे बाल वग़ैरह का रंग छिप जाए।

मसला:– इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन चमकता हो सत्र के लिए काफ़ी नहीं इससे नमाज़ पढ़ी तो न हुई बाज़ लोग बारीक साड़ियां और तहबन्द बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं कि रान चमकती है उनकी नमाज़ें नहीं होतीं और ऐसा कपड़ा पहनना जिस से सत्रे औरत न हो सके। इलावा नमाज़ के भी हराम है।

तीसरी शर्त इस्तिक़बाले क़िब्ला

यानी नमाज़ में काबा की तरफ़ मुंह करना। इस्तिक़बाले काबा आम है कि बेऐनेही काबा मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ मुंह हो जैसे मक्का मुकर्रमा वालों के लिए या उसकी जेहत को मुंह हो जैसे औरों के लिए जेहते काबा को मुंह होने के यह माना हैंकि मुंह की सतह का कोई जुज़ काबा की सम्त में वाक़ेअ़ हो, तो अगर क़िब्ले से कुछ इनहेराफ़ है मगर मुंह का कोई जुज़ काबा के मुवाजह में है नमाज़ हो जाएगी इस की मिक़दार पैंतालीस दर्जे रखी गई है पस अगर पैंतालीस दर्जा से ज़्यादा इनहेराफ़ है इस्तिक़बाल न पाया जाएगा तो नमाज़ न होगी।

मसला:– जो शख़्स इस्तिक़बाले क़िब्ला से आजिज़ हो मसलन मरीज़ है उसमें इतनी क़ुव्वत नहीं कि उधर रुख़ बदल सके और वहां कोई और भी नहीं जो मुतवज्जा करदे तो इस सूरत में जिस रुख़ पर नमाज़ पढ़ सके पढ़ ले और इस पर इआदा भी नहीं।

बहरी जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

बहरी जहाज़ या कश्ती में नमाज़ पढ़े तो बवक़्ते तहरीमा क़िब्ले को मुँह करे और जैसे–जैसे वह जहाज़ या कश्ती घूमती जाए यह भी क़िब्ले को मुंह फेरता रहे ख़्वाह नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़्ल दोनों का एक हुक्म है।

मसला: – अगर किसी शख़्स को किसी जगह क़िब्ले की शनाख़्त न हो न कोई ऐसा मुसलमान है जो बतादे। न वहां मस्जिदें हैं न चाँद व सूरज व सितारे निकले हों। मगर उसको इतना इल्म नहीं कि उनसे मालूम कर सके तो ऐसे शख़्स के लिए हुक्म है कि तहर्री करे (यानी सोचे) जिधर क़िब्ला होना दिल पर जमे उधर मुंह करले उसके हक़ में यही क़िब्ला है।

मसला: – नमाज़ी ने क़िब्ले से बिला उज़्र क़स्दन सीना फेर दिया अगरचे फ़ौरन ही क़िब्ला की तरफ़ हो गया। नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला क़स्द फिर गया और इतना वक़्फ़ा न हुआ जिसमें तीन मर्तबा *सुब्हानल्लाह* कहा जा सके तो नमाज़ हो गई।

मसला: – अगर सिर्फ़ मुँह क़िब्ला से फेरा तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन क़िब्ला की तरफ़ करले तो नमाज़ न जाएगी मगर बिला उज़्र ऐसा करना मकरूह है।

तहवीले क़िब्ला

इसकी क़दरे तफ़सील यह है कि नमाज़ की फ़र्ज़ियत के बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फ़रमा रहे काबा शरीफ़ की तरफ़ रुख़ कर के नमाज़ अदा फ़रमाई। क्योंकि उस वक़्त बहुक्मे इलाही काबा शरीफ़ को क़िब्ला क़रार दिया गया था फिर हिजरत कर के जब मदीना मुनव्वरा में रौनक़ अफ़रोज़ हुए तो बजाए काबा मुअ़ज़्ज़मा बैतुल मुक़द्दस क़िब्ला मुक़र्रर हुआ और तक़रीबन सतरह महीने तक उसी की जानिब रुख़ कर के नमाज़ अदा फ़रमाते रहे। बैतुल मुक़द्दस को क़िब्ला मुक़र्रर करने में एक हिकमत यह भी थी कि यहूदी आप से मानूस हो जाएंगे क्योंकि उनका क़िब्ला भी बैतुल मुक़द्दस है और जब मानूस हो जाएंगे तो उनको दीने हक़ (इस्लाम) क़ुबूल करने में दुशवारी पेश न आएगी। फ़िलहक़ीक़त यह परवरदिगारे आलम का बहुत बड़ा एहसान था जिसकी बदबख़्त क़ौमे यहूद ने कोई क़दर न की और उससे फ़ाइदा उठाने के बजाए मुतकब्बिराना अन्दाज़ में यूं कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) हमारे दीन को तो मानते नहीं और हमारे क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हैं। बईं वजह आपकी तबीयत काबा मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ माइल हो गई और इस लिए भी कि वह आप के

जदे अमजद हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहित्तहय्यतु वस्सना का क़िब्ला था और आपका भी जब कि मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फ़रमा थे और अरब को इस्लाम से क़रीब करने के लिए बेहतरीन ज़रीआ भी था क्योंकि अरब को जब यह मालूम हुआ कि आपने बैतुल मुक़द्दस को क़िब्ला बना लिया है तो उन्होंने कहा कि हम कभी आपकी इत्तेबाअ न करेंगे इन वजूहात की बिना पर आप की दिली ख़्वाहिश हुई कि काबा मुअज़्ज़मा को क़िब्ला मुकर्रर कर दिया जाए। चुनांचे एक दिन हज़रत जिब्राईले अमीन ख़िदमत वाला में हाज़िर हुए तो आपने फ़रमाया ऐ जिब्राईल मेरी मर्ज़ी यह हैकि तहवीले क़िब्ला हो। यानी काबा मुअज़्ज़मा को क़िब्ला बना दिया जाए। रब की बारगाह में इसके मुतअल्लिक़ सवाल पेश करो। उन्होंने अर्ज़ की कि ब-निस्बत मेरे आपका इज़ाज़ उसकी बारगाह में ज़्यादा है लिहाज़ा आप खुद सवाल करें । जिब्राईले अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इतना अर्ज़ कर के आसमान पर चले गए और आप उनके इंतेज़ार में बार-बार आसमान की तरफ़ नज़र उठाते थे कि तहवीले क़िब्ला की इजाज़त लेकर आते होंगे। सन् 2 हिजरी में बतारीख़ 15 माहे रजबुल मुरज्जब बरोज़ दो शम्बा आप क़बीला बनी सलमा में बिश्र बिन बरा बिन मअरूर की वालिदा के पस तशरीफ़ ले गए। उन्होंने आपके वास्ते खाना तैयार किया उस में इतनी देर हो गई कि ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त आगया। आपने मस्जिदे बनी सलमा में हसबे मामूल नमाज़े ज़ुहर बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ कर के पढ़ाना शुरू की। दो रकअत ही पढ़ने पाए थे कि तहवीले क़िब्ला के बारे में बहालते नमाज़ बई अल्फ़ाज़ वही आगई। قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

तर्जुमाः- हम देख रहे हैं बार-बार तुम्हारा आसमान की तरफ़ मुंह करना ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िब्ले की तरफ़ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिदे हराम की तरफ़ और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ़ करो चुनांचे आप और आप के असहाब फ़ौरन काबा शरीफ़ की तरफ़ फिर गए और बाक़ी मांदा दो रकअतें उसी की तरफ़ मुंह करके पूरी कीं। मस्जिदे बनी सलमा में चूंकि यह नमाज़े ज़ुहर दो क़िब्लों की तरफ़ मुंह कर के अदा की गई थी इस लिए मस्जिदुल क़िब्लतैन इसका

नाम पड़ गया। तहवीले क़िब्ला से यहूदियों को सख़्त नागवारी हुई और उन्होंने तरह–तरह से मुसलमानों को बहकाना शुरू किया। हुयी बिन अख़तब यहूदी बोला। ऐ मुसलमानो! नमाज़ में बैतुल मुक़द्दस को मुंह करना हिदायत था या गुमराही अगर हिदायत था तो अब उसको छोड़कर तुम गुमराही में पड़ गए और अगर गुमराही था तो इतनी मुद्दत तक तुम्हें गुमराही में रखा जिस से नमाज़ें बातिल होती रहीं। नीज़ तहवील से पेशतर तुम में से जो इन्तिक़ाल कर गए वह गुमराही पर फ़ौत हुए और उनकी नमाज़ें बरबाद हुयीं। जिन मुसलमानों के रिश्तेदार तहवील से पेशतर इन्तिक़ाल कर गए थे उन्हें यह बात शाक़ गुज़री और बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर सवाल किया। उस पर यह आयत नाज़िल हुई।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

तर्जुमा:– और अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान (नमाज़ें जो तहवीले क़िब्ला से पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुंह कर के पढ़ीं) अकारत करे बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबानी फ़रमाने वाला है।

इस आयत में नमाज़ को ईमान से तअ़बीर किया गया क्योंकि इसकी अदा जमाअ़त से ईमान की दलील है। नीज़ इस लिए कि वह अहले ईमान ही पर वाजिब होती है और अहले ईमान ही इसको क़ुबूल करते हैं।

चौथी शर्त वक़्त है

इसके मसाइल हर नमाज़ के बयान के साथ ज़िक्र किए जाएंगे।

पाँचवीं शर्त नीयत है

नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। महज़ जानना नीयत नहीं। नीयत का अदना दर्जा यह हैकि अगर उस वक़्त कोई पूछे कौन सी नमाज़ पढ़ते हो तो फ़ौरन बिला तअम्मुल बता दे अगर हालत ऐसी हैकि सोच कर बताएगा तो नमाज़ न होगी।

मसला:– ज़बान से कह लेना मुस्तहब है और इसमें अरबी ज़बान को तख़सीस नहीं उर्दू व फ़ारसी में भी हो सकती है।

मसला:– फ़र्ज़ नमाज़ में नीयते फ़र्ज़ भी ज़रूरी है। मुतलक़ नमाज़ की नीयत काफ़ी नहीं और फ़र्ज़ नमाज़ में यह भी ज़रूरी है कि उस ख़ास नमाज़ मसलन ज़ुहर या असर की नीयत करे।

मसला: – नीयत में तादाद रकअ़त ज़रूरी नहीं अलबत्ता अफ़ज़ल है।

मसला: – फ़र्ज़ क़ज़ा हो गए हों तो उनमें बरवक़्त आदाएगी तअय्युन यौम और तअ़य्युन नमाज़ ज़रूरी है मसलन यूं नीयत करे फ़लां दिन की फ़लां नमाज़ की मैं ने नीयत की मुतलक़न ज़ुहर वग़ैरह या मुतलक़न नमाज़ क़ज़ा नीयत में होना काफ़ी नहीं।

मसला: – नफ़्ल व सुन्नत व तरावीह में मुतलक़ नमाज़ की नीयत काफ़ी है मगर एहतियात यह है कि तरावीह में तरावीह की और सुन्नतों में सुन्नते रसूलल्लाह की नीयत करे।

मसला: – यह नीयत कि मुंह मेरा क़िब्ला की तरफ़ है। शर्त नहीं। अलबत्ता यह ज़रूरी है कि क़िब्ला से एराज़ की नीयत न हो।

मसला: – मुक़तदी को इक़तेदा की नीयत भी ज़रूरी है और इमाम को इमामत की नीयत करना मुक़तदी की नमाज़ सही होने के लिए ज़रूरी नहीं। यहां तक कि अगर इमाम ने यह नीयत कर ली कि मैं फ़लां शख़्स का इमाम नहीं हूं और उस शख़्स ने उसकी इक़तेदा की तो नमाज़ हो गई मगर सवाबे जमाअ़त न पाएगा।

मसला: – मुक़तदी ने अगर इक़तेदा की यूं नीयत की कि जो नमाज़ इमाम की वही नमाज़ मेरी तो जाइज़ है।

नीयत का इस्लामी तरीक़ा

यह है कि यूं करे नीयत की मैं ने आज की फ़जर के दो रकअ़त फ़र्ज़ों की अल्लाह तआ़ला के वास्ते मुंह काबा शरीफ़ की तरफ़। अगर मुक़तदी है तो इतनी नीयत और करे कि इस इमाम के पीछे। ज़ुहर में यूं करे, नीयत की मैंने आज की ज़ुहर के चार रकअ़त फ़र्ज़ों की अल्लाह तआ़ला के वास्ते मुंह काबा शरीफ़ की तरफ़। असर में यूं, नीयत की मैंने आज की असर के चार रकअ़त फ़र्ज़ों की अल्लाह तआ़ला के वास्ते मुंह काबा शरीफ़ की तरफ़। मग़रिब में यूं, नीयत की मैंने आज की मग़रिब के तीन रकअ़त फ़र्ज़ों की अल्लाह तआ़ला के वास्ते मुंह काबा शरीफ़ की तरफ़। इशा में यूं, नीयत की मैंने आज की इशा के चार रकअ़त फ़र्ज़ों की अल्लाह तआ़ला के वास्ते मुंह काबा शरीफ़ की तरफ़। वित्र में इस तरह, नीयत की मैंने आज के तीन रकअ़त वित्रे वाजिब की अल्लाह तआ़ला के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़।

नीयत के अक़साम

तमाम इबादत के मक़बूल और मरदूद होने का दारोमदार नीयत पर है। रज़ाए इलाही के इरादे से इबादत करने को इख़लास और दुनियवी ग़र्ज़ के इरादे से इबादत करने को रिया कहते हैं। इख़लास के साथ इबादत की जाए तो मक़बूल है और रिया के साथ की जाए तो मरदूद है। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात ही में इबादत मुनहसिर नहीं बल्कि खुर्दोनोश, पोशाक व ख़्वाब, रफ़्तार व गुफ़्तार, लेन–देन, शादी व ग़म की जुमला तक़रीबात मुस्लिम के लिए इबादत हैं। बशर्ते कि उनको इख़लास के साथ करे। नुमाइश, दिखावा, नामवरी, तमअ़े नफ़्सानी वग़ैरह दुनियवी अग़राज़े फ़ासिदा मक़सूद न हो। नज़रबरां आक़िल वही है जो अपने आमाल व अक़वाल में इख़लास को मद्देनज़र रख कर उनको बरबाद होने से बचाए। और अहमक़ वही है जो रिया के हाथों उनको बरबाद करता है।

इख़लास के दुनियवी फ़वाइद

में से एक फ़ाइदा यह हैकि इख़लास के साथ किए हुए आमाल हल्ले मुश्किलात के वास्ते दुनिया में वसीला बनते हैं। चुनांचे सय्यंदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने क़ौमे बनी इस्राईल के तीन अशख़ास का एक वाक़िआ बयान फ़रमाया: जो जंगल में जा रहे थे। बारिश होने लगी तो वह तीनों पहाड़ के एक ग़ार में दाख़िल हो गए। ताकि बारिश से महफ़ूज़ रहें। पहाड़ से एक पत्थर गिरा। जिससे ग़ार का मुंह बन्द हो गया। वह पत्थर इस क़दर वज़नी था कि तीनों अशख़ास अपनी पूरी ताक़त से उसको हटा न सके जब उस ग़ार से निकलने की कोई तदबीर कारगर न हुई तो बिल–आख़िर एक ने दूसरे से कहा कि बख़ुदा बग़ैर इख़लास के नजात न मिलेगी। लिहाज़ा हम में से हर शख़्स उस अमल के वसीले से दुआ करे जिसको इख़लास के साथ किया है। पस उनमें से एक साहब ने इस तरीक़ा से दुआ की कि ऐ अल्लाह मैंने तेरह सेर दो छटांक चावलों पर एक मज़दूर रखा था। जब काम से फ़ारिग़ हुआ और मैंने मज़कूरा उजरत पेश की तो उसने लेने से इंकार कर दिया और चला गया। मैंने उन चावलों को बो दिया जिससे वह बहुत बढ़ गए। फिर उनसे गायें

और उनका चराने वाला ख़रीदा फिर कुछ ज़माने के बाद वह अपनी उजरत तलब करने आया। मैंने कहा कि यह गायें और चरवाहा तुम्हारी उजरत से ख़रीदे गए हैं। इनको लेजाओ। उसने कहा कि मुझसे मज़ाक़ करते हो। मेरी उजरत तो तेरह सेर दो छटांक चावल थी। मैंने कहा ऐ बन्दए ख़ुदा यह तेरा ही माल है तू इसको लेजा। चुनांचे वह ले गया तो, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने यह अमल तेरी रज़ाजूई के वास्ते किया था तू इस ग़ार का मुंह खोल दे। चुनांचे पत्थर का कुछ हिस्सा ग़ार के मुंह से हट गया। जिससे क़दरे रौशनी आने लगी। फिर दूसरे साहब ने बईं तौर दुआ की। कि ऐ अल्लाह तू जानता है कि मेरे मां–बाप बूढ़े थे। मैं जब शाम को बकरियां चराकर वापस होता तो पहले उनकी ख़िदमत में दूध पेश करता फिर बाक़ी अहलो अयाल को देता। एक मर्तबा जंगल से वापसी में मुझे कुछ ताख़ीर हो गई। मैं दूध लेकर पहुंचा तो वह सो चुके थे। बेदार इस लिए नहीं किया कि ख़्वाबे रात में ख़लल पड़ जाएगा और यह भी गवारा न हुआ कि भूके सोते रहें क्योंकि ग़ेज़ा के नाग़ा होने से ज़ोफ़ में बेशी हो जाएगी। बच्चे भूक की वजह से रो रहे थे। मगर मैंने बच्चों की परवाह न की और सिरहाने खड़े–खड़े उनके बेदार होने का इंतज़ार करता रहा। यहां तक कि सुबह हो गई तो ऐ अल्लाह मेरी यह ख़िदमते वालिदैन अगर तेरे ख़ौफ़ और तेरी रज़ाजूई के लिए थी तो ग़ार का मुंह खोलदे। बस बहुक्मे इलाही पत्थर इतना हटा कि आसमान नज़र आने लगा। फिर तीसरे साहब ने बईं तौर दुआ की कि ऐ अल्लाह तू जानता है कि मेरी चचा ज़ाद बहन थी। जिसको मैं सबसे ज़्यादा महबूब रखता था। मैंने उसके नफ़्स पर क़ाबू पाना चाहा। तो उसने सौ अशरफ़ियां तलब कीं। चुनांचे किसी तरह से मैंने वह अशरफ़ियां हासिल करके जब उसको दे दीं तो उसने अपने नफ़्स पर मुझे क़ुदरत देदी जब मैं क़ज़ाए शहवत के लिए बैठा, तो उसने कहा। अल्लाह से डरो और महर को नाजाइज़ तरीक़े पर मत तोड़ो। मैं यह सुनकर उठ खड़ा हुआ और वह अशरफ़ियां भी उसके पास छोड़ दी। ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने इस ज़ेना को तेरे ख़ौफ़ से और तुझे राज़ी करने के लिए तर्क किया था तो ग़ार का मुंह खोल दे। चुनांचे ग़ार का मुंह खुल गया और वह तीनों उससे निकल गए।

इख़्लास के उख़रवी फ़वाइद

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन एक बन्दा बारगाहे इलाही में पेश होगा। जिसको नामए आमाल दायें हाथ में दिया जाएगा तो वह उस नामए आमाल में हज, उमरा, जिहाद, ज़कात, सदक़ा देखकर दिल में कहेगा कि मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं किया। यह मेरा नामए आमाल नहीं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा। पढ़ो यह तुम्हारा ही नामए आमाल है तुम ज़माना दराज़ तक ज़िन्दा रहे और यह कहते थे कि अगर मेरे पास माल होता तो हज करता और अगर मेरे पास माल होता तो मैं जिहाद करता और मैं जानता था कि तुम अपनी इस नीयत में सच्चे हो तो मैंने तुमको उन सब चीज़ों का सवाब अता किया।

क़ियामत के दिन एक ऐसा बन्दा बारगाहे इलाही में पेश किया जाएगा। जिसके साथ पहाड़ों की तरह नेकियों के अम्बार होंगे। उस वक़्त एक मुनादी निदा करेगा। जिस किसी का उस पर हक़ हो। वह अपने हक़ के बदले में उसकी नेकियां लेले। यह सुनकर लोग आयेंगे और उसकी नेकियां लेते जाएंगे। यहां तक कि नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और वह बन्दा हक्का—बक्का रह जाएगा। उस वक़्त रब तबारक व तआ़ला फ़रमाएगा। तेरा एक ख़ज़ाना मेरे पास है। जिस पर मैंने अपने फ़रिश्तों को मुत्तला किया न किसी और मख़लूक़ को तो वह बन्दा अर्ज़ करेगा। ऐ मेरे रब वह क्या है। रब तबारक व तआ़ला फ़रमाएगा। वह तेरी नेक नीयतें जिसको तूने दुनिया में किया था। उनको मैंने सत्तर गुना करके लिख रखा है। "जो तेरी नजात के लिए काफ़ी हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं"।

रिया के उख़रवी नुक़सानात

सरवरे अम्बिया महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया क़ियामत के दिन लोगों में सबसे पहले उस शख़्स का फ़ैसला होगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ था। उसको अल्लाह तआ़ला के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तआ़ला वह नेअ़मतें याद दिलाएगा जो दुनिया में उसको अता की गई थीं। जब बन्दे को वह याद

आजाएंगी तो फ़रमाएगा। तुमने इनके शुक्रिया में क्या अमल किया। बन्दा अर्ज़ करेगा। मैंने तेरे रास्ते में क़त्ताल किया। यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह तआला फ़रमाएगा। तू झूटा है तूने तो क़त्ताल इस नीयत से किया था कि मुझको बहादुर कहा जाए। सो वह कह दिया गया। अब हमारे पास तेरे लिए कोई सवाब नहीं" फिर उसके मुतअल्लिक़ हुक्म दिया जाएगा तो मुंह के बल घसीट कर दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा। एक ऐसा शख़्स भी बारगाहे इलाही में पेश होगा। जिसने क़ुरआन पढ़ा और इल्म हासिल किया और उसकी लोगों को तालीम भी दी अल्लाह तआला उसको भी अपनी नेअ़मतें याद दिलाएगा। जो दुनिया में उसको दी गई थीं। जब उसको याद आजाएंगी तो फ़रमाएगा। तूने उसके शुक्रिये में क्या अमल किया। तो वह बन्दा अर्ज़ करेगा। मैंने इल्म हासिल किया और लोगों को उसकी तालीम दी और क़ुरआन पढ़ा। फ़रमाएगा। तू झूटा है तूने तो इल्म इस नीयत से सीखा था कि मुझको आलिम कहा जाए और क़ुरआन इस नीयत से पढ़ा था कि तुझको क़ारी कहा जाए। सो कह दिया गया। "अब हमारे पास तेरे लिए कुछ सवाब नहीं" फिर हुक्म दिया जाएगा। तो उसको मुंह के बल घसीट कर फ़रिश्ते दोज़ख़ में डालेंगे। एक ऐसा शख़्स भी पेश होगा जिस पर अल्लाह तआला ने दुनिया में कुशादगी फ़रमाई थी और हर क़िस्म के अमवाल "नक़्दी, जाइदाद, सामान" अता किए थे। उसको भी अल्लाह तआला अपनी नेअ़मतें याद दिलाएगा। जब उसको वह नेअ़मतें याद आजाएंगी। तो फ़रमाएगा तूने उनके शुक्रिये में क्या अमल किया। बन्दा अर्ज़ करेगा। जिन—जिन तरीक़ों में ख़र्च करना तेरे नज़दीक पसन्दीदा है। मैंने उनमें से हर तरीक़ों में ख़र्च किया। अल्लाह तआला फ़रमाएगा। तू झूटा है तूने इस नीयत से ख़र्च किया था कि तुझको सख़ी कहा जाए सो कह दिया गया। "अब हमारे पास तेरे लिए कोई सवाब नहीं।" तो फिर हुक्म दिया जाएगा कि मुंह के बल घसीट कर फ़रश्ते दोज़ख़ में डाल देंगे।

रिया के दुनियवी नुक़सानात

रिया की बहुत सी सूरतें हैं। उनमें बदतरीन सूरत यह हैकि दीनी कामों को दुनिया हासिल करने के लिए किया जाए। पहली उम्मतों में सज़ाअन रियाकारों की सूरतें मस्ख़ कर दी जाती थीं। चुनांचे एक शख़्स

ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ ज़माने तक ख़िदमत की और किसी मक़ाम पर जाकर उसने दुनिया कमाने के लिए कुछ बातें उनसे नक़ल कर के बयान करना शुरू कीं चूंकि वह बातें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब मनसूब की गई थीं। इस लिए लोगों को उनके सुनने का शौक़ हुआ और इस सिलसिले में बकसरत लोगों की उसके पास आमदो रफ़्त होने लगी और इतने नज़राने पेश हुए कि वह दौलतमन्द होगया। इधर उस को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलाश किया तो कुछ पता मालूम न हो सका। यहां तक कि एक दिन उनकी ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ। उस के हाथ में ख़िनज़ीर था और ख़िनज़ीर की गर्दन में काली रस्सी, मूसा अ़लैहिस्सलातु वस्समाल ने उस ख़ादिम को उससे दरियाफ़्त किया तो वह बोला कि यह ख़िनज़ीर ही तो वह ख़ादिम है। मूसा अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ क़िया, ऐ मेरे रब इसको असली हालत पर कर दे ताकि में इससे दरियाफ़्त कर सकूं कि इसकी सूरत मस्ख़ क्यों की गई, तो अल्लाह तआ़ला ने वही भेजी कि ऐ मूसा अगर तुम मेरे उन तमाम नामों के साथ भी दुआ करोगे जिनके साथ आदम और उनके माबाद अम्बिया ने की थी। तब भी मैं तुम्हारी यह दुआ क़ुबूल न करूंगा। लेकिन मैं तुमको ख़बर देता हूं कि मैंने उसकी सूरत इस लिए मस्ख़ कर दी है कि यह दीन के ज़रीऐ दुनिया तलब करता था। चूंकि इस उम्मत को महबूबे ख़ुदा से निस्बत है इस लिए रियाकारी की बिना पर उसकी सूरतें तो मस्ख़ नहीं की जातीं लेकिन रियाकारी की बिना पर दिल ज़रूर मस्ख़ हो जाते हैं और इसका असर यह होता हैं कि आदमी रफ़्ता–रफ़्ता दीने हक़ की रौशनी से निकल कर कुफ़्र की तारीकियों में गिरिफ़्तार हो जाता है।

छटी शर्त तकबीरे तहरीमा है

यानी *अल्लाहु अकबर* कहना।

मसला: – जिन नमाज़ों में क़ियाम फ़र्ज़ है उन में तकबीरे तहरीमा के लिए क़ियाम फ़र्ज़ है। पस अगर बैठ कर *अल्लाहु अकबर* कहा। फिर खड़ा हो गया तो नमाज़ शुरू ही न हुई।

मसला: – इमाम को रुकूअ़ में पाया और तकबीरे तहरीमा कहता

हुआ रुकूअ में गया। यानी तकबीरे तहरीमा उस वक़्त ख़त्म की, कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए। नमाज़ न हुई बाज़ लोग जल्दी में इसी तरह कर गुज़रते हैं। उनकी नमाज़ें नहीं होतीं और अगर तकबीर इस हालत से पहले ख़त्म करली तो हो गई।

मसला: – अगर मुक़तदी ने इमाम से पहले तकबीरे तहरीमा कही तो उसकी इक़तेदा दुरुस्त नहीं।

मसला: – जो शख़्स तकबीर के तलफ़्फ़ुज़ पर क़ादिर न हो मसलन गूंगा हो या किसी और वजह से ज़बान बन्द हो। उस पर तलफ़्फ़ुज़ वाजिब नहीं। ऐसे शख़्स के लिए दिल में इरादा काफ़ी है।

मसला: – लफ़्ज़ *अल्लाहु* को *आल्लाहु* या *अकबर* को *आकबर* या *अकबार* कहा तो नमाज़ न होगी।

मसला: – लफ़्ज़ *अल्लाहु अकबर* की जगह कोई और लफ़्ज़ कहा जो ख़ालिस ताज़ीमे इलाही पर दलालत करता है जैसे *अल्लाहु अजल्लु* या *अल्लाहु आज़मु* या *अल्लाहु कबीर* या *अल्लाहुल अकबर* या *अल्लाहुल कबीर* या *ला इलाह इल्लल्लाह* या *सुबहानल्लाहि* या *अल्हम्दु लिल्लाहि* या *तबारकल्लाहु* तो इन अल्फ़ाज़ से भी नमाज़ की इबतदा हो जाएगी। मगर यह तबदीली मकरूह तहरीमी है।

नमाज़ के छ: फ़र्ज़ यह हैं

(1) क़ियाम (2) क़िरात (3) रुकूअ़ (4) सज्दा (5) क़अ़दा (6) ख़ुरूज बेसुन्अ़ेही। हर रकअ़त की तफ़सील यह है।

पहला फ़र्ज़ क़ियाम है

कमी की जानिब उसकी हद यह है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुंचें और पूरा क़ियाम यह है कि सीधा खड़ा हो।

मसला: – क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़िरात होती है यानी जितनी देर में क़िरात फ़र्ज़ पढ़ी जाए। उतनी देर क़ियाम फ़र्ज़ है और जितनी देर में क़िरात वाजिब पढ़ी जाए उतनी देर वाजिब और जितनी देर में क़िरात मसनून पढ़ी जाए उतनी देर मसनून है। यह हुक्म पहली रकअ़त के सिवा और रकअ़तों का है पहली रकअ़त में क़ियाम फ़र्ज़ में

मिक़दार तकबीरे तहरीमा भी शामिल है और क़ियामे मसनून में सना व तअव्वुज़ व तस्मिया की मिक़दार भी दाख़िल है।

मसला: – क़ियाम व क़िरात का वाजिब व सुन्नत होना बईं माना है कि इसके तर्क पर तर्के वाजिब न तर्के सुन्नत का हुक्म दिया जाएगा वरना बजा लाने में जितनी देर तक क़ियाम किया और जो कुछ क़िरात की सब फ़र्ज़ ही है। इस पर फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा।

मसला: – फ़र्ज़ व वित्र व ईदैन व सुन्नते फ़जर में क़ियाम फ़र्ज़ है कि बिला उज़्र सही बैठकर यह नमाज़ें पढ़ेगा तो न होंगी।

मसला: – एक पाँव पर खड़ा होना यानी दूसरे को ज़मीन से उठा लेना मकरूहे तहरीमी है और अगर उज़्र की वजह से ऐसा किया तो कोई हर्ज नहीं।

मसला: – अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सज्दा नहीं कर सकता तो उसके लिए बेहतर यह है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी पढ़ सकता है।

मसला: – जिस शख़्स को खड़े होने से क़तरा आता है या ज़ख़्म बहता है और बैठने से नहीं तो उस पर फ़र्ज़ है कि बैठकर पढ़े बशर्ते कि किसी और तरीक़ा पर रोक न सके। यूं ही अगर खड़े होने से चौथाई सतर खुल जाएगा। या क़िरात बिल्कुल न कर सकेगा तो बैठकर पढ़े और अगर खड़े होकर कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है कि जितनी पर क़ादिर हो खड़े होकर पढ़े बाक़ी बैठकर।

मसला: – खड़े होने से महज़ कुछ तकलीफ़ होना उज़्र नहीं बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित होगा कि खड़ा न हो सके या खड़े होने से मर्ज़ में ज़ियादती होती हो। या खड़े होने से सेहत में देर होती है। या खड़े होने से नाक़ाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होती हो तो इन सूरतों में बैठकर पढ़े।

मसला: – अगर असा या ख़ादिम या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगरचे इतना ही खड़ा होकर *अल्लाहु अकबर* कहले तो फ़र्ज़ हैकि खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाए। आज कल उमूमन यह बात देखी जाती है कि जहां ज़रा बुख़ार आया या ख़फ़ीफ़ सी तकलीफ़ हुई तो बैठकर नमाज़ शुरू कर दी हालांकि यही लोग इसी हालत में दस–दस

पन्द्रह–पन्द्रह मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर इधर–उधर की बातें कर लिया करते हैं। उनको चाहिए कि इन मसाइल से मुतनब्बेह हों और जितनी नमाज़ें बावजूद क़ुदरते क़ियाम बैठकर पढ़ी हों उनका इआदा फ़र्ज़ है। यूंही अगर वैसे खड़ा न हो सकता था दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुम्किन था बावजूद इसके नामज़ें बैठकर पढ़ीं तो यह नमाज़ें न हुयीं इनका फेरना फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

दूसरा फ़र्ज़ क़िरात है

इससे मुराद यह हैकि तमाम हुरूफ़ मख़ारिज से अदा किए जायें इस तरह कि हर हरफ़ ग़ैर से सही तौर पर मुमताज़ हो जाए और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूरी हैकि खुद सुने और अगर इस क़दर आहिस्ता पढ़ा कि ख़ुद भी न सुना और कोई मानेअ़ भी न था जैसे शोरोग़ुल या सक़ले समाअ़त तो इस सूरत में नमाज़ न हुई।

मसला:– यूंही जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुक़र्रर किया गया है उससे यही मक़सूद हैकि कम से कम इतना हो कि ख़ुद सुन सके जैसे तलाक़ देने या जानवर ज़बह करने में।

मसला:– मुतलक़न एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअ़तों में और वित्र व सुन्नत और नवाफ़िल की हर रकअ़त में इमाम व मुनफ़रिद पर फ़र्ज़ है और मुक़तदी को किसी नमाज़ में क़िरात जाइज़ नहीं न सूरए फ़ातिहा न कोई आयत न आहिस्ता की नमाज़ में न जह्र की नमाज़ में इमाम की क़िरात मुक़तदी के लिए काफ़ी है।

लतीफ़ा

इमामे आज़म अबूहनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने क़ुरआन व हदीस में गहरी नज़र डाल कर यह मसला बयान फ़रमाया कि मुक़तदी को इमाम के पीछे सूरए फ़ातिहा पढ़ना जाइज़ नहीं। एक जमाअ़त यह कहती थी कि मुक़तदी को इमाम के पीछे सूरए फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है बग़ैर इस के मुक़तदी की नमाज़ न होगी। यह जमाअ़त इमामे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी कि हम इस मसले में आपसे मुनाज़रा करना चाहते हैं। इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने

फ़रमाया बहुत अच्छा। मगर यह बताईये कि आप में से हर शख़्स गुफ़्तगू करेगा या किसी एक शख़्स को गुफ़्तगू के लिए मुक़र्रर कीजिएगा। बोले एक शख़्स को मुक़र्रर करेंगे जो हम सबका नुमाइन्दा होगा। इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि जब आप किसी को नुमाइन्दा बना देंगे तो फिर आपको बोलने का हक़ बाक़ी न रहेगा और उसकी गुफ़्तगू आपकी गुफ़्तगू क़रार पाएगी। कहने लगे जी हां उसकी गुफ़्तगू हमारी गुफ़्तगू होगी और उसकी मौजूदगी में हमें बोलने का हक़ भी न होगा। इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि आप लोगों को जब यह दो बातें मुसल्लम हैं तो मुनाज़रा ख़त्म हो गया और आप हार गए क्योंकि हम भी तो यही कहते हैं कि इमाम मुक़तदियों की जानिब से बारगाहे इलाही में नुमाइन्दा होता है। जब वह क़िरात करे तो मुक़तदी ख़ामोश रहें। उन्हें क़िरात करने का हक़ नहीं। इमाम की क़िरात मुक़तदी की क़िरात है। इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह जवाब सुनकर वह लोग साकित होगए और शर्मिन्दा होकर वापस गए।

तीसरा फ़र्ज़ रुकूअ़ है

रुकूअ़ से मुराद यह हैकि इतना झुके कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जायें यह रुकूअ़ का अदना दर्जा है कि इससे कम झुका तो रुकूअ़ न हुआ और पूरा यह हैकि पीठ सीधी बिछा दे।

मसला:— कूज़ा पुश्त आदमी जिसका कुब रुकूअ़ की हद को पहुंच गया हो रुकूअ़ के वास्ते सर से इशारा करे।

चौथा फ़र्ज़ सज्दा है

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सब हालतों से ज़्यादा क़ुर्ब बन्दे को ख़ुदा से बहालते सज्दा होता है लिहाज़ा सज्दे में ज़्यादा दुआ किया करो।

नमाज़ को बरबाद होने से बचाइये

पेशानी का ज़मीन पर जमना सज्दे की हक़ीक़त है और पाँव की एक उंगली का पेट लगना शर्त है तो अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज़ न हुई बल्कि अगर सिर्फ़ उंगली

की नोक ज़मीन से लगी और पेट न लगा जब भी न हुई। इस मसले से नावाकफ़ियत की बिना पर नमाज़ें बरबाद होती हैं। अवाम तो अवाम ख़्वास भी इस में गिरिफ़्तार हैं।

मसला: – अगर किसी उज़्र की वजह से पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ़ नाक से सज्दा करे फिर भी नाक की फ़क़त नोक लगना काफ़ी नहीं बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है।

मसला: – हर रकअत में दोबार सज्दा फ़र्ज़ है।

मसला: – किसी नरम चीज़ जैसे घास, रूई, क़ालीन वग़ैरह पर सज्दा किया तो अगर पेशानी जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जाइज़ है वरना नहीं। बाज़ जगह जाड़ों में मस्जिद में पोआल बिछाते हैं उन लोगों को सज्दा करने में इसका लिहाज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशानी अगर ख़ूब न दबी तो नमाज़ न हुई और नाक हड्डी तक न दबी तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी हुई जिसका दोबारा पढ़ना वाजिब है और अगर न पढ़ी तो गुनहगार हुआ कमानीदार गद्दे पर सज्दे में पेशानी ख़ूब नहीं दबती लिहाज़ा नमाज़ न होगी। रेल के बाज़ दर्जो में इसी क़िस्म के गद्दे होते हैं उस गद्दे से उतर कर नमाज़ पढ़नी चाहिए।

मसला: – अगर किसी उज़्र जैसे इज़्दहाम की वजह से अपनी रान पर सज्दा किया तो जाइज़ है और बिला उज़्र बातिल है और घुटने पर उज़्र और बिला उज़्र किसी हालत में नहीं हो सकता।

मसला: – इज़्दहाम की वजह से दूसरे की पीठ पर सज्दा किया और वह नमाज़ में उसके साथ शरीक है तो जाइज़ है और अगर वह दूसरा आदमी नमाज़ ही में नहीं या नमाज़ में तो है मगर वह अपनी अलग पढ़ रहा है तो जाइज़ नहीं।

मसला: – ऐसी जगह सज्दा किया कि क़दम की ब–निस्बत बारह अंगुल से ज़्यादा ऊंची है तो सज्दा न हुआ और अगर बारह अंगुल से कम ऊंची है तो हो गया।

मसला: – किसी छोटे पत्थर पर सज्दा किया अगर ज़्यादा हिस्सा पेशानी का लग गया तो सज्दा हो गया वरना नहीं।

पाँचवां फ़र्ज़ क़ाअदए अख़ीरा है

नमाज़ की रकअतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि उसमें अत्तहियातु बतमामिही पढ़ी जा सके फ़र्ज़ है और इसी बैठने को क़अदए अख़ीरा कहते हैं।

मसला: - अगर पूरा क़अदए अख़ीरा सोते में गुज़र गया तो बाद बेदार होने के इतनी देर बैठना फ़र्ज़ है जिसमें अत्तहियातु बतमामिही पढ़ी जासके वरना नमाज़ न होगी। यूंही क़ियाम, क़िरात, रुकूअ़, सुजूद में अगर अव्वल से आख़िर तक सोता ही रहा हो तो बाद बेदारी उनका दोबारा अदा करना फ़र्ज़ है। वरना नमाज़ न होगी और सज्दा सहव भी करे। लोग इस मसले से ग़ाफ़िल हैं। नींद का इस तरह आना खुसूसन तरावीह में वाक़ेअ़ होता है और बिलख़ुसूस गर्मियों में।

मसला: - बक़दर अत्तहियात बैठने के बाद याद आया कि सज्दए तिलावत या नमाज़ का कोई सज्दा करना है और कर लिया तो फ़र्ज़ है कि सज्दा के बाद फिर बक़दर अत्तहियातु बैठे वह पहला क़अ़दा जाता रहा। दोबारा क़अ़दा न करेगा तो नमाज़ न होगी।

छटा फ़र्ज़ ख़ुरूज बेसुन्अ़ेही है

क़अ़दए अख़ीरा के बाद सलाम व कलाम वग़ैरह कोई ऐसा फ़ेल जो मुनाफ़ीए नमाज़ हो बक़स्द करना ख़ुरूज बेसुन्अ़ेही कहलाता है। अगर सलाम के इलावा कोई दूसरा फ़ेल मुनाफ़ीए नमाज़ क़स्दन पाया गया तो नमाज़ वाजिबुल इआ़दा हुई और बिलाक़स्द कोई मुनाफ़ी पाया जाएगा तो नमाज़ बातिल हो जाएगी।

मसला: - क़ियाम, रुकूअ़, सुजूद, क़अ़दए अख़ीरा में तरतीब फ़र्ज़ है कि पहले क़ियाम करे फिर रुकूअ़ फिर सुजूद फिर क़अ़दए अख़ीरा। अगर क़ियाम से पहले रुकूअ़ कर लिया फिर क़ियाम किया तो वह रुकूअ़ जाता रहा। अगर बाद क़ियाम फिर रुकूअ़ करेगा तो नमाज़ हो जाएगी वरना नहीं। यूंही रुकूअ़ से पहले सज्दा करने के बाद अगर रुकूअ़ किया फिर सज्दा कर लिया तो नमाज़ हो जाएगी, वरना नहीं।

मसला: - जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। उनमें इमाम की मुताबअ़त मुक़तदी

पर फ़र्ज़ है। यानी उनमें का कोई फ़ेल इमाम से पेशतर अदा कर चुका और इमाम के साथ या इमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज़ न होगी। जैसे इमाम से पहले रुकूअ़ या सज्दा कर लिया और इमाम रुकूअ़ या सज्दा में आया भी न था कि उसने सर उठा लिया तो अगर इमाम के साथ या बाद को अदा कर लिया नमाज़ हो गई वरना नहीं।

मसला:- मुक़तदी के लिए यह भी फ़र्ज़ है कि इमाम की नमाज़ को अपने ख़्याल में सही तसव्वुर करता हो और अगर अपने नज़दीक इमाम की नमाज़ बातिल समझता है तो उसकी नमाज़ न होगी। अगरचे इमाम की नमाज़ सही हो।

नमाज़ के उनन्चास वाजिबात

यह हैं (1) तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़ *अल्लाहु अकबर* होना।(2 ता 8) *अलहम्दु* पढ़ना, यानी उसकी सातों आयतें पढ़ना कि हर आयत मुस्तक़िल वाजिब है। उनमें एक आयत बल्कि एक लफ़्ज़ का तर्क भी तर्के वाजिब है। (9) सूरह मिलाना यानी एक छोटी सूरत जैसे या तीन छोटी आयतें जैसे ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ या एक दो आयतें तीन छोटी के बराबर पढ़ना। जो उनतीस हुरूफ़ पर मुश्तमिल हों। (10–11) नमाज़े फ़र्ज़ में दो पहली रकअ़तों में क़िरात वाजिब है। (12–13) अलहम्दु और उसके साथ सूरत मिलाना, फ़र्ज़ की दो पहली रकअ़तों में और नफ़्ल व सुन्नत व वित्र की हर रकअ़त में वाजिब है। (14) अलहम्दु का सूरत से पहले होना। (15) हर रकअ़त में सूरत से पहले एक ही बार अलहम्दु पढ़ना (16) अलहम्दु व सूरत के दर्मियान किसी अजनबी का फ़ासिल न होना, आमीन ताबेअ़ अलहम्दु है और बिस्मिल्लाहि ताबेअ़ सूरत, यह अजनबी नहीं। क़िरात के बाद मुत्तसिलन रुकूअ़ करना एक सज्दे के बाद दूसरा सज्दा होना इस तरह कि दोनों के दर्मियान कोई फ़र्ज़ फ़ासिल न हो। तअ़दीले अरकान यानी रुकूअ़ व सुजूद व क़ौमा व जलसा में कम से कम एक बार *सुबहानल्लाह* कहने की क़दर ठहरना। क़ौमा यानी रुकूअ़ से सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दो सज्दों के दर्मियान सीधा बैठना। क़अ़दए ऊला अगरचे नमाज़ नफ़्ल हो और फ़र्ज़ व वित्र व सुनन मुवक्किदा में क़अ़दए ऊला में अत्तहियात पर कुछ न बढ़ाना। दोनों

क़अ़दों में पूरी अत्तहियात पढ़ना। इसी तरह जितने क़अ़दे करने पड़ें सब में पूरी अत्तहियात वाजिब है। एक लफ़्ज़ भी अगर छोड़ेगा तर्क वाजिब होगा और (26-27) लफ़्ज़ अस्सलाम दोबारा और लफ़्ज़ अ़लैकुम वाजिब नहीं और वित्र में दुआए क़ुनूत पढ़ना और तकबीरे क़ुनूत और ईदैन की छवों तकबीरें और ईदैन में दूसरी रकअ़त की तकबीर रुकूअ़ और इस तकबीर के लिए लफ़्ज़ *अल्लाहु अकबर* होना और हर जहरी नमाज़ में इमाम को जह्र से क़िरात करना और ग़ैर जह्री में आहिस्ता। हर वाजिब व फ़र्ज़ का उसकी जगह पर होना। रुकूअ़ का हर रकअ़त में एक ही बार होना और सज्दे का दो ही बार होना। दूसरी रकअ़त से पहले क़अ़दा न करना और चार रकअ़त वाली में तीसरी पर क़अ़दा न होना। आयते सज्दा पढ़ी हो तो सज्दए तिलावत करना। सह्व हुआ हो तो सज्दा सह्व करना। दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दर्मियान तीन तस्बीह की क़दर वक़्फ़ा न होना। इमाम जब क़िरात करे बुलन्द आवाज़ से हो ख़्वाह आहिस्ता उस वक़्त मुक़तदी का चुप रहना। सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में मुक़तदी का इमाम की मुताबअ़त करना। इन वाजिबात में से किसी वाजिब को क़स्दन तर्क करेगा तो नमाज़ लौटाना पड़ेगी और अगर कोई वाजिब सह्वन तर्क होजाए तो सज्दा सह्व करना वाजिब है।

नमाज़ की नव्वे सुन्नतें

यह हैं तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाना और हाथ की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना यानी न बिल्कुल मिलाए न बेतकल्लुफ़ कुशादा रखे। बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िब्ला रू होना। बवक़्ते तकबीर सर न झुका, न तकबीर से पहले हाथ उठाना। इसी तरह तकबीरे क़ुनूत व तकबीरे ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहे और उनके इलावा किसी जगह नमाज़ में उठाना सुन्नत नहीं।

औरत के लिए सुन्नत

यह हैकि मोढों तक हाथ उठाए। इमाम का बुलन्द आवाज़ से *अल्लाहु अकबर* और سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ और सलाम कहना। जिस

कदर बुलन्द आवाज की हाजत हो और बिला हाजत आवाज बहुत ज़्यादा बुलन्द करना मकरूह है। बाद तकबीर फ़ौरन हाथ बांध लेना इस तरह कि मर्द नाफ़ के नीचे दाहिने हाथ की हथेली बायें कलाई के जोड़ पर रखे। छंगुलिया और अंगूठा कलाई के अगल–बगल रखे और बाक़ी उंगलियों को बायें कलाई की पुश्त पर बिछाए और औरत व ख़ुन्सा बाई हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुश्त पर दाहिनी हथेली रखे। बाज़ लोग तकबीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते हैं फिर बांधते हैं यह न चाहिए बल्कि नाफ़ के नीचे लाकर बांधें। सना व तअव्वुज़ व तस्मिया व आमीन कहना और इन सब का आहिस्ता होना। पहले सना पढ़े फिर तअव्वुज़ फिर तस्मिया और हर एक के बाद दूसरे को बिला वक़्फ़ा पढ़े तकबीरे तहरीमा के बाद फ़ौरन सना पढ़े और सना में *व जल्ल सनाउ–क* नमाज़े जनाज़ा के ग़ैर में न पढ़े और दीगर अज़कार तकबीरे तहरीमा के बाद जो अहादीस में आए हैं वह सब नफ़्ल नमाज़ के लिए हैं।

मसला:– इमाम ने बिलजह्र क़िरात शुरू कर दी तो मुक़तदी सना न पढ़े और अगर इमाम आहिस्ता पढ़ता हो तो पढ़ले।

मसला:– इमाम को रुकूअ़ या पहले सज्दे में पाया तो अगर ग़ालिब गुमान हैकि सना पढ़कर पा लेगा तो पढ़े और अगर क़अ़दे या दूसरे सज्दे में पाया तो बेहतर यह हैकि बग़ैर सना पढ़े शामिल हो जाए।

मसला:– नमाज़ में *अऊज़ु* व *बिस्मिल्लाहि* क़िरात के ताबेअ़ हैं और मुक़तदी नहीं। लिहाज़ा *अऊज़ु* और *बिस्मिल्लाहि* भी उसके लिए मसनून नहीं। अलबत्ता जिस मुक़तदी की कोई रकअ़त जाती रही हो तो जब वह अपनी बाक़ी रकअ़त अदा करे। उस वक़्त इन दोनों को पढ़े।

मसला:– *अऊज़ु* सिर्फ़ पहली रकअ़त में है और *बिस्मिल्लाहि* हर रकअ़त के अव्वल में मसनून है। सूरए फ़ातिहा के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक़्त *बिस्मिल्लाहि* पढ़ना मुस्तहसिन है। क़िरात ख़्वाह सिर्री हो या जह्री। मगर *बिस्मिल्लाहि* बहरहाल आहिस्ता पढ़ी जाए।

मसला:– अगर *सुब्हा–न* और *अऊज़ु* व *बिस्मल्लाहि* पढ़ना भूल गया और क़िरात शुरू कर दी तो इआदा न करे। यूंहीं अगर *सुब्हा–न* पढ़ना भूल गया और *अऊज़ु* को शुरू कर दिया तो *सुब्हा–न* का इआदा नहीं।

मसला:– ईदैन में तकबीरे तहरीमा ही के बाद *सुब्हा–न* पढ़े और

सुब्हा–न पढ़ते वक़्त हाथ बांध ले और *अऊ़ज़ु* चौथी तकबीर के बाद कहे और रुकूअ़ में तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم कहना और घुटनों को हाथों से पकड़ना और उंगलियां ख़ूब खुली रखना यह हुक्म मर्दों के लिए है और औरतों के लिए सुन्नत घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा न करना है। आजकल अक्सर मर्द रुकूअ़ में महज़ हाथ रख देते और उंगलियां मिला कर रखते हैं यह ख़िलाफ़े सुन्नत है। हालते रुकूअ़ में टांगें सीधी होना, अक्सर लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं यह मकरूह है। रुकूअ़ के लिए *अल्लाहु अकबर* कहना।

बहुत ज़रूरी मसला

आजकल उमूमन लोगों से सही तौर पर हुरूफ़ की अदाएगी नहीं होती। इस लिए कि वह किसी सही पढ़ने वाले से नहीं सीखते ا-ع और ث.س.ص और ق की अदाएगी में फ़र्क़ नहीं करते। ظ को ز और ض को ز पढ़ते हैं जिससे कभी–कभी माना में फ़साद लाज़िम आता है और नमाज़ जाती रहती है। चुनांचे سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم को लोग سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَزِيْم पढ़ते हैं। इससे नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो जो शख़्स ظ को सही अदा करने पर क़ादिर न हो उसके लिए हुक्म यह है कि रुकूअ़ में *सुब्हान रब्बियलकरीम* पढ़े।

मसला:– बेहतर यह हैकि *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ रुकूअ़ में जाए यानी जब रुकूअ़ के लिए झुकना शुरू करे तो *अल्लाहु अकबर* शुरू करे और ख़त्म रुकूअ़ पर तकबीर ख़त्म कर दे। इस मुसाफ़त के पूरा करने के लिए अल्लाहु के लाम को बढ़ाए अकबर की बे वग़ैरह किसी हरफ़ को न बढ़ाए।

मसला:– हर तकबीर में *अल्लाहु अकबर* की रे को जज़्म पढ़े।

मसला:– किसी आने वाले की वजह से रुकूअ़ या क़िरात में तूल देना मकरूह तहरीमी है जब कि उसे पहचानता हो। यानी उसकी ख़ातिर मलहूज़ हो और अगर पहचानता नहीं तो तवील करना अफ़ज़ल है। क्योंकि यह नेकी पर इआ़नत होगी। लेकिन इस क़दर तूल न दे कि मुक़तदी घबरा जायें।

मसला:– मुक़तदी ने अभी तीन बार तस्बीह न की थी कि इमाम

ने रुकूअ़ या सज्दे से सर उठा लिया तो मुक़तदी पर इमाम की मुताबअ़त वाजिब है और अगर मुक़तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया तो मुक़तदी पर लौटना वाजिब है न लौटेगा तो गुनहगार होगा।

मसला:- रुकूअ़ में पीठ ख़ूब बिछी रखे। यहां तक कि अगर पानी का प्याला उसकी पीठ पर रखें तो ठहर जाए और सर को न झुकाए न ऊंचा रखे बल्कि पीठ के बराबर हो। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि उस शख़्स की नमाज़ कामिल नहीं जो रुकूअ़ व सुजूद में पीठ सीधी नही करता।

मसला:- औरत रुकूअ़ में थोड़ा झुके। यानी सिर्फ़ इस क़दर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जायें पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे। बल्कि महज़ हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे और पाँव झुके हुए रखे मर्दों की तरह ख़ूब सीधे न कर दे।

मसला:- रुकूअ़ से जब उठे तो हाथ न बांधे, लटका हुआ छोड़ दे। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ की हे को साकिन पढ़े उस पर हरकत ज़ाहिर न करे, न दाल को बढ़ाये रुकूअ़ से उठने में इमाम के लिए سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहना और मुक़तदी के लिए اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ कहना और मुनफ़रिद को दोनों कहना सुन्नत है। सज्दों के लिए और सज्दे से उठने के लिए *अल्लाहु अकबर* कहना और सज्दे में कम से कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى और सज्दे में हाथ का ज़मीन पर रखना।

मसला:- सज्दे में जाए तो ज़मीन पर पहले घुटने रखे फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी और जब सज्दे से उठे तो पहले पेशानी उठाए फिर नाक फिर हाथ फिर घुटने।

मसला:- मर्द के लिए सज्दे में सुन्नत यह है कि बाज़ू करवटों से जुदा हों जबकि अलाहिदा नमाज़ पढ़ता हो और पेट रानों से और कलाइयां ज़मीन पर न बिछाए और न कुत्ते की तरह कलाइयां रखे।

मसला:- औरत सिमट कर सज्दा करे यानी बाज़ू करवटों से मिला दे और पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से।

मसला:- दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे। दोनों सज्दों के दर्मियान अत्तहियात की तरह बैठना। यानी बायां क़दम बिछाना और दाहिना खड़ा रखना और हाथों का रानों पर रखना। सज्दों में उंगलियां

क़िब्ला रू होना हाथों की उंगलियां मिली हुई होना।

ज़रूरी मसला जिससे लोग ग़ाफ़िल हैं

और ग़फ़लत की वजह से नमाज़ें ख़राब हो रही हैं। यह है कि सज्दे में हर पाँव की तीन-तीन उंगलियों के पेट का ज़मीन पर लगना वाजिब है अगर ऐसा न किया तो नमाज़ का दुहराना ज़रूरी है वरना गुनहगार होगा और सज्दे में दोनों पाँव की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है।

मसला:- जब दोनों सज्दे करले तो रकअ़त के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठे। यह सुन्नत है और कमज़ोरी वग़ैरह उज़्र के सबब अगर ज़मीन पर हाथ रखकर उठे जब भी हर्ज नहीं। अब दूसरी रकअ़त में *सुब्हान* और *अऊज़ु* न पढ़े। दूसरी रकअ़त के सज्दों से फ़ारिग़ होने के बाद बायां पाँव बिछा कर दोनों सुरीन उस पर रखकर बैठना और दाहिना क़दम खड़ा रखना और दाहिने पाँव की उंगलियां क़िब्ला रुख़ करना यह मर्द के लिए है।

औरत

दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और बायें सुरीन पर बैठे और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना और बायां बायें पर और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना कि न खुली हुई हों न मिली हुई और उंगलियों के किनारे घुटनों के पास होना घुटने पकड़ना न चाहिए। शहादत पर इशारा करना यूं कि छंगुलिया और उसके पास वाली उंगली को बन्द करले अंगूठे और बीच की उंगली का हल्क़ा बांधे और 'ला' पर कल्मे की उंगली उठाए और 'इल्ला' पर रखदे और सब उंगलियां सीधी करले।

मसला:- क़अ़दा ऊला के बाद तीसरी रकअ़त के लिए उठे तो ज़मीन पर हाथ रखकर न उठे। बल्कि घुटनों पर ज़ोर देकर अलबत्ता अगर उज़्र है तो कोई हर्ज नहीं।

मसला:- नमाज़े फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में सूरए फ़ातिहा पढ़ना अफ़ज़ल है और *सुब्हानल्लाहि* पढ़ना भी जाइज़ है और बक़दर तीन तस्बीह के चुपका खड़ा रहा तो भी नमाज़ हो जाएगी मगर

सुकूत न चाहिए।

मसला:- दूसरे क़अदे में भी इसी तरह बैठे जैसे पहले में बैठा था और अत्तहियात भी पढ़े बाद अत्तहियात दूसरे क़अदे में दुरूद शरीफ़ पढ़ना। दुरूद शरीफ़ में हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम और हुज़ूर सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे पाक के साथ लफ़्ज़ सय्यदना कहना बेहतर है।

मसला:- क़अ़दए अख़ीरा के इलावा फ़र्ज़ नमाज़ में और कहीं दुरूद शरीफ़ पढ़ना नहीं और नवाफ़िल के क़अ़दए ऊला में भी मसनून है और दुरूद शरीफ़ के बाद दुआ पढ़ना और दुआ को अरबी ज़बान में पढ़े। दूसरी ज़बान में मकरूह है।

मसला:- अपने और अपने वालिदैल व असातज़ा के लिए जब कि वह मुसलमान हों और तमाम मोमेनीन व मोमेनात के लिए दुआ मांगे। ख़ास अपने ही लिए न मांगे।

मसला:- मुक़तदी के तमाम इन्तिक़ालात इमाम के साथ-साथ होना *अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाह* दो बार कहना। पले दाहिनी तरफ़ फिर बायें तरफ़।

मसला:- दाहिनी तरफ़ सलाम में मुंह इतना फेरे कि दाहिना रुख़सार दिखाई दे और बायें में बायां।

मसला:- सुन्नत यह हैकि इमाम दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कहे मगर दूसरा बनिस्बत पहले के कम आवाज़ से हो।

मसला:- अगर पहले बायीं तरफ़ सलाम फेर दिया तो दूसरा दाहिनी तरफ़ फेरे जब तक कलाम न किया हो फिर बायीं तरफ़ सलाम के इआ़दे की हाजत नहीं और अगर पहले में किसी तरह मुंह न फेरा तो दूसरे में बायीं तरफ़ मुंह करले और अगर बायीं तरफ़ सलाम फेरना भूल गया तो जब क़िब्ले को पीठ न हो या कलाम न किया हो कहले।

मसला:- इमाम ने जब सलाम फेरा तो वह मुक़तदी भी सलाम फेर दे। जिसकी कोई रकअ़त न गई हो। अलबत्ता अगर उसने अत्तहियात पूरी न की थी इमाम ने सलाम फेर दिया तो इमाम का साथ न दे बल्कि वाजिब हैकि अत्तहियात को पूरा कर के सलाम फे रदे।

मसला:- इमाम के सलाम फेर देने से मुक़तदी नमाज़ से बाहर

नहीं होता जब तक मुक़तदी ख़ुद सलाम न फेरे।

मसला: – मुक़तदी को इमाम से पहले सलाम फेरना जाइज़ नहीं। मगर बज़रूरत मसलन यह अन्देशा हो कि आफ़ताब तुलूअ़ कर आएगा या जुमा या ईदैन में वक़्त ख़त्म हो जाएगा।

मसला: – पहली बार लफ़्ज़े सलाम कहने से ही इमाम नमाज़ से बाहर होता है। अगरचे अ़लैकुम न कहे।

मसला: – इमाम दाहिने सलाम में ख़िताब से उन मुक़तदियों की नीयत करे जो दाहिनी तरफ़ हैं और बायीं तरफ़ सलाम से बायीं तरफ़ वालों की मगर औरत की नीयत न करे अगरचे वह जमाअ़त में हों नीज़ दोनों सलामों में किरामन कातेबीन और उन मलाइका की नीयत करे जिनको अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने हिफ़ाज़त के लिए मुक़र्रर फ़रमाया है।

हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्ते

हर आदमी के साथ बीस होते हैं। एक दायीं जानिब जो नेकियां लिखता है और एक बायीं जानिब जो बुराईयां लिखता है और एक सामने जो भलाइयों की तलक़ीन करता है और एक पीछे जो गज़न्द पहुंचाने वाली चीज़ों को दफ़ा करता है और एक पेशानी पर जिसका काम यह हैकि बन्दा जब तवाज़ो से पेश आए तो उसको बुलन्द करे और जब अल्लाह के मुक़ाबले में तकब्बुर करे तो उसको ज़लील करदे और दो फ़रिश्ते दोनों होंटों पर मुक़र्रर हैं जिनका काम सिर्फ़ यही हैकि बन्दा जब बारगाहे नबुवत में हदिया दुरूद पेश करे तो यह उसको महफ़ूज़ रखते हैं और एक फ़रिश्ता मुंह पर मुक़र्रर है जो सांप को अन्दर दाख़िल होने से रोकता है और दो फ़रिश्ते दोनों आँखों पर हैं। यह दस हुए चूंकि दिन के और हैं रात के और इस लिए कुल बीस होगए।

मसला: – मुक़तदी भी हर सलाम में उस तरफ़ वाले मुक़तदियों और उन फ़रिश्तों की नीयत करे। नीज़ जिस तरफ़ इमाम हो। उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नीयत करे और मुनफ़रिद सिर्फ़ उन फ़रिश्तों ही की नीयत करे।

मसला: – सलाम के बाद सुन्नत यह हैकि इमाम दाहिनी या बायीं तरफ़ फिर जाए और दाहिनी तरफ़ अफ़ज़ल है और मुक़तदियों की तरफ़

भी मुंह कर के बैठ सकता है जबकि कोई मुक़तदी उसके सामने नमाज़ में हो न अगली सफ़ में न पिछली सफ़ों में।

नमाज़ के पन्द्रह मुस्तहिबात

यह हैं। हालते क़ियाम में सज्दे की जगह नज़र करना और रुकूअ़ में पुश्त क़दम पर और सज्दे में नाक पर और क़अ़दे में गोद की तरफ़ और पहले सलाम में दाहिने शाने की तरफ़ और दूसरे में बायें शाने की तरफ़। जमाही आए तो मुंह बन्द किए रहना और न रुके तो होंट दाँत के नीचे दबाए और उससे भी न रुके तो बहालते क़ियाम दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले और अगर क़ियाम में नहीं तो बायें हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले या दोनों सूरतों में आस्तीन से और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना मकरूह है।

जमाही के रोकने का मुजर्रब इस्लामी तरीक़ा

यह हैकि दिल में ख़्याल करे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमाही नहीं आती थी यह ख़्याल करते ही जमाही रुक जाएगी। अम्बियाए किराम को जमाही इस लिए नहीं आती थी कि उसमें शैतान की मुदाख़लत होती है और अम्बियाए किराम हर उस चीज़ से पाक होते हैं जिसमें शैतानी मुदाख़लत हो। मर्द के लिए तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना। औरत के लिए कपड़े के अन्दर बेहतर है। जहां तक मुम्किन हो खांसी दफ़ा करना जब तकबीर कहने वाला حَیَّ عَلَی الْفَلَاح कहे तो इमाम व मुक़तदी सबका खड़ा होजाना।

मसला:- जब मुकब्बिर قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة कहले तो इमाम नमाज़ शुरू कर सकता है। मगर बेहतर यह हैकि इक़ामत पूरी होने पर शुरू करे। दोनों पंजों के दर्मियान बहालते क़ियाम चार अंगुल का फ़ासला होना। मुक़तदी को इमाम के साथ नमाज़ शुरू करना। सज्दा ज़मीन पर बिला हाइल होना।

नमाज़ फ़ासिद करने वाली चीज़ें

यह हैं। कलाम। यह नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। क़स्दन हो या ख़ताअन या सह्वन। सोते में हो या बेदारी में। अपनी खुशी से कलाम

किया या किसी ने कलाम करने पर मजबूर किया या उसको यह मालूम न था कि कलाम करने से नमाज़ जाती रहती है। ख़ता के माना यह हैं कि क़िरात वग़ैरह अज़कारे नमाज़ कहना चाहता था ग़लती से कोई बात ज़बान से निकल गई और सह्वन के यह माना हैंकि अपना नमाज़ में होना याद न रहा।

मसला:- कलाम में क़लील और कसीर का फ़र्क़ नहीं। हर सूरत में नमाज़ जाती रहेगी और यह भी फ़र्क़ नहीं कि वह कलाम इस्लाहे नमाज़ के लिए हो या इस्लाहे नमाज़ के लिए न हो मसलन इमाम को बैठना था खड़ा होगया। मुक़तदी ने बताने को कहा बैठ जा या हूं कहा तो नमाज़ जाती रही। लेकिन यह ख़ूब याद रहे कि वही कलाम नमाज़ को फ़ासिद करता है जिसमें इतनी आवाज़ हो कि कम अज़ कम ख़ुद सुन सके। बशर्ते कि कोई मानेअ न हो और अगर इतनी आवाज़ भी न हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। इसी तरह क़स्दन कलाम से उसी वक़्त नमाज़ फ़ासिद होगी जब कि बक़दरे अत्तहियात न बैठ चुका हो और अगर बैठ चुका है तो नमाज़ हो गई। लेकिन मकरूहे तहरीमी हुई।

मसला:- सलाम नमाज़ पूरी होने से पहले क़स्दन फेर दिया तो नामज़ जाती रही और अगर भूलकर फेरा तो न गयी।

मसला:- किसी शख़्स को सलाम किया अ़मदन या सह्वन नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर भूल कर *अस्सलामु* कहा था और *अ़लैकुम* न कहने पाया था कि याद आगया कि नमाज़ में सलाम न करना चाहिए और ख़ामोश हो गया तब भी नमाज़ जाती रही।

मसला:- मसबूक़ ने यह ख़्याल कर के कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए। सलाम फेर दिया तो नमाज़ फ़ासिद होगई।

मसला:- दूसरी रकअ़त को चौथी समझकर सलाम फेर दिया। फिर याद आया तो नमाज़ पूरी कर के सज्दा सह्व करले।

मसला:- नमाज़ी से कोई चीज़ मांगी या कोई बात पूछी उसने सर या हाथ से हां या नहीं का इशारा किया। नमाज़ फ़ासिद न हुई अलबत्ता मकरूह होगई।

मसला:- किसी को छींक आई उसके जवाब में नमाज़ी ने *यरहमु–कल्लाहु* कहा तो नमाज़ फ़ासिद होगई और अगर नमाज़ी को

छींक आई और किसी दूसरे ने *यरहमु–कल्लाहु* कहा और नमाज़ी ने जवाब मे *आमीन* कह दिया तो नमाज़ फ़ासिद होगई।

मसला:– नमाज़ मे छींक आए तो खामोश रहे और नमाज़ से फ़ारिग़ होकर *अलहम्दु लिल्लाहि* कहले और अगर *अलहम्दु लिल्लाहि* कह लिया तो नमाज़ में हर्ज नहीं।

मसला:– किसी ने आने की इजाज़त चाही नमाज़ी ने यह ज़ाहिर करने को कि नमाज़ में है ज़ोर से *अलहम्दु लिल्लाहि* या *अल्लाहु अकबर* या *सुब्हानल्लाहि* कह दिया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई।

मसला:– खुशी की ख़बर सुनकर जवाब में *अलहम्दु लिल्लाहि* कहा नमाज़ फ़ासिद होगई और अगर जवाब की नीयत से न कहा बल्कि यह ज़ाहिर करने के लिए कि नमाज़ में है तो फ़ासिद न हुई यूंही बुरी ख़बर सुनकर *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन* कहने से नामज़ फ़ासिद हो जाती है।

मसला:– अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल का नामे मुबारक सुनकर जल्ल–जलालुहू कहा या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक सुनकर दुरूद पढ़ा तो नमाज़ जाती रही जब कि बक़स्दे जवाब कहा हो और अगर जवाबन न कहा तो हर्ज नहीं।

लुक़मा देने के मसाइल

मसला:– नमाज़ी ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़मा दिया तो नमाज़ जाती रही। जिसको लुक़मा दिया है वह नमाज़ में हो या न हो मुक़तदी हो या मुनफ़रिद या किसी और का इमाम हो सब सूरतों में लुक़मा देने वाले की नमाज़ जाती रही।

मसला:– अपने मुक़तदी के सिवा दूसरे का लुक़मा लेने से भी नमाज़ जाती रहती है अलबत्ता अगर उसके बताते वक़्त उसे खुद याद आगया। उसके बताने से नहीं तो नमाज़ नहीं जाएगी।

मसला:– फ़ौरन ही लुक़मा देना मकरूह है थोड़ा तवक़्क़ुफ़ चाहिए कि शायद इमाम खुद निकाल ले। यूंही इमाम को मकरूह है कि मुक़तदी को लुक़मा देने पर मजबूर करे। बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाए या दूसरी आयत शुरू करदे और अगर बक़दरे

हाजत पढ़ चुका है तो रुकूअ़ करदे।

मसला:– लुक़मा देने वाले के लिए बालिग़ होना शर्त नहीं। मुराहिक़ भी लुक़मा दे सकता है।

मसला:– आह, ओह, उफ़, तुफ़, यह अल्फ़ाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रोया और हुरुफ़ पैदा हो गए तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही और अगर रोने में सिर्फ़ आंसू निकले आवाज़ व हुरुफ़ नहीं निकले तो हर्ज नहीं।

मसला:– मरीज़ की ज़बान से बेइख़्तियार आह, ओह निकली तो नमाज़ फ़ासिद न हुई। यूंही छींक खांसी, जमाही, डकार में जितने हुरुफ़ मजबूरन निकले मुआफ़ हैं।

मसला:– जन्नत दोज़ख़ की याद में मज़कूरा अल्फ़ाज़ कहे तो नमाज़ न जाएगी।

मसला:– फूंकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो वह मिस्ले सांस के हैकि उससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। मगर क़स्दन करना मकरूह है और अगर दो हरफ़ पैदा हो जाएं। जैसे उफ़ तुफ़ तो नमाज़ जाती रहेगी।

मसला:– खंकार में जब दो हरफ़ ज़ाहिर हों जैसे उह तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। बशर्ते कि न उज़्र हो न कोई सही ग़र्ज़ और अगर उज़्र से है मसलन तबीअ़त का तक़ाज़ा हो या किसी सही ग़र्ज़ के लिए है जैसे आवाज़ साफ़ करने के लिए या इमाम से ग़लती होगई। इस लिए खंकारता है कि दुरुस्त करले या इस लिए खंकारता हैकि दूसरे शख़्स को उसका नमाज़ में होना मालूम होजाए तो इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

अमले कसीर और अमले क़लील

की तारीफ़ यह है। जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर उसके नमाज़ में न होने का शक न रहे बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वह अमले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शुबहा व शक हो कि नमाज़ में है या नहीं तो अमले क़लील है। अमले कसीर का हुक्म यह है कि वह नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। बशर्ते कि वह नमाज़ के आमाल से न हो और न उसको नमाज़ की इस्लाह के लिए किया गया हो और अमले क़लील नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता।

मसला:- नापाक जगह पर बग़ैर हाइल के सज्दा करने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। यूंही बहालते सज्दा हाथ या घुटने नापाक जगह पर रखे तो नमाज़ फ़ासिद होगई।

मसला:- नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलक़न नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। क़स्दन हो या भूल कर थोड़ा हो ज़्यादा। यहां तक कि अगर तिल बग़ैर चबाए निगल लिया या कोई क़तरा उसके मुंह में गिरा और उसने निगल लिया तो नमाज़ जाती रही।

मसला:- दाँतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी। उसको निगल लिया अगर चने से कम है तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और चने बराबर तो फ़ासिद होगई।

मसला:- नमाज़ से पेशतर कोई चीज़ मीठी खाई थी। उसके अजज़ा निगल लिए थे। सिर्फ़ लुआबे दहन में कुछ मिठास का असर रह गया तो उसके निगलने से नमाज़ फ़ासिद न होगी।

मसला:- औरत नमाज़ पढ़ रही थी बच्चे ने उसकी छाती चूसी अगर दूध निकल आया तो नमाज़ जाती रही।

मसला:- नमाज़ पढ़ने वाले को उठा लिया। फिर वहीं रख दिया अगर क़िब्ला से सीना न फिरा तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और अगर उसको उठाकर सवारी पर रख दिया तो नमाज़ जाती रही।

मसला:- साँप बिच्छू मारने से नमाज़ नहीं जाती जब कि न तीन क़दम चलना पड़े न तीन ज़रब की हाजत हो वरना जाती रहेगी मगर मारने की इजाज़त है। अगरचे नमाज़ फ़ासिद हो जाए। लेकिन यह याद रहे कि साँप बिच्छू को नमाज़ में मारना उस वक़्त मुबाह है कि सामने से गुज़रे और ईज़ा देने का ख़ौफ़ हो और अगर तकलीफ़ पहुंचाने का अन्देशा न हो तो मारना मकरूह है।

मसला:- एक रुकन में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है यानी यूँ कि कुछ खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया और फिर हाथ हटा लिया फिर खुजाया और अगर एक बार हाथ रखकर चन्द मर्तबा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जाएगा उससे नमाज़ नहीं जाएगी। इस मसले से अक्सर लोग वाक़िफ़ नहीं।

नमाज़ी के आगे से गुज़रना

बहुत सख़्त गुनाह है। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि इसमें जो कुछ गुनाह है अगर गुज़रने वाला जानता तो सौ बरस खड़ा रहना उस एक क़दम चलने से बेहतर समझता। ताहम अगर कोई शख़्स नमाज़ी के आगे से गुज़र गया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई।

मसला: – मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के क़दम से मौज़ऐ सुजूद तक गुज़रना नाजाइज़ है। मौज़ऐ सुजूद से मुराद यह है कि क़ियाम की हालत में जाए सुजूद की तरफ़ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह फैले वह मौज़ऐ सुजूद है। इसके दर्मियान से गुज़रना नाजाइज़ है। मकान और छोटी मस्जिद में क़दम से दीवार क़िब्ला तक कहीं से गुज़रना जाइज़ नहीं अगर सुतरा न हो। बड़ी मस्जिद वह है जिसका तूल चालीस हाथ से ज़्यादा हो और छोटी मस्जिद वह है जिसका तूल चालीस हाथ से कम हो।

मसला: – कोई शख़्स बुलन्दी पर नमाज़ पढ़ रहा है। उसके नीचे से गुज़रना भी जाइज़ नहीं जबकि गुज़रने वाले का कोई अज़्व नमाज़ी के सामने हो। छत या तख़्त पर नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने का भी यही हुक्म है और अगर इन चीज़ों की इतनी बुलन्दी हो कि किसी अज़्व का सामना न हो तो हर्ज नहीं।

सुतरा

उस चीज़ को कहते हैं जो नमाज़ी के आगे आड़ करने की ग़र्ज़ से रखी जाती है। उसको कम अज़ कम बक़दर एक हाथ के ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तीन हाथ ऊंचा हो अगर कोई शख़्स उस सुतरे के बाद से गुज़रे तो कोई हर्ज नहीं। सुतरा बिल्कुल नाक की सीध पर न हो बल्कि दाहिनी या बायीं भौं की सीध पर हो और दाहिनी की सीध पर होना अफ़ज़ल है।

मसला: – इमाम का सुतरा मुक़तदी के लिए भी सुतरा है इसको जदीद सुतरे की हाजत नहीं तो अगर छोटी मस्जिद में भी मुक़तदी के आगे से गुज़र जाए जब कि इमाम के आगे से न हो तो हर्ज नहीं।

नमाज़ी के आगे से गुज़रने का इस्लामी तरीक़ा

बरवक़्त ज़रूरत यह हैकि जो शख़्स गुज़रना चाहता है अगर उसके पास कोई चीज़ सुतरे के क़ाबिल हो तो उसे नमाज़ी के सामने रखकर गुज़र जाए फिर उस चीज़ को उठाले और अगर दो शख़्स गुज़रना चाहते हैं और सुतरे के क़ाबिल कोई चीज़ नहीं तो उनमें एक नमाज़ी के सामने उसकी तरफ़ पीठ कर के खड़ा होजाए और दूसरा उसकी आड़ पकड़ कर गुज़र जाए फिर दूसरा उसकी पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ़ पुश्त करके खड़ा होजाए और यह गुज़र जाए फिर वह दूसरा जिधर से उस वक़्त आया था उसी तरफ़ हट जाए।

मसला:– मस्जिदुल हराम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ता हो तो उसके आगे तवाफ़ करते हुए लोग गुज़र सकते हैं।

नमाज़ के तेंतालीस मकरूहाते तहरीमी

यह हैं (1) कपड़ा या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना, (2) कपड़ा समेटना मसलन सज्दे में जाते वक़्त आगे या पीछे से उठा लेना। अगरचे गर्द से बचाने के लिए उठाया हो और बिला वजह हो तो और ज़्यादा मकरूह है। (3) कपड़ा लटकाना मसलन सर या मूंढे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। यह सब बातें मकरूह तहरीमी हैं।

मसला:– रूमाल या शाल या रज़ाई या चादर या कम्बल के किनारे दोनों मूंढों से लटकते हों तो यह मकरूह तहरीमी है और अगर एक किनारा दूसरे मूंढे पर डाल दिया और दूसरा किनारा लटक रहा है तो हर्ज नहीं और अगर एक ही मूंढे पर डाला इस तरह कि एक किनारा पीठ पर लटक रहा है दूसरा पेट पर। जैसे उमूमन इस ज़माने में मूंढों पर रूमाल रखने का तरीक़ा है तो यह भी मकरूह है।

मसला:– (4) कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई हो या (5) दामन समेटे हो तो भी नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी। ख़्वाह पेशतर से चढ़ाई हो या नमाज़ में।

मसला:– (6) शिद्दत का पाख़ाना पेशाब मालूम होते वक़्त या (7) ग़लबए रियाह के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

मसला: – नमाज़ शुरू करने से पेशतर अगर पाख़ाना या पेशाब या रियाह का ग़लबा हो तो वक़्त में वुसअत होते हुए नमाज़ शुरू करना ही गुनाह है। क़ज़ाए हाजत मुक़द्दम है। अगरचे जमाअत जाती रहने का अन्देशा हो और अगर देखता है कि क़ज़ाए हाजत और वज़ू के बाद वक़्त जाता रहेगा तो वक़्त की रिआयत मुक़द्दम है ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ले और अगर असनाए नमाज़ में यह हालत पैदा हो जाए और वक़्त में गुंजाइश हो तो तोड़ देना वाजिब है अगर इसी तरह पढ़ ली तो गुनहगार हुआ।

मसला: – (8) जूड़ा बांधे हुए नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है और नमाज़ में जुड़ा बांधा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (9) कंकरियां हटाना मकरूहे तहरीमी है मगर जिस वक़्त पूरे तौर पर सुन्नत तरीक़े से सज्दा अदा न होता हो तो एक बार की इजाज़त है और बचना बेहतर है और अगर बग़ैर हटाए वाजिब अदा न होता हो तो हटाना वाजिब है। अगरचे एक बार से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े। (10) उंगलियां चटकाना (11) उंगलियों की कैंची बांधना, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूहे तहरीमी है और नमाज़ के लिए जाते वक़्त और नमाज़ के इंतज़ार में भी यह दोनों चीज़ें मकरूह हैं और अगर नमाज़ में है न तवाबेअ् नमाज़ में तो कराहत नहीं जब कि किसी ज़रूरत के लिए हों।

मसला: – (12) कमर पर हाथ रखना, (13) इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरूहे तहरीमी है कुल चेहरा फिर गया हो या बाज़, और अगर मुंह न फेरे सिर्फ़ कंखियों से इधर–उधर बिला हाजत देखे तो मकरूह तनज़ीही है और (14) आसमान की तरफ़ नज़र उठाना भी मकरूहे तहरीमी है।

मसला: – (15) अत्तहियात या सज्दों के दर्मियान घुटनों को सीने से मिलाकर दोनों हाथों को ज़मीन पर रखकर सुरीन के बल बैठना। (16) मर्द का सज्दे में कलाइयों का बिछाना। (17) किसी शख़्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। यूंहीं दूसरे शख़्स को नमाज़ी की तरफ़ मुंह करना भी नाजाइज़ व गुनाह है।

मसला: – (18) कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो मकरूहे तहरीमी है। (19) पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच सर पर न हो। (20) नाक और मुंह को छुपाना और (21) बेज़रूरत खंकार निकालना। (22) नमाज़ में बिलक़स्द जमाही लेना मकरूहे तहरीमी है और

खुद आए तो कोई हर्ज नहीं। मगर रोकना मुस्तहब है और अगर रोके से न रुके तो होंठ को दाँतों से दबाए और इस पर भी न रुके तो दाहिना या बायां हाथ मुंह पर रखले आस्तीन से मुंह छिपाले। क़ियाम की हालत में दाहिने हाथ से ढांके और दूसरे मौक़े पर बायें से।

शैतानी थूक से अपने मुँह को बचाइये

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जमाही शैतान की तरफ़ से है। जब तुममें किसी को जमाही आए जहां तक मुम्किन हो रोके। बाज़ रिवायतों में है कि शैतान मुँह में घुस जाता है और बाज़ में है कि शैतान देखकर हँसता है। उलमा फ़रमाते हैं कि जो जमाही में मुंह खोल देता है शैतान उसके मुंह में थूक देता है और वह जो क़ाह–क़ाह की आवाज़ आती है वह शैतान का क़हक़हा है कि उसका मुंह बिगड़ा देखकर ठट्ठा लगाता है और वह जो रुतूबत निकलती है। वह शैतान का थूक है इसके रोकने की बेहतर तर्कीब यह हैकि जब आती मालूम हो तो दिल में ख़्याल करे कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे महफ़ूज़ हैं। फ़ौरन रुक जाएगी जैसे कि पेशतर बयान किया जा चुका है। उलमाए किराम ने इसको मुजर्रब बताया है और फ़क़ीर कातेबुल हुरूफ़ ने बारहा इसका तजर्बा किया तो सही पाया।

तस्वीर के अहकाम

मसला: – जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है नमाज़ के इलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजाइज़ है यूंही नमाज़ी के सर पर यानी छत में हो या मुअ़ल्लक़ हो या महले सुजूद में हो या कि उस पर सज्दा वाक़ेअ़ हो तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी। यूंही नमाज़ी के आगे या दाहिने या बायें तस्वीर का होना मकरूहे तहरीमी है और पसे पुश्त होना भी मकरूह है अगरचे इन तीनों सूरतों से कम और इन चारों सूरतों में कराहियत उस वक़्त हैकि तस्वीर आगे पीछे दाहिने बायें मुअ़ल्लक़ या नसब हो या दीवार वग़ैरह में मनक़ूश, अगर फ़र्श में है और उस पर सज्दा नहीं होता तो कराहियत नहीं और अगर तस्वीर ग़ैर जानदार की है जैसे पहाड़, दरिया वग़ैरह तो उसमें कुछ हर्ज नहीं।

मसला:– अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह हो मसलन जूतियां उतारने की जगह या और किसी जगह फ़र्श पर कि लोग उसे रौंदते हों या तकिए पर कि ज़ानों वग़ैरह के नीचे रखा जाता हो तो ऐसी तस्वीर मकान में होने से कराहियत नहीं न उससे नमाज़ में कराहियत आए जब कि सज्दा उस पर न हों।

मसला:– जिस तकिए पर तस्वीर हो उसे मनसूब करना पड़ा हुआ न रखना तस्वीर के एज़ाज़ में दाख़िल है। इस तरह होना नमाज़ को भी मकरूह कर देगा।

मसला:– अगर हाथ में या और किसी जगह बदन पर तस्वीर हो। मगर कपड़ों से छुपी हो या अंगूठी पर छोटी तस्वीर मनक़ूश हो या आगे–पीछे, दाहिने–बायें और ऊपर–नीचे किसी जगह छोटी तस्वीर हो यानी इतनी कि उसको ज़मीन पर रखकर खड़े होकर देखें तो आज़ा की तफ़सील न देखाई दे या पाँव के नीचे या बैठने की जगह पर तस्वीर हो तो इन सब सूरतों में नमाज़ मकरूह नहीं।

मसला:– तस्वीर सर कटी या जिसका चेहरा मिटा दिया हो जैसे काग़ज़ या कपड़े या दीवार पर थी। उस पर रोशनाई फेर दी या उसके सर और चेहरे को खुरच डाला या धो डाला तो इन सूरतों में कराहत नहीं।

मसला:– तस्वीर का सिर्फ़ चेहरा मिटाना कराहत से बचने के लिए काफ़ी है। अगर आँख या भौं या हाथ–पाँव जुदा कर लिए गए तो इससे कराहत दफ़ा न होगी।

नोट और रुपये की तस्वीर का हुक्म

यह हैकि थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज़ में कराहियत नहीं। यही हुक्म नोट और रुपये का है।

मसला:– तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है फिर उस पर कोई दूसरा कपड़ा और पहन लिया जिससे तस्वीर छुप गई तो अब नमाज़ मकरूह न होगी।

कराहते तस्वीर के शराइत व मरातिब

तस्वीर से कराहत पैदा होने की तीन शर्तें हैं। (1) छोटी न हो (2) मौज़अे इहानत में न हो। (3) उस पर पर्दा न हो जब यह तीनों शर्तें पाई

जाएगी तो नमाज मकरूहे तहरीमी होगी। सबसे बढ़कर कराहत उस सूरत में है जब तस्वीर नमाज़ी के आगे क़िब्ला को हो। फिर वह कि सर के ऊपर हो। इसके बाद वह कि दाहिने, बायें दीवार पर हो। फिर वह कि पीछे हो दीवार या पर्दे पर।

यह सब अहकाम

तो नमाज़ के हैं। रहा तस्वीरों का रखना इसकी निस्बत सही हदीस में इर्शाद हुआ कि जिस घर में कुत्ता हो या जानदार तस्वीर उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। बशर्ते कि तस्वीर बड़ी हो और उसको एज़ाज़ के साथ रखा जाए और अगर मौज़अे इहानत में हो या छोटी हो तो उनका होना रहमत के फ़रिश्तों की आमद के लिए मानेअ़ नहीं। चुनांचे रुपये, अशरफ़ी और दीगर सिक्के की तस्वीरों का यही हुक्म है। लेकिन यह याद रहे कि मज़कूरा अहकाम जानदार तस्वीर रखने के हैं। रहा तस्वीर बनाना बनवाना दस्ती हो या अक़सी बहरहाल हराम है। इसमें छोटी बड़ी का फ़र्क़ नहीं।

मसला:– उल्टा क़ुरआन मजीद पढ़ना। किसी वाजिब को तर्क करना मकरूहे तहरीमी है जैसे रुकूअ़ व सुजूद में पीठ सीधी न करना। यूंही क़ौमा व जलसे में सीधे होने से पहले सज्दे को चला जाना। क़ियाम के इलावा और किसी मौक़े पर क़ुरआन मजीद पढ़ना या रुकूअ़ में क़िरात ख़त्म करना। इमाम से पहले मुक़तदी का रुकूअ़ व सुजूद वग़ैरह में जाना या उससे पहले सर उठाना।

मसला:– सिर्फ़ पाएजामा या तहबन्द पहन कर नमाज़ पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और अगर दूसरा नहीं तो मुआफ़ी है।

मसला:– इमाम का किसी आने वाले के लिए नमाज़ का तवील करना मकरूहे तहरीमी है। बशर्ते कि उसको पहचानता हो और उसकी ख़ातिर मद्दे नज़र हो। जल्दी में सफ़ के पीछे ही से *अल्लाहु अकबर* कह कर शामिल हो गया। फिर सफ़ में दाख़िल हुआ। यह मकरूहे तहरीमी है।

मसला:– ग़सब की हुई ज़मीन या पराए खेत में जिस में ज़राअ़त मौजूद है या जोते हुए खेत में नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। क़ब्र का

सामने होना अगर नमाज़ी व क़ब्र के दर्मियान कोई चीज़ हाइल न हो तो मकरूहे तहरीमी है।

मसला:- कुफ़्फ़ार के इबादत ख़ानों में नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है कि वह शयातीन की जगह है बल्कि उनमें जाना भी ममनूअ़ है।

मसला:- उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। यूंहीं अंगरखे के बन्द न बांधना और अचकन वग़ैरह के बटन न लगाना बशर्ते कि उसके नीचे कुर्ता वग़ैरह न हो जिससे सीना खुला रहे और अगर नीचे कुर्ता वग़ैरह हो तो मकरूहे तनज़ीही है।

याद रखिए

जो नमाज़ किसी मकरूहे तहरीमी के साथ अदा की गई उसका दुबारा पढ़ना वाजिब है अगर न पढ़ी जाएगी तो गुनाह होगा।

नमाज़ के मकरूहाते तनज़ीही

सज्दे या रुकूअ़ में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह से कम कहना। हदीस में उसी को मुर्ग़ की सी ठोंग मारना फ़रमाया। हां तंगीए वक़्त या रेल चले जाने के ख़ौफ़ से हो तो हर्ज नहीं। काम–काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना मकरूहे तनज़ीही है जब कि उसके पास और कपड़े हों। वरना कराहत नहीं।

मसला:- मुंह में कोई चीज़ लिए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूहे तनज़ीही है। जब कि क़िरात से मानेअ़ न हो और अगर क़िरात से मानेअ़ हो मसलन आवाज़ ही न निकले या इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ निकलें कि क़ुरआन शरीफ़ के न हों तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो तो नमाज़ मकरूहे तनज़ीही है और अगर ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के लिए सर बरहना पढ़ी तो मुजिबे सवाब है।

मसला:- नमाज़ में टोपी गिर पड़ी तो उठा लेना अफ़ज़ल है जबकि अमले कसीर की हाजत न पड़े वरना नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और बार–बार उठानी पड़े तो छोड़ दे और न उठाने से ख़ुज़ूअ़ व ख़ुशूअ़ मक़सूद हो तो न उठाना अफ़ज़ल है।

मसला: – पेशानी से खाक या घास छुड़ाना मकरूह है जब कि उनकी वजह से नमाज़ में तशवीश न होती हो और अगर तकब्बुर मक़सूद हो तो कराहते तहरीमी है और अगर तकलीफ़देह हों या ख़्याल बटता हो तो हर्ज नहीं और नमाज़ के बाद छुड़ाने में मुतलक़न मुज़ाएक़ा नहीं बल्कि छुड़ाना चाहिए ताकि रिया न आने पाए। यूंही हाजत के वक़्त पेशानी से पसीना पोछना बल्कि हर वह अमल क़लील जो नमाज़ी के लिए मुफ़ीद हो जाइज़ है और जो मुफ़ीद न हो मकरूह है।

मसला: – नमाज़ में नाक से पानी बहा उसको पोछ लेना ज़मीन पर गिरने से बेहतर है और अगर मस्जिद में है तो पोछना ज़रूरी है ताकि मस्जिद की बेहुरमती न हो।

याद रखिए

मसला: – नमाज़ में उंगलियों पर आयतों और सूरतों और तस्बीहात का गिनना मकरूह है। नमाज़े फ़र्ज़ हो ख़्वाह नफ़्ल दिल में शुमार रखना चाहिए और पोरों को दबाने से तादाद महफ़ूज़ करने में भी हर्ज नहीं। जब कि सब उंगलिया बतौर मसनून अपनी जगह पर हों मगर ख़िलाफ़े अवला है कि दिल दूसरी तरफ़ मुतवज्जा होगा और ज़बान से गिनना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। नमाज़ के इलावा उंगलियों पर शुमार करने में कोई हर्ज नहीं बल्कि बाज़ अहादीस में अक़्दे अनामिल का हुक्म है और यह कि उंगलियों से क़ियामत के दिन सवाल होगा और वह बोलेंगी।

अक़्दे अनामिल

शुमार करने का एक मसनून तरीक़ा है। जिस की तफ़सील यह है (1) के वास्ते सीधे हाथ की छंगुलियां बन्द कर ली जाए और (2) के वास्ते उसके बराबर की उंगली और (3) के वास्ते बीच की उंगली और (4) के वास्ते छंगुलियां खोल दी जाए और (5) के वास्ते बराबर वाली भी खोल दी जाए और (6) के वास्ते बीच की खोल दी जाए और छंगुलियां के बराबर वाली बन्द कर ली जाए इस तरह के उसके पोरे का सर बीच हथेली पर हो और (7) के वास्ते छंगुलियां के बराबर वाली खोलकर छंगुलिया को बन्द कर लिया जाए इस तरह कि उसका सर हथेली के किनारे के क़रीब हो और

(8) के वास्ते छंगुलिया की बराबर वाली को बन्द कर लिया जाए और (9) के वास्ते बीच वाली को इन तीनों अदद में उंगलियों का सर हथेली की तरफ़ रहेगा ताकि पहले तीन से मुश्तबह न हों और (10) के वास्ते अंगुश्ते शहादत के नाखुन के सिरे को अंगूठे के पोरे के पेट पर रखा जाए और (20) के वास्ते अंगुश्ते शहादत के तीसरे पोरे का किनारा अंगूठे के नाखुन की पुश्त के ऊपर रखा जाए और (30) के वास्ते अंगूठा खड़ा कर के अंगुश्ते शहादत के पोरे का सर उसके नाखुन के किनारे पर रखा जाए और (40) के वास्ते अंगूठे के नाखुन को अंगुश्ते शहादत के तीसरे पोरे की पुश्त पर रखें और (50) के वास्ते अंगुश्ते शहादत को सीधा कर के अंगूठे को ख़म देकर हथेली पर अंगुश्ते शहादत के मुक़ाबिल रखें और (60) के वास्ते अंगूठे को ख़म देकर उसके नाख़ुन की पुश्त पर अंगुश्ते शहादत के दूसरे पोरे के पेट को रखें और (70) के वास्ते अंगूठा खड़ा कर के अंगुश्ते शहादत के दोनों गिरहों के बातिनी हिस्से को अंगूठे के नाख़ुन की पुश्त पर रखें इस तरह कि अंगूठे का नाख़ुन पूरा का पूरा खुला रहे और (80) के लिए अंगूठे को खड़ा कर के अंगुश्ते शहादत के पोरे का किनारा अंगूठे के पहले पोरे के जोड़ की पुश्त पर रखें और (90) के वास्ते अंगुश्ते शहादत के नाखुन के सर को अंगूठे के दूसरे पोरे के जोड़ के बातिनी हिस्से पर रखें।

सैकड़ा और हज़ार का तरीक़ा यह है

दायें हाथ में उंगली की जो हय्यत (1) के लिए है। बायें हाथ में वही हय्यत (1000) के लिए है और जो (2) के लिए है वह बायें हाथ में (2000) के वास्ते और जो (3) के लिए है वह बायें हाथ में (3000) के वास्ते इसी तरह बाक़ी यहां तक कि जो (9) के लिए है वह बायें हाथ में (9000) के वास्ते उसी तरह दायें में उंगलियों की जो हय्यत (10) के लिए है, बायें हाथ में वही हय्यत (100) के वास्ते और जो (20) के लिए है वह बायें में (200) के वास्ते और जो (30) के लिए है वह बायें हाथ में (300) के वास्ते इसी तरह बाक़ी यहां तक कि जो (90) के लिए है वह बायें हाथ में (900) के वास्ते और (10000) के वास्ते अंगूठे के पूरे किनारे को अंगुश्ते शहातद के तमाम पोरे की तरफ़ के साथ मिलाया जाए। इस तरह कि अंगूठे के नाखुन का सर उसके नाखुन के सर के बराबर और किनारा किनारे के बराबर हो जाए।

मसला: – हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना मकरूह है नमाज़ में बग़ैर उज़्र चार ज़ानो बैठना मकरूह है और उज़्र हो तो हर्ज नहीं और इलावा नमाज़ के इस नशिस्त में कोई मुज़ाइका नहीं। दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुंचाना मकरूह है जबकि दो एक बार हो पंखा झलना नमाज़ को फासिद कर देता है।

मसला: – कपड़ा हद्दे मुअ़ताद से ज़्यादा दराज़ रखना दामनों और पाईचों मे ज़्यादती यह हैकि टखनों से नीचे हों और आस्तीनों में ज़्यादती यह हैकि उंगलियों से नीचे हों और अ़मामे में यह कि बैठने में उसका शिमला दबे। अंगड़ाई लेना और बिलक़स्द खांसना या खंकारना मकरूह है और नमाज़ में थूकना भी मकरूह है।

मसला: – मुक़तदी को सफ़ के पीछे तन्हा खड़ा होना मकरूह है जबकि अगली सफ़ में जगह मौजूद हो और सफ़ में जगह न हो तो हर्ज नहीं।

मसला: – फ़र्ज़ की एक रकअ़त में किसी आयत को बार–बार पढ़ना हालते इख़्तियार में मकरूह है और उज़्र से हो तो हर्ज नहीं यूंही सूरत को बार–बार पढ़ना भी मकरूह है सज्दे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना और उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज़्र मकरूह है रुकूअ़ में सर को पुश्त से ऊंचा या नीचा करना मकरूह है और *बिस्मिल्लाहि* व *अऊज़ु* व *सुब्हा–न* और *आमीन* ज़ोर से कहना और अज़कारे नमाज़ को उनकी जगह से हटा कर पढ़ना मकरूह है।

मसला: – बग़ैर उज़्र दीवार या असा पर टेक लगाना मकरूह है और उज़्र से हो तो हर्ज नहीं, रुकूअ़ में घुटनों पर और सज्दों में ज़मीन पर हाथ रखना मकरूह है अ़मामे को सर से उतार कर ज़मीन पर रख देना या ज़मीन से सर पर रख लेना मकरूह है।आस्तीन को बिछा कर सज्दा करना ताकि चेहरे पर ख़ाक न लगे मकरूह है और गर्मी से बचने के लिए कपड़े पर सज्दा करे तो हर्ज नहीं।

मसला: – आयते रहमत पर सवाल करना और आयते अज़ाब पर पनाह मांगना तन्हा नफ़्ल पढ़ने वाले के लिए जाइज़ है और इमाम व मुक़तदी को मकरूह है।

मसला: – दाहिने बायें झूमना मकरूह है और कभी एक पाँव पर ज़ोर देकर खड़ा होना कभी दूसरे पर मकरूह नहीं बल्कि सुन्नत है उठते

वक्त आगे पीछे पांव उठाना मकरूह है और सज्दे को जाते वक्त [illegible] जानिब ज़ोर देना और उठते वक्त बायें पर ज़ोर देना मुस्तहब है। नमाज़ में आंखें बन्द रखना मकरूह है मगर जब खुली रहने से खुशूअ न होता हो तो बन्द करने में हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है।

मसला:– सज्दे वग़ैरह में क़िब्ला से उंगलियों को फेर देना मकरूह है।

याद रखिए

जूं या मच्छर या खटमल जब ईज़ा पहुंचाते हों तो पकड़ कर मार डालने में हर्ज नहीं जबकि अमले कसीर तक नौबत न पहुंचे।

मसला:– इमाम को तन्हा मेहराब में खड़ा होना मकरूह है और अगर बाहर खड़ा हुआ और सज्दा मेहराब में किया या इमाम तन्हा न हो बल्कि उसके साथ कुछ मुक़तदी भी मेहराब के अन्दर हों तो हर्ज नहीं। यूंही अगर मुक़तदियों पर मस्जिद तंग हो तो भी मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं।

ख़ूब याद रखिए

इमाम को दरों में खड़ा होना भी मकरूह है इसी तरह पहली जमाअ़त के इमाम को मस्जिद के गोशे व जानिब में खड़ा होना भी मकरूह है इस के लिए सुन्नत यह है कि बीच मस्जिद में खड़ा हो और उसी बीच का नाम मेहराब है ख़्वाह वहां ताक़ मारूफ़ हो या न हो तो अगर बीच छोड़कर दूसरी जगह खड़ा हो अगरचे उसके दोनों तरफ़ सफ़ के बराबर–बराबर हिस्से हों तो मकरूह है।

मसला:– इमाम का तन्हा बुलन्द जगह खड़ा होना मकरूह है बुलन्दी की मिक़दार यह हैकि देखने में उसकी ऊंचाई ज़ाहिर मुम्ताज़ हो फिर यह बुलन्दी अगर क़लील हो तो मकरूहे तनज़ीही वरना तहरीमी है। इमाम नीचे हो और मुक़तदी बुलन्द जगह पर यह भी मकरूह है।

मसला:– काबा मुअ़ज़्ज़मा और मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। क्योंकि इसमें तर्के ताज़ीम लाज़िम आती है।

मसला:– मस्जिद में कोई जगह अपने लिए ख़ास कर लेना कि

वहीं नमाज़ पढ़े मकरूह है। तलवार वग़ैरह हमाइल किए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है जबकि उनकी हरकत से दिल बटे। वरना मुज़ाइक़ा नहीं इसी तरह सोने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं।

मसला: – जलती आग नमाज़ी के आंगे होना मकरूह है। शमअ या चिराग़ में कराहत नहीं। हाथ में कोई ऐसा माल हो जिसके रोकने की ज़रूरत होती है। उसको लिए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है मगर जब ऐसी जगह हो कि बग़ैर उसके हिफ़ाज़त नामुम्किन हो जाएगी तो मकरूह नहीं। सामने पाख़ाना वग़ैरह नजासत होना या ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि मुज़न्नए नजासत हो मकरूह है।

मसला: – सज्दे में रान को पेट से चिपका देना या हाथ से बग़ैर उज़्र मक्खी, पिस्सू उड़ाना मकरूह है। मगर औरत सज्दे में रान पेट से मिलाएगी उसके लिए मकरूह नहीं।

मसला: – क़ालीन और बिछौनों पर नमाज़ पढ़ने में हर्ज नहीं। जब कि इतने नरम और मोटे न हों कि सज्दे में पेशानी न ठहरे वरना नमाज़ न होगी।

मसला: – ऐसी चीज़ के सामने जो दिल को मशग़ूल रखे नमाज़ मकरूह है। मसलन ज़ीनत और लह्व व लइब वग़ैरह इसी तरह नमाज़ के लिए दौड़ना भी मकरूह है।

मसला: – आम रास्ते, कूड़ा डालने की जगह, कमेला, क़ब्रिस्तान, ग़ुस्ल ख़ाना, हम्माम, नाला, मवेशी ख़ाना, ख़ुसूसन ऊँट बांधने की जगह, अस्तबल, पाएख़ाने की छत और सहरा में बिला सुतरे के जब कि ख़ौफ़ होकि आगे से लोग गुज़रेंगे इन सब मक़ामात में नमाज़ मकरूह है।

मसला: – क़ब्रिस्तान में जो जगह नमाज़ के लिए मुक़र्रर हो और उसमें क़ब्र न हो तो नमाज़ पढ़ने में हर्ज नहीं कराहत उस वक़्त है जब कि क़ब्र सामने हो। नमाज़ी और क़ब्र के दर्मियान कोई शै सुतरे की मिक़दार हाइल न हो वरना अगर क़ब्र दाहिने या बायें या पीछे हो या बक़दरे सुतरा कोई चीज़ हाइल हो तो कुछ भी कराहत नहीं।

मसला: – एक ज़मीन मुसलमान की हो। दूसरी काफ़िर की तो मुसलमान की ज़मीन पर नमाज़ पढ़े बशर्ते कि उसमें खेती न हो वरना रास्ते पर पढ़े। काफ़िर की ज़मीन पर न पढ़े और अगर ज़मीन में ज़राअत है मगर

उसमें और मालिक में दोस्ती है जिसकी वजह से उसे नागवार न होगा तो पढ़ सकता है।

नमाज़ तोड़ना कब जाइज़ है?

साँप वग़ैरह मारने के लिए जब कि ईज़ा का सही अन्देशा हो या कोई जानवर भाग गया। उसके पकड़ने के लिए या बकरियों पर भेड़िए के हमला करने के ख़ौफ़ से नमाज़ तोड़ देना जाइज़ है। यूँही अपने या पराए एक दिरहम यानी सवा चार आने और तक़रीबन एक पाई के नुक़सान का ख़ौफ़ हो। मसलन दूध उबल जाएगा या गोश्त, तरकारी, रोटी वग़ैरह जल जाने का ख़ौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर उचक्का ले भागा तो इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है।

नमाज़ तोड़ना कब मुस्तहब है?

पाएख़ाना, पेशाब मालूम हुआ या कपड़े या बदन में इतनी नजासत लगी देखी कि नमाज़ के लिए मानेअ़ न हो या उसको किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो नमाज़ तोड़ देना मुस्तहब है बशर्ते कि वक़्त व जमाअ़त फ़ौत न होजाए और पाएख़ाना, पेशाब की हालत शदीद मालूम होने में तो जमाअ़त के फ़ौत होजाने का भी ख़्याल न किया जाएगा। अलबत्ता फ़ौते वक़्त का लिहाज़ होगा।

नमाज़ तोड़ना कब वाजिब है?

कोई मुसीबत ज़दा फ़रियाद कर रहा हो। किसी नमाज़ी को पुकार रहा हो या मुतलक़न किसी शख़्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो या कोई आग से जल जाएगा या कोई अंधा राहगीर कूँवें में गिरा चाहता हो तो इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देना वाजिब है जबकि यह उसके बचाने पर क़ादिर हो।

माँ-बाप की अ़ज़मत

शरीअ़त ने यह रखी है कि अगर बेटा नफ़्ल नमाज़ पढ़ रहा हो और उन्हें यह मालूम नहीं ऐसी हालत में अगर वह बेटे को पुकारें तो उसको हुक्म है कि नमाज़ तोड़कर उनको जवाब दे।

नमाज़ पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

यह है कि बावज़ू क़िब्ला रू दोनों पाँव के पंजों में चार अंगुल का फ़ासिला कर के खड़ा हो और दोनों हाथ कानों तक ले जाए इस तरह कि अंगूठे कानों की लौ से छू जाएं और उंगलियां न मिली हुई रखे न ख़ूब खोले हुए बल्कि अपनी हालत पर हों और हथेलियां क़िब्ले को हों। नीयत करके *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ़ के नीचे बांध ले इस तरह कि दाहिनी हथेली की गुद्दी बायें कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उंगलियां बायीं कलाई की पुश्त पर और अंगूठा और छंगुलिया कलाई के अग़ल–बग़ल फिर सना पढ़े यानी

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

तर्जुमा–ऐ अल्लाह मैं इस्तेफ़ाद रखता हूं कि तू हर उस सिफ़त से पाक है जो तेरी शान के लाइक़ नहीं और मैं तेरी हम्द के साथ शुरू करता हूं और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अ़ज़मत सब पर बुलन्द है और वजूद में तेरे सिवा कोई मअ़बूद बरहक़ नहीं। फिर तअ़व्वुज़ पढ़े यानी اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ इसका तर्जुमा यह है। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मरदूद शैतान से।

तालीमात: – (1) क़ुरआने पाक की क़िरात शुरू करने से पेश्तर اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ पढ़ना, नमाज़ में सुन्नत है और बैरूने नमाज़ वाजिब है। क़िरात से पेश्तर इसके पढ़ने का हुक्म इस लिए दिया गया है कि क़िरात शुरू करने वाले को शैतान का वाक़िआ याद आजाए और वह यह समझ ले कि शैतान फ़रिश्तों में मुअ़ज़्ज़म और मुम्ताज़ होने के बावजूद बारगाहे इलाही से मरदूद इस लिए हो गया कि उसने अपने रब के हुक्म की मुख़ालिफ़त की थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सज्दा करने से इंकार कर दिया था। इस वाक़िआ के याद आने से क़िरात करने वाला इस नीयत से क़िरात करेगा कि क़ुरआन पाक में जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया गया है उनको बजा लाए और जिनकी मुमानअ़त की गई है उनसे बचता रहे कि रब की मुख़ालिफ़त में गिरिफ़्तार न हो। वरना मुख़ालिफ़त से शैतान की तरह मरदूद हो जाएगा और शैतान की तरह हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। (2) चूंकि बन्दे के दिल में शैतानी

ख़तरात और वसवसे आते जाते रहते हैं जिनकी वजह से उसका [illegible] परागन्दा रहता है और परागन्दगी की वजह से कलामे इलाही की हलावत महसूस नहीं होती नज़र बरां उसको हुक्म दिया गया कि क़िरात से पेशतर इन कल्मात के ज़रीअे से अल्लाह तआ़ला की पनाह में आकर शैतानी वसवसों से महफ़ूज़ होजाए ताकि कलामे इलाही की हलावत अपने अन्दर महसूस कर सके। (3) क़ुरआने करीम के हर–हर कल्मे में हक़ाइक़ व मआरिफ़ के दफ़्तर हैं जिन तक उसी क़ल्ब की रिसाई हो सकती है जो शैतानी ख़्यालात और वसवसों से पाक और अनफ़ासे हक़ की ख़ुशबू से मुअ़त्तर हो और यह दोनों चीज़ें तअ़व्वुज़ में मुज़मर हैं। इसी वास्ते शुरू क़िरात में इसके पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इसी वास्ते यह कल्मात बनिस्बत कल्मए लानत शैतान पर ज़्यादा शाक़ गुज़रते हैं। चुनांचे हदीस में है जब कोई मोमिन शैतान पर लानत करता है तो शैतान उसको मुख़ातिब कर के यूं कहता है कि तूने एक मलऊन पर लानत की और जब मोमिन أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ पढ़ता है तो शैतान कहता है कि तूने मेरी पीठ तोड़ दी क्यों कि बन्दा इन कल्मात के ज़रीआ़ से क़ादिरे मुतलक़ की पनाह में आ जाता है।

शैतान से महफ़ूज़ रहने का इस्लामी तरीक़ा

हदीस में है जो शख़्स दिन में दस मर्तबा–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ पढ़ले तो अल्लाह तआ़ला उसके साथ एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फ़रमा देता है जो उस शख़्स से शैतान को दफ़ा करता रहता है। जलीलुल–क़दर सहाबी हज़रत मआ़ज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु बयान फ़रमाते हैंकि एक मर्तबा रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो शख़्स आपस में एक दूसरे को सब्ब व शत्म करने लगे और उसमें हद से गुज़र गए तो रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं ऐसा कल्मा जानता हूं कि अगर उसको यह कहलें तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। (जो शैतान की मुदाख़लत से पैदा होता है) वह कल्मा

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ है।

सत्तर हज़ार फ़रिश्तों को अपना दुआगो बनाइये

अजीमुलक़दर सहाबी हज़रत मअक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैकि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो शख़्स सुबह के वक़्त तीन मर्तबा أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ पढ़े और सूरए हश्र की आख़री तीन आयतें तो अल्लाह तआ़ला उसके साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमा देता है जो उसके लिए शाम तक दुआए ख़ैर करते रहते हैं अगर वह शख़्स उस दिन इन्तिक़ाल कर जाए तो दर्जए शहादत पाएगा और जो शख़्स शाम के वक़्त यह अमल करेगा तो उसके लिए भी यही हुक्म है फिर तस्मिया पढ़े यानी بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है।

तालीमात: – (1) यह क़ुरआने पाक की मुस्तक़िल एक आयत है किसी सूरत का जुज़ नहीं सूरतों में फ़स्ल और इम्तियाज़ करने के लिए इस को नाज़िल किया गया था। बैरूने नमाज़ जब किसी सूरत को इबतदा से पढ़े तो शुरू में इसका पढ़ना मसनून है और अगर दर्मियान से पढ़े तो इस का पढ़ना मुस्तहब है। (2) इसके नुज़ूल से पेश्तर रहमते सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ख़ुतूत वग़ैरह के शुरू में بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ लिखवाया करते थे फिर जब आयत ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا नाज़िल हुई तो आप ने *बिस्मिल्लाहि* लिखवाना शुरू कर दिया फिर जब आयत قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ नाज़िल हुई तो आप *बिस्मिल्लाहिर्रहमानि* लिखवाने लगे। फिर जब यह आयत नाज़िल हुई اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ तो आपने *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* लिखवाना इख़्तियार फ़रमा लिया। (3) और इसकी ख़ैरो बरकत का इज़हार करते हुए इर्शाद फ़रमाया कि हर अमर ज़ीशान को इससे शुरू किया जाए ताकि उसमें अल्लाह तआ़ला दुनियवी और उख़रवी बरकतें अता फ़रमाए और अगर इससे शुरू न किया गया तो वह बे–बरकत रहेगा। (4) बाज़ आरेफ़ीन ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला के निनानवे मशहूर नामों से बहुत से नाम ऐसे हैं। जिनके अव्वल में *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* के हुरूफ़ में से कोई हरफ़ है जैसे *बसीरु, समीउ, मालिकु, अल्लाहु,*

लतीफ़, हादी, रज़्ज़ाक़, हलीमु, नाफ़िउ वग़ैरह पस किसी काम को *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* से शुरू करना इन तमाम नामों से शुरू करना क़रार पाता है और उन तमाम नामों के असरात हासिल होजाते हैं। इसी वास्ते *बिस्मिल्लाह* शरीफ़ के पढ़ने से तरह-तरह की बरकतों का ज़ुहूर होता है। जिनको सुनकर लोग मुतहय्यर हो जाते हैं।

सालेह औलाद पैदा होने का इस्लामी तरीक़ा

रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को मुख़ातिब कर के इर्शाद फ़रमाया कि जब तुम वज़ू का इरादा करो *बिस्मिल्लाहि* पढ़ लो तो उस वक़्त से फ़ारिग़ होने तक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता तुम्हारे नामए आमाल में नेकियां लिखता रहेगा और जब अपनी अहलिया से मख़सूस मुलाक़ात का इरादा करो तो *बिस्मिल्लाहि* पढ़लो तो उस वक़्त से ग़ुस्ले जनाबत तक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता तुम्हारे नामए आमाल में नेकियां लिखता रहेगा और अगर उस मुलाक़ात से कोई बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारे नामए आमाल में उस बच्चा के सांसों की तादाद के बराबर और उस बच्चे की जितनी नस्ल हो उस सारी नस्ल के सांसों की तादाद के बराबर तुम्हारे नामए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी।

ऐ अबू हुरैरा जब तुम किसी चौपाए पर सवार हो तो *बिस्मिल्लाहि* और *अलहम्दु ल्लिाहि* कह लो ताकि उसके क़दमों की तादाद के बराबर तुम्हारे लिए नेकियां लिखी जायें और जब कश्ती पर सवार हो तो *बिस्मिल्लाहि*और *अलहम्दु लिल्लाहि* कहलो ताकि उस वक़्त से निकलने तक तुम्हारे लिए नेकियां लिखी जाएं। बादशाहे रूम ने फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में यह दरख़्वास्त भेजी कि मेरे सर में दर्द है जो कभी बन्द नहीं होता तो मेरे लिए कोई दवा इर्साल फ़रमायें। फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक टोपी भेज दी। बादशाहे रूम जब उसको सर पर रखता दर्द बन्द हो जाया करता था और जब उतारता तो फिर होने लगता यह चीज़ उसके लिए तअज्जुब खेज़ हुई तो उसने टोपी की तफ़्तीश की उसमें से एक काग़ज़ निकला जिसमें *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* लिखी हुई थी।अब समझा कि उसी की बरकत से दर्द बन्द हो जाता है।

उलमाए किराम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला के तीन हज़ार नाम हैं एक हज़ार तो वह हैं जिनका सिर्फ़ फ़रिश्तों को इल्म है और एक हज़ार वह हैं जिनका इल्म सिर्फ़ अम्बियाए किराम को है और तीन सौ तौरेत में हैं और तीन सौ इंजील में और तीन सौ ज़ुबूर में और निनानवे क़ुरआने पाक में और एक वह है जिसका इल्म बजुज़ अल्लाह तआला के और किसी को नहीं *बिस्मिल्लाहि* शरीफ़ में तीन नाम मज़कूर हैं। *"अल्लाह, रहमान, रहीम"* इन तीनों में तीन हज़ार नामों के मआनी आजाते हैं। नज़र बरां अल्लाह तआला को इन तीनों नामों के साथ याद करना बमंज़िला तीन हज़ार नामों के साथ याद करने के होता है। पस जिस काम के शुरू में *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* पढ़ा गया तो इन तीन हज़ार नामों की बरकतें हासिल होंगी बशर्ते कि नीयत में ख़ुलूस और क़ल्ब हाज़िर हो।

हदीसः- में हैकि महबूबे ख़ुदा ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया। शबे मेअराज मेरे सामने सब जन्नतें पेश की गईं तो मैंने उनके अन्दर चार नहरें देखीं एक पानी की दूसरी दूध की तीसरी शराब की चौथी शहद की, मैंने जिब्रईल से कहा कि यह कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं। जिब्रईले अमीन ने अर्ज़ की। हौज़े कौसर में जा रही हैं और मुझे यह नहीं मालूम कि कहां से आ रही हैं। अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज़ कीजिए ताकि वह आप को बतादे या दिखादे। चुनांचे आपने अर्ज़ की तो एक फ़रिश्ता हाज़िर हुआ और महबूबे ख़ुदा की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करने के बाद उसने अर्ज़ किया कि आँखें बन्द फ़रमा लीजिए। आपने आँखें बन्द फ़रमा लीं। फिर उसने अर्ज़ किया खोल दीजिए आपने खोल दीं। महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि आँखें खोलने के बाद मैं एक दरख़्त के पास था और मैंने सफ़ेद मोती का एक क़ुब्बा देखा। जिसका दरवाज़ा सोने का और उसमें क़ुफ़्ल लगा हुआ था वह क़ुब्बा इस क़दर बड़ा था कि अगर तमाम जिन्न व इन्स उस पर बिठाए जायें तो ऐसा मालूम हो जैसे किसी पहाड़ पर एक परिन्दा बैठा हुआ है। मैंने देखा कि यह चारों नहरें उस क़ुब्बे के नीचे से निकल रही हैं। जब मैंने वापसी का इरादा किया तो फ़रिश्ता बोला कि इस क़ुब्बे में दाख़िल क्यों नहीं होते मैंने कहा किस तरह दाख़िल हों, जबकि इसका दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल है और मेरे पास चाबी नहीं। फ़रिश्ते ने अर्ज़

किया कि इसकी चाबी *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* है चुनाचे मैंने उस कुफ़्ल से करीब होकर *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमि* को पढ़ा तो वह कुफ़्ल फ़ौरन खुल गया। फिर मैं कुब्बे मे दाखिल हुआ तो देखा कि वह चारों नहरें उस कुब्बे के चारों गोशों से निकल रही हैं और मैंने देखा कि उस कुब्बे के चार गोशों पर *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* लिखी हुई है पानी की नहर *बिस्मिल्लाहि* की मीम से और दूध की *अल्लाह* की हे से और शराब की *रहमान* की मीम से और शहद की नहर *रहीम* की मीम से निकल रही है तब मालूम हुआ कि इन नहरों की असल *बिस्मिल्लाह* से है। उस वक़्त अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत में से जो शख़्स खुलूस कल्ब के साथ इन तीनों अस्मा के साथ *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* पढ़ कर मुझको याद करेगा तो उसको इन चारों नहरों से सैराब फ़रमाऊंगा। फिर *अलहम्दु* पढ़े और ख़त्म पर आहिस्ता *आमीन* कहे उसके बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत जो तीन के बराबर हो।

अलहम्द शरीफ़ का मुख़्तसर तज़किरा

इसको सूरए फ़ातिहा भी कहते हैं इसमें सात आयतें सत्ताईस कल्मे एक सौ चार हुरूफ़ हैं। सय्यदे आमल नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि सूरए फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है। इसी वास्ते बुज़ुर्गाने दीन मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से लिख कर मरीज़ों को पिलवाते हैं जिससे बफ़ज़लेही तआ़ला शिफ़ा हासिल होती है। इसकी अज़मत का कुछ अन्दाज़ा सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व आलेहि वसल्लम के इस इर्शाद से हो सकता है जो आपने इसके बारे में फ़रमाया था और वह यह है कि अगर यह सूरत तौरेत शरीफ़ में होती तो मूसा अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ौम यहूदियत इख़्तियार न करती और अगर इंजील शरीफ़ में होती तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम नसरानियत इख़्तियार न करती और अगर यह सूरत ज़ुबूर शरीफ़ में होती तो दाऊद अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ौम मस्ख़ न की जाती और जो मुसलमान इसको पढ़े तो अल्लाह तआ़ला पूरे क़ुरआन के पढ़ने का सवाब अता फ़रमाएगा और जुमला मोमेनीन और जुमला मोमेनात पर सदका करने के बराबर सवाब पाएगा।

दुआ क़ुबूल कराने का इस्लामी तरीक़ा

सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि सूरए फ़ातिहा सौ मर्तबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह तआला उसको क़ुबूल फ़रमाता है।

अलहम्द शरीफ़ का तर्जुमा

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ؕ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ
نَسْتَعِیْنُ ؕ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ.

सब ख़ूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का। बहुत मेहरबान रहमत वाला। रोज़े जज़ा का मालिक। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमें सीधा रास्ता चला। उनका रास्ता जिन पर तूने एहसान किया। न उनका जिन पर ग़ज़ब हुआ और न बहके हुओं का।

सूरए फ़ातिहा के मज़ामीन

इस सूरत में अल्लाह तआला की हम्द व सना, रबूबियत, रहमत, मालिकियत, इस्तेहक़ाक़े इबादत, तौफ़ीक़े ख़ैर, बन्दों की हिदायत, तवज्जोह इलल्लाह, इख़्तेसासे इबादत, इस्तेआनत, तलबे रुश्द, आदाबे दुआ, सालेहीन के हाल से मुवाफ़क़त, गुमराहों से इजतेनाब व नफ़रत। दुनिया की ज़िन्दगानी का ख़ात्मा, जज़ा और जज़ा का मुसर्रह व मुफ़स्सल बयान है और जुमला मसाइल का इजमालन अलहम्द।

मसला:– हर ज़ीशान काम के शुरू में *बिस्मिल्लाह* शरीफ़ की तरह हम्दे इलाही भी बजा लाना चाहिए।

मसला:– कभी हम्द वाजिब होती है जैसे जुमा के ख़ुतबे में और कभी मुस्तहब जैसे निकाह के ख़ुतबे में और दुआ में और हर खाने–पीने के बाद। कभी सुन्नते मुवक्किदा जैसे छींक आने के बाद *रब्बिल आलमीन* में तमाम काइनात के हादिस व मुहताज होने की तरफ़ और अल्लाह तआला के वाजिब। क़दीम, अज़ली, अबदी, हय्यु व क़य्यूम, क़ादिर व अ़लीम होने की तरफ़ इशारा है। जिनको *रब्बिल आलमीन* मुस्तलज़िम है इन दो लफ़्ज़ों

में इन्ही इस्तलाहियात के अहम मतालिब तय हो गए। *मालिके यौमिद्दीन* में मुल्क के ज़ुहूरे ताम का बयान और यह दलील हैकि अल्लाह के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं क्योंकि सब उसके ममलूक हैं और ममलूक मुस्तहिके इबादत नहीं हो सकता। इसी से मालूम हुआ कि दुनिया दारुल अमल है और उसके लिए इन्तेहा है। इस दुनिया के सिलसिले को अज़ली अबदी कहना बातिल है। इख्तेतामे दुनिया के बाद एक जज़ा का दिन है इससे मालूम हुआ कि तनासुख बातिल है ज़ात व सिफ़ात का ज़िक्र करने के बाद *इय्या–क नअबुदु* फ़रमाने में इस तरफ़ इशारा किया गया हैकि अक़ीदा अमल पर मुक़द्दम है और इबादत की मक़बूलियत अक़ीदे की सेहत पर मौकूफ़ है और इसमें रद्दे शिर्क भी है कि अल्लाह तआला के सिवा इबादत किसी के लिए नहीं हो सकती। *इय्या–क नस्तअ़ीन* में यह तालीम फ़रमाई कि इस्तेआनत ख़्वाह बवास्ता हो या बे–वास्ता हर तरह अल्लाह तआला के साथ खास है। हक़ीक़ी मुस्तआन वही है बाक़ी आलात व खुद्दाम व अहबाब वग़ैरह सब इआनते इलाही के मज़हर हैं। बन्दे को चाहिए कि इस पर नज़र रखे और हर चीज़ में दस्ते क़ुदरत को कारकुन देखे। इससे यह समझना कि औलिया, अम्बिया से मदद चाहना शिर्क है जैसे वहाबी कहते हैं, बातिल अक़ीदा है। क्योंकि मुक़र्रिबाने हक़ की इमदाद, इमदादे इलाही है इस्तेआनत बिलग़ैर नहीं। अगर इस आयत के वह मानी होते जो वहाबियों ने समझे तो क़ुरआन पाक में اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (मदद तलब करो सब्र और नमाज़ से) क्यों वारिद होता और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्तेआनत की तालीम क्यों दी जाती। *इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम* में दुआ की तालीम फ़रमाई। इससे यह मसला मालूम हुआ कि बन्दे को इबादत के बाद दुआ में मशग़ूल होना चाहिए। हदीस शरीफ़ में भी नमाज़ के बाद दुआ की तालीम फ़रमाई गई है। *सिरातल मुस्तक़ीम* से मुराद इस्लाम है या क़ुरआन या नबीए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अख़लाक़ या खुद हुज़ूर या हुज़ूर के आल व असहाब मुराद हैं। इससे साबित होता हैकि *सिरातल मुस्तक़ीम* अहले सुन्नत का रास्ता है तो अहले बैत व असहाब और सुन्नत व क़ुरआन और सवादे आज़म सबको मानते हैं। *सिरातल लज़ी–न अनअम्–त अलैहिम* पहले जुमले की तफ़सीर हैकि *सिरातल मुस्तक़ीम* से तरीक़े मुस्लेमीन मुराद है इससे बहुत मसाइल हल होते हैं कि जिन उमूर

पर बुज़ुर्गाने दीन का अमल रहा हो। यह *सिरातल मुस्तक़ीम* में दाख़िल है। *ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन* में इस अमर की हिदायत है कि तालिबे हक़ को दुश्मनाने ख़ुदा से इजतेनाब और उनकी रस्म व राह उनकी वज़अ व अतवार से परहेज़ लाज़िम है। तिर्मिज़ी शरीफ़ की रिवायत है कि *मग़ज़ूबि अलैहिम* से यहूद और *ज़ाल्लीन* से नसारा मुराद हैं।

मसला: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ को غَيْرِ الْمَغْظُوْبِ पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है और जो शख़्स 'ज़ाद' की जगह 'ज़ा' पढ़े उसकी इमामत जाइज़ नहीं। (महीफ़ बुरहान)

आमीन

यह लफ़्ज़ न सिर्फ़ अलहम्द शरीफ़ बल्कि क़ुरआन पाक ही का जुज़ नहीं। अलहम्द शरीफ़ पढ़ने वाले के लिए इख़तेताम पर इसका पढ़ना मसनून है। इसी तरह हर दुआ के बाद। और यह इस उम्मत के ख़ुसूसियात से है। इससे पेश्तर किसी को नहीं दिय गया। सिवाए हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि उन्हों ने एक मर्तबा इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रूर किया था जब कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन के लिए बद दुआ फ़रमाई थी। मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि *आमीन रब्बुल आलमीन* की अता कर्दा मुहर है कि बन्दे अपनी दुआओं के आख़िर में इसको लगायें ताकि उनकी दुआयें नाकाम होने से महफ़ूज़ रहें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि इसके कहने वाले के लिए जन्नत का एक दर्जा लिखा जाता है। मशहूर मुवर्रिख़े इस्लाम वहब इब्न मुबन्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि आमीन में चार हरफ़ हैं। अल्लाह तआला हर हरफ़ के बदले एक फ़रिशता पैदा फ़रमाता है जो कि कहने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। फिर अलहम्द शरीफ़ और सूरत पढ़कर *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ रुकूअ में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े इस तरह कि हथेलियां घुटने पर हों और उंगलियां ख़ूब फैली हों, न यूंकि सब उंगलियां एक तरफ़ हों और न यूंकि चार उंगलियां एक तरफ़ और दूसरी तरफ़ फ़क़त अंगूठा और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊँचा–नीचा न हो और कम से कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ कहे।

(इसका तर्जुमा यह है) मेरा अज़मत वाला मालिक सब बुराईयों से पाक है। फिर سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए (इसका तर्जुमा यह है) अल्लाह उसकी हम्द क़ुबूल फ़रमाए जिसने उसकी हम्द की, अगर मुनफ़रिद हो तो इसके बाद اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ कहे (इसका तर्जुमा यह है कि) ऐ अल्लाह हमारे मालिक तेरे लिए हम्द है। फिर *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ सज्दे में जाए इस तरह कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे न यूंकि सिर्फ़ पेशानी छू जाए और नाक की नोक लग जाए। बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाए और बाज़ूओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िब्ला रू जमे हों और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां क़िब्ले को हों और कम अज़ कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहे (इसका तर्जुमा यह है) मेरा बुलन्द मालिक सब बुराईयों से पाक है। फिर सर उठाए उसके बाद हाथ और दाहिना क़दम खड़ा कर के उसकी उंगलियां क़िब्ला रुख़ करे और बायां क़दम बिछाकर उस पर खुद सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां क़िब्ला को हों। फिर *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ सज्दे को जाए और पहले की तरह सज्दा करे। फिर सर उठाए। फिर हाथ को घुटने पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ़ *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* पढ़कर क़िरात शुरू करदे। फिर पहले की तरह रुकूअ और सज्दे कर के दाहिना क़दम खड़ा कर के बायां क़दम बिछाकर बैठ जाए और अत्तहियात पढ़े इसमें कोई हरफ़ कम व बेश न करे और जब कल्मए *ला* के क़रीब पहुंचे दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्क़ा बनाए और छंगुलियां और उसके पास वाली हथेली से मिलादे और लफ़्ज़ *ला* पर कल्मे की उंगली उठाए मगर उसको जुम्बिश न दे और कल्मा *इल्ला* पर गिरादे और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर दे अगर दो से ज़्यादा रकअतें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और पहले की तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ों की इन रकअतों में अलहम्द शरीफ़ के साथ सूरत न मिलाए।

अत्तहियात का तर्जुमा

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

तर्जुमाः— तमाम क़ौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और तमाम बदनी इबादतें भी और तमाम माली इबादतें भी, ऐ नबी आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें, हम पर सलाम हो और अल्लाह के नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक़ मअ़बूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल हैं।

अत्तहियात का तारीख़ी हाल

महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम जब शबे मेअ़राज बारगाहे इलाही में हाज़िर हुए तो बतौर दरबारी आदाब के आपने اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ अर्ज़ किया था उसके जवाब में मौला तआ़ला ने اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ फ़रमया। महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने तीन कल्मात अर्ज़ किए थे मौला तआ़ला ने भी जवाब में तीन कल्मात इर्शाद फ़रमाए यानी *अत्तहियातु* के जवाब में सलाम फ़रमाया जो इस उम्मत के साथ मख़सूस है। साबिक़ा उम्मतों में से किसी को नहीं दिया गया और *अस्सलवातु* के जवाब में *रहमतुल्लाहि* फ़रमाया और *अत्तय्यिबातु* के जवाब में *बरकातुहू* फ़रमाया। मेअ़राज के दुल्हा सरवरे अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलेहि वसल्लम ने अल्लाह तआ़ला के सलाम के जवाब में اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ कहा जिससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं। अव्वल आपका करम कि अल्लाह तआ़ला के सलाम में आपने عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ कह कर तमाम अम्बिया, मलाइका, औलिया और सब नेक बन्दों को शरीक फ़रमा लिया। दोम आपकी इंतेहाई शफ़क़त यह कि आपने गुनहगार उम्मतियों को इस मौक़ा पर फ़रामोश नहीं फ़रमाया बल्कि उन पर इंतेहाई

करम यह हुआ कि *अलैना* कह कर अपने दामने रहमत में लेकर अपने साथ ज़िक्र फ़रमा दिया। नेक बन्दों की तरह अलाहिदा ज़िक्र नहीं किया। गुनहगार उम्मतियों को अपने साथ रखना मंज़ूर था जब ही तो *अलैना* फ़रमाया जो जमा के लिए आता है और अगर गुनहगारों को अपने साथ रखना मंज़ूर न होता तो *अलैना* की जगह *अलय्या* फ़रमाते जो वाहिद के लिए आता है। जब महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने अपनी शफ़क़त व करम से अल्लाह तआला के सलाम में अपने साथ सबको शरीक कर लिया तो हुज़ूर के इस खुलके अज़ीम और करमे अमीम से बइल्हामे खुदावन्दी मुतअस्सिर होकर सातों आसमान से ऊपर रहने वाले फ़रिश्तों में से हर एक ने कहा। أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ अब यह बात ज़ाहिर होगई कि *अत्तहियातु* के बाज़ कल्मात अल्लाह तआला के फ़रमाए हुए हैं और बाज़ कल्मात महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलेहि वसल्लम के और बाज़ फ़रिश्तों के लेकिन नमाज़ी اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ इस इरादे से कहे कि वह बारगाहे इलाही में इन कल्मात के ज़रीअे से खुद आदाब बजा ला रहा है। यह इरादा न करे कि मैं हुज़ूर के पेश करदा आदाब की नक़ल कर रहा हूं। और اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ बारगाहे रिसालत में सलाम पेश करने की नीयत से कहे इस इरादा से नहीं कि अल्लाह तआला के फ़रमाए हुए सलाम की नक़ल कर रहा हूं बल्कि इन कल्मात के कहने से पहले महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम की सूरते पाक का दिल में तसव्वुर करे फिर उसकी जानिब मुतवज्जह होकर बज़रीआ इन कल्मात के खुशूअ और खुज़ूअ के साथ सलाम पेश करे और اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ कहते वक़्त भी यह नीयत न करे कि हुज़ूर के इर्शाद फ़रमूदा कल्मात की नक़ल कर रहा हूं बल्कि यह नीयत करले कि इन कल्मात के ज़रीअे से अपने लिए और तमाम नेक बन्दों के वास्ते सलामती की दुआ कर रहा है और أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ कहते वक़्त यह नीयत न करे कि फ़रिश्तों के कहे हुए कल्मात की नक़ल कर रहा हूं बल्कि खुद उलूहियत और रिसालत की गवाही देने की नीयत से कहे। फिर *अत्तहियातु* के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े और वह यह है।

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا
اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ
عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

तर्जुमा:— ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद पर और हमारे सरदार मुहम्मद की आल पर जैसे कि तूने दुरूद भेजा हमारे सरदार इब्राहीम पर और हमारे सरदार इब्राहीम की आल पर बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्गी वाला है।

ऐ अल्लाह बरकत दे हमारे सरदार मुहम्मद के लिए और हमारे सरदार मुहम्मद की आल के लिए जैसे कि तूने बरकत दी थी हमारे सरदार इब्राहीम के लिए और हमारे सरदार इब्राहीम की आल के लिए। बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्गी वाला है।

सवाल:– इन दोनों दुरूदों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ज़िक्र किया दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का नाम ज़िक्र क्यों नहीं किया गया।

जवाब:– मेअ़राज से वापसी में चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पुर नूर से फ़रमाया था कि अपनी उम्मत से मेरा सलाम फ़रमा दीजिए नज़रबरां इस नवाज़िशे बेकरां और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रावां की मुकाफ़ात करने के लिए दुरूद शरीफ़ में उनका नामे पाक रख दिया गया कि उम्मत अपने मुहसिन की याद से नमाज़ में भी ग़ाफ़िल न रहे।

दुरूद शरीफ़ की खुसूसियत

बारगाहे इलाही में इस क़दर हैकि हर शख़्स के क़ियास में नहीं आसकती। सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने ग़ैब की ख़बर बताते हुए इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का एक फ़रिश्ता ऐसा है जिसके दो बाज़ू हैं इतने बड़े कि एक मश्रिक़ में

और एक मगरिब मे उसका सर अर्श के नीचे और उसके दोनो पाँव सातवीं जमीन के नीचे और मखलूकात की तादाद के बराबर उसके पर है जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या कोई औरत मुझ पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह तआला के हुक्म से वह फरिश्ता दरियाए नूर मे गोता लगाता है जो अर्श के नीचे है फिर निकल कर दोनो बाज़ूओं को झाड़ता है तो हर पर से एक कतरा टपकता है अल्लाह तआला हर कतरा से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है उन कतरात से पैदा शुदा मखलूकात की तादाद के बराबर फरिश्ते दुरूद भेजने वाले के लिए ता कियामत दुआए मगफिरत करते रहेंगे।

मसला: – उमर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है और हर जलसए ज़िक्र में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब, ख्वाह खुद नामे अक्दस ले या दूसरे से सुने अगर एक मजलिस में सौ बार ज़िक्र आए तो हर बार दुरूद पढ़ना चाहिए। अगर नामे अक्दस लिया या सुना और दुरूद शरीफ उस वक़्त न पढ़ा तो किसी दूसरे वक़्त में उसके बदले का पढ़ले।

मसला: – गाहक को सौदा दिखाते वक़्त ताजिर का इस गर्ज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना *सुब्हानल्लाहि* कहना कि उस चीज़ की उमदगी खरीदार पर जाहिर करे नाजाइज़ है, यूंही किसी बड़े को देखकर दुरूद शरीफ़ पढ़ना इस नीयत से कि लोगों को उसके आने की ख़बर होजाए। उसकी ताज़ीम को उठें और जगह छोड़ दें नाजाइज़ है।

दुरूद शरीफ़ के मख़सूस औक़ात

जहां तक भी मुम्किन हो दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है और खुसूसियत के साथ इन औक़ात में (1) रोज़े जुमा (2) शबे जुमा (3) सुबह (4) शाम (5) मस्जिद में जाते वक़्त (6) मस्जिद से निकलते वक़्त (7) रौज़ए अतहर की ज़ियारत के वक़्त (8) सफ़ा मरवा पर (9) खुतबे में (10) जवाबे अज़ान के बाद (11) इक़ामत के वक़्त (12) दुआ के अव्वल आख़िर बीच में (13) दुआए क़ुनूत के बाद (14) हज में *लब्बैक* से फ़ारिग़ होने के बाद (15) इजतेमाअ़ इफ़तेराक़ के वक़्त (16) वज़ू करते वक़्त (17) जब कोई चीज़ भूल जाए उस वक़्त (18) वअ़ज़ कहते वक़्त (19) पढ़ते वक़्त (20) पढ़ाते वक़्त खुसूसन हदीस शरीफ़ पढ़ने के अव्वल व आख़िर (21) सवाल लिखते वक़्त (22) फ़तवा लिखते वक़्त (23) तसनीफ़ के वक़्त (24) निकाह के वक़्त

(25) मंगनी के वक़्त (26) और जब कोई बड़ा काम करना हो।

महबूबे ख़ुदा के नाम लिखने का इस्लामी तरीक़ा

जब नामे अक़दस लिखे तो उसके साथ दुरूद ज़रूर लिखे क्योंकि बाज़ उल्मा ने फ़रमाया कि उस वक़्त दुरूद शरीफ़ लिखना वाजिब है। अक्सर लोग आजकल दुरूद शरीफ़ के बदले *सलअ़म* या उम या साद या ऐन लिखते हैं यह नाजाइज़ और सख़्त हराम है। इसी तरह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु की जगह रज़ि॰ और रहमतुल्लाह तआ़ला की जगह रह॰ लिखते हैं यह भी न चाहिए और जिन लोगों के नाम मुहम्मद, अहमद, अली, हसन, हुसैन होते हैं इन नामों पर साद या ऐन बनाते हैं यह भी ममनूअ़ है। क्योंकि इस जगह तो यह शख़्स मुराद है इस पर दुरूद का इशारा क्या मानी? और साद या ऐन से दुरूद की तरफ़ इशारा मक़सूद होता है। फिर जब दोनों दुरूद शरीफ़ से फ़ारिग़ होजाए तो दुआ पढ़े और वह यह है।

नमाज़ में पढ़ने की दुआ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

तर्जुमाः— ऐ अल्लाह हमारे मालिक हमें दुनिया में भलाई अता फ़रमा और आख़िरत में भलाई और हमें दोज़ख़ के अज़ाब से महफ़ूज़ रखियो।

या यह पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

तर्जुमाः— ऐ अल्लाह बेशक मैंने अपने ऊपर बहुत ज़ुल्म किया है और बेशक गुनाहों को तू ही मुआफ़ फ़रमाता है। तू मुझे मुआफ़ फ़रमादे अपने करम से और मुझ पर रहम फ़रमा। क्योंकि तू मग़फ़िरत फ़रमाने वाला और रहमत फ़रमाने वाला है।

या यह दुआ पढ़े

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ
رَبَّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ

तर्जुमा — ऐ मेरे मालिक मुझे नमाज़ का पाबन्द रख और मेरी औलाद को। ऐ हमारे मालिक और क़ुबूल फरमाले दुआ को, ऐ हमारे मालिक मेरी मगफ़िरत फरमा देना और मेरे मां—बाप की और सब मुसलमानों की जिस दिन हिसाब हो।

मसला: — जो चीज़ें आदतन मुहाल हैं जैसे पहाड़ का सोना होजाना या बूढ़े का जवान होजाना या जो चीज़ें शरअन मुहाल हैं जैसे मखलूक़ात में अम्बिया और मलाइका के मा—सिवा का मासूम होना। उनकी दुआ करना हराम है। मसलन कोई यह दुआ करे कि ऐ अल्लाह इस पहाड़ को सोना कर दे या मेरी बूढ़ी बीवी को जवान कर दे या मुझे मासूम बनादे तो यह हराम है।

कभी न भूलियेगा

कि मासूम होना नबी और फ़रिश्ते का ख़ास्सा है उनके सिवा कोई मासूम नहीं इमामों को अम्बिया की तरह मासूम समझना जैसे शीआ समझते हैं गुमराही है और अक्सर लोग बच्चों को मासूम कह दिया करते हैं, बच्चों पर इस लफ़्ज़ के बोलने से इजतेनाब करना चाहिए।

दुआ से फ़ारिग़ होने के बाद दाहिने शाने की तरफ़ मुंह कर के *अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि* कहे फिर बायें तरफ़। इसका तर्जुमा यह है— तुम पर सलामती होती रहे और अल्लाह की रहमत।

नमाज़ पढ़ने का यह तरीक़ा जो हमने बयान किया इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है। मुक़तदी के लिए इसमें की बाज़ बातें जाइज़ नहीं। मसलन इमाम के पीछे सूरए फ़ातिहा या कोई और सूरत पढ़ना। औरत भी बाज़ बातों में मुस्तसना है मसलन हाथ बांधने और सज्दे की हालत और क़अ़दा की सूरत में जिसको हम बयान कर चुके हैं। इस तरीक़ए नमाज़ में बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाज़ वाजिब, बाज़ सुन्नत, बाज़ मुस्तहब, हर एक की तारीफ़ याद रखिए।

फ़र्ज़ की तारीफ़: — फ़र्ज़ वह फ़ेअ़ल है कि इसके बग़ैर नमाज़ होती ही नहीं।

वाजिब की तारीफ़: — वाजिब वह फ़ेअ़ल है कि इसका क़स्दन तर्क करना गुनाह और तर्क करने से नमाज़ दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है और सह्वन तर्क हो तो सज्दए सह्व लाज़िम आता है। इसका एक बार क़स्दन छोड़ना

गुनाहे सग़ीरा है और चन्द बार गुनाहे कबीरा है।

सुन्नते मुवक्किदा की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है कि इसका तर्क करना बुरा हो और करना सवाब और नादेरन तर्क पर इताब और तर्क की आदत पर इस्तिहक़ाक़े अज़ाब हो।

सुन्नते ग़ैर-मुवक्किदा की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है कि इसका करना सवाब हो और न करना अगरचे आदतन हो मुजिबे इताब नहीं लेकिन नापसन्द होता है।

मुस्तहब की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है जिसका करना सवाब हो और न करने पर मुतलक़न कुछ नहीं।

मुबाह की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है जिसका करना और न करना यकसां हो यानी न सवाब न अज़ाब।

हराम की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है जिसका एक बार भी क़स्दन करना गुनाहे कबीरा है और उससे बचना फ़र्ज़ व सवाब है।

मकरूहे तहरीमी की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है कि इस के करने से इबादत नाक़िस होजाती है और करने वाला गुनहगार होता है। अगरचे इसका गुनाह हराम से कम है और चन्द बार इसका करना गुनाहे कबीरा है।

मकरूहे तनज़ीही की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है जिसका करना शरीअ़त के नज़दीक पसन्द नहीं मगर न इस हद तक कि उस पर अ़ज़ाब की वईद हो।

इसाअत की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है जिसका करना बुरा हो और नादेरन करने वाला मुस्तहिक़े इताब और इल्तेज़ाम के साथ करने पर इस्तिहक़ाक़े अज़ाब हो।

ख़िलाफ़े औला की तारीफ़:- वह फ़ेअ़ल है कि इसका न करना अच्छा हो और करने में कुछ मुज़ाइक़ा व इताब न हो।

नमाज़ के बाद के अज़्कार व दुआयें

नमाज़ के बाद जो तवील ज़िक्र हदीस में वारिद है। वह ज़ुहर व मग़रिब व इशा में सुन्नतों के बाद पढ़े जायें। क़बल सुन्नत मुख़्तसर दुआ पर क़नाअ़त चाहिए। वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा।

ख़ूब याद रखिये

कि हदीस में किसी दुआ या जिक्र की निरबत जो तादाद वारिद है उसे कम व बेश न करे क्योंकि इस जिक्र व दुआ के असरात उसी अदद के साथ मख़सूस हैं। कम व बेश करने से वह असरात हासिल न होंगे जैसे कोई कुफ्ल किसी खास किस्म की कुंजी से खुलता है। अब अगर कुंजी में दन्दाने कम या ज़ाइद कर दें तो उससे न खुलेगा। अलबत्ता अगर शुमार में शक वाकेअ हो जाए तो ज़्यादा कर सकता है और यह ज़्यादा करना न होगा बल्कि इसको इत्माम कहेंगे।

चोरों से महफ़ूज़ रहने का इस्लामी तरीक़ा

हदीस– मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम को इसी मिन्बर पर फ़रमाते सुना जो हर नमाज़ के बाद आयतलकुर्सी पढ़ले उसे जन्नत में दाख़िल होने से कोई चीज़ मानेअ नहीं सिवा मौत के, यानी मरते ही जन्नत में चला जाए और लेटते वक़्त जो इसे पढ़े अल्लाह तआला उसके और उसके पड़ोसी के घर को और आस–पास के घर वालों को शैतान और चोर से अमन देगा।

मालदारों से बढ़ जाने का इस्लामी तरीक़ा

हदीस– फ़ुक़राए मुहाजेरीन नबवी ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि मालदारों ने बड़े–बड़े दर्जे और लाज़वाल नेअ़मतें हासिल करलीं। इर्शाद फ़रमाया कि क्या सबब? अर्ज़ की जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वह भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वह भी रोज़े रखते हैं और वह सदक़ा करते हैं हम नहीं कर सकते और वह ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। इर्शाद फ़रमाया। क्या तुम्हें ऐसी बात न सिखा दूं जिससे उन लोगों को पालो जो तुमसे आगे बढ़ गए हैं और बाद वालों से आगे बढ़ जाओ और तुमसे कोई अफ़ज़ल न हो सके मगर वह जो तुम्हारी तरह करे। उन्हों ने अर्ज़ की हां या रसूलल्लाह सिखाइये इर्शाद फ़रमाया कि हर नमाज़ के बाद (33) तैंतीस बार *सुबहानल्लाह* और (33) तैंतीस बार *अल्लाहु अकबर* और (33) तैंतीस बार *अलहम्दु लिल्लाह* कह लिया करो।

अबू सालेह रावी कहते हैंकि फिर फ़ुक़राए मुहाजेरीन नबवी ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की हमने जो इर्शाद फ़रमूदा अमल किया उस को हमारे भाई मालदारों ने सुना तो उन्होंने भी वैसा ही अमल करना शुरू कर दिया। इर्शाद फ़रमाया यह अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहता है अता फ़रमाता है।

ख़तायें मुआफ़ कराने का इस्लामी तरीक़ा

जो हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तिग़फ़ार करे और आयतलकुर्सी तीनों क़ुल एक–एक बार पढ़े और *सुबहानल्लाहि* (33) तैंतीस बार *अलहम्दु लिल्लाह* (33) तैंतीस बार *अल्लाहु अकबर* (34) चौंतीस बार لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ एक बार। उसके गुनाह बख़्श दिए जायेंगे। अगरचे समन्दर के झाग के बराबर हों। इसका तर्जुमा यह है। अल्लाह यकता के सिवा कोई बरहक़ मअबूद नहीं उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सब ख़ूबियां और वह हर मुम्किन चीज़ पर क़ादिर है।

हर नमाज़ के बाद सर के अगले हिस्से पर हाथ रखकर मुन्दर्जा ज़ैल दुआ पढ़े और हाथ खींच कर माथे तक लाए।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

(तर्जुमा) अल्लाह ही के नाम से दुआ करता हूं जिसके सिवा कोई मअबूद बरहक़ नहीं वह बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। ऐ अल्लाह दूर फ़रमादे मुझसे फ़िक्र और ग़म को।

नमाज़ में क़ुरआन मजीद पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

हम पहले बयान कर चुके हैंकि क़िरात में इतनी आवाज़ दरकार है कि अगर कोई मानेअ न हो। जैसे सक़ले समाअत और शोरोग़ुल तो खुद सुन सके अगर इतनी आवाज़ भी नहीं तो नमाज़ न होगी।

मसला:– फ़जर व मग़रिब व इशा की दो पहली रकअ़तों में और जुमा व ईदैन व तरावीह और वित्रे रमज़ान की सब रकअ़तों में इमाम पर जहर वाजिब है और मग़रिब की तीसरी रकअ़त और इशा की तीसरी चौथी और ज़ुहर व असर की तमाम रकअ़तों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है।

ज़हर के माना

यह है कि दूसरे लोग जो सफ़े अव्वल में हैं सुन सकें। यह अदना दर्जा है और आला दर्जे के लिए कोई हद मुक़र्रर नहीं और आहिस्ता यह है कि खुद सुन सके।

मसला:– दिन के नवाफ़िल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है और रात के नवाफ़िल में इख़्तियार है अगर तन्हा पढ़े – और जमाअत से रात के नफ़्ल पढ़े तो जह्र वाजिब है।

मसला:– जह्री नमाज़ों में मुनफ़रिद को इख़्तियार है और अफ़ज़ल जह्र है जबकि अदा पढ़े और जब क़ज़ा हो तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है।

मसला:– जह्री की क़ज़ा अगरचे दिन में हो इमाम पर जह्र वाजिब है और सिर्री की क़ज़ा में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है अगरचे रात में अदा करे।

ज़रूरी मसला

एक आयत का हिफ़्ज़ करना हर मुसलमान मुकल्लफ़ पर फ़र्ज़े ऐन है और पूरे क़ुरआन मजीद का हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़े किफ़ाया और सूरए फ़ातिहा और एक दूसरी छोटी सूरत या तीन छोटी आयतों के बराबर एक बड़ी आयत का हिफ़्ज़ करना वाजिबे ऐन है।

मसला:– बक़दरे ज़रूरत मसाइले फ़िक़्ह जानना फ़र्ज़े ऐन है और हाजत से ज़ाइद सीखना हिफ़्ज़े जमीअ़ क़ुरआन से अफ़ज़ल है।

ज़रूरी फ़ाइदा

सूरए हुजरात से आख़िर तक क़ुरआन मजीद की सूरतों को मुफ़स्सल कहते हैं। इसके तीन हिस्से हैं। (अव्वल) सूरए हुजरात से सूरए बुरूज तक इसका नाम तवाले मुफ़स्सल है। (दोम) सूरए बुरूज से सूरए *लम यकुन* तक इसका नाम औसाते मुफ़स्सल है (सोम) सूरए *लम यकुन* से आख़िर तक इसका नाम क़सारे मुफ़स्सल है।

बहालते हज़र क़ुरआन मजीद पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

हज़र में जबकि वक़्त तंग न हो तो सुन्नत यह है कि फ़जर व ज़ुहर की पहली और दूसरी रकअ़त में तवाले मुफ़स्सल से एक–एक सूरत पढ़े और असर व इशा में औसाते मुफ़स्सल की दो सूरतें और मग़रिब में क़सारे मुफ़स्सल की दो सूरतें और इन सब सूरतों में इमाम व मुनफ़रिद दोनों का एक ही हुक्म है।

बहालते सफ़र क़ुरआन मजीद पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

सफ़र में अगर अमन व क़रार हो तो सुन्नत यह हैकि फ़जर व ज़ुहर में सूरए बुरूज या इसके मिस्ल सूरतें पढ़े और असर व इशा में इससे छोटी और मग़रिब में क़सारे मुफ़स्सल की छोटी सूरतें और जल्दी हो तो हर नमाज़ में जो चाहे पढ़े।

मसला:– सातों क़िरातें जाइज़ हैं मगर औला यह हैकि अवाम जिससे ना आशना हों वह न पढ़े कि उसमें उनके दीन का तहफ़्फ़ुज़ है जैसे हमारे यहां क़िरात इमाम आसिम बरिवायत हफ़्स राइज़ है लिहाज़ा यही पढ़े।

मसला:– दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत की तकरार मकरूहे तनज़ीही है जबकि कोई मजबूरी न हो और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं। मसलन पहली रकअ़त में पूरी *क़ुल अऊ़ज़ुबिरब्बिन्नास* पढ़ी तो अब दूसरी में भी यही पढ़े या दूसरी में बिला क़स्द वही पहली सूरत शुरू करदी या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े।

मसला:– नवाफ़िल की दोनों रकअ़तों में एक सूरत को मुकर्रर पढ़ना या एक रकअ़त में उसी सूरत को बार–बार पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है।

मसला:– फ़र्ज़ की एक रकअ़त में दो सूरत न पढ़े और मुनफ़रिद पढ़ले तो हर्ज भी नहीं बशर्ते कि इन दोनों सूरतों में फ़ाज़िल न हो और अगर बीच में एक या चन्द सूरतें छोड़ दीं तो मकरूह है।

मसला:– पहली रकअ़त में कोई सूरत पढ़ी और दूसरी में एक छोटी सी सूरत दर्मियान में से छोड़ कर पढ़ी तो मकरूह है और अगर वह दर्मियान की सूरत बड़ी है कि उसको पढ़े तो दूसरी की क़िरात पहली से

तवील हो जाएगी तो हर्ज नहीं जैसे *वत्तीनि* के बाद *इन्ना अनज़लना* पढ़ने में हर्ज नहीं और *इज़ाजा–अ* के बाद *क़ुल हुवल्लाहु* पढ़ना न चाहिए।

क़ुरआन मजीद उल्टा पढ़ना

कि दूसरी रकअ़त में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़े यह मकरूहे तहरीमी है। मसलन पहली में *क़ुल या अय्युहल काफ़िरून* पढ़ी और दूसरी में *अलम त–र–कैफ़* क़ुरआन मजीद उल्टा पढ़ने पर सख़्त वईद आई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते है जो क़ुरआन उलट कर पढ़ता है क्या वह ख़ौफ़ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट दे और अगर भूलकर उल्टा पढ़ गया तो उस पर न गुनाह न सज्दए सह्व।

मसला:– बच्चों की आसानी के लिए पारए–अ़म क़ुरआन मजीद की तरतीब के ख़िलाफ़ पढ़ना पढ़ाना जाइज़ है।

मसला:– भूल कर दूसरी रकअ़त में ऊपर की सूरत शुरू करदी या एक छोटी सूरत का फ़ासिला हो गया फिर याद आया तो जो शुरू कर चुका है उसी को पूरा करे अगरचे अभी एक ही हरफ़ पढ़ा हो जैसे पहली में *क़ुल या अय्युहल काफ़िरून* पढ़ी और दूसरी में *अलम त–र–कैफ़* या *तब्बत* शुरू कर दी अब याद आने पर उसी को ख़त्म करे। छोड़कर *इज़ा जा–अ* पढ़ने की इजाज़त नहीं।

क़िरात में ग़लती होजाने का बयान

इसके बारे में क़ाइदा कुल्लिया यह है कि अगर ऐसी ग़लती हुई जिससे माना बिगड़ गए तो नमाज़ फ़ासिद होगई वरना नहीं।

मसला:– ज़बर, ज़ेर, पेश की ग़ल्तियां अगर ऐसी हों जिनसे माना न बिगड़ जाते हों तो नमाज़ फ़ासिद न होगी जैसे لَاتَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ में 'ते' को ज़ेर पढ़ दिया या نَعْبُدُ में 'बे' को ज़बर पढ़ दिया और अगर इतना तग़य्युर हो कि इसका एतेक़ाद और क़स्दन पढ़ना कुफ़्र हो तो अहवत यह है कि नमाज़ का इआ़दा करले। जैसे عَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ में 'मीम' को ज़बर और 'बे' को पेश पढ़ दिया।

मसला:– हरफ़े मुशद्दद को मुख़फ़्फ़फ़ पढ़ दिया जैसे اِيَّاكَ نَعْبُدُ

में 'ये' पर तश्दीद न पढ़ी और رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ में 'बे' पर तशदीद न पढ़ी तो नमाज़ हो गई।

मसला:- मुख़फ़्फ़फ़ को मुशद्दद पढ़ दिया जैसे وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ में 'ज़ाल' को तशदीद के साथ पढ़ा या इदग़ाम तर्क कर दिया जैसे اِهْدِنَا الصِّرَاطَ में 'लाम' ज़ाहिर किया तो नमाज़ हो जाएगी।

मसला:- हरफ़ ज़्यादा करने से अगर माना न बिगड़ें तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। जैसे عَنِ الْمُنْكَرِ में 'रे' के बाद 'याये' ज़्यादा की और अगर माना फ़ासिद हो जायें जैसे زَرَابِيُّ को زَرَابِيْبَ और مَثَانِيْ को مَثَانِيْنَ पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

मसला:- किसी हरफ़ को दूसरे कल्मे के साथ वस्ल कर देने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। जैसे اِيَّاكَ نَعْبُدُ को اِيَّاكَنَعْبُدُ पढ़ दिया तो नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई।

मसला:- कोई कल्मा ज़्यादा कर दिया तो वह कल्मा क़ुरआन में है या नहीं और बहर सूरत माना का फ़साद होता है या नहीं अगर माना फ़ासिद हो जाएंगे तो नमाज़ जाती रहेगी जैसे اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ में وَكَفَرُوْا बढ़ाकर यूं पढ़ दिया। اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَفَرُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ तो नमाज़ जाती रही। इसी तरह से اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا में وَجَمَالًا बढ़कार यूं पढ़ दिया اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَجَمَالًا तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर माना फ़ासिद न हों तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। अगरचे उस कल्मा का मिस्ल क़ुरआन में न हो जैसे। فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ में وَتُفَّاحٌ बढ़ा कर यूं पढ़ दिया فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّتُفَّاحٌ وَّرُمَّانٌ तो नमाज़ हो गई।

मसला:- किसी कल्मे को छोड़ गया और माना फ़ासिद न हुए जैसे جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا में दूसरे سَيِّئَةٌ को छोड़ कर यूं पढ़ दिया। جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और अगर कोई कल्मा छोड़ देने से माना फ़ासिद हो जाते हों जैसे فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ में *'ला'* न पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद होगई।

मसला:- एक लफ़्ज़ के बदले में दूसरा लफ़्ज़ पढ़ा अगर माना फ़ासिद न हों जैसे *अ़लीमुन* की जगह *हकीमुन* तो नमाज़ हो जाएगी और अगर माना फ़ासिद हों जैसे وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ में فٰعِلِيْنَ

की जगह عفلين पढा तो नमाज फासिद हो गई।

मसला: – एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढना अगर इस वजह से हैकि उस की जबान से वह हरफ अदा नहीं होता तो मजबूर है उस पर कोशिश करना ज़रूरी है। नमाज दुरुस्त हो जाएगी और अगर लापरवाही से है जैसे आजकल के अक्सार हुफ्फाज़ व उल्मा कि अदा करने पर कादिर है मगर बेख़्याली में तबदीलए हरफ़ कर देते हैं। पस अगर तबदील से माना फ़ासिद हो तो नमाज़ न होगी इस किस्म की जितनी नमाज़ें पढ़ी हों उनकी कज़ा लाज़िम है।

मसला: – مد - غنه - اظهار - اخفاء - اماله बे मौक़अ पढ़ा या जहां पढ़ना है वहां न पढ़ा तो नमाज़ हो जाएगी।

बैरूने नमाज़ क़ुरआन मजीद पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

क़ुरआन मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफ़ज़ल है कि यह पढ़ना भी है और देखना भी और हाथ से उसका छूना भी और यह सब इबादत हैं। लिहाज़ा मुस्तहब यह हैकि बावज़ू किब्ला रू अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करे और शुरू तिलावत में *अऊज़ु* पढ़े क्योंकि शुरू तिलावत में इसका पढ़ना वाजिब है और *बिस्मिल्लाह* पढ़े चूंकि सूरत की इबतेदा में *बिस्मिल्लाह* पढ़ना सुन्नत है।

मसला: – दर्मियाने तिलावत में कोई दुनियवी काम करे तो *अऊज़ु बिल्लाह* और *बिस्मिल्लाह* फिर पढ़ले और अगर दीनी काम किया जैसे सलाम या अज़ान का जवाब दिया तो *अऊज़ु बिल्लाह* फिर पढ़ना उसके ज़िम्मे नहीं *बिस्मिल्लाह* पढ़ले।

मसला: – सूरए बरात से अगर तिलावत शुरू की तो *अऊज़ु* और *बिस्मिल्लाह* पढ़े और जो उसके पहले से तिलावत शुरू की और सूरए बरात आगई तो *बिस्मिल्लाह* पढ़ने की हाजत नहीं।

मसला: – गर्मियों में सुबह को क़ुरआन मजीद ख़त्म करना बेहतर है और जाड़ों में अव्वल शब को क्योंकि हदीस में है। जिसने शुरू दिन में क़ुरआन ख़त्म किया तो शाम तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और जिसने इबतदाए शब में ख़त्म किया तो सुबह तक दुआए मग़फ़िरत करते हैं। गर्मियों में चूंकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म होने

मे फरिश्तों की दुआए मग़फ़िरत ज़्यादा देर तक होगी और जाड़ों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में खत्म करने से ज़्यादा देर तक होगी।

मसला: – लेट कर क़ुरआन मजीद पढ़ने में हर्ज नहीं जबकि पाँव समेटे हों और मुंह खुला हो। यूंही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जाइज़ है। जब कि दिल न बटे वरना मकरूह है।

मसला: – मजमे में सब लोग आवाज़ से पढ़ें यह हराम है। अक्सर तीजों में सब बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं। यह नाजाइज़ है। मुनतज़िम पर इसका रोकना ज़रूरी है।

मसला: – क़ुरआन मजीद सुनना तिलावत करने और नफ़्ल पढ़ने से अफ़ज़ल है।

मसला: – तिलावत करने में कोई शख़्स मुअ़ज़्ज़मे दीनी मसलन बादशाहे इस्लाम या आलिमे दीन या पीर या उस्ताद या बाप आजाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है।

मसला: – औरत को औरत से क़ुरआन मजीद पढ़ना ग़ैर महरम नाबीना से पढ़ने से बेहतर है। क्योंकि वह उसे अगरचे देखता नहीं मगर आवाज़ तो सुनता है और औरत की आवाज़ भी औरत है यानी ग़ैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं।

मसला: – क़ुरआन मजीद पढ़कर भुला देना गुनाह है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो इस से बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई और उसने भुला दिया और एक रिवायत में आया है कि जो क़ुरआन पढ़कर भूल जाए तो क़ियामत के दिन कोढ़ी होकर उठेगा।

मसला: – दीवारों और मेहराबों पर क़ुरआन मजीद लिखना अच्छा नही और मुसहफ़ शरीफ़ को मुतल्ला करने में हर्ज नहीं बल्कि बनीयते ताज़ीम मुस्तहब है।

फ़जर का वक़्त

सुबह सादिक़ के तुलूअ़ से आफ़ताब की किरन चमकने तक है। सुबह सादिक एक रौशनी है जो पूरब की जानिब जहां से आज आफ़ताब

तुलूअ होने वाला है उसके ऊपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहां तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती और जमीन पर उजाला हो जाता है और इससे क़ब्ल बीच आसमान में एक और सपेदी ज़ाहिर होती है जिसके नीचे सारा उफ़क़ सियाह होता है सुबह सादिक़ उसके नीचे से फूट कर जुनूबन शुमालन दोनों पहलूओं पर फैलकर और बढ़ती है यह दराज़ सपेदी उसमें ग़ाइब हो जाती है इसको सुबह काज़िब कहते हैं। इससे फ़जर का वक़्त नहीं होता।

मसला:– मुख़्तार यह है कि नमाज़े फ़जर में सुबह सादिक़ की सपेदी चमक कर ज़रा फैलनी शुरू हो इसका एतबार किया जाए और सहरी खाने में इसके इबतेदाए तुलूअ़ का एतबार हो। (आलमगीरी)

फ़ाइदा:– सुबह सादिक़ चमकने से तुलूअ़े आफ़ताब इन बलाद में कम अज़ कम एक घंटा अठारह मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा पैंतीस (35) मिनट न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा 21/इक्कीस मार्च को एक घंटा अठारह मिनट होता है। फिर बढ़ता रहता है यहां तक कि 23/जून को पूरा एक घंटा 35 मिनट फिर घटना शुरू होता है यहां तक कि 22/दिसम्बर को एक घंटा अठारह मिनट हो जाता है फिर बढ़ता है यहां तक कि 22/दिसम्बर को एक घंटा 24 मिनट होता है फिर कम होता रहता है। यहां तक कि 21/मार्च को वही एक घंटा अठारह मिनट हो जाता है। बाज़ों ने रात का सातवां हिस्सा वक़्ते फ़जर समझ रखा है यह हरगिज़ सही नहीं। माहे जून व जुलाई में जब कि दिन बड़ा होता है और रात तक़रीबन दस घंटे की होती है। इन दिनों तो अलबत्ता वक़्ते सुबह रात का सातवां हिस्सा या उससे चन्द मिनट पहले हो जाता है। मगर दिसम्बर जनवरी में जबकि रात चौदह घंटे की होती है। उस वक़्त फ़जर का वक़्त नवां हिस्सा बल्कि उससे भी कम होजाता है। इबतेदा वक़्ते फ़जर की शनाख़्त दुशवार है ख़ुसूसन जब कि गरदोग़ुबार हों या चाँदनी रात हो। लिहाज़ा हमेशा तुलूअ़े आफ़ताब का ख़्याल रखे, आज जिस वक़्त तुलूअ़ हुआ दूसरे रोज़ उसी हिसाब से वक़्ते मज़कूरा बाला के अन्दर–अन्दर अज़ान व नमाज़े फ़जर अदा हो जाए।

नमाज़े फ़जर

सिर्फ़ चार रकअ़त है। इनमें पहले दो रकअ़त सुन्नत फ़िर दो रकअ़त फ़र्ज़। अशरफ़े अम्बिया महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि फ़जर की दो रकअ़तें (सुन्नत) दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर हैं। एक साहब ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल इर्शाद फ़रमाइये कि अल्लाह तआ़ला मुझे उससे नफ़ा दे। फ़रमाया फ़जर की दोनों रकअ़तों को लाज़िम करलो कि उसमें बड़ी फ़ज़ीलत है। नीज़ फ़रमाया कि फ़जर की सुन्नतें न छोड़ो। अगरचे तुम पर दुश्मनों के घोड़े आपड़ें।

फ़जर की सुन्नतों में क्या पढ़े

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि सरवरे अम्बिया हबीबे किब्रिया अलैहित्तहय्यतु वस्सना ने इर्शाद फ़रमाया। *क़ुल हुवल्लाहु अहद* सवाब में तिहाई क़ुरआन की बराबर है और *क़ुल या अय्युहल काफ़िरून* चौथाई क़ुरआन की बराबर और इन दोनों को फ़जर की सुन्नतों में पढ़ते थे और फ़रमाते कि इनमें ज़माने की रग़बतें हैं। (अबू याली वग़ैरह)

नमाज़ में दुनियवी ख़्यालात की बंदिश का इस्लामी तरीक़ा

नमाज़ में दुनियवी ख़्यालात की आमद को रोकने के वास्ते यह चीज़ निहायत दर्जा मुअस्सिर है कि कुछ नमाज़ में पढ़े उसके माना समझता जाए जब तक माना की तरफ़ मुतवज्जह रहेगा। किसी ख़्याल की आमद न हो सकेगी और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि यह तरीक़ा नमाज़ में दिल लगने और दिल में रौशनी पैदा होने के लिए भी मुफ़ीद है। इसी वास्ते नमाज़ में जो कुछ पढ़ा जाता है उसके माना बयान किए जाते हैं नमाज़ी पढ़ते वक़्त उन पर तवज्जोह रखे। मज़कूरा बाला दोनों सूरतें चूंकि सुन्नते फ़जर में पढ़ी जाती हैं। नज़र बरां उनका तर्जुमा और मुख़्तसर तज़किरा ज़ैल में दर्ज किया जाता है।

सूरतुल - काफ़िरून

यह सूरत हिजरत से पेशतर नाज़िल हुई। इसमें एक रुकूअ़ छः आयतें छब्बीस कल्मे चौरानवे हरफ़ हैं। इसकी शाने नुज़ूल यह हैकि क़ुरैश की एक जमाअ़त ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम से कहा था कि आप हमारे दीन का इत्तेबाअ़ कीजिए हम आपके दीन का इत्तेबाअ़ करेंगे। एक साल आप हमारे मअ़बूद की इबादत करें। एक साल हम आप के मअ़बूद की इबादत करेंगे। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। अल्लाह की पनाह कि उसके साथ ग़ैर को शरीक करूं। कहने लगे तो आप हमारे किसी मअ़बूद को हाथ ही लगा दीजिए। हम आपकी तस्दीक़ करेंगे और आपके मअ़बूद की इबादत करने लगेंगे। इस पर यह सूरत नाज़िल हुई और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम मस्जिदे हराम में तशरीफ़ ले गए। क़ुरैश की वह जमाअ़त वहां मौजूद थी। हुज़ूर ने यह सूरत पढ़कर उन्हें सुनाई तो वह मायूस हो गए और हुज़ूर के असहाब को ईज़ा पहुंचाने लगे।

सूरत मअ़ तर्जुमा

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
مَاۤ اَعْبُدُ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ لَكُمْ
دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

तर्जुमाः– महबूब तुम फ़रमा दो ऐ काफ़िरो न मैं पूजता हूं जो तुम पूजते हो और न तुम पूजते हो जो मैं पूजता हूं और न मैं पूजूंगा जो तुमने पूजा और न तुम पूजोगे जो मैं पूजता हूं तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन।

इस सूरत के असरात

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने फ़रमाया कि क़ुरआने पाक में कोई सूरत शैतान पर इससे सख़्त तर नहीं क्योंकि इसमें ख़ालिस तौहीद और शिर्क से बरात का तज़किरा है जिससे शैतान को शदीद तरीन तकलीफ़ पहुंचती है। जो शख़्स इसको पढ़े शिर्क

से बरी हो जाएगा और सरकश शैतान उससे दूर रहेंगे और क़ियामत की घबराहट से बेख़ौफ़ रहेगा। इसकी तिलावत का सवाब चौथाई क़ुरआन के बराबर है। जैसे कि पहले बयान कर चुके हैं।

सोते में बच्चों की हिफ़ाज़त का इस्लामी तरीक़ा

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने बच्चों को हुक्म दो कि सोते वक़्त इस सूरत को पढ़ लिया करें ताकि सोने में उन्हें कोई ईज़ा पहुंचाने वाली चीज़ पेश न आए।

मुसाफ़िर के लिए सलामती के साथ वापसी का इस्लामी तरीक़ा

जो शख़्स सफ़र का इरादा करे और सूरए काफ़िरून व सूरए नसर व सूरए इख़्लास व सूरए फ़लक़ व सूरए नास को पढ़कर रवाना हो तो इंशा अल्लाह तआ़ला सलामती के साथ और कामियाब होकर वापस होगा।

सूरए इख़लास

हिजरत से पेशतर नाज़िल हुई। इसमें एक रुकूअ़ चार आयतें पन्द्रह कल्मे सैंतालीस हरफ़ हैं। इसकी शाने नुज़ूल यह है कि कुफ़्फ़ार ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम से आपके मअ़बूदे हक़ीक़ी के मुतअ़ल्लिक़ तरह-तरह के सवालात किए। किसी ने कहा वह कौन है? कोई कहता था कि उसका नसब क्या है? किसी ने सवाल किया वह सोने का है या चाँदी का? लोहे का है या लकड़ी का? कोई कहता था कि वह क्या खाता पीता है? किसी ने कहा उसने रबूबियत किस के तर्का में पाई है? और उसका कौन वारिस होगा? उनके जवाब में अल्लाह तआ़ला ने यह सूरत नाज़िल फ़रमाई और अपने ज़ात व सिफ़ात का बयान करके मारफ़त की राह वाज़ेह फ़रमा दी और जाहिलाना ख़्यालात की तारीकियों को जिसमें वह लोग गिरिफ़्तार थे अपनी ज़ात व सिफ़ात के नूरानी बयान से इस तरह ज़ाइल फ़रमाया कि इर्शाद हुआ, ऐ महबूब फ़रमा दीजिए वह मेरा मअ़बूद जिसके मुतअ़ल्लिक़ तुमने सवाल किया अल्लाह है जिसमें जुमला सिफ़ाते कमाल पाई जाती हैं। वह एक है रबूबियत में उलूहियत में।

मिस्ल और नज़ीर से पाक है उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह बे नियाज़ है हर चीज़ से। न खाए न पीए हमेशा से है हमेशा रहेगा। न उसकी कोई औलाद क्योंकि उसका कोई हम–जिन्स नहीं और न वह किसी से पैदा हुआ। क्योंकि वह क़दीम है और पैदा होना हादिस की शान है और न उसके जोड़ का कोई क्योंकि उसकी न कुल सिफ़ात में कोई शरीक न अक्सर में न अक़ल (कम से कम) में। वह मुतलक़न शिरकत से पाक है।

सूरत मअ़ तर्जुमा

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

ऐ महबूब फ़रमा दीजिए वह अल्लाह है वह एक है अल्लाह बे नियाज़ है, न उसकी कोई औलाद और न वह किसी से पैदा हुआ और न उसके जोड़ का कोई।

इस सूरत की तासीरात

जिब्राईले अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने ग़ज़वए तबूक के मौक़े पर हाज़िर होकर अर्ज़ किया। या रसूलल्लाह मुआ़विया इब्ने मज़नी का मदीना में इन्तिक़ाल हो गया। क्या आप चाहते हैं कि ज़मीन समेट दूं ताकि आप नमाज़े जनाज़ा पढ़ा सकें। आपने इर्शाद फ़रमाया हां समेट दो। उन्होंने ज़मीन पर बाज़ू मारा वह सिमट गई। जनाज़ा सामने आगया आपने नमाज़े जनाज़ा अदा फ़रमाई उस वक़्त आपके पीछे नमाज़े जनाज़ा में फ़रिश्तों की दो सफ़ें थीं। हर सफ़ में सत्तर हज़ार फ़रिश्ते थे। बाद फ़राग़त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से दरियाफ़्त फ़रमाया कि उन्होंने यह इज़्ज़त किस बिना पर पाई। अर्ज़ किया कि उन्हें सूरए *क़ुल हुवल्लाह* से मुहब्बत थी और आते–जाते खड़े बैठे हर हाल में इसको पढ़ते रहते थे।

मुहताजी दूर करने का इस्लामी तरीक़ा

सुहैल इब्ने सअ़द रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि एक मर्द ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर तंगदस्ती की शिकायत की। आपने तंगदस्ती दूर करने के वास्ते यह अमल तालीम फ़रमाया कि जब तुम अपने घर में दाख़िल हो तो

जो वहां पर हो उसको सलाम करो और अगर कोई न हो तो (दिल में मेरा तसव्वुर कर के) मुझको सलाम करो और एक मर्तबा *कुल हुवल्लाह* पढ़ो। चुनांचे उन साहब ने यह अमल किया तो तंगदस्ती दूर हो गई और रिज़्क़ की इतनी भरमार हुई कि अपने पड़ोसियों को भी देने लगे।

अज़ाबे क़ब्र से बचने का इस्लामी तरीक़ा

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने मर्ज़ुल मौत में *कुल हुवल्लाह* पढ़ी तो क़ब्र के फ़ितने और क़ब्र के ज़ुग़ते से महफ़ूज़ रहेगा और क़ियामत के दिन फ़रिश्ते अपने हाथों में उसको लेकर पुल सिरात से गुज़ार कर जन्नत में पहुंचा देंगे।

सुन्नते फ़जर के मसाइल

सब सुन्नतों में क़वी तर सुन्नते फ़जर है यहां तक कि बाज़ उल्मा इसको वाजिब कहते हैं। यह सुन्नतें बिला उज़्र न बैठकर हो सकती हैं न सवारी पर न चलती गाड़ी पर इनका हुक्म इन बातों में मिस्ले वित्र है।

मसला:– तुलूअ़े फ़जर से पहले सुन्नते फ़जर जाइज़ नहीं और तुलूअ़े फ़जर में शक हो तब भी नाजाइज़ और तुलूअ़ के साथ–साथ शुरू की तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसला:– फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ली तो सुन्नतें भी पढ़ले वरना नहीं। इलावा फ़जर के और सुन्नतें क़ज़ा हो गईं तो उनकी क़ज़ा नहीं। (शामी)

मसला:– फ़जर की सुन्नत क़ज़ा हो गई और फ़जर पढ़े तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं। अलबत्ता इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि तुलूअ़े आफ़ताब के बाद पढ़ले तो बेहतर है। (गुनीया) और तुलूअ़ से पेशतर बिल इत्तेफ़ाक़ ममनूअ़ है (शामी) आजकल अक्सर अवाम बाद फ़र्ज़ फ़ौरन पढ़ लिया करते हैं यह नाजाइज़ है पढ़ना है तो तुलूअ़े आफ़ताब से बीस मिनट बाद ज़वाल से पहले पढ़लें।

मसला:– जमाअ़त क़ाइम होने के बाद किसी नफ़्ल का शुरू करना जाइज़ नहीं। सिवा सुन्नते फ़जर के कि अगर यह जानता हैकि सुन्नत पढ़ने के बाद जमाअ़त मिल जाएगी अगरचे क़अ़दे ही में शामिल होगा तो सुन्नत पढ़ले मगर सफ़ के बराबर पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि अपने

घर पढ़े या बैरूने मस्जिद कोई जगह काबिले नमाज़ हो तो वहां पढ़े और अगर यह मुम्किन न हो तो अगर अन्दर के हिस्से में जमाअत होती हो तो बाहर के हिस्से में पढ़े और बाहर के हिस्से में हो तो अन्दर और अगर अन्दर बाहर दो दर्जे न हों तो सुतून या किसी और चीज़ की आड़ में पढ़े जो उसमें और सफ़ में हाइल होजाए और सफ़ के पीछे पढ़ना भी ममनूअ़ है अगरचे सफ़ में पढ़ना ज़्यादा बुरा है और अगर जमाअ़त शुरू नहीं हुई है तो जहां चाहे सुन्नतें शुरू कर सकता है। (ग़ुनीया) अगर जानता हैकि जमाअ़त जल्द क़ाइम होने वाली है और यह उस वक़्त तक सुन्नतों से फ़ारिग़ न होगा तो ऐसी जगह न पढ़े जिससे सफ़ क़तअ़ हो।

मसला:- सुन्नत व फ़र्ज़ के दर्मियान कलाम करने से सुन्नत बातिल नहीं होती। अलबत्ता सवाब कम हो जाता है अगर बैअ़ व शराअ़ या खाने में मशग़ूल हुआ तो सुन्नतों का इआ़दा करे। (शामी)

मसला:- नफ़्ल नमाज़ जिसमें सुन्नते फ़जर भी दाख़िल है घर में पढ़ना अफ़ज़ल है मगर तरावीह व तहय्यतुल मस्जिद और वापसीए सफ़र के नवाफ़िल कि इनको मस्जिद में पढ़ना बेहतर है और एहराम की दो रकअ़तें कि मीक़ात के नज़दीक कोई मस्जिद हो तो उसमें पढ़ना अफ़ज़ल है और तवाफ़ की दो रकअ़तें कि मक़ामे इब्राहीम के पास पढ़ें और मुअ़तकिफ़ के नवाफ़िल और सूरज गहन की नमाज़ कि मस्जिद में पढ़े और अगर यह ख़्याल हो कि घर जाकर कामों की मशग़ूली के सबब नवाफ़िल फ़ौत हो जाएंगे, या घर में जी न लगेगा और ख़ुशूअ़ कम हो जाएगा तो मस्जिद ही में पढ़ले। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम सुन्नते फ़जर दौलत कदे पर अदा फ़रमा कर मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे।

मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत

हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैंकि मर्द की नमाज़ें जमाअ़त के साथ घर में और बाज़ार में पढ़ने से पचीस दर्जा ज़ाइद हैं और यह यूं है कि जब अच्छी तरह वज़ू कर के मस्जिद के लिए घर से निकला तो हर क़दम पर दर्जा बुलन्द होता है और गुनाह मिटता है और जब नमाज़ पढ़ता है तो मलाइका बराबर उस पर दुरूद भेजते रहते हैं जब तक अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह पर है और नमाज़ में शुमार किया

जाएगा। जब तक नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहा है और एक रिवायत में है कि हर क़दम के बदले दस नेकियां लिखी जाती हैं और जब घर से निकलता है वापसी तक नमाज़ पढ़ने वालों में लिखा जाता है नीज़ सय्यदे आमल सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो अच्छी तरह (सुन्नत के मुताबिक़) वज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ को गया और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैंकि मस्जिदे नबवी के क़रीब कुछ ज़मीन ख़ाली हुई क़बीला बनी सलमा ने चाहा कि मस्जिद के क़रीब आजायें। यह ख़बर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को पहुंची क़बीला बनी सलमा से फ़रमाया कि मुझे ख़बर पहुंची है कि तुम मस्जिद के क़रीब उठ आना चाहते हो। अर्ज़ किया। हां या रसूलल्लाह इरादा तो है। फ़रमाया ऐ बनी सलमा अपने घरों ही में रहो तुम्हारे क़दम लिखे जायेंगे। यह कल्मा दो बार फ़रमाया। बनी सलमा कहते हैं बई वजह हम को घर बदलना पसन्द न आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि अनसार के घर मस्जिद से दूर थे उन्होंने क़रीब आना चाहा इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ यानी जो उन्होंने नेक काम आगे भेजे वह और उनके निशाने क़दम हम लिखते हैं। हज़रत उबय इब्न कअ़ब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैंकि एक अनसारी का घर मस्जिद से सबसे ज़्यादा दूर था फिर भी कोई नमाज़ उनकी क़ज़ा न होती उनसे कहा गया। काश तुम कोई सवारी ख़रीद लो कि अंधेरे और गर्मी में उस पर सवार होकर मस्जिद आओ। जवाब दिया मैं चाहता हूं कि मेरा मस्जिद को जाना और फिर घर वापस आना लिखा जाए। इस पर नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। अल्लाह तआ़ला ने तुझे यह सब जमा कर के दे दिया। रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तकलीफ़ में पूरा वज़ू करना और मस्जिद जाना और एक नमाज़ के बाद दूसरी का इन्तेज़ार करना गुनाहों को अच्छी तरह धो देता है। नीज़ फ़रमाया जो लोग अंधेरियों में मसाजिद को जाने वाले हैं उन्हें क़ियामत के दिन कामिल नूर मिलने की ख़ुशख़बरी सुना दो।

(बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरह)

मस्जिद जाने का इस्लामी तरीक़ा

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स घर से नमाज़ को जाए और मुन्दर्जा ज़ैल दुआ पढ़े तो अल्लाह तआ़ला उसकी जानिब मख़सूस तवज्जोह फ़रमाता है और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ
السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَایَ هٰذَا فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ اَشِرًا وَّلَا بَطِرًا وَّلَا
رِیَاءً وَّلَا سُمْعَةً وَّخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ
اَنْ تُعِیْذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे बज़रीयए हक़ साइलीन के जो तूने अपने ज़िम्मए करम पर रखा है और बवसीला अपने उस चलने के सवाल करता हूं इस लिए कि मैं घर से न मुतकब्बिराना तौर पर निकलता हूं न इतराता हुआ न दिखाने को न सुनाने को और मैं तेरे ग़ज़ब से बचने को और तेरी रज़ामन्दी तलब करने के लिए निकला हूं तो मैं सवाल करता हूं कि मुझको दोज़ख़ से पनाह में रख और मेरे गुनाह बख़्श दे इस लिए कि गुनाहों की मग़फ़िरत तू ही फ़रमाता है। (इब्न माजा शरीफ़)

मस्जिद में दाख़िल होने का इस्लामी तरीक़ा

मस्जिद में बर वक़्त दुख़ूल पहले दायां पाँव दाख़िल करे। महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था। अल्लाह तआ़ला को चूंकि अपने महबूब की हर अदा महबूब है इस लिए औलिया किराम हर अदा का एहतेराम करते और उस के आमिल बनते हैं बल्कि अदाए महबूब के तारिक उनके नज़दीक मर्तबाए मुहब्बत से साक़ित हैं और इस क़ाबिल नहीं कि असरारे मुहब्बत के हामिल बन सकें। बग़दाद शरीफ़ की किसी मस्जिद में एक साहब ने बाहर से आकर क़ियाम फ़रमाया शहर में रफ़्ता–रफ़्ता शोहरत हो गई कि एक बुज़ुर्ग फ़लां मस्जिद में रौनक़ अफ़रोज़ हुए हैं। किरामतों का ज़ुहूर हो रहा है उन बुज़ुर्ग की तशरीफ़ आवरी की ख़बर हज़रत मख़दूम जुनैद रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु तक पहुंची।

मख़दूम ने अपने एक रफ़ीक़ से शौक़े मुलाक़ात का इज़हार फ़रमाया और उन्हें अपनी मअीयत में लेकर मुलाक़ात के लिए रवाना हुए वह बुज़ुर्ग किसी ज़रूरत के मातहत मस्जिद के बाहर निकल कर बाद फ़राग़त मस्जिद में दाख़िल हो रहे थे कि मख़दूम वहां पहुंचे और देखा कि उन बुज़ुर्ग ने मस्जिद में जाते वक़्त पहले बायां पाँव दाख़िल किया। मख़दूम यह देख कर बग़ैर मुलाक़ात वापस हो गए। रफ़ीक़ ने अर्ज़ किया कि आप तो बड़े इश्तियाक़ के साथ मुलाक़ात करने तशरीफ़ लाए थे और अब बग़ैर मुलाक़ात क्यों वापस हो रहे हैं। फ़रमाया यह सुनकर हाज़िर हो रहे थे कि बुज़ुर्ग वाक़िफ़े असरारे इलाही हैं लेकिन मुशाहिदे में यह चीज़ आई कि आदाबे रसूल पर आमिल नहीं और जो आदाबे रसूल पर अमल पैरा न हो वह असरारे इलाही का हामिल नहीं हो सकता।

मस्जिद में दाख़िल होने पर क्या पढ़े

ख़ातूने जन्नत जिगर पारए रिसालत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि सरवरे अम्बिया महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाख़िल होते तो दुरूद के बाद यह दुआ पढ़ते— رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(तर्जुमा) ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहें को बख़्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।

मस्दिज से ख़ारिज होने का इस्लामी तरीक़ा

मस्जिद से बाहर निकलते वक़्त पहले बायां पाँव निकाले क्यों कि महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम का यही तरीक़ा था।

मुन्दर्जा ज़ैल चीज़ों से निसयान पैदा होता है

मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त पहले बायां पाँव रखना और ख़ारिज होते वक़्त पहले दायां पाँव निकालना, गरम रोटी हांडी से खाना, हाथ या मुंह दामन से पोछना, हज्जाम के शीशे को देखना, शिकस्ता कंघी या कंघा इस्तेमाल करना, रास्ते में पेशाब करना, फलदार दरख़्त के नीचे पेशाब करना, ठहरे हुए पानी में पेशाब करना, राख में पेशाब करना, अन्दामे नेहानी

को देखना, घर को कपड़े के टुकड़ों से साफ़ करना, क़ब्रिस्तान में बकसरत खुश–तबई और हंसना, इस्तिंजे की जगह वज़ू करना, पाजामे और अमामा पर तकिया लगाना, बहालते जनाबत आसमान की तरफ़ नज़र करना, मस्जिद में कपड़ा झाड़ना, सूली दिए हुए की तरफ़ नज़र करना, दुनियवी अफ़्कार, दुनियवी ग़म, दुनिया में इनहेमाक, चूहे का झूटा, ज़िन्दा जूं फेंक देना, सेब खाना, हरा धनिया खाना, गोंद चबाना, बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना, खाते वक़्त तकिया लगाना, असर के बाद सोना, तुर्श चीज़ें खाना, असबाबे निसयां में सबसे ज़्यादा मुअस्सिर सबब इसियान यानी खुदा व रसूल की नाफ़रमानी है। जिससे निसयान के साथ–साथ और बहुत सी ख़राबियां पैदा होती हैं। अल्लाह तआला अपने हबीबे करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सदक़े में हमको इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। *आमीन।*

मस्जिद से ख़ारिज होने पर क्या पढ़े

वही ख़ातूने जन्नत फ़रमाती हैंकि हुज़ूर जब मस्जिद से निकलते तो दुरूद शरीफ़ के बाद यह दुआ पढ़ते। رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ (तर्जुमा) ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह मुआफ़ फ़रमा दे मेरे लिए अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।

सवाल:– हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस दुआ में जनाबे बारी अज़्ज़ इस्मुहू से यह अर्ज़ करना कि मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा दे इस अमर पर दलालत करता है कि हुज़ूर से भी गुनाह सादिर होते थे वरना मग़फ़िरत तलब करने के क्या माना? हालांकि क़तई दलाइल से साबित है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं उल्माए तसरीह फ़रमाते हैंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम क़बल नबूव्वत और बाद नबूव्वत सग़ीरा व कबीरा दोनों गुनाहों से पाक होते हैं।

जवाब:– बेशक अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस्मत बरहक़ है मुम्किन नहीं कि उनसे गुनाह सादिर हों। इन दुआओं में और उनके इलावा दूसरी दुआओं में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना या ख़ताओं की मुआफ़ी चाहना दो हिकमतों पर मबनी है। अव्वल यह की इसमें इज़हारे इनकेसारी के साथ तवाज़ुअ की तालीम भी हैकि कमाले इस्मत और तमाम

अज़मत के बावजूद भी शाने बन्दगी के शायां यही है कि बन्दा अपने आपको बारगाहे इलाही में कामिल फ़रोतनी और गायत दर्जा आजज़ी के साथ पेश करे और एतराफ़े क़ुसूर के साथ मुआफ़ी का तालिब हो। दोम यह कि हम गुनहगारों को इस अमर की तालीम देना मक़सूद है कि मस्जिद में दाख़िल और मस्जिद से ख़ारिज होते वक़्त अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब किया करें। इस तालीम के ज़िम्न में यह इशारा फ़रमा दिया कि तलबे रहमत और तलबे फ़ज़ल से तलबे मग़फ़िरत ज़्यादा अहम चीज़ है। इसी वास्ते तलबे मग़फ़िरत को इन दोनों से पेशतर ज़िक्र फ़रमाया। बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते हैं कि जब किसी वली की ख़िदमत में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो तो दुआए मग़फ़िरत के लिए दरख़्वास्त पेश करे।

फ़जर के दो फ़र्ज़ों का बयान

हदीस:– सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने उनकी अहमीयत ज़ाहिर करते हुए इर्शाद फ़रमाया। सब नमाज़ों में ज़्यादा गेरां मुनाफ़ेक़ीन पर नमाज़े इशा व फ़जर है और जो उनमें फ़ज़ीलत है अगर इसको जानते तो ज़रूर हाज़िर होते। अगरचे सुरीन के बल घिसटते हुए यानी जैसे भी मुम्किन होता हाज़िर होते।

हदीस:– इर्शाद फ़रमाया जो नमाज़े सुबह के लिए बनीयते सवाब हाज़िर हो तो गोया उसने तमाम रात इबादत की और जो नमाज़े इशा के लिए हाज़िर हुआ तो गोया उसने निस्फ़ शब इबादत की।

हदीस:– इर्शाद फ़रमाया कि रात और दिन के फ़रिश्ते नमाज़े फ़जर व असर में जमा होते हैं जब वह बारगाहे इलाही में हाज़िर होते हैं तो अल्लाह तआला उनसे फ़रमाता है कहाँ से आए। हालांकि वह जानता है वह अर्ज़ करते हैं तेरे बन्दों के पास से जब हम उनके पास गए तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे और नामज़ पढ़ता छोड़कर तेरे पास हाज़िर हुए हैं।

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने एक मर्तबा बहालते सफ़र इन फ़र्ज़ों की पहली रकअत में सूरए फ़लक़ और दूसरी रकअत में सूरए नास पढ़ी थी। इस लिए इन दोनों सूरतों का मुख़्तसर हाल और तर्जुमा तहरीर किया जाता है ताकि इन दोनों सूरतों को पढ़ने वाले नमाज़ी पढ़ते वक़्त इन के माना पर ध्यान रखें।

सूरए फ़लक़ और सूरए नास का मुख़्तसर हाल

सूरए फ़लक़ और सूरए नास दोनों हिजरत के बाद नाज़िल हुईं पहली में पांच आयतें तेईस कल्मे चौहत्तर हरफ़ हैं और दूसरी में छः आयतें बीस कल्मे उन्नासी हरफ़ हैं यह दोनों सूरतें एक साथ नाज़िल हुई थीं और इनके नाज़िल होने का वाक़िआ यह हैकि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम पर जादू किया था जिसका असर ज़ाहिरी आज़ा पर हुआ। क़ल्ब व अक़्ल व इतेक़ाद इसके असर से महफ़ूज़ रहे। चन्द रोज़ के बाद जिब्रईल अमीन ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का सामान फ़लां कूंएं में पत्थर के नीचे दाब दिया है। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। उन्होंने कूंएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया उसके नीचे से खजूर के गाभे की थैली बर-आमद हुई। उसमें हुज़ूर के कंघे से निकले हुए मूए शरीफ़ थे और हुज़ूर की कंघी के चन्द दन्दाने और एक डोरा या कमान का चिल्ला जिसमें ग्यारह गिरहें लगी थीं और एक मोम का पुतला जिसमें ग्यारह सूईयां चुभी थीं। यह सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर किया गया। अल्लाह तआला ने यह दोनों सूरतें नाज़िल फ़रमायीं। इन दोनों में ग्यारह आयतें हैं। हर एक आयत पढ़ने के साथ एक-एक गिरह खुलती जाती थी। यहां तक कि सब गिरह खुल गयीं और हुज़ूर बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गए।

तअ़वीज़ और अमल

की असल यह है जिस तअ़वीज़ और अमल में कोई कल्मए कुफ़्र या शिर्क न हो वह जाइज़ है। बिलख़ुसूस वह आमाल जो आयाते क़ुरआनिया से किए जाते हैं या अहादीस में वारिद हुए हैं उनके जवाज़ में असलन कलाम नहीं। चुनांचे हदीस शरीफ़ में हैकि अस्मा बिन्ते ओमैस ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह जाफ़र के बच्चों को जल्दी जल्दी नज़र होती है क्या मुझे इजाज़त हैकि उन के लिए अमल करूं हुज़ूर ने इजाज़त मरहमत फ़रमाई।

मर्तबए शहादत पाने का इस्लामी तरीक़ा

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स सोते वक़्त सूरए इख़लास और सूरए फ़लक़ और सूरए नास, तीन–तीन मर्तबा पढ़ता रहे। पस अगर सोते में उसकी रूह क़ब्ज़ हो जाए तो शहादत का मर्तबा पाएगा और अगर ज़िन्दा रहा तो मग़फ़िरत शुदा ज़िन्दा रहेगा।

सूरए फ़लक़ का क़दरे वज़ाहत के साथ तर्जुमा

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ (ऐ महबूब) तुम फ़रमाओ मैं उसकी पनाह लेता हूं जो सुबह का पैदा करने वाला है। यहां पर अल्लाह तआ़ला का इस वस्फ़ के साथ ज़िक्र इस लिए है कि अल्लाह तआ़ला सुबह पैदा कर के शब की तारीकी दूर फ़रमाता है तो वह क़ादिर है कि पनाह चाहने वाले को जिन हालात से ख़ौफ़ है उनको दूर फ़रमा दे। नीज़ जिस तरह शबे तार में आदमी तुलूअ़े सुबह का इन्तेज़ार करता है ऐसा ही ख़ाइफ़ अमन व राहत का मुंतज़िर रहता है। इलावा बरीं सुबह अहले इज़्तेरार और इज़्तेराब की दुआओं का और उनके क़ुबूल होने का वक़्त है तो मुराद यह हुई कि जिस वक़्त गिरिफ़्ताराने करब व ग़म को कशाइश दी जाती है और दुआयें क़ुबूल की जाती हैं। मैं उस वक़्त के पैदा करने वाले की पनाह चाहता हूं।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ उसकी सब मख़लूक़ की शर से। जानदार हो, या बे जान, मुकल्लफ़ हो या ग़ैर मुकल्लफ़, बाज़ मुफ़स्सेरीन ने फ़रमाया हैकि मख़लूक़ से मुराद ख़ास इबलीस है। जिससे बदतर मख़लूक़ में कोई नहीं और जादू के अमल उसकी और उसके लश्करों की मदद से पूरे होते हैं।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ और अंधेरी डालने वाले की शर से जब वह डूबे हज़रत उम्मुल मोमेनीन आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी है कि रसूले करीम सल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ़ नज़र कर के उनसे फ़रमाया। ऐ आइशा! अल्लाह की पनाह लो। उसकी शर से यह डूब कर अंधेरी डालने वाला है। यानी आख़िर माह में जब चाँद छुप जाए तो जादू के वह अमल जो बीमार करने के लिए हैं। उसी वक़्त में किये जाते हैं।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ और उन औरतों की शर से जो

गिरहों में फूंकती हैं। यानी जादूगर औरतें जो डोरों में गिरह लगा–लगा कर उनमें जादू के मन्तर पढ़–पढ़ फूंकती हैं। जैसे कि लबीद बिन आसम की लड़कियां।

मसला: – गन्डे बनाना और उन पर गिरह लगाकर आयते क़ुरआन या अस्माए इलाहिया दम करना जाइज़ है और हदीस में हैकि हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहल में जब कोई बीमार होता तो हुज़ूर यह सूरतें पढ़कर उस पर दम फ़रमाते।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ और हसद वाले की शर से जब वह मुझसे जले। हसद वाला वह है जो दूसरे के ज़वाले नेअमत की तमन्ना करे यहां हासिद से मुतलक़न हसद करने वाला मुराद है कसे बाशद या यहूद मुराद हैं। जो नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हसद करते थे। या ख़ास लबीद बिन आसम यहूदी। हसद बद–तरीन सिफ़त है। सबसे पहला गुनाह यही है जो आसमान में इबलीस से सरज़द हुआ था और ज़मीन में क़ाबील से।

सूरए नास का क़दरे वज़ाहत के साथ तर्जुमा

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ (ऐ महबूब) तुम कहो मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब। सबका ख़ालिक़ मालिक। यहां पर ज़िक्र में इंसानों की तख़सीस इनकी शराफ़त ज़ाहिर करने के लिए है क्योंकि इन्हें अशरफ़ुल मख़लूक़ात किया है।

مَلِكِ النَّاسِ ۝ सब लोगों का बादशाह। उनके कामों की तदबीर फ़रमाने वाला।

اِلٰهِ النَّاسِ ۝ सब लोगों का ख़ुदा, कि मअबूद होना उसी के लिए ख़ास है।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ उसकी शर से जो दिल में बुरे ख़तरे डाले और दुबक रहे। इससे मुराद शैतान है उसकी आदत ही हैकि इंसान जब ग़ाफ़िल होता है तो उसके दिल में वसवसे डालता है और जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो दुबक रहता है और हट जाता है।

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ वह जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं जिन्न और आदमी। यह वसवसे डालने

वाले शैतान का बयान है कि वह जिन्नों में से भी होता है और इंसानों में से भी जैसे शयातीन जिन्न इंसानों को वसवसे में डालते हैं और ऐसे ही शयातीन इन्स भी नासेह बनकर आदमी के दिल में वसवसे डालते हैं फिर अगर आदमी उन वसवसों को मानता है तो उसका सिलसिला बढ़ जाता है और खूब गुमराह करते हैं और अगर उससे मुतनफ़्फ़िर होता है तो हट जाते हैं और दुबक रहते हैं। आदमी को चाहिए कि शयातीन जिन्न की शर से भी पनाह मांगे और शयातीन इन्स की शर से भी। हदीस में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शब को जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दोनों दस्ते मुबारक को जमा फ़रमा कर उनमें सूरए इख़लास और सूरए फ़लक़ और सूरए नास पढ़कर दम फ़रमाते और अपने हाथों को सरे मुबारक से लेकर तमाम जिस्मे अक़दस पर फेरते जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते यह अमल तीन मर्तबा फ़रमाते थे।

मुसब्बआ़ते अ़शर

दस चीज़ें हैं जिनमें से हर एक को सात–सात मर्तबा बाद नमाज़े सुबह पढ़ा जाता है इस लिए इनका नाम मुसब्बआ़ते अ़शर हुआ इनकी बरकतें कसीर हैं जो बयान में नहीं आ सकतीं ; वलीए कामिल हज़रत करज़ इब्ने वबरा अबदाल से थे। उन्हों ने फ़रमाया कि मेरे एक भाई शाम से आए और मुझे एक हदिया पेश किया और यह कहा कि ऐ करज़ मेरा यह हदिया क़ुबूल कर लो। क्योंकि यह बेहतरीन हदिया है तो मैंने उनसे क़हा ऐ भाई आपको यह हदिया किसने पेश किया था। उन्होंने कहा मुझे इब्राहीम तैमी ने अता फ़रमाया था (जो औलियाए केबार से थे) मैंने कहा। क्या तुमने दरियाफ़्त नहीं किया कि उन्हें किसने दिया था। उन्होंने कहा। मैंने इब्राहीम तैमी से दरियाफ़्त किया था। उन्होंने फ़रमाया कि मैं सेहने काबा में बैठा हुआ तहलील व तस्बीह और तहमीद पढ़ने में मशग़ूल था कि एक मर्द मेरे पास आए और सलाम कर के मेरे दायीं तरफ़ बैठ गए। मैंने अपने ज़माने में उनसे ज़्यादा ख़ूबसूरत चेहरा किसी का नहीं देखा न उनसे बेहतर कपड़े किसी के देखे न उनसे ज़्यादा गोरा कोई आदमी देखा न उनसे ज़्यादा पाकीज़ा खुशबूदार किसी को देखा। मैंने कहा ऐ बन्दए खुदा तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने फ़रमाया मैं ख़िज़्र हूं, तो मैंने कहा मेरे पास आप किस

लिए तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने फ़रमाया तुम्हें सलाम करने के लिए और अल्लाह के वास्ते की मुहब्बत के बाइस और मेरे पास एक हदिया है जिस को मैं तुम्हें पेश करना चाहता हूं मैंने कहा वह क्या है। उन्होंने फ़रमाया वह यह है कि आप तुलूअ़े शम्स से पहले–पहले और ग़ुरूबे शम्स से पहले–पहले सात मर्तबा अलहम्द शरीफ़ और सात मर्तबा सूरए नास और सात मर्तबा सूरए फ़लक़ और सात मर्तबा सूरए इख़लास और सात मर्तबा सूरए काफ़िरून और सात मर्तबा आयतुल कुर्सी और सात मर्तबा سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ और सात मर्तबा दुरूद शरीफ़ और सात मर्तबा अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और उनकी औलाद के लिए और अपने अहल के लिए और जुमला मोमेनीन व मोमेनात अह्या व अमवात के लिए इस्तिग़फ़ार करें और सात मर्तबा पढ़ें।

اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ
وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

(तर्जुमा) ऐ अल्लाह ऐ मेरे मालिक मेरे और मेरे वालिदैन वग़ैरह मोमेनीन और मोमेनात के साथ फ़िलहाल और आइन्दा दीन और दुनिया और आख़िरत में वह कर जिसका तू अहल है और मेरे मौला हमारे साथ वह न करना जिसके हम अहल हैं क्योंकि तू मग़फ़िरत फ़रमाने वाला है, हुक्म फ़रमाने वाला है, जूद फ़रमाने वाला है, करम फ़रमाने वाला है, बलाओं को दूर फ़रमाने वाला है, भलाई पहुंचाने वाला है। (हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया) और देखो इसको सुबह शाम तर्क मत करना। हज़रत इब्राहीम तैमी ने फ़रमाया मैंने अर्ज़ की मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बतादें कि आपको यह अ़तिया किसने अता किया था तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मुझको यह अ़तिया मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने अ़ता फ़रमाया था तो मैंने कहा अच्छा मुझे इसका सवाब बताइये तो उन्होंने फ़रमाया कि जब तुम्हारी मुलाक़ात मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से हो तो इसके सवाब के बारे में उनसे दरियाफ़्त कर लेना वह बता देंगे। हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह तआ़ला ने बयान किया कि मैंने एक रात को ख़्वाब में देखा मलाइका मेरे पास आए और मुझको उठाकर ले चले यहां तक कि जन्नत में दाख़िल कर

दिया तो मैंने जन्नत के साज़ो सामान को देखा और मलाइका से सवाल किया कि यह सब का सब किस के लिए है। उन्होंने कहा कि उस शख़्स के लिए है जो तुम जैसा अमल करे हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने यह भी बयान किया कि मैंने ख़्वाब में जन्नत के फल भी खाए और फ़रिश्तों ने मुझे उसकी शराब भी पिलाई फिर मेरे पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ़ लाए और आपके हमराह सत्तर (70) नबी थे और सत्तर (70) सफ़ें फ़रिश्तों की हर सफ़ इतनी तवील जितना फ़ासिला मशरिक़ मग़रिब में है। हुज़ूर ने मुझको सलाम से नवाज़ कर मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हज़रत ख़िज़्र नें मुझे बताया कि उन्होंने हुज़ूर से (मुसब्बआते अशर के बारे में) यह हदीस सुनी है तो आपने फ़रमाया। ख़िज़्र ने सच कहा और जो कुछ उन्होंने नक़ल किया वह हक़ है। वह रूए ज़मीन के आलिम हैं और अबदाल के सरदार हैं और अल्लाह तआला के उन लश्करों से हैं जिनका क़ियाम ज़मीन में रहता है। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जिस शख़्स ने यह (मुसब्बआते अशर) का अमल किया और वह न देखा जो मैंने ख़्वाब में देखा है तो क्या उन चीज़ों में से कुछ दिया जाएगा जो मुझको अता की गयीं। हुज़ूर ने फ़रमाया क़सम है उस ज़ात की जिसने मुझको हक़ के साथ भेजा है बेशक इस (मुसब्बआते अशर) के आमिल को वह ज़रूर दिया जाएगा। अगरचे वह मुझको न देखे (जैसे तुमने देखा) और न जन्नत को देखे (जैसे तुमने देखी) बेशक उसके तमाम गुनाहे कबीरा मुआफ़ कर दिए जाएंगे और अल्लाह तआला उस पर से अपना ग़ज़ब और नाराज़गी उठा लेगा और बायें तरफ़ वाले फ़रिश्ते को हुक्म दिया जाएगा कि वह उस शख़्स की बदियां एक साल तक न लिखे और क़सम है उस ज़ात की जिसने मुझको हक़ के साथ भेजा है उस पर वही अमल करेगा जिसको अल्लाह तआला ने सईद पैदा किया है और इसको (तहक़ीरन) वही तर्क करेगा जिसको अल्लाह तआला ने शक़ी बनाया है। ख़्वाब से बेदार होने के बाद हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि चार महीने तक बे आब व दाना रहे यानी न कुछ खाया न कुछ पिया "बहालते ख़्वाब जन्नत में जो कुछ खाया पिया था उसी की बरकत थी।

(क़ुवतुल क़ुलूब)

नमाज़े तहय्यतुल मस्जिद

हज़रत अबूकतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैकि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअत पढ़ले। इस नमाज़ को तहय्यतुल मस्जिद कहते हैं।

मसला: – ऐसे वक़्त मस्जिद में आया जिसमें नफ़्ल नमाज़ मकरूह है जैसे बाद तुलूअे फ़जर या बाद नमाज़े असर तो वह शख़्स तहय्यतुल मस्जिद न पढ़े बल्कि तस्बीह व तहलील व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहे इससे हक़े मस्जिद अदा हो जाएगा।

मसला: – फ़र्ज़ या सुन्नत या कोई और नमाज़ मस्जिद में पढ़ली तो तहय्यतुल मस्जिद अदा हो गई। अगरचे तहय्यतुल मस्जिद की नीयत न की हो। इस नमाज़ में तहय्यतुल मस्जिद का हुक्म उसके लिए है जो मस्जिद में बनीयते नमाज़ न गया बल्कि किसी और काम के लिए गया हो अगर तन्हा फ़र्ज़ पढ़ने या जमाअत के साथ अदा करने की नीयत से मस्जिद में गया तो यही नमाज़ क़ाइम मक़ाम तहय्यतुल मस्जिद हो जाएगी। बशर्ते कि दाख़िल होने के बाद ही पढ़े और अगर कुछ अरसे के बाद पढ़ेगा तो तहय्यतुल मस्जिद अलग पढ़े।

मसला: – बेहतर यह हैकि बैठने से पहले तहय्यतुल मस्जिद पढ़े और बग़ैर पढ़े बैठ गया तो साक़ित न हुई अब पढ़े।

मसला: – हर रोज़ एक बार तहय्यतुल मस्जिद काफ़ी है हर बार ज़रूरी नहीं और अगर कोई शख़्स बे वज़ू मस्जिद में गया और कोई वजह है कि तहय्यतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकता तो चार बार سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ कहे।

नमाज़े तहय्यतुल वज़ू

वज़ू के बाद आज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है इस नमाज़ को तहय्यतुल वज़ू कहते हैं। वज़ू के बाद फ़र्ज़ वग़ैरह पढ़े तो क़ाइम मक़ाम तहय्यतुल वज़ू के हो जायेंगे।

नमाज़े इशराक़

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स फ़जर की नमाज़ जमाअत से पढ़कर ज़िक्रे इलाही करता रहा। यहां तक कि आफ़ताब बुलन्द हो गया। (यानी तुलूअ़ को बीस मिनट गुज़र गए) फिर दो रकअ़तें पढ़ीं तो उसे पूरे हज व उमरे का सवाब मिलेगा। इसको नमाज़े इशराक़ कहते हैं।

नमाज़े चाश्त

की कम अज़ कम दो रकअ़त और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रकअ़तें हैं इसका वक़्त आफ़ताब बुलन्द होने से शरअ़ी निस्फ़ुन्नहार तक है और बेहतर यह है कि चौथाई दिन चढ़े पढ़े। महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले सदक़ा करना है और बदन में कुल तीन सौ साठ जोड़ हैं। हर तस्बीह सदक़ा है, हर हम्द सदक़ा है और *ला इलाह इल्लल्लाहु* कहना सदक़ा है और *अल्लाहु अकबर* कहना सदक़ा है और अच्छी बात का हुक्म करना सदक़ा है और बुरी बात से मना करना सदक़ा है और इन सब की तरफ़ से दो रकअ़तें चाश्त की किफ़ायत करनी हैं।

नमाज़े सफ़र

सफ़र में जाते वक़्त दो रकअ़तें अपने घर पढ़कर जाए। इस नमाज़ को नमाज़े सफ़र कहते हैं। हदीस में है कि किसी ने अपने अहल के पास इन दो रकअ़तों से बेहतर न छोड़ा जो बवक़्ते इरादा सफ़र उनके पास पढ़े।

नमाज़ वापसीए सफ़र

सफ़र से वापस होकर दो रकअ़तें मस्जिद में अदा करे इस नमाज़ को वापसीए सफ़र की नमाज़ कहते हैं।

नमाज़े इस्तिख़ारा

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने

फ़रमाया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको तमाम उमूर में इस्तिख़ारे की तालीम फ़रमाते जैसे क़ुरआन की सूरत तालीम फ़रमाते थे। फ़रमाते हैं जब कोई किसी अम्र का क़स्द करे तो दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े. फिर सलाम फेरने के बाद कहे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ
اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ
وَعَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَعَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ
عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ۔

और अपनी हाजत ज़िक्र करे ख़्वाह बजाए هٰذَا الْاَمْر हाजत का नाम ले या इसके बाद हाजत का ज़िक्र करे।

(तर्जुमा ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तिख़ारा करता हूं तेरे इल्म के साथ और तेरे क़ुदरत के साथ और तुझसे क़ुदरत तलब करता हूं और तुझसे तेरे फ़ज़्ले अज़ीम का सवाल करता हूं इस लिए कि तू क़ादिर है और मैं क़ादिर नहीं और तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू ग़ैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह अगर तेरे इल्म में है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन और मईशत और अंजामकार में और इस वक़्त और आइन्दा के लिए तू इसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे और आसान कर फिर मेरे लिए इसमें बरकत दे और अगर तू जानता हैकि मेरे लिए यह काम बुरा है मेरे दीन व मईशत और अंजामकार में और इस वक़्त और आइन्दा के लिए तू उसको मुझसे फेर दे और मुझको उससे फेर और मेरे लिए ख़ैर को मुक़द्दर फ़रमा जहां भी हो फिर मुझे उससे राज़ी कर दे।

मसला:– हज और जिहाद और दीगर नेक कामों में नफ़्से फ़ेअ़ल के लिए इस्तिख़ारा नहीं हो सकता अलबत्ता तअ़य्युन वक़्त के लिए कर सकते हैं।

मसला:– मुस्तहब यह हैकि नमाज़े इस्तिख़ारा की पहली रकअ़त में *.क़ुल या अय्युहल काफ़िरून* और दूसरी में *.क़ुल हुवल्लाह* पढ़े और इस

दुआ के अव्वल आखिर *अलहम्दु* शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ पढ़े।

मसला:- बेहतर यह है कि सात बार इस्तिख़ारा करले क्यों कि एक हदीस में है। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अनस जब तुम किसी काम का क़स्द करो तो अपने रब से उस काम में सात बार इस्तिख़ारा करो फिर देखो (उस काम के मुतअ़ल्लिक़) तुम्हारे दिल में क्या ख़्याल पैदा हुआ। उसी ख़्याल में ख़ैर है और बाज़ मशाइख़ से मनक़ूल है कि दुआए मज़कूर को पढ़कर बातहारत क़िब्ला रु सो रहे। अगर ख़्वाब में सपेदी या सब्ज़ी देखे तो वह काम बेहतर है और सियाही या सुर्ख़ी देखे तो बुरा है इससे बचे। यह बात याद रहे कि इस्तिख़ारे का वक़्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ़ राए पूरी न जम चुकी हो।

सलातुत - तस्बीह

इस नमाज़ में बइन्तेहा सवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलेहि वसल्लम ने जब हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह नमाज़ तालीम फ़रमाई तो इर्शाद फ़रमाया अगर तुमसे हो सके तो सलातुत तस्बीह को हर रोज़ एक बार पढ़ो और अगर हर रोज़ न पढ़ सको तो हर जुमे में एक बार और अगर यह भी न हो सके तो महीने में एक बार और अगर यह भी न कर सको तो साल में एक बार और अगर यह भी न हो सके तो उमर में एक बार पढ़ना। सलातुत तस्बीह की चार रकअ़त होती हैं और इनके पढ़ने की तर्कीब यह है।

सलातुत तस्बीह पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

चार रकअ़त सलातुत तस्बीह की नीयत बांध कर *सुबहा—नकल्लाहुम्म* पढ़े। फिर पन्द्रह बार पढ़े। سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (तर्जुमा) अल्लाह हर ऐब से पाक है और सब ख़ूबीयां अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद बरहक़ नहीं और अल्लाह बड़ा है। फिर *अऊ़जु* और *बिस्मिल्लाह* और *अलहम्दु* और सूरत पढ़कर दस बार यही तस्बीह पढ़े। फिर रुकूअ़ करे और रुकूअ़ में दस बार पढ़े। फिर रुकूअ़ से सर उठाए और سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ और رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, कहने के बाद दस बार कहे। फिर सज्दे को जाये और उसमें दस बार कहे फिर सज्दे से सर उठा कर दस बार कहे फिर

सज्दे को जाए और उस में दस मर्तबा पढ़े इसी तरह चार रकअत पढ़े हर रकअत में पचहत्तर बार तस्बीह और चारों में तीन सौ हुई और रुकूअ व सुजूद में سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم और سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहने के बाद तस्बीहात पढ़े।

मसला: - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से पूछा गया कि आपको मालूम है इस नमाज़ में कौन सी सूरत पढ़ी जाए। फ़रमाया सूरा *तकासुर, वलअ़स्र* और *कुल या अय्युहल काफ़िरून* व *कुल हुवल्लाहु*।

मसला: - अगर सज्दए सह्व वाजिब हो और सज्दा करे तो उन दोनों सज्दों में तस्बीहात न पढ़ी जायें अगर किसी जगह भूल कर दस बार से कम पढ़ी हैं तो बाक़ी मांदा दूसरी जगह पढ़ले ताकि मिक़्दार पूरी हो जाए लेकिन रुकूअ़ में भूला हो तो उसे सज्दे में कहे क़ौमा में न कहे और सज्दे में भूला हो तो दूसरे में कहे। जलसे में न कहे।

मसला: - तस्बीह उंगलियों पर न गिने बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करे वरना उंगलियां दबा कर।

मसला: - हर वक़्त ग़ैर मकरूह में यह नमाज़ पढ़ सकता है और बेहतर यह है कि ज़ुहर से पहले पढ़े।

नामज़े हाजत

जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को कोई अमर अहम पेश आता तो नमाज़ पढ़ते इस नमाज़ को नमाज़े हाजत कहते हैं। इस के लिए दो या चार रकअ़तें पढ़ी जाती हैं। हदीस में हैकि पहली रकअ़त में सूरए फ़ातिहा और तीन बार आयतुल कुर्सी पढ़े और बाक़ी तीन रकअ़तों में सूरए फ़ातिहा और सूरए इख़लास और सूरए फ़लक़ और सूरए नास, एक—एक बार पढ़े मशाइख़ फ़रमाते हैं कि हमने यह नमाज़ पढ़ी और हाजतें पूरी हुईं। एक हदीस में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। जिसकी कोई हाजत अल्लाह की तरफ़ हो या किसी बनी आदम की तरफ़ तो अच्छी तरह वज़ू करे फिर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े इन दो रकअ़तों में जो सूरतें चाहे पढ़े। फिर सलाम फेरने के बाद

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हम्द करे और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे फिर यह पढ़े।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ
مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ
رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

(तर्जुमा) अल्लाह के सिवा कोई मअबूदे बरहक़ नहीं जो हलीम व करीम है। पाक है अल्लाह अर्शे अज़ीम का मालिक। हम्द है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहां का (ऐ अल्लाह) मैं तुझसे तेरी रहमत के असबाब मांगता हूं और तेरी बख़्शिश के ज़राए तलब करता हूं और हर नेकी से ग़नीमत और हर गुनाह से सलामती को तलब करता हूं मेरे लिए कोई गुनाह बग़ैर मग़फ़िरत न छोड़ और हर ग़म को दूर कर दे और जो हाजत तेरी रज़ा के मुवाफ़िक़ है उसे पूरा कर दे। ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान।

जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत उस्मान इब्ने हनीफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक साहब नाबीना नबवी ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे आफ़ियत दे। इर्शाद फ़रमाया अगर तुम चाहो तो दुआ करूं और चाहो तो सब्र करो और सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर दुआ करें तो आपने उन्हें हुक्म फ़रमाया कि वज़ू करो और अच्छा वज़ू करो। फिर दो रकअत नमाज़ पढ़कर यह दुआ पढ़ो।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَسَّلُ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللهِ
إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِيْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

(तर्जुमा) ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और तवस्सुल करता हूं और तेरी तरफ़ मुतवज्जह होता हूं। तेरे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) के ज़रीए से जो नबीए रहमत हैं या रसूलल्लाह मैं हुज़ूर के ज़रीए से अपने रब की तरफ़ इस हाजत के बारे में मुतवज्जह होता हूं ताकि मेरी हाजत पूरी हो। इलाही उनकी शफ़ाअत मेरे हक़ में क़ुबूल फ़रमा। वाक़िआ के बयान करने वाले हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ रज़ियल्लाहु

तआला अन्हु फ़रमाते हैं। खुदा की क़सम हम अभी उठने भी न पाए थे, बातें ही कर रहे थे कि वह शख़्स मज़कूरा बाला अमल करने के बाद हमारे पास आए गोया कभी अंधे थे ही नहीं। अल्लाह तआला ने इस अमल की बरकत से उन्हें फौरन अंखियारा कर दिया।

क़ज़ाए हाजात के लिए

एक मुजर्रब नमाज़ जो उल्मा हमेशा पढ़ते आए यह है कि इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ारे मुबारक पर हाज़िर होकर दो रकअत नमाज़ पढ़े और इमाम के वसीले से अल्लाह तआला से सवाल करे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि मैं ऐसा करता हूं तो बहुत जल्द मेरी हाजत पूरी हो जाती है।

नमाज़े ग़ौसिया

यह नमाज़ चूंकि सय्यदना ग़ौसे आज़म शैख़ अब्दुल–क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है इसी वास्ते इसका नाम नमाज़े ग़ौसिया हुआ इसकी तर्कीब यह हैकि बाद नमाज़े मग़रिब सुन्नतें पढ़कर दो रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़े और *अलहम्दु* के बाद हर रकअत में ग्यारह–ग्यारह बार *क़ुल हुवल्लाहु* पढ़े सलाम के बाद अल्लाह तआला की हम्द व सना कर के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग्यारह मर्तबा हदियए दुरूद पेश करे और ग्यारह बार यूं कहे।

يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ اَغِثْنِيْ وَاَمْدِدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

(तर्जुमा) ऐ अल्लाह के रसूल ऐ अल्लाह के नबी मेरी फ़रियाद को पहुंचिये और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में, ऐ तमाम हाजतों के पूरा करने वाले, फिर इराक़ की जानिब ग्यारह क़दम चले हर क़दम पर यह कहे। يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ وَاَمْدِدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ (तर्जुमा) ऐ जिन्न व इन्स के फ़रियाद–रस और ऐ दोनों तरफ़ (मां–बाप) से बुज़ुर्ग मेरी फ़रियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए। मेरी हाजत पूरी होने में ऐ हाजतों के पूरा करने वाले फिर हुज़ूर के तवस्सुल से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ करे।

नमाज़े तौबा

ख़लीफ़ए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैंकि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जब कोई बन्दा गुनाह करे फिर वज़ू कर के नामज़ पढ़े फिर इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह तआला उसके गुनाह बख़्श देगा। इस को नमाज़े तौबा कहते हैं।

वक़्ते ज़ुहर

आफ़ताब के ढलने से उस वक़्त तक हैकि हर चीज़ का साया इलावा सायए असली के दो चन्द हो जाए।

ज़ुहर की नमाज़

में कुल बारह रकअ़त हैं उनमें पहले चार रकअ़त सुन्नते मुअक्किदा फिर चार रकअ़त फ़र्ज़ फिर दो रकअ़त सुन्नते मुअक्किदा फिर दो रकअ़त सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा यानी नफ़्ल। उम्मुल मोमेनीन हज़रत उम्मे हबीबह रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं कि सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स फ़र्ज़े ज़ुहर से पहले चार और बाद में चार रकअ़तों को हमेशा अदा करता रहे तो अल्लाह तआ़ला उसको आग पर हराम फ़रमा देगा।

मसला: – सर्दी की ज़ुहर में जल्दी मुस्तहब है और गर्मी में ताख़ीर। ख़्वाह तन्हा पढ़े या जमाअ़त से हां गर्मी में ज़ुहर की जमाअ़त अव्वल वक़्त में होती हो तो मुस्तहब वक़्त के लिए जमाअ़त तर्क करना जाइज़ नहीं। मौसमे रबीअ़ सर्दी और ख़रीफ़ गर्मी के हुक्म में है। बेहतर यह हैकि ज़ुहर मिस्ल अव्वल में पढ़ें।

यौमे जुमा का इस्लामी इम्तियाज़

हज़रत सअ़द इब्ने मआ़ज़ रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने बयान फ़रमाया कि महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है और वह अल्लाह के नज़दीक ईदुल अज़हा व ईदुल

फित्र से भी बडा है इसमें पांच खुसूसियात हैं। अल्लाह तआला ने उसी में (1) आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसी में (2) ज़मीन पर उतारा और उसी में (3) उन्हें वफ़ात दी और उस में (4) एक साअत ऐसी है कि बन्दा उस वक़्त जिस चीज़ का सवाल करे। अल्लाह तआला उसे अता फ़रमाएगा। बशर्ते कि हराम का सवाल न हो और उसी (5) दिन में क़ियामत क़ाइम होगी। फ़रिश्तगाने मुक़र्रब और आसमान व ज़मीन और हवा व पहाड़ और दरिया में से कोई ऐसा नहीं कि जुमा के दिन से डरता न हो। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु रिवायत करते हैं कि अफ़ज़ले मौजूदात सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों से जुमा का दिन है इसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी में इन्तिक़ाल किया और इसी में पहली बार सूर फूंका जाएगा और इसी में दूसरी बार जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो। क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उस वक़्त हुज़ूर पर हमारा दुरूद क्यों कर पेश किया जाएगा। जब हुज़ूर इन्तिक़ाल फ़रमा चुके होंगे। इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने ज़मीन पर अम्बिया का जिस्म खाना हराम कर दिया है। यानी अल्लाह के अम्बिया ज़िन्दा रहते हैं और उनको रोज़ी पहुंचती है। जैसा कि हदीस की मशहूर किताब इब्ने माजा शरीफ़ में मज़कूर है। इसमें शक नहीं कि मौत अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी आती है। मगर सिर्फ़ एक आन के लिए फिर साबिक़ की तरह ज़िन्दा हो जाते हैं और अपने क़ुबूर से बाहर निकल कर जहां चाहते हैं तशरीफ़ ले जाते हैं। आलम में मुख़तलिफ़ क़िस्म के तसर्रुफ़ात फ़रमाते हैं और जिनको ख़ुदा चाहता है नज़र भी आते हैं देर तक मुलाक़ात होती है। बात चीत फ़रमाते हैं। जैसे इमाम सुयूती रहमतुल्लाह तआ़ला अलैहि को बेदारी में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती थी और उन्होंने हुज़ूर से दरियाफ़्त कर के बहुत सी हदीसों की सेहत मालूम की।

आला हज़रत मौला शाह अहमद रज़ा ख़ाँ साहब क़ुद्देस सिर्रहु ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसलए हयात को नज़्म में इस तरह बयान फ़रमाया है—..............

अम्बिया को भी अजल आनी है   लेकिन ऐसी कि फ़क़त आनी है
फिर उसी आन के बाद उनकी हयात   मिस्ल साबिक़ वही जिस्मानी है

रूह तो ज़िन्दा है सब की उन का जिस्म पुर नूर भी रूहानी है
औरों की रूह हो कितनी ही लतीफ़ उनके अजसाम की कब सानी है
उसकी अज़वाजको जाइज़ है निकाह उस का तर्का बटे जो फ़ानी है
वह हैं हय्य अबदी उन को रज़ा सिदक़ वादे की क़ज़ा मानी है

जुमे के दिन दुआ मक़बूल होने का वक़्त

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुमा में एक ऐसी साअ़त हैकि मुसलमान बन्दा अगर उसे पाले और उसमें अल्लाह तआ़ला से भलाई का सवाल करे तो वह उसे ज़रूर अता फ़रमाएगा और वह साअ़त बहुत थोड़ी है। रहा यह कि वह कौन सी साअ़त है तो इसमें दो रिवायतें क़वी हैं एक यह कि इमाम के खुतबे के लिए बैठने से ख़त्म नमाज़ तक और दूसरी रिवायत यह हैकि वह जुमा की पिछली साअ़त है। चुनांचे एक हदीस में हैकि जुमा के दिन जिस साअ़त की ख़्वाहिश की जाती है उसे असर के बाद से ग़ुरूबे आफ़ताब तक तलाश करो।

जुमे के दिन या रात में मरने का इस्लामी इम्तियाज़

सरवरे काइनात सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं जो मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत जुमे के दिन या जुमे की रात में इन्तिक़ाल करे उसको अज़ाबे क़ब्र और फ़ितनए क़ब्र से बचा लिया जाता है और वह खुदा से इस हाल में मिलेगा कि उस पर कुछ हिसाब न होगा और उसके साथ गवाह होंगे जो उसके लिए गवाही देंगे और उसके लिए शहीद का अजर लिखा जाएगा।

नमाज़े जुमा का इस्लामी इम्तियाज़

सरवरे काइनात फ़ख़रे मौजूदात इर्शाद फ़रमाते हैं जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर नमाज़ के लिए आया और (खुतबा) सुनने की हालत में चुप रहा उसके लिए मग़फ़िरत हो जाएगी। उन गुनाहों की जो इस जुमा और दूसरे जुमा के दर्मियान है और मज़ीद तीन दिन के गुनाहों की और जिसने कंकरी छुई उसने लग़्व किया यानी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी लग़्व में दाख़िल है कि कंकरी पड़ी हो उसे हटादे।

सरवरे अम्बिया ताजदारे दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं। पांच चीज़ें जो एक दिन में करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल

उसको जन्नती लिख देगा। जो मरीज़ को पूछने जाए और जनाज़े में हाज़िर हो और रोज़ा रखे और जुमे को जाए और ग़ुलाम आज़ाद करे।

नमाज़े जुमा अगरचे मक्का मुकर्रमा में फ़र्ज़ हुई थी मगर ग़ल्बए कुफ़्फ़ार के बाइस वहां पर इसकी शुरूआत न हो सकी। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में पहुंच कर हुज़ूर ने अदा फ़रमाई।

जुमा छोड़ने की इस्लामी सज़ा

सरवरे अम्बिया महबूबे किब्रिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेही वसल्लम ने ख़ुतबा देते हुए इर्शाद फ़रमाया। ऐ लोगो! मरने से पहले अल्लाह की तरफ़ तौबा करो! और मशग़ूल होने से पहले नेक कामों की तरफ़ सबक़त करो और यादे ख़ुदा की कसरत और ज़ाहिर व पोशीदा सदक़ात की कसरत से अपने रब के साथ तअल्लुक़ात क़ाइम करो। ऐसा करोगे तो तुम्हें रोज़ी दी जाएगी और तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी शिकस्तगी दूर फ़रमाई जाएगी और जान लो कि उस जगह उस दिन उस साल में क़ियामत तक के लिए अल्लाह तआला ने तुम पर नमाज़े जुमा फ़र्ज़ फ़रमा दी। जो शख़्स मेरी हयात में या मेरे बाद हलका जान कर और बतौरे इन्कार जुमा छोड़े दराँ हाले कि वह किसी हाकिमे इस्लाम के मातहत हो तो अल्लाह तआला न उसकी परेशानी दूर फ़रमाएगा न उसके काम में बरकत देगा। आगाह हो जाओ। उसके लिए न नमाज़ है न ज़कात न हज न नेकी जब तक तौबा न करले और जो शख़्स तौबा करता है अल्लाह तआला उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमाता है।

रसूले मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुमा छोड़ देने वाले के बारे में सख़्त तरीन अल्फ़ाज़ इर्शाद फ़रमाए हैं। कभी फ़रमाया जो तीन जुमे बिला उज़्र छोड़े वह मुनाफ़िक़ है और कभी फ़रमाया जो तीन जुमा सुस्ती की वजह से छोड़े अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर कर देगा और एक मर्तबा फ़रमाया। जिसने तीन जुमा पै दर पै छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया।

जुमा के दिन नहाने और ख़ुशबू लगाने का इस्लामी इम्तियाज़

इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जो शख़्स जुमा के दिन नहाए और तेल लगाए और घर

में जो खुशबू हो इस्तेमाल करे। फिर नमाज़े जुमा को निकले और मस्जिद में पहुंच कर दो बैठे हुए शख़्सों को हटाकर बीच में न बैठे और जो नमाज़ उसके लिए मुक़द्दर है पढ़े और इमाम जब खुतबा पढ़े तो चुप रहे तो उसके लिए उन गुनाहों की जो उस जुमा और दूसरे जुमा के दर्मियान हैं मग़फ़िरत हो जाएगी।

शफ़ीउल मुज़नेबीन सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जो जुमा के दिन नहाए उसके गुनाह और ख़तायें मिटा दी जाती हैं और जब जुमा के लिए चलना शुरू करता है तो हर क़दम पर बीस साल का अमल लिखा जाता है और जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो तो उसे दो सौ बरस का अज्र मिलता है।

जुमे के लिए अव्वल जाने का इस्लामी इम्तियाज़

रहमतुल–लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जब जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होते हैं और हाज़िर होने वाले को लिखते हैं। सब में पहला फिर उसके बाद वाला व अ़ला हाज़ल क़ियास और फ़रमाया जो शख़्स जुमा के दिन ग़ुस्ल करे जैसे जनाबत का ग़ुस्ल होता है। फिर पहले साअ़त में जाए तो गोया उसने ऊँट की क़ुरबानी की। यानी ऊँट क़ुरबानी करने का सवाब मिलता है और दूसरी साअ़त में गया तो गोया उसने गाय की क़ुरबानी की और जो तीसरे साअ़त में गया तो उसने सींग वाले मेंढे की क़ुरबानी की और जो चौथी साअ़त में गया तो गोया उसने मुर्ग़ी नेक काम में सर्फ़ की और पांचवीं साअ़त में गया तो गोया अंडा ख़र्च किया। फिर जब इमाम ख़ुतबा को निकलता है तो फ़रिश्ते अपना दफ़्तर बन्द कर के खुतबा सुनने के लिए हाज़िर हो जाते हैं। रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जुमे में तीन क़िस्म के लोग हाज़िर होते हैं एक वह जो लग़्व के साथ हाज़िर हुआ। यानी कोई ऐसा काम किया जिससे सवाब जाता रहे। मसलन खुतबा के वक़्त कलाम किया या कंकरियां छुई तो उसका हिस्सा जुमा से वही लग़्व है और एक वह शख़्स जिसने कि अल्लाह से दुआ़ की तो अल्लाह अगर चाहे दे और चाहे न दे और एक वह शख़्स कि सुकूत के साथ हाज़िर हुआ और न किसी मुसलमान की गर्दन फलांगी और न किसी को ईज़ा दी तो जुमा उसके लिए कफ़्फ़ारा है। आइन्दा जुमा और तीन दिन ज़्यादा तक।

नमाज़े जुमा की शर्तें छः हैं

अगर उनमें से एक शर्त भी न पाई जाए तो जुमा न होगा। इस सूरत में नमाज़े ज़ुहर पढ़ना ज़रूरी है।

पहली शर्त

मिस्र या फ़नाए मिस्र है। मिस्र वह जगह है जिसमें मुतअ़द्दद कूचे और बाज़ार हों और वह ज़िला या परगना हो कि उसके मुतअ़ल्लिक़ देहात गिने जाते हों और वहां कोई हाकिम हो कि अपने दबदबा व सतवत (सख़्ती, रोब) के सबब मज़लूम का इन्साफ़ ज़ालिम से ले सके। यानी इन्साफ़ लेने पर क़ुदरत काफ़ी है। अगरचे ना इन्साफ़ी करता हो और बदला न लेता हो। मिस्र की आस–पास की जगह जो मिस्र की मस्लेहतों के लिए हो उसे फ़नाए मिस्र कहते हैं। जैसे क़ब्रिस्तान, घोड़ दौड़ का मैदान, छावनी, कचहरी, स्टेशन कि यह चीज़ें शहर से बाहर हों तो फ़नाए मिस्र में इनका शुमार है और वहां जुमा जाइज़। नज़रबरां जुमा शहर में पढ़ा जाए या क़स्बा में या उनकी फ़ना में और गाँव में जाइज़ नहीं लेकिन आज कल जिस गाँव में पलहे से जुमा होता चला आया है उसको बन्द न किया जाए। क्योंकि ऐसे मक़ाम पर वह लोग ज़्यादा होते हैं जो हफ़्ता में सिर्फ़ जुमा ही में शरीक होजाते हैं। पंज वक़्ता नमाज़ नहीं पढ़ते तो अगर जुमा बन्द कर दिया गया तो वह लोग इससे भी जायेंगे। दरआंहाले कि बाज़ अइम्मा के मसलक पर गाँव में जुमा जाइज़ है। अगरचे अहनाफ़ के नज़दीक नहीं इस लिए एहतियात यह है कि वहां पर जुमा बन्द न किया जाए।

मसला:– गाँव का रहने वाला शहर में आया और जुमे के दिन यहीं रहने का इरादा है तो जुमा फ़र्ज़ है और उसी दिन वापसी का इरादा हो ज़वाल से पहले या बाद तो फ़र्ज़ नहीं। मगर पढ़ेगा तो मुस्तहिक़े सवाब है।

मसला:– शहर में मुतअ़द्दद जगह जुमा हो सकता है ख़्वाह वह शहर छोटा हो या बड़ा और जुमा दो मस्जिदों में हो या ज़्यादा में मगर बिला ज़रूरत बहुत सी जगह जुमा क़ाइम न किया जाए क्योंकि जुमा इस्लाम के शेआर में से है और बहुत सी मस्जिदों में होने से वह शौकते इस्लामी बाक़ी नहीं रहती जो इजतेमाअ़ में होती है। नीज़ दफ़ए हर्ज के लिए मुतअ़द्दद

जगह पर जाइज़ रखा गया है। ख़्वाह–मख़्वाह जमाअत परागन्दा करना और मुहल्ला–मुहल्ला क़ाइम न करना चाहिए।

एक बहुत ज़रूरी बात

जिसकी तरफ़ आम लोगों की बिल्कुल तवज्जोह नहीं। यह हैकि जुमा को और नमाज़ों की तरह समझ रखा है। जिसने चाहा नया जुमा क़ाइम कर लिया और जिसने चाहा पढ़ा दिया। यह बात नाजाइज़ है। इस लिए कि जुमा क़ाइम करना बादशाहे इस्लाम या उसके नाइब का काम है और जहां इस्लामी सल्तनत न हो वहां जो सबसे बड़ा आलिम सुन्नी सही अक़ीदा हो वह अहकामे शरअी जारी करने में सुल्ताने इस्लाम के क़ाइम मक़ाम है। लिहाज़ा वही जुमा क़ाइम करे बग़ैर उसकी इजाज़त के नहीं हो सकता और यह भी न हो तो आम लोग जिसको इमाम बनायें और आलिम के होते हुए अवाम बतौरे ख़ुद किसी को इमाम नहीं बना सकते हैं। न यह हो सकता है कि दो चार शख़्स किसी को इमाम मुक़र्रर करलें।

दूसरी शर्त

सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब जिसे जुमा क़ाइम करने का हुक्म दिया हो।

मसला:– सुल्तान आदिल हो या ज़ालिम जुमा क़ाइम कर सकता है। यूं ही अगर ज़बरदस्ती बादशाह बन बैठा यानी शरअ़न उसको हक़्क़े इमामत न हो मसलन क़रशी नहीं या और कोई शर्त मफ़क़ूद हो तो यह भी जुमा क़ाइम कर सकता है। यूंही अगर औरत बादशाह बन बैठी तो उसके हुक्म से जुमा क़ाइम होगा यह ख़ुद क़ाइम नहीं कर सकती।

मसला:– इमामे जुमा की बिला इजाज़त किसी ने जुमा पढ़ाया अगर इमाम या वह शख़्स जिसके हुक्म से जुमा क़ाइम होता है शरीक हो गया तो जुमा हो जाएगा वरना नहीं।

मसला:– किसी शहर में बादशाहे इस्लाम या उसका नाइब जिसके हुक्म से जुमा क़ाइम होता है न हो तो वही हुक्म है जो ऊपर बयान कर दिया गया।

तीसरी शर्त

वक़्ते ज़ुहर यानी वक़्ते ज़ुहर में नमाज़े जुमा पूरी होजाए तो अगर असनाए नमाज़ में अगरचे तशह्हुद के बाद असर का वक़्त आगया जुमा बातिल हो गया। ज़ुहर की क़ज़ा पढ़े। इसी तरह वक़्ते ज़ुहर से पेशतर जुमा पढ़ा तो न हुआ। हासिल यह कि जो वक़्त नमाज़े ज़ुहर का है वही नमाज़े जुमा का है और जो वक़्त मुस्तहब ज़ुहर के लिए है वही जुमा के लिए।

चौथी शर्त

खुतबा है इसमें यह शर्त हैकि वक़्त में हो और नमाज़ से पहले और ऐसी जमाअत के सामने हो जो जुमा के लिए शर्त है यानी कम से कम ख़तीब के सिवा तीन मर्द और इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें अगर कोई अमर मानेअ़ न हो। पस अगर ज़वाल से पेशतर खुतबा पढ़ लिया या नमाज़ के बाद पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औरतों बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा न हुआ और अगर बहरों या सोने वालों के सामने पढ़ा या हाज़ेरीन दूर हैं कि सुनते नहीं या मुसाफ़िर या बीमारों के सामने पढ़ा जो आक़िल बालिग़ मर्द हैं तो हो जाएगा।

मसला:- खुतबा ज़िक्रे इलाही का नाम है अगरचे सिर्फ़ एक बार *अलहम्दु लिल्लाहि* या *सुबहानल्लाहि* या *ला इला–ह इल्लल्लाहु* कहा इसी क़दर से फ़र्ज़ अदा होगया मगर इतने ही पर इकतेफ़ा करना मकरूह है।

मसला:- सुन्नत यह हैकि दो खुतबे पढ़े जायें और बड़े–बड़े न हों। अगर दोनों मिलकर तवाले मुफ़स्सल से बढ़ जायें तो मकरूह है खुसूसन जाड़ों में।

खुतबे में सुन्नतें

यह हैं। ख़तीब का पाक होना। खड़ा होना। खुतबे से पहले ख़तीब का बैठना, ख़तीब का मिम्बर पर होना और सामईन की तरफ़ मुंह और क़िब्ला को पीठ करना और बेहतर यह हैकि मिम्बर मेहराब की बायें जानिब हो। हाज़ेरीन का इमाम की तरफ़ मुतवज्जह होना खुतबे से पहले *अऊज़ु बिल्लाह* आहिस्ता पढ़ना। इतनी बुलन्द आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें। *अलहम्दु* से शुरू करना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सना करना

अल्लाह व अज़्ज़ व जल्ल की वहदानियत और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देना। हुज़ूर पर दुरूद भेजना कम से कम एक आयत की तिलावत करना। पहले ख़ुतबे में वअ़ज़ व नसीहत होना। दूसरे में हम्दोसना व शहादत व दुरूद का इआदा करना दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना। दोनों ख़ुतबे हल्के होना, दोनों के दर्मियान बक़दरे तीन आयत पढ़ के बैठना। मुस्तहब यह है कि दूसरे ख़ुतबे में आवाज़ बनिस्बत पहले के पस्त हो और ख़ुल्फ़ाए राशेदीन व अम्मैन मुकर्रमैन हज़रत हमज़ा और हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम का ज़िक्र हो।

मसला: – ग़ैर अरबी में ख़ुतबा पढ़ना अ़रबी के साथ दूसरी ज़बान का ख़ुतबा में ख़ल्त–मल्त करना। सुन्नते मुतवारिसा के ख़िलाफ़ है, यूंही ख़ुतबे में अशआ़र न पढ़ना चाहिए।

पांचवीं शर्त

जमाअ़त है। यानी इमाम के इलावा कम से कम तीन मर्द।

मसला: – ख़ुतबे के वक़्त जो लोग मौजूद थे। वह चले गए और दूसरे तीन शख़्स आगए तो उनके साथ इमाम जुमा पढ़े। यानी जुमे की जमाअ़त के लिए उन्हीं लोगों का होना ज़रूरी नहीं जो ख़ुतबे के वक़्त हाज़िर थे बल्कि उनके ग़ैर से भी होजाएगा।

छटी शर्त

इज़्ने आम है यानी मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए कि जिस मुसलमान का जी चाहे आए किसी की रोक–टोक न हो। पस अगर जामा मस्जिद में लोगों के जमा होने के बाद दरवाज़ा बन्द कर के जुमा पढ़ा तो न हुआ। लेकिन औरतों को अगर जामा मस्जिद से रोका जाए तो इज़्ने आम के ख़िलाफ़ न होगा।

जुमा फ़र्ज़ होने की शर्तें

ग्यारह हैं। उनमें से एक भी मअ़दूम हो तो जुमा फ़र्ज़ नहीं। फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जाएगा। बल्कि मर्द आ़क़िल बालिग़ के लिए जुमा पढ़ना अफ़ज़ल है। औरत के लिए ज़ुहर पढ़ना अफ़ज़ल है। (1) शहर में

मुकीम होना। (2) तन्दुरुस्त होना। मरीज पर जुमा फर्ज नहीं। मरीज से मुराद वह है कि मस्जिदे जुमा तक न जा सकता हो या चला तो जाएगा मगर मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा तो ऐसे मरीज़ पर फर्ज नहीं और शैख फ़ानी मरीज़ के हुक्म में है।

मसला:– जो शख़्स मरीज़ का तीमारदार हो। जानता है कि जुमा को जाएगा तो मरीज़ दिक़्क़तों में पड़ जाएगा और उसका कोई पुरसाने हाल न होगा तो उस तीमारदार पर जुमा फर्ज नहीं। (3) आज़ाद होना लिहाज़ा ग़ुलाम पर जुमा फ़र्ज़ नहीं (4) मर्द होना लिहाज़ा औरत पर जुमा फ़र्ज़ नहीं (5) बालिग़ होना लिहाज़ा नाबालिग़ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। (6) आक़िल होना (7) अंखियारा होना।

मसला:– एक चश्म और जिसकी निगाह कमज़ोर हो उस पर जुमा फ़र्ज़ है। यूंही जो अन्धा मस्जिद में अज़ान के वक़्त बावज़ू मौजूद हो उस पर जुमा फ़र्ज़ है और वह नाबीना जो बिला तकल्लुफ़ बग़ैर किसी मदद के मस्जिद में जा सके उस पर जुमा फ़र्ज़ है। (8) चलने पर क़ादिर होना लिहाज़ा अपाहिज पर जुमा फ़र्ज़ नहीं और जिसका एक पाँव कट गया हो या फ़ालिज से बेकार हो गया अगर मस्जिद तक जा सकता हो तो उस पर जुमा फ़र्ज़ है वरना नहीं (9) क़ैद में न होना। मगर वह शख़्स जो किसी दैन की वजह से क़ैद किया गया और अदा करने पर क़ादिर है तो उस पर जुमा फ़र्ज़ है (10) बादशाह या चोर किसी ज़ालिम वग़ैरह का ख़ौफ़ न होना लिहाज़ा मुफ़्लिस कर्ज़दार को अगर क़ैद का अंदेशा हो तो उस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। (11) मेंह या आंधी या ओले या सर्दी का होना यानी इस क़दर कि उनसे नुक़सान का ख़ौफ़ सही हो।

मसला:– जुमे की इमामत हर वह मर्द कर सकता है जो और नमाज़ों में इमाम हो। अगरचे जुमा उस पर फ़र्ज़ न हो। जैसे मरीज़, मुसाफ़िर, ग़ुलाम यानी जब कि सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब या जिसको उसने इजाज़त दी है बीमार हो या मुसाफ़िर हो तो यह सब नमाज़े जुमा पढ़ा सकते हैं या उन्होंने किसी मरीज़ या मुसाफ़िर या ग़ुलाम या किसी लाइक़े इमामत को इजाज़त दी हो या बज़रूरत आम लोगों ने किसी ऐसे को इमाम मुक़र्रर किया हो जो इमामत कर सकता हो। यह नहीं हो सकता कि बतौर खुद जिसका जी चाहे जुमा पढ़ावे कि यूं जुमा न होगा।

ज़ुहर एहतियाती

जुमा के बाद चार रकअ़त नमाज़ इस नीयत से अदा करना कि सबमें पिछली ज़ुहर जिसका वक़्त पाया और न पढ़ी उसको ज़ुहर एहतियाती कहते हैं। यह सिर्फ़ उन ख़ास लोगों के लिए है जिनको फ़र्ज़ जुमा अदा होने में शक न हो अवाम के लिए नहीं और उसकी चारों रकअ़तें फिर पढ़ी जाएंगी। बेहतर यह हैकि जुमा की पिछली चार सुन्नतें पढ़कर ज़ुहर एहतियाती पढ़ें फिर दो सुन्नतें।

जुमा पढ़ने वाले पर चौदह रकअ़तें हैं

इनकी तफ़सील यह हैकि पहले चार सुन्नते मुअक्किदा। फिर दो फ़र्ज़ जुमा फिर चार सुन्नते मुअक्किदा फिर दो सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा। फिर दो नफ़्ल।

नमाज़े इस्तिसक़ा

हदीस:– सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जो लोग नाप और तोल में कमी करते हैं वह क़हत और शिद्दते मौत में और ज़ुल्मे बादशाह में गिरिफ़्तार होते हैं। अगर चौपाए न होते तो इनपे बारिश न होती।

हदीस:– उम्मुल मोमेनीन आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने बयान फ़रमाया। लोगों ने हुज़ूर की ख़िदमत में क़हत बारां की शिकायत पेश की। हुज़ूर ने मिम्बर के लिए हुक्म फ़रमाया कि ईदगाह में रखा जाए और एक दिन मुअ़य्यन फ़रमा दिया जिसमें सब लोग वहां पर चलें। जब आफ़ताब तुलूअ़ हो गया तो उस वक़्त हुज़ूर तशरीफ़ ले गए और मिम्बर पर बैठकर तकबीर कही और हम्दे इलाही बजा लाए। फिर फ़रमाया। तुम लोगों ने अपने मुल्क के क़हत की शिकायत की और यह कि बारिश अपने वक़्त से मुअख़्ख़र होगई। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें हुक्म दिया हैकि उससे दुआ करो और उसने वादा कर लिया हैकि तुम्हारी दुआ क़ुबूल फ़रमाएगा। उसके बाद फ़रमाया। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ सब ख़ूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का *रहमान व रहीम* है क़ियामत के दिन का मालिक है

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. अल्लाह के सिवा कोई मअबूदे बरहक़ नहीं वह जो चाहता है करता है। اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَآءُ. (तर्जुमा) या अल्लाह तू ही मअबूदे बरहक़ है तेरे सिवा कोई मअबूद बरहक़ नहीं। तू ग़नी है और हम मुहताज हैं। اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ قُوَّةً وَّبَلٰغًا اِلٰى حِيْنٍ. हम पर मेंह उतार और जो कुछ तू उतारे उसे हमारे लिए क़ुव्वत और एक वक़्त तक पहुंचने का सबब करदे। फिर हाथ बुलन्द फ़रमाया। यहां तक कि बग़ल की सफ़ेदी ज़ाहिर हुई। फिर लोगों की तरफ़ पुश्त की और चादरे मुबारक लौट दी। फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और मिन्बर से उतर कर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी। अल्लाह तआ़ला ने उसी वक़्त अब्र पैदा किया वह गरजा और चम्का और इतना बरसा कि हुज़ूर अभी मस्जिद तक तशरीफ़ भी न लाए थे कि नाले बह गए। जब आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया कि लोग साइबान की तरफ़ बारिश से बचने के लिए दौड़ने लगे तो हंसे और फ़रमाया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह हर शै पर क़ादिर है और मैं उसका बन्दा और उसका रसूल हूं।

मसला:– इस्तिसक़ा के लिए पुराने या पेवन्द लगे कपड़े पहन कर तज़ल्लुल और खुशूअ़ और तवाज़ोअ़ व ख़ुज़ूअ़ के साथ सर बरहना पैदल जायें और पा बरहना हों तो बेहतर और जाने से पेशतर ख़ैरात करें। कुफ़्फ़ार को अपने साथ न ले जाएं। क्योंकि जाते हैं रहमत के लिए और काफ़िर पर लानत उतरती है तीन दिन पेशतर से रोज़े रखें और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें फिर मैदान में जाएं और वहां तौबा करें और जिनके हुक़ूक़ उनके ज़िम्मे हैं उनको अदा करें या मुआ़फ़ करायें। कमज़ोरों, बूढ़ों, बुढ़ियों, बच्चों के तवस्सुल से दुआ करें और सब आमीन कहें।

हदीस:– में है अगर जवान खुशूअ़ करने वाले और चौपाए चरने वाले और बूढ़े रुकूअ़ करने वाले और बच्चे दूध पीने वाले न होते तो तुम पर शिद्दत से अज़ाब की बारिश होती। उस वक़्त बच्चे अपनी माँओं से जुदा रखे जायें और मवेशी भी साथ ले जायें। ग़र्ज़ कि तवज्जहए रहमत के जिस क़दर अस्बाब इम्कान में हों मुहय्या करें और तीन दिन मुतवातिर जंगल को जाएं और दुआ करें और दुआ पर इकतेफ़ा करें यानी नमाज़ न पढ़ें और यह भी हो सकता है कि इमाम दो रकअ़त जहर के साथ पढ़ाए और नमाज़ के बाद ज़मीन पर खड़े होकर खुतबा पढ़े और दोनों खुतबों के दर्मियान

जलसा करे और असनाए ख़ुतबा में चादर लौट दे यानी ऊपर का किनारा नीचे और नीचे का ऊपर करदे। ताकि हाल बदलने की फ़ाल हो। फिर ख़ुतबे से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ़ पीठ और क़िब्ले को मुंह कर के दुआ करे और दुआ में सब हाथों को ख़ूब बुलन्द करें और पुश्ते दस्त जानिबे आसमान रखें।

मसला:- कसरत से बारिश हो तो उसके रोकने के लिए दुआ कर सकते हैं। जब कि इससे नुक़सान का अंदेशा हो और उसकी दुआ हदीस में यह है। اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ऐ अल्लाह हमारे आसपास बरसा और हमारे ऊपर न बरसा اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ऐ अल्लाह बारिश कर टीलों और पहाड़ियों पर और नालों में और जहां दरख़्त उगते हैं।

सूरज गहन की नमाज़

हदीस:- हज़रत अबू मूसा अशअरी ने बयान फ़रमाया कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अ़हदे पाक में एक मर्तबा आफ़ताब में गहन लगा। मस्जिद में तशरीफ़ लाए और बहुत तवील क़ियाम और बहुत तवील रुकूअ़ और सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी। मैंने ऐसी तवील नमाज़ पढ़ते कभी न देखा था फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला किसी की मौत व हयात के सबब अपनी यह निशानियां ज़ाहिर नहीं फ़रमाता (जैसे कि ज़माना जाहिलीयत में लोगों का यह ख़्याल था कि किसी बड़े शख़्स की मौत पर गहन लगता है) लेकिन अल्लाह तआ़ला इन निशानियों से अपने बन्दों को डराता है। लिहाज़ा जब इनमें से कुछ देखो तो ज़िक्र व दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरफ़ घबरा कर उठो।

जन्नत और दोज़ख़ ज़मीन पर

हदीस:- हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने बयान फ़रमाया कि (उसी नमाज़े गहन के बाद) लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमने हुज़ूर को बहालते नमाज़ देखा कि किसी चीज़ के लेने का क़स्द फ़रमाते हैं फिर पीछे हटते देखा फ़रमाया। मैंने जन्नत को देखा और उससे एक ख़ोशा लेना चाहा और अगर ले लेता तो जब तक दुनिया बाक़ी रहती तुम उससे खाते और दोज़ख़ को देखा और आज के मिस्ल कोई

ख़ौफ़नाक मन्ज़र कभी नहीं देखा और मैंने देखा कि अक्सर दोज़ख़ी औरतें हैं अर्ज़ की क्यों या रसूलल्लाह फ़रमाया इस लिए कि कुफ़्र करती हैं। अर्ज़ की गई क्या अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं फ़रमाया शौहर की नाशुकरी करती हैं और एहसान का कुफ़रान करती हैं अगर तुम उसके साथ उमर भर एहसान करो फिर कोई बात भी (ख़िलाफ़े मिज़ाज) देखे फ़ौरन कहेगी मैंने कभी कोई भलाई तुमसे देखी ही नहीं।

सवाल व जवाब

सवाल:– जन्नत और दोज़ख़ का ज़मीन पर आजाना मुम्किन नहीं जैसे कि हदीसे मज़कूर से बज़ाहिर मफ़हूम हो रहा है। क्योंकि जन्नत की वुसअ़त के बारे में क़ुरआने करीम का इर्शाद है।

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ۔

(तर्जुमा) और दौड़ो अपने रब की बख़्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ाई में सब आसमान व ज़मीन आजाएं। परहेज़गारों के लिए तैयार रखी है जब जन्नत इतनी बड़ी है कि उसकी चौड़ान में सारे आसमान व ज़मीन समा जाएं तो वह ज़मीन में किस तरह समा सकती है और उसका ज़मीन पर आजाना किस तरह मुम्किन है क्यों कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में आ सकती है और बड़ी चीज़ का छोटी चीज़ में समाना मुम्किन नहीं। नीज़ जब जन्नत की चौड़ाई इस क़दर है कि उसमें आसमान और ज़मीन समा जाएं तो उसकी लम्बाई उससे कहीं ज़्यादा होगी इस लिए कि उमूमन चौड़ाई से लम्बाई ज़्यादा हुआ करती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया कि जन्नत आसमान में है या ज़मीन में आपने फ़रमाया कौन सी ज़मीन और कौनसा आसमान ऐसा है जिसमें जन्नत समा सके लोगों ने अर्ज़ किया फिर जन्नत कहां है। इर्शाद फ़रमाया आसमान के ऊपर और अर्श के नीचे है। लिहाज़ा हदीसे मज़कूर से यह समझना कि उस वक़्त जन्नत और दोज़ख़ भी ज़मीन पर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला वआलेहि वसल्लम के सामने आगई थीं दुरुस्त नहीं। उसी तरह दोज़ख़ भी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसकी वुसअ़त का यह आलम है कि कमज़ोर तरीन काफ़िर का मक़ाम उसमें दुनिया से दस गुना से भी ज़्यादा वसीअ़ होगा। जब एक काफ़िर का मक़ाम

दोज़ख़ में इतना बड़ा है तो पूरी दोज़ख़ का क्या ठिकाना।

जवाब:- बेशक जन्नत और दोज़ख़ ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं लेकिन अल्लाह तआ़ला इस बात पर क़ादिर है कि मौजूदा ज़मीन के जिस गोशे को चाहे इतना वसीअ़ फ़रमादे कि वह दोनों उसमें आजाएं।

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ अल्लाह हर मुम्किन चीज़ पर क़ादिर है इसकी सूरत सूफ़ियाए किराम और उलमाए शरीअ़त ने यह बयान फ़रमाई हैकि अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात में क़ब्ज़ और बस्त दो सिफ़तें हैं जिनके एतेबार से अल्लाह तआ़ला को क़ाबिज़ और बासति कहा जाता है जैसे सिफ़ते क़ुदरत के एतेबार से उसको क़ादिर और सिफ़ते इल्म के एतेबार से उसको आलिम कहतें हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ पर अगर सिफ़ते क़ब्ज़ की तजल्ली फ़रमाए तो वह छोटी से छोटी हो जाए और छोटी से छोटी चीज़ पर सिफ़ते बस्त की तजल्ली फ़रमाए तो वह बड़ी से बड़ी होजाए। चुनांचे उलमाए तरीक़त बयान फ़रमाते हैंकि अगर अल्लाह तआ़ला अर्शे आज़म पर सिफ़ते क़ब्ज़ की तजल्ली फ़रमादे तो वह इतना छोटा हो सकता हैकि सूई के नाके में समा जाए और अगर सूई की नोक पर सिफ़ते बस्त की तजल्ली फ़रमादे तो वह इतनी बड़ी हो सकती है कि अर्शे आज़म में न समाए हालांकि अर्शे आज़म तमाम जिस्मों से बड़ा जिस्म है। इसी अस्ल के पेशे नज़र हदीस में वारिद हुआ कि मोमिन की क़ब्र में ता—हद्दे नज़र कुशादगी करदी जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि क़ब्रें क़रीब—क़रीब होती हैं फिर भी इतनी कुशादगी का सबब यही है कि अल्लाह तआ़ला उस क़ब्र पर सिफ़ते बस्त की तजल्ली फ़रमा देता है जिसकी वजह से वह क़ब्र ता—हद्दे नज़र कुशादा हो जाती है। इस तरह वाक़िआ़ मज़कूरा में अल्लाह तआ़ला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के पेशे नज़र हिस्सए ज़ीमन पर सिफ़ते बस्त की तजल्ली फ़रमा दी थी जिसके बाइस वह हिस्सए ज़मीन इतना कुशादा हो गया कि उसमें जन्नत और दोज़ख़ दोनों आगईं। चूंकि बाज़ रिवायतों में यह अल्फ़ाज़ वारिद हैं। رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فِيْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ मैंने जन्नत और दोज़ख़ को उस दीवार के गोशे में देखा जिससे ज़ाहिर होता है कि फ़िल—हक़ीक़त जन्नत और दोज़ख़ ही को दीवार के गोशे में देखा था इस लिए हदीस मज़कूर को भी मसतूरए बाला ज़ाहिरी माना पर महमूल किया जाएगा। बल्कि हर आयत और हदीस को

ज़ाहिर माना पर महमूल करना वाजिब है बशर्ते कि उन ज़ाहिरी माना के मुराद होने से कोई मुहाल लाज़िम न आए और यहां पर कोई मुहाल लाज़िम नहीं आता। बल्कि यह चीज़ अज़ क़बील मुम्किनात है जिस पर अल्लाह तआला को क़ादिर मानना वाजिब है। वरना सिफ़ते क़ुदरत का इन्कार लाज़िम आएगा। जिसकी वजह से ईमान भी हाथ से जाता रहेगा। इसी क़िस्म की बातों से इबलीस बे इल्म आबिदों को गुमराह कर देता है।

इबलीस को इन्तेहाई मुसर्रत कब होती है

हदीस:– में है कि बाद नमाज़े असर शयातीन समन्दर पर जमा होते हैं इबलीस का तख़्त बिछता है। शयातीन की कारगुज़ारियां पेश होती हैं। कोई कहता है मैंने इतनी शराबें पिलाई कोई कहता है मैंने इतने ज़ेना कराए सबकी बातें सुनता रहा फिर किसी ने कहा आज मैंने फ़लां तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया। यह सुनते ही इबलीस तख़्त पर उछल पड़ा और उसको गले लगा कर कहा *अन्–त अन्–त* तूने काम किया है, तूने काम किया है। दूसरे शयातीन यह कैफ़ियत देखकर जल गए कि उन्होंने इतने बड़े–बड़े काम किए उनको कुछ न कहा और उसको इतनी शाबाशी दी कि गले लगा लिया। इबलीस बोला तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ तुमने किया सब उसी का सदक़ा है अगर इल्म होता तो वह गुनाह न करते बताओ वह कौनसी जगह है जहां सबसे बड़ा आबिद रहता है। मगर वह आलिम न हो और वहां एक आलिम भी रहता हो। शयातीन ने एक मक़ाम का नाम लिया। सुबह को क़बल तुलूऐ आफ़ताब शयातीन को लिए हुए इबलीस उस मक़ाम पर पहुंचा शयातीन तो मख़फ़ी रहे और इबलीस इंसान की शकल बन कर रास्ते पर खड़ा हो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज़ के बाद नमाज़े फ़जर के वास्ते मस्जिद की तरफ़ तशरीफ़ लाए। रास्ते में इबलीस खड़ा ही था अलैक सलैक के बाद इबलीस बोला हज़रत मुझे एक मसला पूछना है आबिद साहब ने फ़रमाया जल्द पूछो मुझे नमाज़ को जाना है। इबलीस ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाल कर पूछा। अल्लाह तआला क़ादिर है कि इन आसमानों और ज़मीन को इस छोटी सी शीशी में दाख़िल करदे। आबिद साहब ने सोचकर कहा। कहां आसमान व ज़मीन और कहां यह छोटी सी शीशी मुम्किन नहीं। इबलीस बोला बस यही पूछना

था। तशरीफ़ ले जाइये फिर शयातीन से कहा देखो मैंने उसको गुमराह कर दिया उस को अल्लाह की क़ुदरत ही पर ईमान नहीं। इबादत किस काम की तुलूअे आफ़ताब के क़रीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ़ लाए। इबलीस ने अलैक सलैक के बाद कहा हज़रत मुझे एक मसला पूछना है उन्होंने फ़रमाया जल्दी पूछो नमाज़ का वक़्त कम है उसने वही सवाल किया। आलिम साहब ने फ़रमाया। मलऊन तू इबलीस मालूम होता है, अरे वह क़ादिर है कि शीशी तो बहुत बड़ी है एक सूई के नाके के अन्दर अगर चाहे करोरों आसमान व ज़मीन दाख़िल करदे। اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ आलिम साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद शयातीन से इबलीस बोला। देखा! यह इल्म ही की बरकत है।

सूरज गहन की नमाज़ के मसले

मसला:– सूरज गहन की नमाज़ सुन्नते मुअक्किदा है और चाँद गहन की मुस्तहब है और सूरज गहन की नमाज़ जमाअत से पढ़नी बेहतर है और तन्हा–तन्हा भी हो सकती है लेकिन अगर जमाअत से पढ़ी जाए तो खुतबे के सिवा तमाम शराइते जुमा इसके लिए शर्त हैं वही शख़्स इसकी जमाअत क़ाइम कर सकता है जो जुमा की कर सकता है वह न हो तो तन्हा–तन्हा पढ़ें।

मसला:– गहन की नमाज़ उसी वक़्त पढ़ें जब आफ़ताब गहा हो। गहन छूटने के बाद नहीं और गहन छूटना शुरू हो गया मगर अभी बाक़ी है तो उस वक़्त भी नमाज़ शुरू कर सकते हैं और गहन की हालत में अगर उस पर अब्र आजाए जब भी नमाज़ पढ़ें।

मसला:– ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज़ ममनूअ है तो नामज़ न पढ़ें बल्कि दुआ में मशग़ूल रहें।

मसला:– यह नमाज़ और नवाफ़िल की तरह दो रकअत पढ़ें यानी हर रकअत में एक रुकूअ और दो सज्दे करें। न इसमें अज़ान है न इक़ामत न बुलन्द आवाज़ से क़िरात फिर नमाज़ के बाद दुआ करें। यहां तक कि आफ़ताब खुल जाए और दो रकअत से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ख़्वाह दो–दो रकअत पर सलाम फेरें या चार पर।

मसला:- सूरज गहन के वक़्त अगर जनाज़ा आजाए तो पहले जनाज़े की नमाज़ पढ़ें।

चाँद गहन की नमाज़

में जमाअत नहीं इमाम मौजूद हो या न हो बहरहाल तन्हा-तन्हा पढ़ें।

आँधी वग़ैरह की नमाज़

जब आँधी आए या दिन में सख़्त तारीकी छाजाए या रात में ख़ौफ़नाक रौशनी हो या लगातार कसरत से मेंह बरसे या बकसरत ओले पड़ें या आसमान सुर्ख़ हो जाए या बिजलियां गिरें या बकसरत तारे टूटें या ताऊन या वबा फैले या ज़लज़ले आयें या दुश्मन का ख़ौफ़ हो, या और कोई दहशतनाक अमर पाया जाए तो इन सब के लिए दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है।

हदीस:- उम्मुल मोमेनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा फ़रमाती हैं। जब तेज़ हवा चलती तो हुज़ूर पुर नूर यह दुआ पढ़ते।

आँधी की दुआ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ۔

(तर्जुमा) ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हवा की ख़ैर का सवाल करता हूं और उसकी ख़ैर का जो इसमें है और उसकी ख़ैर का जिसके साथ यह भेजी गई है और तेरी पनाह मांगता हूं और इस की शर से और उस चीज़ की शर से जो इसमें है और उसकी शर से जिसके साथ यह भेजी गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर के सामने हवा पर लानत भेजी आपने फ़रमाया हवा पर लानत न करो। क्योंकि वह मामूर है और जो शख़्स किसी शै पर लानत करे और वह लानत की मुस्तहिक़ न हो तो वह लानत उसी पर लौट आती है।

अब्र की दुआ

हज़रत उम्मुल मोमेनीन सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि जब आसमान पर अब्र आता तो हुज़ूर कलाम तर्क फ़रमा देते और उसकी तरफ़ मुतवज्जह होकर यह दुआ पढ़ते।
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِیْهِ (तर्जुमा) ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं उस चीज़ की शर से जो इस अब्र में है और अगर खुल जाता तो हम्द करते और बरसता तो यह दुआ पढ़ते اَللّٰهُمَّ سَقْیًا نَافِعًا (तर्जुमा) ऐ अल्लाह ऐसा पानी बरसा जो नफ़ा पहुंचाए।

गरज और कड़क की दुआ

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान फ़रमाया कि हुज़ूर जब बादल की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो यह दुआ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

(तर्जुमा) ऐ अल्लाह अपने ग़ज़ब से हमको क़त्ल न फ़रमाना और अपने अज़ाब से हमको हलाक न फ़रमाना और उससे पहले हमको आफ़ियत में रखना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फ़रमाते हैं कि हुज़ूर जब बादल की आवाज़ सुनते तो कलाम तर्क फ़रमा देते और कहते। سُبْحَانَ الَّذِیْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (तर्जुमा) पाक है वह ज़ात कि हम्द के साथ रअद उसकी तस्बीह करता है और फ़रिश्ते उसके खौफ़ से तस्बीह करते हैं बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। लिहाज़ा इख़्तियार है कि इन दोनों दुआओं से जो चाहे पढ़े।

ख़ूब याद रखिये

कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जब बादल की गरज सुनो तो अल्लाह की तस्बीह करो, तकबीर न कहो।

नमाज़े ख़ौफ़ का इस्लामी तरीक़ा

नमाज़े ख़ौफ़ जाइज़ है। बशर्ते कि दुश्मनों का क़रीब में होना यक़ीन के साथ मालूम हो और अगर यह गुमान था कि दुश्मन क़रीब में है और नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी। बाद को गुमान की ग़लती ज़ाहिर हुई तो मुक़तदी नमाज़ का इआ़दा करें। यूंही अगर दुश्मन दूर हों तो यह नमाज़ जाइज़ नहीं यानी मुक़तदी की न होगी और इमाम की हो जाएगी। नमाज़े ख़ौफ़ का तरीक़ा यह है कि जब दुश्मन सामने हों और यह अन्देशा हो कि सब एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो दुश्मन हम्ला कर देंगे। ऐसे वक़्त में इमाम जमाअ़त के दो हिस्से करे। अगर कोई इस पर राज़ी हो कि हम बाद को पढ़ लेंगे तो उसे दुश्मन के मुक़ाबिल करे और दूसरे गरोह के साथ पूरी नमाज़ पढ़ले फिर जिस गरोह ने नमाज़ नहीं पढ़ी। उसमें कोई इमाम हो जाए और यह लोग उसके साथ बाजमाअ़त पढ़लें और अगर दोनों में से बाद को पढने पर कोई राज़ी न हो तो इमाम एक गरोह को दुश्मन के मुक़ाबिल करे और दूसरा इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े जब इमाम इस गरोह के साथ एक रकअ़त पढ़ चुके यानी पहली रकअ़त के दूसरे सज्दे से सर उठाए तो यह लोग दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें और जो लोग वहां थे वह चले आयें। अब उनके साथ इमाम एक रकअ़त पढ़े और तशह्हुद पढ़कर सलाम फेर दे मगर मुक़तदी सलाम न फेरें बल्कि यह लोग दुश्मन के मुक़ाबिल चले जाएं या यहीं अपनी नमाज़ पूरी कर के जायें और लोग आयें और एक रकअ़त बग़ैर क़िरात पढ़कर तशह्हुद के बाद सलाम फेरें और यह भी हो सकता है कि यह गरोह यहां न आए बल्कि वहीं अपनी नमाज़ पूरी करे और दूसरा गरोह अगर नमाज़ पूरी कर चुका है। फ़बिहा वरना अब पूरी करले ख़्वाह वहीं या यहां आकर और यह लोग क़िरात के साथ अपनी एक रकअ़त पढ़ें और तशह्हुद के बाद सलाम फेरें। यह तरीक़ा दो रकअ़त वाली नमाज़ का है। ख़्वाह नमाज़ ही दो रकअ़त की हो जैसे फ़जर व ईदैन व जुमा या सफ़र की वजह से चार की दो होगई हों और चार रकअ़त वाली नमाज़ हो तो हर गरोह के साथ इमाम दो रकअ़त पढ़े और मग़रिब में पहले गरोह के साथ दो और दूसरे के साथ एक पढ़े अगर पहले के साथ एक पढ़ेगा और दूसरे के साथ दो तो नमाज़ जाती रहेगी। लेकिन मज़कूरा बाला अहकाम इस सूरत में हैं। जब

इमाम व मुकतदी सब मुकीम हों। या सब मुसाफिर या इमाम मुक़ीम है और मुक़तदी मुसाफ़िर और अगर इमाम मुसाफ़िर हो और मुक़तदी मुक़ीम तो इमाम एक गरोह के साथ एक रकअ़त पढ़े और दूसरे के साथ एक पढ़ कर सलाम फेर दे। फिर पहला गरोह आए और तीन रकअ़तें बग़ैर किरात के पढ़े फिर दूसरा गरोह आए और तीन रकअ़तें पढ़े। पहली में फ़ातिहा व सूरत पढ़े और अगर इमाम मुसाफ़िर है और मुक़तदी बाज़ मुक़ीम हैं। बाज़ मुसाफ़िर तो मुक़ीम, मुक़ीम के तरीक़ा पर अमल करें और मुसाफ़िर मुसाफ़िर के।

मसला: – एक रकअ़त के बाद दुश्मन के मुक़ाबिल जाने से मुराद पैदल जाना है। सवारी पर जायेंगे तो नमाज़ जाती रहेगी।

मसला: – अगर ख़ौफ़ बहुत ज़्यादा हो कि सवारी से उतर न सके तो सवारी पर तन्हा–तन्हा इशारे से जिस तरफ़ भी मुंह कर सकें उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ें सवारी पर जमाअ़त से नहीं पढ़ सकते। हां अगर एक घोड़े पर दो सवार हों तो पिछला अगले की इक़्तेदा कर सकता है और सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ उसी वक़्त जाइज़ होगी कि दुश्मन उनका तआक़ुब कर रहे हों अगर यह दुश्मन के तआक़ुब में हों तो सवारी पर नमाज़ नहीं होगी।

मसला: – नमाज़े ख़ौफ़ में सिर्फ़ दुश्मन के मुक़ाबिल जाना और वहां से इमाम के पास सफ़ में आना या वज़ू जाता रहा तो वज़ू के लिए चलना मुआफ़ है। इसके इलावा चलना नमाज़ को फ़ासिद कर देगा।

मसला: – नमाज़े ख़ौफ़ जिस तरह दुश्मन से डर के वक़्त जाइज़ है यूंही दरिन्दा और बड़े साँप वग़ैरह से ख़ौफ़ हो जब भी जाइज़ है।

क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

ग़ज़वए–ख़न्दक़ में हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की चार नमाज़ें मुशरेकीन की वजह से जाती रही थीं। यहां तक कि रात का कुछ हिस्सा चला गया। बिलाल रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु को हुक्म फ़रमाया उन्होंने अज़ान व इक़ामत कही। हुज़ूर ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी फिर इक़ामत कही तो असर की नमाज़ पढ़ी। फिर इक़ामत कही तो मग़रिब की पढ़ी फिर इक़ामत कही तो इशा की पढ़ी।

मसला: – बिला उज़्र शरअ़ी नमाज़ क़ज़ा कर देना बहुत सख़्त

गुनाह है। उस पर फ़र्ज़ हैकि उस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे। यह गुनाह तौबा या हज्जे मक़बूल से मुआफ़ हो जाता है। लेकिन तौबा उसी वक़्त सही है कि क़ज़ा पढ़ले। अगर नमाज़े क़ज़ा न पढ़े और तौबा किए जाए तो यह तौबा सही नहीं। क्योंकि जो नमाज़ उसके ज़िम्मे थी उसको न पढ़ा तो अब भी बाक़ी है और जब गुनाह से बाज़ न आया फिर तौबा कहां हुई। हदीस में इर्शाद फ़रमाया गुनाह पर क़ाइम रह कर इस्तिगफ़ार करने वाला उस शख़्स के मानिन्द है जो अपने रब से ठट्ठा करता है।

नमाज़ क़ज़ा करने के इस्लामी उज़्र

दुश्मन का ख़ौफ़ नमाज़ क़ज़ा कर देने के लिए उज़्र है मसलन मुसाफ़िर को चोर और डाकूओं का सही अन्देशा है तो इसकी वजह से वक़्ती नमाज़ क़ज़ा कर सकता है। बशर्ते कि किसी तरह नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर न हो और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है। अगरचे चलने ही की हालत में या बैठकर पढ़ कसता है तो उज़्र न हुआ। यूंही अगर क़िब्ला को मुंह करता है तो दुश्मन का सामना होता है तो जिस रुख़ मुम्किन हो पढ़ले नमाज़ हो जाएगी। वरना नमाज़ क़ज़ा करने का गुनाह होगा।

मसला:- फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है और वाजिब की वाजिब और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत यानी वह सुन्नतें जिनकी क़ज़ा है जैसे फ़जर की सुन्नतें जब कि फ़र्ज़ के साथ फ़ौत हो गई हों और ज़ुहर की पहली सुन्नतें जब कि ज़ुहर का वक़्त बाक़ी हो और बाक़ी सुन्नतों की क़ज़ा नहीं।

मसला:- क़ज़ा के लिए कोई वक़्त मुअय्यन नहीं, उमर में जब भी पढ़ी जाएगी बरीउज़्ज़िमा हो जाएगा। लेकिन तुलूअ और ग़ुरूब और ज़वाल के वक़्त न पढ़े कि इन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसला:- ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता। अगर यह हालत पूरे छः वक़्त रही तो इस हालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं।

मसला:- जो नमाज़ जैसी फ़ौत हुई उसकी क़ज़ा वैसी ही पढ़ी जाएगी। मसलन सफ़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रकअत वाली दो ही पढ़ी जाएगी। अगरचे इक़ामत की हालत में पढ़े और इक़ामत फ़ौत हुई तो चार

रकअत वाली की कज़ा चार रकअत है। अगरचे सफ़र में पढ़े। अलबत्ता कज़ा पढ़ने के वक़्त कोई उज़्र है तो उसका एतबार किया जाएगा। मसलन जिस वक़्त फौत हुई थी उस वक़्त खड़ा होकर पढ़ सकता था और अब कियाम नही कर सकता तो बैठकर पढ़े या इस वक़्त इशारे से ही पढ़ सकता है तो इशारे से पढे और सेहत के बाद इसका इआदा नहीं।

क़ज़ा नमाज़ों में तरतीब वाजिब है

पांचों फर्ज़ों में बाहम और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़जर पढ़े फिर ज़ुहर फिर असर फिर मग़रिब फिर इशा फिर वित्र ख़्वाह यह सब क़ज़ा हों या बाज़ अदा बाज़ क़ज़ा हों मसलन ज़ुहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ हैकि उसे पढ़कर असर पढ़े या वित्र की क़ज़ा हो गई तो उसे पढ़कर फ़जर पढ़े अगर याद होते हुए असर या वित्र की पढ़ली तो नाजाइज़ है।

मसला: – अगर वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वक़्ती और क़ज़ाएं सब पढ़ले तो वक़्ती और क़ज़ा नमाज़ों में जिसकी गुंजाइश हो पढ़े बाक़ी में तरतीब साक़ित है। मसलन नमाज़े इशा व वित्र क़ज़ा होगए और फ़जर के वक़्त में पांच रकअ़त की गुंजाइश है तो वित्र और दो फ़जर के फ़र्ज़ पढ़े और छः रकअ़त की वुसअ़त है तो चार इशा के फ़र्ज़ और दो फ़जर के फ़र्ज़ पढ़े।

मसला: – छः नमाज़ें जिसकी क़ज़ा हो गई कि छटी का वक़्त ख़त्म हो गया। उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं रही। अब अगरचे बावजूद वक़्त की गुंजाइश और याद होने के वक़्ती पढ़ेगा तो हो जाएगी। ख़्वाह वह सब एक साथ क़ज़ा हुई थीं। मसलन एकदम से छः वक़्तों की न पढ़ी या मुतफ़र्रिक़ तौर पर क़ज़ा हुई थीं। मसलन छः दिन फ़जर की नमाज़ न पढ़ी और बाक़ी नमाज़ें पढ़ता रहा। मगर उनके पढ़ते वक़्त वह क़ज़ायें भूला हुआ था। ख़्वाह वह सब पुरानी हों या बाज़ नई बाज़ पुरानी मसलन एक महीना की नमाज़ न पढ़ी फिर पढ़नी शुरू की फिर एक वक़्त की क़ज़ा हो गई तो उसके बाद की नमाज़ हो जाएगी। अगरचे उसका क़ज़ा होना याद हो।

मसला: – जब छः नमाज़ें क़ज़ा होने के सबब तरतीब साक़ित हो गई तो उनमें से अगर बाज़ पढ़ली कि छः से कम रह गईं तो वह तरतीब ऊद न करेगी। यानी उनमें से अगर दो बाक़ी हों तो बावजूद याद के फ़र्ज़ नमाज़ हो जाएगी। अलबत्ता अगर सब क़ज़ाएं पढ़ लीं तो अब फिर साहबे तरतीब

हो गया कि अब अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसे पढ़कर वक़्ती पढ़े वरना यह वक़्ती नमाज़ न होगी और न होने से यह मुराद है कि वह नमाज़ मौक़ूफ़ है अगर वक़्ती पढ़ता गया और क़ज़ा रहने दी तो जब दोनों मिल कर छ: हो जायेंगी। यानी छटी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा तो सब सही हो जायेंगी और अगर इस दर्मियान में क़ज़ा पढ़ली तो सब गईं। यानी नफ़्ल हो गईं। सबको फिर से पढ़े।

अशद ज़रूरी मसला

क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं यानी जिस वक़्त नफ़्ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उनके बदले क़ज़ायें पढ़े ताकि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाए। अलबत्ता तरावीह और बारह रकअ़तें सुन्नते मुअक्किदा की न छोड़े।

मसला: – किसी शख़्स की एक नमाज़ क़ज़ा हो गई और यह याद नहीं कि कौनसी नमाज़ थी तो एक दिन की कुल नमाज़ें पढ़े। यूंही अगर दो नमाज़ें दो दिन में क़ज़ा हुईं तो दोनों दिनों की सब नमाज़ें पढ़े। यूंही तीन दिन की तीन नमाज़ें और पांच दिन की पांच नमाज़ें।

फ़िदया नमाज़ का इस्लामी तरीक़ा

जिसकी नमाज़ें क़ज़ा होगईं और इन्तिक़ाल हो गया तो अगर वसीयत कर गया है और माल भी छोड़ा है तो उसकी तिहाई से हर फ़र्ज़ और हर वित्र के बदले दो सेर तीन छटांक अठन्नी भर ऊपर गेहूं सदक़ा किए जाएं या उसके दूने जौ, चना वग़ैरह और अगर माल नहीं छोड़ा और वरसा फ़िदया देना चाहें तो कुछ माल अपने पास से या क़र्ज़ लेकर मिस्कीन पर बनीयते फ़िदया तसद्दुक़ कर के उसके क़ब्ज़ा में देदें और मिस्कीन अपनी तरफ़ से उस वारिस को हिबा करदे और यह वारिस क़ब्ज़ा भी करले फिर यह वारिस मिस्कीन को सदक़ा करदे। यूंही लौट फेर करते रहें। यहां तक सब का फ़िदया अदा हो जाए और अगर माल छोड़ा मगर वह नाकाफ़ी है जब भी यही अमल इख़्तियार करें और अगर वसीयत न की थी और वली अपनी तरफ़ से बतौरे एहसान फ़िदया देना चाहता है तो दे सकता है। फ़िदया अदा हो जाएगा और माल की तिहाई बक़दर काफ़ी है और वसीयत यह की कि इसमें से थोड़ा लेकर लौट फेर कर के फ़िदया पूरा करलें और

बाक़ी को वरसा या और कोई लेले तो गुनाहगार हुआ अगरचे फ़िदया अदा हो जाएगा।

फ़िदया में क़ुरआन शरीफ़ देना

बाज नावाक़िफ़ यूं फ़िदया अदा करते हैं कि नमाज़ के फ़िदये की क़ीमत लगा कर सबके बदले में एक क़ुरआन शरीफ़ देते हैं इससे कुल फ़िदया अदा नहीं होता बल्कि सिर्फ़ उतना ही अदा होगा। जिस क़ीमत का क़ुरआन शरीफ़ है।

मसला:- क़ज़ाए उमरी जो शबे क़दर या आख़री जुमा रमज़ान में जमाअत से पढ़ते हैं और समझते यह हैं कि उमर भर की क़ज़ाएं इसी एक से अदा हो गईं यह बातिल महज़ है।

नमाज़े मरीज़ का इस्लामी तरीक़ा

हदीस:- में हैकि इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम से नमाज़ के बारे में सवाल किया। इर्शाद फ़रमाया खड़े होकर पढ़ो अगर क़ुदरत न हो तो बैठकर पढ़ो और अगर इसकी भी क़ुदरत न हो तो लेट कर अल्लाह तआला किसी नफ़्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम एक मरीज़ की अयादत को तशरीफ़ ले गए। देखा कि तकिये पर सज्दा करता है। आपने उसे फेंक दिया। उसने एक लकड़ी ली कि उस पर सज्दा करे उसे भी लेकर हटा दिया और फ़रमाया कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर क़ुदरत हो वरना इशारे से पढ़े और सज्दे के इशारे को रुकूअ के इशारे से पस्त करे।

मसला:- जो शख़्स बवजहे बीमारी के खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर नहीं इस लिए कि खड़े होकर पढ़ने से लाहिक़ होगा या मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से क़तरा आएगा या बहुत शदीद दर्द नाक़ाबिले बर्दाश्त पैदा हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठकर रुकूअ और सुजूद के साथ नमाज़ पढ़े।

मसला: – खड़ा हो सकता है मगर रुकूअ और सुजूद नहीं कर सकता या सिर्फ सज्दा नहीं कर सकता। मसलन हलक़ वग़ैरह में फोड़ा है जो सज्दा करने से बहेगा तो बैठकर इशारे से पढ़े।

मसला: – अगर सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज़ साकित है इसकी जरूरत नहीं कि आँख या लबों या दिल के इशारे से पढ़े फिर छः वक्त इसी हालत में गुज़र गए तो उनकी क़ज़ा भी साकित, फ़िदये की भी हाजत नहीं वरना बाद सेहत इन नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम है अगरचे इतनी ही सेहत हो कि सर के इशारे से पढ़ सके।

मसला: – मरीज़ इस हालत को पहुंच गया कि रुकूअ व सुजूद की तादाद याद नहीं रख सकता तो उस पर अदा ज़रूरी नहीं।

मसला: – जुनून या बेहोशी अगर पूरे छः वक़्त को घेरे तो इन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं अगरचे बेहोशी आदमी या दरिन्दे के ख़ौफ़ से हो और अगर छः वक़्त से कम हो तो क़ज़ा वाजिब है।

मसला: – अगर किसी–किसी वक़्त होश हो जाता है तो यह बात देखी जाएगी कि उसका वक़्त मुक़र्रर है कि नहीं अगर वक़्त मुक़र्रर है और उससे पहले पूरे छः वक़्त न गुज़रे तो क़ज़ा वाजिब है और अगर वक़्त मुक़र्रर न हो बल्कि दफ़अतन होश जाता है फिर वही हालत पैदा हो जाती है तो उस इफ़ाके का एतबार नहीं यानी सब बेहोशियां मुत्तसिल समझी जाएंगी। पस अगर वह बेहोशियां छः वक़्त से कम हैं तो क़ज़ा वाजिब है वरना नहीं।

मसला: – शराब या भँग पी अगरचे दवा की ग़रज़ से और अकल जाती रही तो क़ज़ा वाजिब है। अगरचे बे अकली कितने ही ज़्यादा ज़माना तक हो यूंही अगर दूसरे ने मजबूर करके शराब पिला दी जब भी क़ज़ा मुतलक़न वाजिब है।

मसला: – अगर यह हालत हो कि रोज़ा रखता है तो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता और न रखे तो खड़े होकर पढ़ सकेगा तो रोज़ा रखे और नमाज़ बैठकर पढ़े।

मसला: – आँख बनवाई और मुसलमान तबीब हाज़िक़, आदिल या मस्तूर ने लेटे रहने का हुक्म दिया तो लेटकर इशारे से पढ़े।

मसला: – मरीज़ के नीचे बिछौना बिछा है और हालत यह हो कि बदला भी जाए तो नमाज़ पढ़ते–पढते बक़दरे मानेअ नापाक हो जाएगा तो

उसी पर नमाज़ पढ़े। यूंही अगर बदला जाए तो इस क़दर जल्द नजिस न होगा। मगर बदलने में मरीज़ को शदीद तकलीफ होगी तो इस सूरत में भी उसी नजिस बिछौने पर पढ़े। (वाए बरहाल मा) कि नमाज़ के बारे में इन अहकाम के बावजूद हमारी यह हालत हो गई है कि बुख़ार आया ज़रा शिद्दत हुई नमाज़ छोड़ दी। शिद्दत का दर्द हुआ, नमाज़ छोड़ दी। कोई फुड़िया निकल आई, नमाज़ छोड़ दी। यहां तक नौबत पहुंच गई है कि दर्दे सर व ज़ुकाम में नमाज़ छोड़ बैठते हैं। हालांकि मज़कूरा बाला अहकाम से यह बात मालूम हो गई कि जब तक इशारे से पढ़ सकता है, नमाज़ पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है। अल्लाह तआ़ला हमें पाबन्दीए नमाज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

शरीअ़त में मुसाफ़िर किसको कहते हैं

जो शख़्स तीन दिन की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ उसको शरीअ़त में मुसाफ़िर कहते हैं।

मसला:- दिन से मुराद साल का सब में छोटा दिन है और तीन दिन की राह से यह मुराद नहीं कि सुबह से शाम तक चले क्योंकि खाने पीने नमाज़ और दीगर ज़रूरियात के लिए ठहरना ज़रूरी है। बल्कि मुराद दिन का अक्सर हिस्सा है। मसलन शुरू सुबह सादिक़ से दोपहर ढलने तक चला फिर ठहर गया फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन यूंही किया तो इतनी दूर तक की राह को मुसाफ़ते सफ़र कहेंगे और चलने से मुराद मुअ़तदिल चाल हैकि न तेज़ हो न सुस्त। ख़ुशकी में आदमी और ऊँट की दर्मियानी चाल का एतेबार है और पहाड़ी रास्ते में उसी हिसाब से जो उसके लिए मुनासिब हो और दरिया में कश्ती की चाल उस वक़्त की कि हवा बिल्कुल रुकी हो न बिल्कुल तेज़।

मुसाफ़ते सफ़र की शरअ़ी मिक़दार

कोस का एतेबार नहीं क्योंकि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े बल्कि एतेबार तीन मंज़िलों का है और ख़ुशकी में मील के हिसाब से इसकी मिक़दार $57\frac{3}{8}$ मील है।

मसला:- किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं। एक से मुसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से जाएगा उसी का एतेबार है।

मसला: – तीन दिन की राह को तेज़ सवारी पर दो दिन या कम मे तै करे तो मुसाफिर ही है और तीन दिन से कम के रास्ते को ज़्यादा दिनों मे तै किया तो मुसाफ़िर नही है।

मसला: – महज़ नीयते सफ़र से मुसाफ़िर न होगा। बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए। शहर में है तो शहर से और गाँव में है तो गाँव से और शहर वाले के लिए यह भी ज़रूरी है कि शहर के आस–पास जो आबादी शहर से मुत्तसिल है उससे भी बाहर हो जाए।

मसला: – स्टेशन जहां आबादी से बाहर हो तो स्टेशन पर पहुंचने से मुसाफ़िर हो जाएगा। जब कि मुसाफ़ते सफ़र तक जाने का इरादा हो।

मसला: – सफ़र के लिए यह भी ज़रूरी है कि जहां से चला वहां से तीन दिन की राह का इरादा हो और अगर दो दिन की राह के इरादा से निकला वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुआ और वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है इसी तरह सारी दुनिया घूम आए मुसाफ़िर न होगा।

मसला: – यह भी शर्त है कि तीन दिन का इरादा मुस्तक़िल सफ़र का हो अगर यूं इरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वह कर के फिर एक दिन जाऊंगा तो यह तीन दिन की राह का मुत्तसिल इरादा न हुआ इसी वास्ते यह शख़्स शरअ़न मुसाफ़िर न होगा।

रेलवे मुलाज़मीन मुसाफ़िर हैं या नहीं

गार्ड और इंजन ड्राइवर वग़ैरह की ड्यूटी अगर मुसाफ़ते सफ़र तक या उससे ज़ाइद की है तो वह शरअ़न मुसाफ़िर हैं वरना नहीं।

सफ़र की नमाज़

मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़सर करे यानी चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े उसके हक़ में दो रकअ़तें पूरी नमाज़ है और अगर क़स्दन चार पढ़ीं और दो पर क़अ़दा किया तो फ़र्ज़ अदा होगए और पिछली दो रकअ़तें नफ़्ल हुईं मगर गुनहगार हुआ। क्योंकि वाजिब तर्क किया। लिहाज़ा तौबा करे और अगर दो रकअ़त पर क़अ़दा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वह नमाज़ नफ़्ल हुई।

मसला:- काफ़िर तीन दिन की राह के इरादे से निकला दो दिन के बाद मुसलमान हो गया तो उसके लिए क़सर है यानी चार रकअत वाले फ़र्ज़ को दो पढ़ेगा और नाबालिग़ तीन दिन की राह के क़स्द से निकला और रास्ते में बालिग़ हो गया अब से जहां जाना है तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। हैज़ वाली पाक हुई और अब से तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े।

मसला:- सुन्नतों में क़सर नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी अलबत्ता खौफ़ और रवा–रवी की हालत में मुआफ़ हैं और अमन की हालत में उनका पढ़ना अफ़ज़ल है।

मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर रहेगा

मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच न जाए या किसी आबादी में पूरे पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न करले यह हुक्म उस वक़्त है जब तीन दिन की राह चल चुका हो और अगर तीन दिन की राह पर पहुंचने से पेशतर वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगरचे जंगल में हो।

नीयते इक़ामत के शराइत

नीयते इक़ामत (ठहरना) सही होने के लिए छः शर्तें हैं। चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में इक़ामत की नीयत की तो मुक़ीम नहीं। वह जगह इक़ामत की सलाहियत रखती हो। लिहाज़ा जंगल या दरिया या ग़ैर आबाद टापू में इक़ामत की नीयत से मुक़ीम न होगा। पन्द्रह दिन इक़ामत (ठहरने) की नीयत हो उससे कम ठहरने की नीयत से मुक़ीम न होगा। यह नीयत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौज़ओं में पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा हो तो मुक़ीम न होगा। अपना इरादा मुस्तक़िल रखना यानी किसी का ताबेअ़ न हो जैसे औरत शौहर की ताबेअ़ है जब कि उसका महरे मुअ़ज्जल शौहर के ज़िम्मे बाक़ी न हो तो उस औरत की अपनी नीयत बेकार है। इसी तरह नौकर कि वह अपने आक़ा का ताबेअ़ है और नेक बेटा अपने बाप का ताबेअ़ है इन सबकी अपनी नीयत बेकार है बल्कि जिनके ताबेअ़ हैं उनकी नीयतों का एतेबार है उनकी नीयत इक़ामत की है तो ताबेअ़ भी मुक़ीम है। उनकी नीयत इक़ामत की नहीं तो यह भी मुसाफ़िर हैं उसकी

हालत उसके इरादे के मनाफ़ी न हो। जैसे हज करने गया और शुरू ज़िलहिज्जा में पन्द्रह दिन मक्का मुअ़ज़्ज़मा में ठहरने का इरादा किया तो यह नीयत बेकार है क्योंकि जब हज का इरादा है तो अ़रफ़ात व मेना को ज़रूर जाएगा। फिर इतने दिनों मक्का मुअ़ज़्ज़मा में क्यों कर ठहर सकता है और मेना से वापस होकर नीयत करे तो सही है।

अगर मुसाफ़िर इमाम हो

तो मुक़ीम उसकी इक़तेदा कर सकता है। लेकिन इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बाक़ी दो रकअ़तें पढ़ले और उन रकअ़तों में क़िरात बिल्कुल न करे बल्कि बक़दरे सूरए फ़ातिहा चुप खड़ा रहे और अगर इमाम मुक़ीम है और मुसाफ़िर मुक़तदी तो इस सूरत में मुसाफ़िर चार पढ़ेगा।

वतने असली और वतने इक़ामत की तारीफ़

वतने असली वह जगह है जहां उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत करली और यह इरादा है कि यहां से न जाएगा और वतने इक़ामत वह जगह है कि मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या उससे ज़्यादा ठहरने का वहां इरादा किया हो।

मसला:- मुसाफ़िर जब वतने असली मे पहुंच गया तो सफ़र ख़त्म हो गया अगरचे इक़ामत की नीयत न की हो।

मसला:- बालिग़ के वालिदैन किसी शहर में रहते हैं और वह शहर उसकी जाए विलादत नहीं न उसके अहल वहां हों तो वह जगह उसके लिए वतन नहीं।

मसला:- मुसाफ़िर ने कहीं शादी करली अगरचे वहां पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा न हो मुक़ीम हो गया और दो शहरों में उसकी दो औरतें रहती हों तो दोनों जगह पहुंचते ही मुक़ीम हो जाएगा।

मसला:- एक जगह आदमी का वतने असली है अब उसने दूसरी जगह वतने असली बनाया अगर पहली जगह बाल बच्चे मौजूद हों तो दोनों असली हैं वरना पहला असली न रहा। ख़्वाह उन दोनों जगहों के दर्मियान मुसाफ़ते सफ़र हो या न हो।

मसला: – औरत ब्याह कर के सुसराल गई और वहां रहने–सहने लगी तो मैके उसके लिए वतने असली न रहा। यानी अगर सुसराल तीन दिन की मुसाफत पर है। वहां से मैके आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न की तो कसर पढ़े और अगर मैके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरज़ी तौर पर गई तो मैके आते ही सफर खत्म हो गया। नमाज़ पूरी पढ़े।

सज्दए तिलावत का बयान

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैकि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जब इब्ने आदम आयते सज्दा पढ़कर सज्दा करता है तो शैतान वहां से हट जाता है और रोकर कहता है हाए मेरी बरबादी। इब्ने आदम को सज्दे का हुक्म हुआ उसने सज्दा किया उसके लिए जन्नत है और मुझे हुक्म हुआ मैंने इन्कार किया मेरे लिए दोज़ख़ है।

मसला: – सज्दा की चौदह आयतें हैं।

(1) सूरए आराफ़ में (2) सूरए रअ़द में (3) सूरए नहल में (4) सूरए बनी इस्राईल में (5) सूरए मरियम में (6) सूरए हज में। पहली जगह जहां सज्दा का ज़िक्र है (7) सूरए फ़ुरकान में (8) सूरए नमल में (9) सूरए अलिफ़ लाम्–मीम् तनज़ील में (10) सूरए साद में (11) सूरए हा–मीम् अस्सज्दा में (12) सूरए नजम में (13) सूरए इन्शेक़ाक़ में (14) सूरए इक़रा में।

मसला: – आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है। पढ़ने में यह शर्त है कि इतनी आवाज़ से हो कि अगर कोई उज़्र न हो तो खुद सुन सके सुनने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं कि बिलक़स्द सुना हो बिला क़स्द सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है।

रेडियो सुनने वाले याद रखें

उर्दू फ़ारसी या किसी और ज़बान में आयत का तर्जुमा पढ़ा तो पढ़ने वाले पर बिल–इत्तेफ़ाक़ और सुनने वाले पर एहतियातन सज्दा वाजिब हो गया सुनने वाले ने यह समझा हो या नहीं कि आयते सज्दा का तर्जुमा है अलबत्ता यह ज़रूर है कि उसे मालूम न हो तो बता दिया गया हो कि यह आयते सज्दा का तर्जुमा था और अगर खुद आयत पढ़ी गई हो तो

इसकी ज़रूरत नही कि सुनने वाले को आयते सज्दा होना बताया गया हो। सुनने वाले पर एहतियातन वाजिब इस लिए बताया कि उल्माए अहले सुन्नत का इसमें इख़्तिलाफ़ है। बाज़ फ़रमाते हैंकि उसकी आवाज़, आवाज़े बाजगश्त है जैसे पहाड़, जंगल में गूंजने वाली आवाज़ इस तक़दीर पर वाजिब नहीं और बाज़ फ़रमाते हैं कि उसकी आवाज़, आवाज़े बाज़गश्त नहीं बल्कि असल आवाज़ सुनने में आती है। इस तक़दीर पर क़तअन वाजिब है। इस इख़्तिलाफ़ के पेशे–नज़र एहतियात इसी में है कि सुनने वाले सज्दा अदा करलें।

लाउड स्पीकर पर नमाज़ का हुक्म

बाज़ उल्मा फ़रमाते हैं कि इसका इस्तेमाल बहालते नमाज़ दुरुस्त नहीं। मुक़तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जाती है और बाज़ फ़रमाते हैं कि दुरुस्त है नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। यह इख़्तिलाफ़ भी मज़कूरा बाला इख़्तिलाफ़े तहक़ीक़ पर मबनी है। लिहाज़ा एहतियात इसी में है कि इजतेनाब किया जाए।

मसला:– चन्द शख़्सों ने एक–एक हरफ़ पढ़ा कि सबका मजमूआ आयते सज्दा हो गया तो किसी पर सज्दा वाजिब नहीं। यूंही आयत के हिज्जे करने या हिज्जे सुन्ने से भी वाजिब न होगा यूंही परिन्दे से आयते सज्दा सुनी या जंगल और पहाड़ वग़ैरह में आवाज़ गूंजी और बजिन्सेही आयत की आवाज़ कान में आई तो सज्दा वाजिब नहीं।

मसला:– आयते सज्दा पढ़ने वाले पर उस वक़्त सज्दा वाजिब होता है कि वह वजूबे नमाज़ का अहल हो यानी अदा या क़ज़ा का उसे हुक्म हो। लिहाज़ा अगर काफ़िर या मजनून या नाबालिग़ या हैज़ व निफ़ास वाली औरत ने आयत पढ़ी तो उन पर सज्दा वाजिब नहीं और अगर मुसलमान आक़िल बालिग़ अहले नमाज़ ने उनसे सुनी तो उस पर वाजिब हो गया।

मसला:– आयते सज्दा लिखने या उसकी तरफ़ देखने से सज्दा वाजिब नहीं होता।

सज्दए तिलावत के शराइत

सज्दए तिलावत के लिए तकबीरे तहरीमा के सिवा तमाम वह शराइत हैं जो नमाज़ के लिए बयान किए गए। मसलन तहारत, इस्तेक़बाले

क़िब्ला, नीयत, सतरे औरत वग़ैरह।

मसला: – इसकी नीयत में यह शर्त नहीं कि फ़लां आयत का सज्दा करता हूं बल्कि मुतलक़न सज्दए तिलावत की नीयत काफ़ी है।

मसला: – जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उनसे सज्दए सह्व भी फ़ासिद हो जाता है।

नमाज़ में सज्दए तिलावत का इस्लामी तरीक़ा

यह हैकि *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ सज्दे में जाए और कम से कम तीन बार *सुबहा–न रब्बियल आला* कहे फिर *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ खड़ा हो जाए। अव्वल आख़िर दोनों बार *अल्लाहु अकबर* कहना सुन्नत है और खड़े होकर सज्दे में जाना और सज्दे के बाद खड़ा होना यह दोनों क़ियाम मुस्तहब हैं।

मसला: – रुकूअ़ या सुजूद में आयते सज्दा पढ़ी तो सज्दा वाजिब हो गया और उसी रुकूअ़ या सुजूद से अदा भी हो गया और तशह्हुद में पढ़ी तो भी सज्दा वाजिब हो गया। लिहाज़ा इसको बतरीक़ए मज़कूर अदा करे।

मसला: – सज्दए तिलावत में *सुबहा–न रब्बिल आला* पढ़ने का हुक्म फ़र्ज़ नमाज़ में हैं और नफ़्ल नमाज़ में इख़्तियार है। चाहे तो यही पढ़े या वह दुआ जो हदीस में वारिद है जिसको आइन्दा बयान किया जाएगा।

बैरूने नमाज़ सज्दए तिलावत करने का इस्लामी तरीक़ा

यह हैकि खड़े होकर तकबीर कहता हुआ सज्दे में जाए और सज्दे से फ़ारिग़ होकर तकबीर कहता हुआ खड़ा होजाए और सज्दे में यह दुआ पढ़े।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

(तर्जुमा) मेरे चेहरे ने सज्दा किया उसके लिए जिसने उसे पैदा किया और उसकी सूरत बनाई और अपनी ताक़त व क़ुव्वत से कान और आँख की जगह खोली। बरकत वाला है अल्लाह जो अच्छा पैदा करने वाला है।

मसला: – आयते सज्दा बैरूने नमाज़ पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब नहीं, हां बेहतर है कि फ़ौरन करे और वज़ू हो तो ताख़ीर

मकरूहे तनजीही है। लेकिन अगर किसी वजह से सज्दा न कर सके तो पढ़ने वाले और सुनने वाले को यह कह लेना मुस्तहब है। سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (तर्जुमा) हमने सुना और हुक्म माना तेरी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं ऐ परवरदिगार और तेरी ही तरफ़ लौटना है।

मसला: – नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो उसका सज्दा नमाज़ ही में वाजिब है। बैरूने नामज़ नहीं हो सकता और क़स्दन न किया तो गुनहगार हुआ।

मसला: – अगर नमाज़ में आयत पढ़ने के बाद फ़ौरन नमाज़ का सज्दा कर लिया। यानी आयते सज्दा के बाद तीन आयत से ज़्यादा न पढ़ा और रुकूअ़ कर के सज्दा किया तो अगरचे सज्दए तिलावत की नीयत न हो अदा हो जाएगा।

मसला: – नमाज़ का सज्दए तिलावत सज्दे से भी अदा हो जाता है और रुकूअ़ से भी। मगर रुकूअ़ से जब अदा होगा कि फ़ौरन करे फ़ौरन न किया तो सज्दा करना ज़रूरी है।

मसला: – एक मजलिस में सज्दे की एक आयत को बार–बार पढ़ा या सुना तो एक सज्दा वाजिब होगा अगरचे चन्द शख़्सों से सुना हो। यूंही अगर खुद आयत पढ़ी और वही आयत दूसरे से सुनी जब भी एक सज्दा वाजिब होगा।

मसला: – मजलिस में आयत पढ़ी या सुनी और सज्दा कर लिया या फिर उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी या सुनी तो वही पहला सज्दा काफ़ी है।

मजलिस बदलने की सूरतें

तीन लुक़मे खाने, तीन घूँट पीने, तीन कल्मे बोलने, तीन क़दम मैदान में चलने से और ख़रीद व फ़रोख़्त करने और लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जाती है। लिहाज़ा एक आयते सज्दा पढ़ने के बाद तीन कल्मे बोला फिर उसी आयत को पढ़ा तो दो सज्दे वाजिब होंगे।

मसला: – किसी मजलिस में देर तक बैठना क़िरात, तस्बीह, तहलील, दर्स वअ़ज़ में मशग़ूल होना मजलिस को नहीं बदलेगा और अगर दोनों बार आयत पढ़ने के दर्मियान कोई दुनिया का काम किया। मसलन

कपड़ा सीना वग़ैरह तो मजलिस बदल गई।

मसला: - जुमा व ईदैन और सिर्री नमाज़ों में और जिस नमाज़ में जमाअते अज़ीम हो आयते सज्दा इमाम को पढ़ना मकरूह है। हां अगर आयत के बाद फौरन रुकूअ़ व सुजूद कर दे और रुकूअ़ में सज्दे की नीयत न करे तो कराहत नहीं।

आयाते सज्दे का अज़ीमुश्शान अ़मल

जिस मक़सद के लिए एक मजलिस में सज्दे की सब आयतें पढ़कर सज्दा करे। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उसका मक़सद पूरा फ़रमाएगा। ख़्वाह एक–एक आयत पढ़कर उसका सज्दा कर लिया जाए या सबको पढ़कर आख़िर में चौदह सज्दे करे।

सज्दए शुक्र का इस्लामी तरीक़ा

औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुम हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया या किसी और नेअ़मत के मिलने पर सज्दा किया तो उसको सज्दए शुक्र कहते हैं और उसका करना मुस्तहब है और उसका तरीक़ा वही है जो सज्दए तिलावत का है।

सज्दए सह्व का इस्लामी तरीक़ा

नमाज़ के वाजिबात में से जब कोई वाजिब भूले से रह जाए उसकी तलाफ़ी के लिए जो सज्दा वाजिब है उसको सज्दए सह्व कहते हैं और इसका तरीक़ा यह है कि आख़री रकअ़त में अत्तहियातु के बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फेर कर दो सज्दे करे, सज्दों से फ़ारिग़ होकर फिर अत्तहियातु वग़ैरह पढ़कर सलाम फेर दे और बग़ैर सलाम फेरे सज्दे कर लिए तब भी काफ़ी है। मगर ऐसा करना मकरूहे तनज़ीही है।

मसला: - क़स्दन वाजिब तर्क किया तो सज्दा सह्व से उसकी तलाफ़ी न होगी। बल्कि नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब है। यूंही अगर सह्वन वाजिब तर्क हुआ और सज्दा सह्व न किया जब भी नमाज़ दोबारा पढ़ना वाजिब है।

मसला: - कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजिबाते नमाज़ से नहीं बल्कि उसका वजूब अमर ख़ारिज से हो तो सज्दा सह्व वाजिब नहीं।

मसलन खिलाफ़े तरतीब क़ुरआन मजीद पढ़ना तर्के वाजिब है मगर मुवाफ़िके तरतीब पढ़ना वाजिबाते तिलावत से है वाजिबाते नमाज़ से नहीं लिहाज़ा सज्दा सह्व वाजिब न होगा।

मसला:- फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सज्दा सह्व से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लिहाज़ा फिर से पढ़े। सुन्नतें और मुस्तहिब्बात के तर्क से भी सज्दा सह्व नहीं। सह्वन तर्क किया हो या क़स्दन बल्कि नमाज़ हो गई मगर दोबारा पढ़ना मुस्तहब है।

मसला:- सज्दा सह्व के बाद भी *अत्तहियातु* पढ़ना वाजिब है। *अत्तहियातु* पढ़कर सलाम फेरे और बेहतर यह है कि सज्दा सह्व से क़बल और बाद दोनों क़अ़दों में दुरूद शरीफ़ भी पढ़े और यह भी इख़्तियार है कि पहले क़अ़दे में *अत्तहियातु* और दुरूद शरीफ़ पढ़े और दूसरे में सिर्फ़ *अत्तहियातु*।

मसला:- एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए तो वही दो सज्दे सबके लिए काफ़ी हैं।

मसला:- जुमा व ईदैन में सह्व वाक़ेअ़ हुआ और जमाअ़त कसीर हो तो बेहतर यह है कि सज्दा सह्व न करे।

मसला:- क़िरात वग़ैरह किसी मौक़े पर सोचने लगा और उस सोचने में बक़दर एक रुक्न यानी तीन बार *सुबहानल्लाहि* कहने के वक़्फ़ा हुआ तो सज्दा सह्व वाजिब है।

मसला:- अगर मुक़तदी से बहालते इक़्तेदा सह्व वाक़ेअ़ हुआ तो सज्दा सह्व वाजिब नहीं और उसके ज़िम्मे नमाज़ का इआ़दा भी नहीं।

मसला:- सज्दए नमाज़ या सज्दए तिलावत बाक़ी था या सज्दा सह्व करना था और भूल कर सलाम फेरा तो जब तक मस्जिद से बाहर न हुआ सज्दा करे। मैदान में हो तो जब तक सफ़ों से मुतजाविज़ न हुआ या आगे को सज्दा की जगह से न गुज़रा तो सज्दा करे।

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हाज़िर जवाबी

क़अ़दए ऊला में *अत्तहियातु* के बाद इतना पढ़ा *अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मुहम्मदिन* तो सज्दा सह्व वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ़ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी रकअ़त के क़ियाम में ताख़ीर

होगई। इसी वास्ते अगर इतनी देर तक साकित रहता जब भी सज्दा सह्व वाजिब होता। जैसे क़अदा, रुकूअ व सुजूद में क़ुरआन शरीफ पढ़ने से सज्दा सह्व वाजिब हो जाता है। हालांकि वह कलामे इलाही है इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़्वाब में देखा। हुज़ूर ने इर्शाद फ़रमाया। दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाले पर तुमने क्यों सज्दा सह्व वाजिब बताया। अर्ज़ की इस लिए कि उसने भूलकर दुरूद पढ़ा। हुज़ूर ने इस जवाब पर तहसीन फ़रमाई।

अगर रकअतों की शुमार में शक हो

मसलन तीन हुईं या चार और बुलूग़ के बाद यह पहला वाक़िआ है तो सलाम फेरकर उस नमाज़ को सिरे से पढ़े और अगर यह शक पहली बार नहीं। बल्कि पेशतर भी हो चुका है तो अगर ग़ालिब गुमान किसी तरफ़ हो तो उस पर अमल करे। वरना कम की जानिब को इख़्तियार करे यानी तीन और चार में शक हो तो तीन क़रार दे। दो और तीन में शक हो तो दो *व अला हाज़ल क़यास* और तीसरी चौथी दोनों में क़अदा करे क्योंकि तीसरी रकअत का चौथी होना मुहतमिल है और चौथी में क़अदे के बाद सज्दा सह्व कर के सलाम फेरे और ग़ालिब गुमान की सूरत में सज्दा सह्व नहीं मगर जब कि सोचने में बक़दर एक रुक्न के वक़्फ़ा हो गया हो तो सज्दा सह्व वाजिब है।

मसला:– नमाज़ पूरी करने के बाद शक हुआ तो इसका कुछ एतेबार नहीं और अगर नमाज़ के बाद यक़ीन हैकि कोई फ़र्ज़ रह गया मगर उसमें शक है कि वह क्या है तो फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है।

मसला:– मसलन ज़ुहर पढ़ने के बाद एक आदिल शख़्स ने ख़बर दी कि तुमने तीन रकअतें पढ़ीं तो नमाज़ दोबारा पढ़े अगरचे उसके ख़्याल में यह ख़बर ग़लत हो और अगर कहने वाला आदिल न हो तो उसकी ख़बर का एतेबार नहीं और अगर नमाज़ी को नमाज़ के बाद शक हो और दो आदिल शख़्सों ने ख़बर दी तो उनकी ख़बर पर अमल करना ज़रूरी है।

मसला:– वित्र में शक हुआ कि दूसरी रकअत है या तीसरी तो उसमें क़ुनूत पढ़कर क़अदे के बाद एक रकअत और पढ़े और उसमें भी क़ुनूत पढ़े और सज्दा सह्व करे।

मसला: – इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है दूसरी रकअत में शक हुआ कि पहली है या दूसरी, या चौथी और तीसरी में शक हुआ और मुक़तदी की तरफ नज़र की कि वह खड़े हों तो खड़ा हो जाऊं बैठें तो बैठ जाऊं तो इसमें हर्ज नहीं और सज्दा सह्व वाजिब न हुआ।

इमाम और उसके शराइत का बयान

यहां पर इमामत के यह माना हैं कि दूसरे की नमाज़ का उसकी नमाज़ के साथ वाबस्ता होना।

मसला: – मर्द ग़ैर माज़ूर के इमाम के लिए छः शर्ते हैं। (1) इस्लाम, (2) बालिग़ होना, (3) आक़िल होना, (4) मर्द होना, (5) क़िरात, (6) माज़ूर न होना।

मसला: – औरतों के इमाम के लिए मर्द होना शर्त नहीं। औरत भी इमाम हो सकती है। अगचे मकरूह है।

मसला: – नाबालिग़ों के इमाम के लिए बालिग़ होना शर्त नहीं बल्कि नाबालिग़ भी नाबालिग़ की इमामत कर सकता है।

मसला: – वह बद–मज़हब जिसकी बद–मज़हबी हद्दे कुफ़्र को पहुंच गई हो जैसे राफ़ज़ी और वह शख़्स जो शफ़ाअत या दीदारे इलाही या अज़ाबे क़ब्र या किरामन कातेबीन का इन्कार करता है। उन सबके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती। इसी तरह वहाबिया ज़माने के पीछे नमाज़ नहीं होती क्योंकि यह लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं या तौहीन करने वालों को अपना पेशवा या कम अज़ कम मुसलमान ही समझते हैं इनमें से हर बात कुफ़्र है।

मसला: – जिस बद–मज़हब की बद–मज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुंची हो जैसे तफ़ज़ीलिया उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है।

इक़तेदा की बारह शर्ते हैं

(1) नीयते इक़तेदा, और इस (2) नीयते इक़तेदा का तहरीमा के साथ होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना बशर्ते कि सूरते तक़द्दुम में कोई अजनबी नीयत व तहरीमा में फ़ासिल न हो। (3) इमाम व मुक़तदी दोनों का

एक मकान में होना (4) दोनों की नमाज़ एक हो। या इमाम की नमाज़ मुक़तदी की नमाज़ को मुतज़म्मन हो जैसे इमाम ज़ुहर के फ़र्ज़ पढ़ रहा है और ऐसे शख़्स ने उसकी इक़तेदा की जो ज़ुहर के फ़र्ज़ पढ़ चुका है तो मुक़तदी की नमाज़ नफ़्ल हुई और इमाम की नमाज़ फ़र्ज़। लेकिन इमाम की नमाज़ उसकी नमाज़ को मुतज़म्मन है। दोनों की नमाज़ एक नहीं। (5) इमाम की नमाज़ मुक़तदी के मज़हब पर सही होना और (6) इमाम व मुक़तदी का इसे सही समझना। (7) औरत का मुहाज़ी न होना। (8) मुक़तदी का इमाम से मुक़द्दम न होना। (9) इमाम के इन्तिक़ालात का इल्म होना। (10) अरकान की अदा में शरीक होना। (11) अरकान की अदा में मुक़तदी इमाम के मिस्ल हो या कम। (12) शराइत में मुक़तदी का इमाम से ज़ाइद न होना।

मसला:– इमाम व मुक़तदी के दर्मियान इतना चौड़ा रास्ता हो। जिसमें बैल–गाड़ी जा सके तो इक़तेदा नहीं हो सकती।

मसला:– बीच में दह दर दह हौज़ है तो इक़तेदा नहीं हो सकती। मगर जब कि हौज़ के गिर्द सफ़ें बराबर मुत्तसिल हों तो इक़तेदा सही है और अगर छोटा हौज़ है तो भी इक़तेदा सही है।

मसला:– मैदान में जमाअत क़ाइम हुई अगर इमाम व मुक़तदी के दर्मियान इतनी जगह ख़ाली है कि उसमें दो सफ़ें क़ाइम हो सकती हैं तो इक़तेदा सही नहीं और बड़ा मकान मैदान के हुक्म में है और उस मकान को बड़ा कहेंगे जो चालीस हाथ या उससे ज़्यादा हो।

मसला:– ईदगाह में कितना ही फ़ासिला इमाम व मुक़तदी में हो इक़तेदा हो सकती है अगरचे बीच में दो या ज़्यादा सफ़ों की गुंजाइश हो।

मसला:– इमाम व मुक़तदी के दर्मियान कोई चीज़ हाइल हो तो अगर इमाम के इन्तिक़ालात मुशतबा न हों मसलन उसकी या मुकब्बिर की आवाज़ सुनता हो, या उसके या उसके मुक़तदियों के इन्तिक़ालात देखता है तो हर्ज नहीं अगरचे उसके लिए इमाम तक पहुंचने का रास्ता न हो। मसलन दरवाज़े में जालियां हैं कि इमाम को देख रहा है मगर खुला नहीं है कि जाना चाहे तो जा सके।

मसला:– वक़्ते नमाज़ में तो यही मालूम था कि इमाम की नमाज़ सही है बाद को मालूम हुआ कि सही न थी। मसलन मसह मोज़े की मुद्दत

गुज़र चुकी थी या भूल कर बेवज़ू नमाज़ पढ़ा ली तो मुक़तदी की नमाज़ भी न हुई।

मसला:- इमाम की नमाज़ खुद उसके गुमान में सही है और मुक़तदी के गुमान में सही न हो जब भी इक़्तेदा सही न होगी। मसलन शाफ़ीउलमज़हब इमाम के बदन से ख़ून निकल कर बह गया। जिससे हनफ़िया के नज़दीक वज़ू टूटता है और बग़ैर वज़ू किए इमामत की तो हनफ़ी उसकी इक़्तेदा नहीं कर सकता। अगर करेगा तो नमाज़ बातिल होगी और अगर इमाम की नमाज़ खुद उसके तौर पर सही न हो मगर मुक़तदी के तौर पर सही हो तो उसकी इक़्तेदा सही है। जब कि इमाम को अपनी नमाज़ का फ़साद मालूम न हो। मसलन शाफ़अ़ी इमाम ने औरत को छूने के बाद बग़ैर वज़ू किए भूलकर इमामत की तो हनफ़ी उसकी इक़्तेदा कर सकता है अगरचे उसको मालूम हो कि उससे ऐसा वाक़िआ हुआ था और उसने वज़ू न किया।

मसला:- औरत का मर्द के बराबर खड़ा होना। उस वक़्त मर्द के लिए मानेअ़ इक़्तेदा है जबकि कोई चीज़ एक हाथ ऊंची हाइल न हो। न मर्द के क़द बराबर बुलन्दी पर औरत खड़ी हो।

मसला:- एक औरत मर्द के बराबर खड़ी हो तो तीन मर्दो की नमाज़ जाती रहेगी। दो दाहिने बायें और पीछे वाले की और दो औरतें हों तो चार मर्द की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। दो दाहिने बायें दो पीछे और तीन औरतें हों तो दो दाहिने बायें और पीछे की हर सफ़ से तीन शख़्स की और अगर औरतो की पूरी सफ़ हो तो पीछे जितनी सफ़ें हैं उन सबकी नमाज़ न होगी।

मसला:- इस वजह से कि मुक़तदी के पाँव इमाम से बड़े हैं। उसकी उंगलियां इमाम की उंगलियों से आगे हैं मगर एड़ियां बराबर हों तो नमाज़ हो जाएगी।

इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है

सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़े इमामत वह शख़्स है जो नमाज़ व तहारत के अहकाम सबसे ज़्यादा जानता हो अगरचे बाक़ी उलूम में पूरी दस्तगाह न रखता हो बशर्ते कि इतना क़ुरआन याद हो कि बतौरे मसनून पढ़े और

सही पढ़ता हो यानी हुरूफ़ मख़ारिज से अदा करता हो और मज़हब की कुछ ख़राबी न रखता हो और फ़वाहिश से बचता हो। उसके बाद वह शख़्स जो क़िरात का ज़्यादा इल्म रखता हो और उसके मुवाफ़िक़ अदा करता हो। अगर चन्द शख़्स इन बातों में बराबर हों तो वह शख़्स जो ज़्यादा तक़वा रखता हो। यानी हराम तो हराम शुबहात से भी बचता हो इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा उमर वाला यानी जिसको ज़्यादा ज़माना इस्लाम में गुज़रा। इसमें भी बराबर हों तो जिसके अख़लाक़ ज़्यादा अच्छे हों इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा वजाहत वाला यानी तहज्जुद गुज़ार क्योंकि तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा ज़्यादा ख़ूबसूरत हो जाता है। इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा ख़ूबसूरत, इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा हसबदार इसमें भी बराबर हों तो जो ब–एतेबार नसब के ज़्यादा शरीफ़ हो, इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा मालदार इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा इज़्ज़त वाला, इसमें भी बराबर हों तो जिसके कपड़े ज़्यादा सुथरे हों, ग़र्ज़ कि चन्द शख़्स जब बराबर के हों तो उनमें जो शरअ़ी तर्जीह रखता है। ज़्यादा हक़दार है और अगर तर्जीह न हो तो क़ुरआ डाला जाये जिसके नाम क़ुरआ निकले वह इमामत करे या उनमें जमाअ़त जिसको मुन्तख़ब करे, वह इमाम हो और अगर जमाअ़त में इख़्तिलाफ़ हो तो जिस तरफ़ ज़्यादा लोग हों वह इमाम होगा और जमाअ़त ने ग़ैर अफ़ज़ल को इमाम बनाया तो बुरा किया गुनहगार न हुए।

मसला:– इमाम मुअ़य्यन ही इमामत का हक़दार है। अगरचे हाज़रीन में कोई उससे ज़्यादा इल्म और क़िरात वाला हो। जब कि वह इमाम मुअ़य्यन शराइते इमामत का जामेअ़ हो। वरना वह इमामत का अहल ही नहीं, बेहतर होना दर किनार।

मसला:– किसी शख़्स की इमामत से लोग किसी वजहे शरअ़ी से नाराज़ हों तो उसका इमाम बनना हराम है और अगर नाराज़गी किसी वजहे शरअ़ी से न हो तो हराम नहीं बल्कि अगर वही ज़्यादा हक़दार हो तो उसी को इमाम होना चाहिए।

मसला:– फ़ासिक़ मुअ़लिन जैसे शराबी, जुवारी, ज़ेनाकार, सूदख़्वार, चुग़ल ख़ोर वग़ैरह जो कबीरा गुनाह बिल एलान करते हैं उनको इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी होती है।

जिसका दोबारा पढ़ना वाजिब है।

मसला:- दहकानी, अंधे, वलदुज़्ज़ेना, अमरद, कोढ़ी, फ़ालिज की बीमारी वाले। बरस वाले की इमामत मकरूहे तनज़ीही है और यह कराहत उस वक़्त है जबकि जमाअ़त में और कोई उनसे बेहतर हो और अगर यही मुस्तहिक़े इमामत हैं तो असलन कराहत नहीं और अंधे की इमामत में तो बहुत ख़फ़ीफ़ कराहत है और जिसको कम सूझता है वह भी अंधे के हुक्म में है।

मसला:- औरत, ख़ुन्सा, नाबालिग़ लड़के की इक़्तेदा मर्द बालिग़ किसी नमाज़ में नहीं कर सकता। यहां तक कि नमाज़े जनाज़ा व तरावीह व नवाफ़िल में और मर्द बालिग़ इन सबका इमाम हो सकता है। मगर औरत भी उसकी मुक़तदी हो तो इमामते औरत की नीयत करे। सिवा जुमा व ईदैन के कि उनमें अगरचे इमाम ने इमामते औरत की नीयत न की इक़्तेदा कर सकती है और औरत व ख़ुन्सा औरत के इमाम हो सकते हैं। मगर औरत को मुतलक़न इमाम होना मकरूहे तहरीमी है। फ़राइज़ हों या नवाफ़िल फिर भी अगर औरत औरतों की इमामत करे तो इमाम आगे न हो बल्कि बीच में खड़ी हो और आगे होगी जब भी नमाज़ फ़ासिद न होगी और ख़ुन्सा के लिए यह शर्त हैकि सफ़ से आगे हो वरना नमाज़ होगी ही नहीं और ख़ुन्सा, ख़ुन्सा का भी इमाम नहीं हो सकता जैसे कि मर्द का नहीं हो सकता।

फ़िक़ह में उम्मी किसको कहते हैं

जिसको कोई आयत याद न हो। उसको फ़ुक़हाए किराम उम्मी कहते हैं और जिसको कुछ आयतें याद हैं मगर हुरूफ़ सही अदा नहीं करता। जिसकी वजह से माना फ़ासिद हो जाते हैं। वह भी उम्मी के हुक्म में है।

फ़िक़ह में क़ारी किसको कहते हैं

जो बक़दर फ़र्ज़ सही क़ुरआन पढ़ सकता हो ऐसे शख़्स को फ़ुक़हाए किराम अपनी इस्तेलाह में क़ारी फ़रमाते हैं।

मसला:- क़ारी की नमाज़ उम्मी के पीछे नहीं हो सकती और उम्मी की क़ारी के पीछे हो सकती है और अगर उम्मी ने उम्मी और क़ारी

की इमामत की तो किसी की नमाज़ न होगी न उम्मी की न क़ारी की।

मसला:- उम्मी पर वाजिब है कि रात–दिन कोशिश करे यहां तक कि बक़दर फ़र्ज़ क़ुरआन मजीद याद करे। वरना इन्दल्लाह मअ़ज़ूर नहीं।

और जिससे हुरूफ़ सही अदा नहीं होते

उस पर वाजिब है कि हुरूफ़ की तसही में रात–दिन पूरी कोशिश करे और अगर सही ख़्वान की इक़तेदा कर सकता हो तो जहां तक मुम्किन हो उसकी इक़तेदा करे या वह आयतें पढ़े, जिनके हुरूफ़ अदा कर सकता हो और अगर यह दोनों सूरतें नामुम्किन हों तो ज़मानए कोशिश में उसकी अपनी नमाज़ हो जाएगी और अपने मिस्ल दूसरे की इमामत भी कर सकता है यानी उसकी कि वह भी उसी हुरूफ़ को सही न पढ़ता हो जिसको यह सही नहीं पढ़ता और अगर उससे जो हुरूफ़ अदा नहीं होता दूसरा उसको अदा कर लेता है। मगर कोई दूसरा हरफ़ उस दूसरे से अदा नहीं होता तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता और अगर तसही हुरूफ़ की कोशिश भी नहीं करता तो उसकी ख़ुद भी नहीं होती। दूसरे की उसके पीछे क्या होगी। आजकल आम लोग इसमें मुबतला हैंकि ग़लत पढ़ते हैं और तसही की कोशिश नहीं करते। उनकी नमाज़ें ख़ुद बातिल हैं इमामत दर–किनार।

हकले की नमाज़ का हुक्म

जिससे हुरूफ़ मुकर्रर अदा हों उसको हकला कहते हैं उसका हुक्म यह है कि अगर साफ़ पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है तो उसके पीछे पढ़ना लाज़िम है। वरना उसकी अपनी हो जाएगी और अपने मिस्ल हकले या अपने से ज़ाइद हकले की इमामत भी कर सकता है।

मसला:- जिसका सतर खुला हुआ है वह सतर छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता। सतर खुले हुओं का इमाम हो सकता है और जिनके पास सतर के लाइक़ कपड़े न हों। उनके लिए अफ़ज़ल यह है कि तन्हा–तन्हा बैठकर इशारे से दूर–दूर पढ़ें। जमाअ़त से पढ़ना मकरूह है और अगर जमाअ़त से पढ़ें तो इमाम बीच में हो आगे न हो।

मसला:- जो रुकूअ़ व सुजूद से आजिज़ है यानी वह शख़्स कि रुकूअ़ व सुजूद की जगह इशारा करता हो उसके पीछे ऐसे शख़्स की नमाज़ न होगी जो रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर है और अगर बैठ कर रुकूअ़

व सुजूद कर सकता हो तो उसके पीछे खड़े होकर पढ़ने वाले की हो जाएगी।

मसला:- फ़र्ज़ नमाज़ नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे और एक फ़र्ज़ वाली दूसरे फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नहीं हो सकती। ख़्वाह दोनों के फ़र्ज़ दो नाम के हों। मसलन एक ज़ुहर पढ़ता हो और दूसरा असर या सिफ़त में जुदा हों मसलन एक आज की ज़ुहर पढ़ता हो और दूसरा कल की और अगर दोनों की एक ही दिन के एक ही वक़्त की क़ज़ा होगई है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है।

मसला:- दो शख़्सों ने बाहम यूँ नमाज़ पढ़ी कि हर एक ने इमामत की नीयत की तो दोनों की नमाज़ होगई और अगर हर एक ने इक़्तेदा की नीयत की तो दोनों की न हुई।

मसला:- जहां बवजहे शर्त मफ़क़ूद होने के इक़्तेदा सही न हो तो वह नमाज़ सिरे से शुरू ही न होगी और अगर बवजहे मुख़्तलिफ़ नमाज़ होने के इक़्तेदा सही न हो तो मुक़्तदी के नफ़्ल हो जाएंगे मगर यह ऐसे नफ़्ल हैं कि तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब नहीं होती।

मसला:- जिसने वज़ू किया है वह तयम्मुम वाले की और पाँव धोने वाला मोज़े पर मसह करने वाले की और आज़ाए वज़ू का धोने वाला पट्टी पर मसह करने वाले की इक़्तेदा कर सकता है।

मसला:- खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाला बैठने वाले और कूज़ा पुश्त की इक़्तेदा कर सकता है। अगरचे उसका कुब हद्दे रुकूअ़ को पहुंचा हो और जिसके पाँव में ऐसा लंग है कि पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं जमता। वह औरों की इमामत कर सकता है। मगर उसके बजाए दूसरा शख़्स अफ़ज़ल है।

मसला:- नफ़्ल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तेदा कर सकता है। अगरचे फ़र्ज़ पढ़ने वाला पिछली रकअ़तों में क़िरात न करे।

इमाम पर लाज़िम है

अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक्न न पाया गया जिससे उसकी इमामत सही न हो कि उस अमर की मुक़्तदियों को ख़बर कर दे। जहां तक भी मुम्किन हो ख़्वाह ख़ुद कहे या कहला भेजे

या ख़त के ज़रीए से। फिर मुक़तदियों पर लाज़िम हैकि अपनी-अपनी नमाज़ का इआदा करें।

मसला:- इमाम ने अपना काफ़िर होना बताया तो पेशतर के बारे में उसका क़ौल नहीं माना जाएगा और जो नमाज़ें उसके पीछे पढ़ीं उनका इआदा नहीं। हां अब वह बताने से बेशक मुरतद हो गया मगर जबकि यूं कहे कि अब तक काफ़िर था और अब मुसलमान हो गया तो मुरतद न होगा।

मुक़तदी की चार क़िस्में हैं

(1) अव्वल, मुदरिक उसे कहते हैं जिसने अव्वल रकअ़त से *अत्तहियातु* तक इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी। अगरचे पहली रकअ़त में इमाम के साथ रुकूअ़ ही में शरीक हुआ हो। (2) दोम, लाहिक़ वह है जिसने इमाम के साथ पहली रकअ़त में इक़्तेदा की मगर बाद इक़्तेदा उसकी कुल रकअ़तें या बाज़ फ़ौत हो गईं ख़्वाह उज़्र से फ़ौत हों जैसे ग़फ़लत या भीड़ की वजह से रुकूअ़ व सुजूद करने न पाया, या बिला उज़्र फ़ौत हों जैसे इमाम से पहले रुकूअ़ व सुजूद कर लिया। फिर उसका इआदा भी न किया तो इमाम की दूसरी रकअ़त उसकी पहली रकअ़त हुई और तीसरी, दूसरी और चौथी, तीसरी और आख़िर में एक रकअ़त पढ़नी होगी। (3) सोम, मस्बूक़ वह है जो इमाम की बाज़ रकअ़तें पढ़ने के बाद शामिल हुआ और आख़िर तक शामिल रहा। (4) चहारुम, लाहिक़ मस्बूक़ वह है जिसको कुछ रकअ़तें शुरू की न मिलीं फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ हो गया।

मसला:- लाहिक़, मुदरिक के हुक्म में है कि जब अपनी फ़ौत शुदा पढ़ेगा तो उसमें न क़िरात करेगा न सहव से सज्दा सहव करेगा और अपनी फ़ौत शुदा को पहले पढ़ेगा यह न होगा कि इमाम के साथ पढ़े फिर जब इमाम फ़ारिग़ हो जाए तो अपनी पढ़े बल्कि जहां से बाक़ी है वहां से पढ़ना शुरू करे उसके बाद अगर इमाम को पा ले तो साथ होजाए और अगर ऐसा न किया बल्कि साथ हो गया फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद फ़ौत शुदा पढ़ी तो हो गई मगर गुनहगार हुआ।

मसला:- मस्बूक़ का हुक्म लाहिक़ के ख़िलाफ़ है वह यह कि पहले इमाम के साथ हो ले फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फ़ौत शुदा पढ़े और अपनी फ़ौत शुदा में क़िरात करेगा और उसमें सहव हो तो सज्दा

सह्व करेगा।

मसला: – मस्बूक़ अपनी फ़ौत–शुदा की अदा में मुनफ़रिद है कि पहले सना न पढ़ी थी इस वजह से कि इमाम बुलन्द आवाज़ से क़िरात कर रहा था या इमाम रुकूअ़ में था और सना पढ़ता तो उसे रुकूअ़ न मिलता या इमाम क़अ़दे में था। ग़र्ज़ किसी वजह से पहले न पढ़ी थी तो अब सना पढ़ेगा और क़िरात से पहले *अऊज़ु बिल्लाह* पढ़ेगा और अगर मस्बूक़ ने अपनी फ़ौत शुदा पढ़कर इमाम की मुताबअ़त की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।

मसला: – मस्बूक़ ने इमाम को क़अ़दे में पाया तो तकबीरे तहरीमा सीधे खड़े होने की हालत में कहे फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ क़अ़दे में जाए और रुकूअ़ व सुजूद में पाए जब भी यूंही करे और अगर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद्दे रुकूअ़ तक पहुंच गया तो सब सूरतों में नमाज़ न होगी।

मसला: – मस्बूक़ ने जब इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अपनी शुरू की तो हक़्क़े क़िरात में यह रकअ़त अव्वल रकअ़त क़रार दी जाएगी और *अत्तहियातु* के हक़ में अव्वल नहीं।

मसला: – मस्बूक़ ने इमाम के साथ क़स्दन सलाम फेरा यह ख़्याल कर के कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए तो नमाज़ फ़ासिद होगई और भूल कर सलाम फेरा तो अगर इमाम के ज़रा बाद फेरा है तब तो सज्दा सह्व लाज़िम है और अगर बिल्कुल साथ–साथ फेरा तो लाज़िम नहीं।

मसला: – लाहिक़ मस्बूक़ का हुक्म यह है कि जिन रकअ़तों में लाहिक़ है उनको इमाम की तरतीब से पढ़े और उनमें लाहिक़ के अहकाम जारी होंगे उनके बाद इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद जिनमें मस्बूक़ है वह पढ़े और उनमें मस्बूक़ के अहकाम जारी होंगे। मसलन चार रकअ़त वाली नमाज़ की दूसरी रकअ़त में मिला। फिर दो रकअ़तों में सोता रह गया तो पहले यह रकअ़तें जिनमें सोता रहा बग़ैर क़िरात अदा करे सिर्फ़ इतनी देर ख़ामोश खड़ा रहे जितनी देर में सूरए फ़ातिहा पढ़ी जाती है फिर इमाम के साथ जो कुछ मिल जाए उसकी मुताबअ़त करे। फिर वह फ़ौत शुदा मअ़ क़िरात पढ़े।

पांच चीज़ें इमाम न करे तो मुक़तदी भी न करे

पांच चीज़ें वह हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक़तदी भी न करे और इमाम का साथ दे। तकबीराते ईदैन, क़अ़दए ऊला, सज्दए तिलावत, सज्दा सह्व, क़ुनूत, जब कि मुक़तदी को रुकूअ़ फ़ौत होने का अन्देशा हो। वरना क़ुनूत पढ़कर रुकूअ़ करे। लेकिन इमाम ने अगर क़अ़दए ऊला न किया और अभी सीधा खड़ा न हुआ तो मुक़तदी अभी उसके तर्क में इमाम की मुताबअ़त न करे। बल्कि उसे बताए ताकि वह वापस आजाए। अगर वापस आगया। फ़बिहा और अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब न बताए कि नमाज़ जाती रहेगी। बल्कि खुद भी क़अ़दा छोड़ दे और खड़ा हो जाए।

चार चीज़ों में मुक़तदी इमाम का साथ न दे

नमाज़ में कोई ज़ाइद सज्दा किया। तकबीराते ईदैन में अक़वाले सहाबा पर ज़्यादती की। जनाज़े में पांच तकबीरें कहीं। पांचवीं रकअ़त के लिए भूल कर खड़ा हो गया फिर इस सूरत में अगर क़अ़दए अख़ीरा कर चुका है तो मुक़तदी उसका इन्तेज़ार करे अगर पांचवीं के सज्दे से पहले लौट आया तो मुक़तदी भी उसका साथ दे। उसके साथ सलाम फेरे और उसके साथ सज्दा सह्व करे और अगर पांचवीं का सज्दा कर लिया तो मुक़तदी तन्हा सलाम फेरे और अगर क़अ़दए अख़ीरा नहीं किया था और पांचवीं रकअ़त का सज्दा कर लिया तो सबकी नमाज़ फ़ासिद हो गई अगरचे मुक़तदी ने तशह्हुद पढ़कर सलाम फेर लिया हो।

वह नौ चीज़ें कि इमाम तर्क करदे तो मुक़तदी बजा लायें

तकबीरे तहरीमा में हाथ उठाना, सना पढ़ना, जब कि इमाम फ़ातिहा में हो और आहिस्ता पढ़ता हो। रुकूअ़ व सुजूद की तकबीरात व तस्बीहात *समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदहु* कहना *अत्तहियातु* पढ़ना। सलाम फेरना, तकबीरात तशरीक़ जो नवीं ज़िलहिज्जा की नामज़े सुबह से तेरह की असर तक हर नमाज़ के बाद कही जाती हैं।

शुमारे रकअ़त में इमाम व मुक़तदी का इख़्तिलाफ़

इमाम व मुक़तदियों में इख़्तिलाफ़ हुआ। मुक़तदी कहते हैं तीन

पढ़ी, इमाम कहता है चार पढ़ीं, तो अगर इमाम को यक़ीन हो इआदा न करे वरना करे और अगर मुक़तदियों में बाहम इख़्तिलाफ़ हो तो इमाम जिस तरफ़ है उसका क़ौल लिया जाएगा। एक शख़्स को तीन रकअतों का यक़ीन है और एक को चार का और बाक़ी मुक़तदियों और इमाम को शक है तो उन लोगों पर कुछ नहीं और जिसे कमी का यक़ीन है वह इआदा करे अगर इमाम को तीन रकअतों का यक़ीन है और एक शख़्स को पूरी होने का यक़ीन है तो इमाम व क़ौम इआदा करे और उस यक़ीन करने वाले पर इआदा नहीं। अगर एक शख़्स को कमी का यक़ीन है और इमाम व जमाअत को शक है तो अगर वक़्त बाक़ी है इआदा करें। वरना उनके ज़िम्मे कुछ नहीं। हां अगर दो आदिल यक़ीन के साथ कहते हों तो बहरहाल इआदा है।

नमाज़ में बेवज़ू होने का बयान

नमाज़ में जिसका वज़ू जाता रहे। अगरचें क़अदए अख़ीरा में *अत्तहियातु* के बाद सलाम से पहले तो वज़ू कर के जहां से बाक़ी है वहीं से पढ़ सकता है उसको बिना कहते हैं मगर अफ़ज़ल यह हैकि सिरे से पढ़े उसे इस्तीनाफ़ कहते हैं।

मसला:- जिस रुक्न में हदस वाक़ेअ़ हो जैसे रुकूअ़ व सुजूद वग़ैरह तो बिना की सूरत में उसका इआदा करना होगा।

बिना की तेरह शर्तें

अगर उनमें से एक शर्त भी मअ़दूम हो बिना जाइज़ नहीं (1) हदस मुजिबे वज़ू हो।

मसला:- पस अगर मुजिबे ग़ुस्ल है तो बिना जाइज़ नहीं। जैसे तफ़क्कुर वग़ैरह से इनज़ाल हो गया तो बिना नहीं हो सकती सिरे से पढ़ना ज़रूरी है (2) हदस का वजूद नादिर न हो।

मसला:- अगर नादिर है जैसे बेहोशी, जुनून वग़ैरह तो बिना नहीं कर सकता। (3) वह हदस समावी हो यानी वह और उसका सबब बन्दे के इख़्तियार से न हो।

मसला:- अगर वह हदस समावी नहीं। ख़्वाह उस मुसल्ली की तरफ़ से हो कि क़स्दन उसने अपना वज़ू तोड़ दिया या फुड़िया दबादी जिससे मवाद बहा ख़्वाह दूसरे की तरफ़ से हो जैसे किसी ने उसके सर

पर मारा कि खून निकल कर बह गया या किसी ने उसकी फुड़िया दबादी और खून बह गया, या छत से उस पर कोई पत्थर गिरा और उसके बदन से खून बहा वह पत्थर खुद बखुद गिरा हो या किसी के चलने से तो इन सब सूरतों में बिना नही कर सकता। (4) वह हदस उसके बदन से हो।

मसला: - अगर उसके बदन से नही जैसे किसी ने उसके बदन पर नजासत डाल दी या किसी तरह उसका बदन या कपड़ा एक दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया तो उसे पाक करने के बाद बिना नहीं कर सकता। (5) इस हदस के साथ कोई रुक्न अदा न किया हो।

मसला: - अगर किया जैसे रुकूअ़ या सज्दे में हदस हुआ और बनीयत अदाए रुकूअ़ या सज्दा सर उठाया यानी रुकूअ़ से *समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदहू* और सज्दे से *अल्लाहु अकबर* कहते हुए उठा तो बिना नहीं कर सकता। (6) न बग़ैर उज़्र बक़दरे अदाए रुक्न ठहरा हो।

मसला: - अगर ठहरा हो जैसे कपड़ा नापाक हो गया और उसी हालत में बक़दर एक रुक्न अदा करने के तवक़्क़ुफ़ किया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई, बिना नहीं कर सकता। (7) न चलने में कोई रुक्न अदा किया हो।

मसला: - जैसे वज़ू के लिए जाने में या वहां से वापसी में क़िरात की बिना नहीं हो सकती। (8) कोई फ़ेअ़ल मुनाफ़ीए नमाज़ जिसकी उसे इजाज़त न थी न किया हो।

मसला: - जैसे हदस हुआ और बक़दर वज़ू पानी मौजूद है उसे छोड़कर दूर जगह गया तो बिना नहीं कर सकता यूंहीं बाद हदस कलाम किया या खाया या पिया तो बिना नहीं हो सकती। (9) कोई ऐसा फ़ेअ़ल किया हो जिसकी इजाज़त थी तो बग़ैर ज़रूरत बक़दरे मुनाफ़ी ज़ाइद न किया हो।

मसला: - वज़ू के लिए कूंए से पानी भरना पड़ा तो बिना हो सकती है और बग़ैर ज़रूरत हो तो नहीं।

मसला: - वज़ू करने में बिला ज़रूरत सतर खोला जैसे औरत ने वज़ू के लिए एक साथ दोनों कलाईयां खोल दीं तो नमाज़ फ़ासिद हो गई उस पर बिना नहीं कर सकती (10) हदस समावी के बाद कोई हदसे साबिक़ ज़ाहिर न हुआ हो।

मसला:- जैसे मोजे पर मसह किया था फिर नमाज़ में हदस हुआ। वज़ू के लिए गया असनाए वज़ू में मसह की मुद्दत ख़त्म हो गई या तयम्मुम से नमाज़ पढ़ रहा था और हदस हुआ और पानी पाया या पट्टी पर मसह किया था। नमाज़ में हदस के बाद ज़ख़्म अच्छा होकर पट्टी खुल गई तो इन सब सूरतों में बिना नहीं कर सकता। (11) हदस के बाद साहबे तरतीब को क़ज़ा न याद आई हो।

मसला:- जैसे साहबे तरतीब ज़ुहर की नमाज़ में था और गुमान हुआ कि फ़जर की नहीं पढ़ी। नमाज़ छोड़ने के ख़्याल से हटा ही था कि मालूम हुआ गुमान ग़लत है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई बिना नहीं कर सकता। (12) मुक़तदी हो तो इमाम के फ़ारिग़ होने से पहले दूसरी जगह अदा न की हो।

मसला:- जैसे मुक़तदी को हदस हुआ तो वाजिब हैकि वापस आए और अगर इमाम के फ़ारिग़ होने से पहले दूसरी जगह अदा की तो बिना जाइज़ नहीं। इसी तरह इमाम को हदस लाहिक़ हुआ और किसी शख़्स को ख़लीफ़ा बना कर वज़ू करने चला गया और वज़ू से फ़ारिग़ हो गया। लेकिन वह ख़लीफ़ा अभी तक नमाज़ से फ़ारिग़ नहीं हुआ तो उस पर वाजिब है कि लौट कर उसी ख़लीफ़ा के पीछे नमाज़ को पूरा करे अगर न लौटा तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी उस पर बिना करना दुरुस्त न होगा। (13) इमाम था तो ऐसे को ख़लीफ़ा न बनाया हो जो लाइक़े इमामत नहीं।

मसला:- जैसे इमाम को हदस लाहिक़ हुआ और उसने किसी उम्मी को ख़लीफ़ा बनाया तो इमाम की भी नमाज़ फ़ासिद हो गई और क़ौम की भी न इमाम बिना कर सकता है न क़ौम।

नमाज़ में ख़लीफ़ा बनाने का इस्लामी तरीक़ा

नमाज़ में इमाम को हदस हो तो इन शराइत के साथ जो ऊपर मज़कूर हुईं दूसरे को बाक़ी नमाज़ के अदा करने में ख़लीफ़ा कर सकता है। इसको फ़ुक़हाए किराम की इस्तलाह में इस्तख़लाफ़ कहते हैं। यह इस्तख़लाफ़ नमाज़े जनाज़ा में भी हो सकता है।

मसला:- जिस मौक़े पर बिना जाइज़ है वहां इस्तख़लाफ़ सही है और जहां बिना सही नहीं इस्तख़लाफ़ भी सही नहीं।

मसला: – जो शख़्स इस मुहदिस का इमाम हो सकता है वह ख़लीफ़ा भी हो सकता है और जो इमाम नहीं बन सकता वह ख़लीफ़ा भी नहीं हो सकता।

मसला: – जब इमाम को हदस हो जाए तो नाक बन्द कर के (कि लोग नकसीर गुमान करें) पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को ख़लीफ़ा बनाए। ख़लीफ़ा बनाने में बात न करे।

मसला: – मैदान में नमाज़ हो रही है तो जब तक सफ़ों से बाहर न गया ख़लीफ़ा बना सकता है और मस्जिद में है तो जब तक मस्जिद से बाहर न हो। इस्तख़लाफ़ हो सकता है।

मसला: – मकान और छोटी ईदगाह मस्जिद के हुक्म में है। बड़ी मस्जिद और बड़ा मकान और बड़ी ईदगाह मैदान के हुक्म में है।

मसला: – इमाम ने किसी को ख़लीफ़ा न किया बल्कि क़ौम में से किसी ने बना दिया या ख़ुद ही इमाम की जगह पर नीयते इमाम कर के खड़ा हो गया तो यह ख़लीफ़ए इमाम हो जाएगा और महज़ इमाम की जगह पर चले जाने से इमाम न होगा। जब तक नीयते इमामत न करे।

मसला: – इमाम के लिए औला यह है कि मस्बूक़ को ख़लीफ़ा न बनाए बल्कि किसी और को और जो मस्बूक़ ही को ख़लीफ़ा बनाए तो उसे चाहिए कि क़ुबूल न करे और कर लिया तो हो जाएगा।

मसला: – अगर मस्बूक़ को ख़लीफ़ा बना दिया तो जहां से इमाम ने ख़त्म किया है। मस्बूक़ वहीं से शुरू करे। रहा यह कि मस्बूक़ को क्या मालूम कि कितनी नमाज़ बाक़ी है। लिहाज़ा इमाम उसे इशारे से बतादे। मसलन एक रकअ़त बाक़ी है तो एक उंगली से इशारा करे। दो हों तो दो से, रुकूअ़ करना हो तो घुटने पर हाथ रखदे और सज्दे के लिए पेशानी पर किरात के लिए मुंह पर सज्दा तिलावत के लिए पेशानी और ज़बान पर और सज्दा सहव के लिए सीने पर रखे और अगर उस मस्बूक़ को मालूम हो तो इशारे की कुछ हाजत नहीं।

मसला: – चार रकअ़त वाली नमाज़ में एक शख़्स ने इक़्तेदा की फिर इमाम को हदस हुआ हो तो उसे ख़लीफ़ा किया और उसे मालूम नहीं कि इमाम ने कितनी पढ़ी और क्या बाक़ी है तो यह चार रकअ़त पढ़े और

हर रकअत पर क़अदा करे।

मसला: – मस्बूक़ को ख़लीफ़ा किया तो इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद सलाम फेरने के लिए किसी मुदरिक को मुक़द्दम करे कि वह सलाम फेरे।

मसला: – लाहिक़ को ख़लीफ़ा बनाया तो उसे हुक्म है कि जमाअत की तरफ़ इशारा करदे कि अपने हाल पर सब लोग रहें। यहां तक कि जो उसके ज़िम्मे है उसे पूरा कर के नमाज़ इमाम की तकमील करे और अगर पहले इमाम की नमाज़ पूरी करदी तो जब सलाम का मौक़ा आए तो किसी को सलाम फेरने के लिए ख़लीफ़ा बनाए और ख़ुद अपनी पूरी करे।

मसला: – इमाम ने एक को ख़लीफ़ा बनाया और उस ख़लीफ़ा ने दूसरे को ख़लीफ़ा कर दिया तो अगर इमाम के मस्जिद से बाहर होने और ख़लीफ़ा के इमाम की जगह पर पहुंचने से पहले यह हुआ तो जाइज़ है वरना नहीं।

मसला: – अगर शिद्दत से पाएख़ाना, पेशाब मालूम हुआ कि नमाज़ पूरी नहीं कर सकता तो इस्तख़लाफ़ जाइज़ नहीं। यूंहीं अगर पेट में दर्द शदीद हुआ कि खड़ा नहीं रह सकता तो बैठकर पढ़े इस्तख़लाफ़ जाइज़ नहीं।

मसला: – इमाम को हदस हुआ और किसी को ख़लीफ़ा बनाया और ख़लीफ़ा ने अभी नमाज़ पूरी नहीं की है कि इमाम वज़ू से फ़ारिग़ हो गया तो उसको वाजिब हैकि वापस आए और नमाज़ को ख़लीफ़ा के पीछे पूरी करे और अगर ख़लीफ़ा पूरी कर चुका है तो उसे इख़्तियार है कि वहीं पूरी करे या मौज़अे इक़तेदा में आए। यूंहीं मुनफ़रिद को इख़्तियार है।

नमाज़ बा जमाअत के इस्लामी ख़ुसूसियात

हदीस: – रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि नमाज़ बा–जमाअत, तन्हा पढ़ने से सत्ताईस दर्जे ज़्यादा है।

हदीस: – रहमतुललिलआलमीन शफ़ीउल मुज़नेबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जिसने कामिल वज़ू किया फिर नमाज़े फ़र्ज़ के लिए चला और इमाम के साथ पढ़ी उसके गुनाह बख़्श दिए जायेंगे।

महबूबे खुदा पर अर्ज़ी व समावी हर चीज़ का इन्किशाफ़

हदीस: – सरवरे अम्बिया महबूबे किब्रिया जनाब अहमदे मुजतबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया मैंने अपने रब को निहायत जमाल के साथ तजल्ली फ़रमाए हुए देखा। उसने फ़रमाया ऐ मुहम्मद मैंने अर्ज़ की لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ हाज़िर हूँ हाज़िर हूँ। उसने फ़रमाया तुम्हें मालूम है कि मलाइकए मुक़र्रबीन किस बात में बहस कर रहे हैं मैंने अर्ज़ की कि मुझको इल्म नहीं। रब तबारक व तआला ने अपने दस्ते क़ुदरत को मेरे शानों के दर्मियान रखा। यहां तक कि उसकी ठंडक मुझे अपने सीने में महसूस हुई (तो उस फ़ैज़े रब्बानी से) मुझको सारे आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का इल्म हासिल हो गया। फिर रब ने फ़रमाया। ऐ मुहम्मद जानते हो कि मलाइका मुक़र्रबीन किस बात में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ की हां दर्जात के बारे में और कफ़्फ़ारात के बारे में और जमाअतों की तरफ़ चलने के बारे में और इस अमर में कि जिसने उन पर मुहाफ़ज़त की ख़ैर के साथ ज़िन्दा रहेगा और ख़ैर के साथ मरेगा और अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है, जैसे उस दिन कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था। रब ने फ़रमाया ऐ मुहम्मद मैंने अर्ज़ की لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ फ़रमाया जब नमाज़ पढ़ो तो यह दुआ करो।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِیْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ۔

(तर्जुमा) ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूं नेकियों के करने की तौफ़ीक़ का और बुराईयों के छोड़ने की तौफ़ीक़ का और मैं तुझसे सवाल करता हूं कि मिस्कीनों की मुहब्बत मेरे क़ल्ब में डाल दे और जब तू इरादा फ़रमाए कि बन्दों को किसी फ़ितने में मुब्तला करे तो मुझे फ़ितने में मुब्तला किए बग़ैर अपनी तरफ़ उठा लीजियो। फ़रमाया और दर्जात (जिन के बारे में फ़रिश्ते गुफ़्तगू कर रहे थे) यह हैं सलाम आम करना यानी हर मुसलमान को सलाम करना ख़्वाह उसको पहचानता हो या न पहचानता हो और खाना खिलाना यानी भूकों को, मिस्कीनों को, मेहमानों वग़ैरह को, और रात में नमाज़ पढ़ना जब लोग सोते हों (यह वह चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह तआला दर्जात बुलन्द फ़रमाता है।)

जमाअत के बाद जमाअत

हदीस:- तिर्मिज़ी शरीफ़ में जलीलुल क़दर सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैकि एक साहब मस्जिद में हाज़िर हुए। उस वक़्त कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम नमाज़ बा जमाअत पढ़ चुके थे, फ़रमाया कि, है कोई उस पर सदक़ा करे यानी उसके साथ नमाज़ पढ़ले ताकि उसे जमाअत का सवाब मिल जाए। एक साहब (यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी।

हदीस:- एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़कर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि फ़लां हाज़िर है लोगों ने अर्ज़ की नहीं। फिर फ़रमाया फ़लां हाज़िर है, लोगों ने अर्ज़ की नहीं। इर्शाद फ़रमाया। यह दोनों नमाज़ें (फ़जर और इशा) मुनाफ़िक़ीन पर बहुत गेरां हैं अगर जानते कि इनमें क्या (सवाब) है तो घुटनों के बल घिसटते आते और बेशक पहली सफ़ फ़रिश्तों के सफ़ के मिस्ल है अगर तुम जानते कि इसकी फ़ज़ीलत क्या है तो उसकी तरफ़ सबक़त करते। मर्द की एक मर्द के साथ नमाज़ बनिस्बत तन्हा के ज़्यादा पाकीज़ा है और दो के साथ बनिस्बत एक के ज़्यादा अच्छी और जितने ज़्यादा हों अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक ज़्यादा महबूब हैं।

सफ़ों का इस्लामी इम्तियाज़

हदीस:- अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फ़रमाया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाअलेहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं। लोगों ने अर्ज़ की और दूसरी सफ़ पर। फ़रमाया अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं। लोगों ने अर्ज़ की और दूसरी पर फ़रमाया और दूसरी पर भी। फिर फ़रमाया सफ़ों को बराबर करो और मूंढों को मुक़ाबिल करो और अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ और कुशादगियों को बन्द करो कि शैतान भेड़ के बच्चे की तरह तुम्हारे दर्मियान दाख़िल हो जाता है।

हदीस:– हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें तीर की तरह सीधी करते। यहां तक कि ख़्याल फ़रमा लिया कि अब हम समझ गए। फिर एक दिन तशरीफ़ लाए और नमाज़ के लिए खड़े हुए और क़रीब था कि तकबीर कहें कि एक शख़्स का सीना सफ़ से निकला देखा। फ़रमाया ऐ अल्लाह के बन्दो सफ़ें बराबर करो। वरना तुम्हारे अन्दर अल्लाह तआला इख़्तिलाफ़ डाल देगा।

हदीस:– हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मर्दों की सब सफ़ों में बेहतर पहली सफ़ है और सबमें कमतर पिछली और औरतों की सब सफ़ों में बेहतर पिछली है और कमतर पहली।

औरत का नमाज़ पढ़ना कहां बेहतर है

हदीस:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबीए मुकर्रम रसूले मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। औरत का दालान में नमाज़ पढ़ना सेहन में पढ़ने से बेहतर है और कोठरी में दालान से बेहतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा औरत के हक़ में बेहतर है।

हदीस:– हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ख़लीफ़ए आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया। हर आँख ज़ेना करने वाली है (यानी जो अजनबी की तरफ़ नज़र करे) और बेशक औरत अ़तर लगा कर मजलिस में जाए तो ऐसी और ऐसी है (यानी ज़ानिया है)।

जमाअ़त के मसाइल

मसला:– आक़िल, बालिग़, हुर, क़ादिर पर जमाअ़त वाजिब है। बिला उज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और मुस्तहिक़े सज़ा है और कई बार तर्क करे तो फ़ासिक़ मरदूदुल शहादा है और उसको सख़्त सज़ा दी जाएगी। अगर पड़ोसियों ने सुकूत किया तो वह भी गुनहगार हुए।

मसला:– जुमा व ईदैन में जमाअ़त शर्त है और तरावीह में सुन्नते

किफाया जिसके माना यह हैं कि मुहल्ले के सब लोगों ने तर्क की तो सबने बुरा किया और कुछ लोगों ने क़ाइम कर ली तो बाक़ियों के सर से जमाअत साक़ित हो गई और रमज़ान के वित्र में जमाअत मुस्तहब है नवाफ़िल और इलावा रमज़ान के वित्र में जमाअत करना अगर तदाओ़ी के तौर पर हो तो मकरूह है। तदाओ़ी के यह माना हैं कि तीन से ज़्यादा मुक़तदी हों। सूरज गहन में जमाअत सुन्नत है और चाँद गहन में तदाओ़ी के साथ मकरूह है।

मसला: – अगर वज़ू में तीन–तीन बार आज़ा धोता है तो रकअ़त जाती रहेगी तो अफ़ज़ल यह है कि तीन–तीन बार न धोये और रकअ़त न जाने दे और अगर जानता है कि रकअ़त तो मिल जाएगी मगर तकबीरे ऊला न मिलेगी तो तीन–तीन बार धोये।

मसला: – मस्जिद मुहल्ला में जिस के लिए इमाम मुक़र्रर हो मुहल्ले के इमाम ने अज़ान व इक़ामत के साथ बतरीक़े मसनून जमाअ़त पढ़ली हो तो अज़ान व इक़ामत के साथ हय्यते ऊला पर दोबारा जमाअ़त क़ाइम करना मकरूह है और अगर बे अज़ान दूसरी जमाअ़त हुई तो हर्ज नहीं जब कि मेहराब से हट कर दूसरी जमाअ़त का इमाम खड़ा हो और अगर पहली जमाअ़त बग़ैर अज़ान हुई या आहिस्ता अज़ान हुई या ग़ैरों ने जमाअ़त क़ाइम की तो फिर जमाअ़त क़ाइम की जाए और यह दूसरी जमाअ़त न होगी। हय्यत बदलने के लिए इमाम का मेहराब से दाहिने या बायें हट कर खड़ा होना काफ़ी है। शारओ़ आम की मस्जिद में लोग जोक़ दर जोक़ आते और पढ़ कर चले जाते हैं यानी उसके नमाज़ी मुक़र्रर न हों उसमें अगरचे अज़ान व इक़ामत के साथ दूसरी जमाअ़त क़ाइम की जाये कोई हर्ज नहीं बल्कि यही अफ़ज़ल है कि जो गरोह आये नई अज़ान व इक़ामत से नमाज़ क़ाइम करे। यूंही स्टेशन व सराए की मस्जिदों का हुक्म है।

जमाअ़त तर्क करने के इस्लामी उज़्र

(1) मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में मुशक़्क़त हो। (2) अपाहिज हो, (3) जिसका पाँव कट गया हो। (4) जिस पर फ़ालिज गिरा हो। (5) इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आजिज़ है। (6) अंधा, अगरचे अंधे के लिए कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक पहुंचा दे। (7) सख़्त बारिश। (8) और शदीद कीचड़ का हाइल होना। (9) सख़्त सर्दी

(10) सख़्त तारीकी। (11) आँधी। (12) माल या खाने के तल्फ़ होने का अन्देशा (13) कर्ज़ ख़्वाह का ख़ौफ़ है और यह तंगदस्त है। (14) ज़ालिम का ख़ौफ़ (15) पाएख़ाना (16) पेशाब (17) रियाह की हाजत शदीद है। (18) खाना हाज़िर है और नफ़्स को उस की ख़्वाहिश हो। (19) क़ाफ़ला चला जाने का अन्देशा है। (20) मरीज़ की तीमारदारी कि जमाअ़त के लिए जाने से उसको तकलीफ़ होगी और घबराएगा यह सब तर्के जमाअ़त के लिए उज़्र हैं।

मसला:- औरतों को किसी नमाज़ में जमाअ़त की हाज़री जाइज़ नहीं। दिन की नमाज़ हो या रात की जुमा हो या ईदैन ख़्वाह वह जवान हों या बूढ़ियाँ यूंही वअ़ज़ की मजलिस में भी जाना नाजाइज़ है। बशर्ते कि पर्दे का इन्तेज़ाम न हो।

मुक़तदी कहां खड़ा हो

अकेला मुक़तदी मर्द अगरचे लड़का हो। इमाम के बराबर दाहिनी जानिब खड़ा हो बाईं तरफ़ या पीछे खड़ा होना मकरूह है दो मुक़तदी हों तो पीछे खड़े हों बराबर खड़ा होना मकरूहे तनज़ीही है और दो से ज़ाइद का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तहरीमी है।

मसला:- इमाम के बराबर खड़े होने के यह माना हैंकि मुक़तदी के पाँव का गट्टा इमाम के गट्टे से आगे न हो। सर के आगे पीछे होने का कुछ एतेबार नहीं। पस अगर इमाम के बराबर खड़ा हुआ और चूंकि मुक़तदी इमाम से दराज़ क़द है लिहाज़ा सज्दे में मुक़तदी का सर इमाम से आगे होता है मगर पाँव का गट्टा गट्टे से आगे न हो तो हर्ज नहीं यूंहीं अगर मुक़तदी के पाँव बड़े हों कि उंगलियां इमाम से आगे हैं। जब भी हर्ज नहीं बशर्ते कि गट्टा आगे न हो।

मसला:- अगर इमाम इशारे से नमाज़ पढ़ता हो तो गट्टे की बराबरी मुअ़तबर नहीं बल्कि उस सूरत में शर्त यह है कि मुक़तदी का सर इमाम के सर से आगे न हो अगरचे मुक़तदी का गट्टा इमाम से आगे हो ख़्वाह उस सूरत में इमाम रुकूअ़ या सुजूद से नमाज़ पढ़ता हो या इशारे से बैठकर या लेट कर क़िब्ला की तरफ़ पाँव फैला कर और अगर इमाम करवट पर लेट कर इशारे से पढ़ता हो तो उस सूरत में सर की बराबरी भी न ली जाएगी

बल्कि शर्त यह हैकि मुक़तदी इमाम के पीछे लेटा हो।

मसला:- मुक़तदी अगर एक क़दम पर खड़ा है तो बराबरी में उसी क़दम के गट्टे का एतेबार है और दोनों पाँव पर खड़ा हुआ मगर एक का गट्टा बराबर है और एक का पीछे तो नमाज़ सही है और अगर एक बराबर है और एक आगे तो नमाज़ सही न होगी।

मसला:- एक शख़्स इमाम के बराबर खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाए और वह आने वाला उस मुक़तदी की बराबर खड़ा होजाए या मुक़तदी पीछे हट आए खुद या आने वाले के खींचने से तकबीर के बाद या पहले, यह सब सूरतें जाइज़ हैं। जो हो सके करे मगर जब कि मुक़तदी एक हो तो उसका पीछे हटना अफ़ज़ल है और दो हों तो इमाम का आगे बढ़ना अगर मुक़तदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुक़तदी पीछे हटा मगर इस नीयत से कि यह कहता है उसकी मानूं तो नामज़ फ़ासिद हो जाएगी और अगर हुक्मे शरअी बजा लाने के लिए हटा तो कुछ हर्ज नहीं।

सफ़ों की तरतीब का इस्लामी तरीक़ा

मर्द और बच्चे खुन्सा और औरतें जमा हों तो सफ़ों की तरतीब यह है कि पहले मर्दों की सफ़ हो फिर बच्चों की फिर खुन्सा की फिर औरतों की और बच्चा तन्हा हो तो मर्दों की सफ़ में दाख़िल हो जाए।

मसला:- मर्दों की पहली सफ़ जो इमाम से क़रीब है दूसरी से अफ़ज़ल है और दूसरी तीसरी से *व अ़ला हाज़ल क़यास* मगर पहली सफ़ का अफ़ज़ल होना ग़ैर नमाज़े जनाज़ा में है और नमाज़े जनाज़ा में आख़िर सफ़ अफ़ज़ल है।

मसला:- पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई हो तो उसको चीर कर जाए और उस ख़ाली जगह में खड़ा हो। इसके लिए हदीस में फ़रमाया कि जो सफ़ में कुशादगी देख कर उसे बन्द करदे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी लेकिन यह हुक्म वहां है जहां फ़ितना व फ़साद का एहतमाल न हो।

मसला:- इमाम को सुतूनों के दर्मियान खड़ा होना मकरूह है।

औरत की मुहाज़ात से नमाज़ फ़ासिद होजाने के शराइत

औरत अगर मर्द कि मुहाज़ी हो तो मर्द की नमाज़ जाती रहेगी इसके लिए चन्द शर्ते हैं:–(1) औरत मुशतहात हो यानी इस क़ाबिल हो कि उससे जिमाअ़ हो सके अगरचे नाबालिग़ा हो और मुशतहात में सिन का एतेबार नहीं। नौ बरस की हो या उससे कुछ कम की जब कि उसका जुस्सा इस क़ाबिल हो और अगर इस क़ाबिल नहीं तो नमाज़ फ़ासिद न होगी अगरचे नमाज़ पढ़ना जानती हो। बुढ़िया भी इस मसले में मुशतहात है। यह औरत अगर मर्द की ज़ौजा हो या महारिम में हो जब भी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। (2) कोई चीज़ उंगली बराबर मोटी और एक हाथ ऊंची हाइल न हो, न दोनों के दर्मियान इतनी जगह ख़ाली हो कि एक मर्द खड़ा हो सके, न औतर इतनी बुलन्दी पर हो कि मर्द का कोई अज़्व उसके किसी अज़्व से मुहाज़ी न हो। (3) रुकूअ़ सुजूद वाली नमाज़ में यह मुहाज़ात वाक़ेअ़ हो। पस अगर नमाज़े जनाज़ा में मुहाज़ात हुई तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। (4) वह नमाज़ दोनों में तहरीमन मुशतरक हो यानी औरत ने उसकी इक़तेदा की या दोनों ने किसी इमाम की अगरचे शुरू से शिरकत न हो पस अगर दोनों अपनी–अपनी पढ़ते हों तो फ़ासिद न होगी। अलबत्ता मकरूह होगी। (5) वह नमाज़ अदा में मुशतरक हो कि उसमें मर्द औरत का इमाम हो या इन दोनों का कोई दूसरा इमाम हो जिसके पीछे अदा कर रहे हैं। हक़ीक़तन या हुक्मन मसलन दोनों लाहिक़ हों कि बाद फ़राग़ इमाम अगरचे इमाम के पीछे नहीं मगर हुक्मन इमाम के पीछे ही हैं और मस्बूक़ इमाम के पीछे, न हक़ीक़तन है न हुक्मन बल्कि वह मुनफ़रिद है। (6) दोनों एक ही जहत को मुतवज्जह हों। अगर जहत बदल जाए जैसे तारीक शब में कि पता न चलता हो एक तरफ़ इमाम का मुंह है दूसरी तरफ़ मुक़तदी का या काबा मुअ़ज़्ज़मा में पढ़ी और जहत बदली हो तो नमाज़ हो जाएगी। (7) औरत आ़क़िला हो मजनूना की मुहाज़ात में नमाज़ फ़ासिद न होगी। (8) इमाम ने इमामे ज़नां की नीयत करली हो अगरचे शुरू करते वक़्त औरतें शरीक न हों और अगर इमामते ज़नां की नीयत न हो तो औरत ही की फ़ासिद होगी मर्द की नहीं। (9) इतनी देर तक मुहाज़ात रहे कि एक कामिल रुक्न अदा हो जाए। यानी बक़दर तीन तस्बीह के। (10) दोनों नमाज़ पढ़ना

जानते हो। (11) मर्द आकिल बालिग़ हो।

मसला: - मर्द के शुरू करने के बाद औरत आकर बराबर खड़ी हो गई और उसने इमामते औरत की नीयत भी कर ली है मगर शरीक होते ही पीछे हटने को इशारा किया। लेकिन वह न हटी तो औरत की नमाज़ जाती रहेगी मर्द की नहीं। यूहीं अगर मुक़तदी के बराबर खड़ी हुई और इशारा कर दिया फिर भी न हटी तो औरत ही की नमाज़ फ़ासिद होगी मुक़तदी की नहीं।

मसला: - ख़ुन्सा मुश्किल की मुहाज़ात मुफ़सिद नहीं। उसी तरह अमरद ख़ूबसूरत मुशतहा का मर्द के बराबर खड़ा होना मुफ़सिदे नमाज़ नहीं।

मस्जिद के इस्लामी ख़ुसूसियात

उबय बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं एक अन्सारी का घर मस्जिद से सबसे ज़्यादा दूर था और कोई नमाज़ उनकी ख़ता न होती। पंज वक़्ता जमाअ़त में शरीक होते थे। उनसे कहा गया काश तुम कोई सवारी ख़रीद लो कि अंधेरे और गर्मी में उस पर सवार हो कर आओ। जवाब दिया मैं चाहता हूं कि मेरा मस्जिद को जाना और फिर घर को वापस आना लिखा जाए उस पर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया। अल्लाह तआ़ला ने यह सब जमा कर के तुझे अता फ़रमा दिया।

जाबिर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं मस्जिदे नबवी के गिर्द कुछ ज़ाइद ज़मीनें ख़ाली हुईं बनी सलमा ने चाहा कि मस्जिद के क़रीब आजायें। यह ख़बर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम को पहुंची (उनको मुख़ातिब कर के फ़रमाया) मुझे ख़बर पहुंची है कि तुम मस्जिद के क़रीब उठ आना चाहते हो। अर्ज़ की हां या रसूलल्लाह इरादा तो है। फ़रमाया ऐ बनी सलमा अपने घरों ही में रहो। तुम्हारे क़दम लिखे जाएंगे। यह कल्मा दो बार फ़रमाया। बनी सलमा कहते हैं इसी वास्ते हमको घर बदलना पसन्द न आया।

क़ियामत के दिन सात शख़्स अल्लाह के साए में रहेंगे

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु बयान करते हैंकि

मुख़बिरे सादिक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया। सात अशख़ास हैं जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल साया करेगा। उस दिन कि उसके साये के सिवा कोई साया नहीं। इमामे आदिल, और वह जवान जिसकी नश्व व नुमा अल्लाह अज़्ज़ व ज़ल्ल की इबादत में हुई और वह शख़्स जिसका दिल मस्जिद को लगा हुआ है और वह दो शख़्स कि बाहम अल्लाह के लिए दोस्ती रखते हैं। उसी पर जमा हुए और उसी पर मुतफ़र्रिक़ हुए और वह शख़्स जिसे किसी औरत साहबे मनसब व जमाल ने बुलाया। उसने कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूं और वह शख़्स जिसने कुछ सदक़ा किया और उसे इतना छुपाया कि बायें हाथ को ख़बर न हुई कि दाहिने ने क्या ख़र्च किया और वह शख़्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और आँखों से आंसू बहे। अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया। तुम जब किसी को देखो कि मस्जिद का आदी है तो उसके ईमान पर गवाह हो जाओ। इस लिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है। मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए। नीज़ फ़रमाया जो मस्जिद से अज़ीयत की चीज़ निकाले। अल्लाह तआला उसके लिए एक घर जन्नत में बनाएगा। नीज़ फ़रमाया एक ऐसा ज़माना आएगा कि मस्जिदों में दुनिया की बातें होंगी तुम उनके साथ न बैठना क्योंकि ख़ुदा को उनसे कुछ काम नहीं। नीज़ फ़रमाया मस्जिदों को बच्चों और पागलों और ख़रीद व फ़रोख़्त और झगड़े और आवाज़ बुलन्द करने और वहां पर शरई सज़ायें क़ाइम करने और तलवार खींचने से बचाओ।

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। मैं मस्जिद में सो रहा था। एक शख़्स ने मुझ पर कंकरी फेंकी तो अमीरुल मोमेनीन फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं फ़रमाया। जाओ उन दोनों शख़्सों को मेरे पास लाओ। (जो मस्जिद में बआवाज़े बुलन्द गुफ़्तगू कर रहे थे)। मैंने उन दोनों को हाज़िर किया। उन दोनों से फ़रमाया तुम किस क़बीले के हो या कहां के रहने वाले हो। उन्हों ने अर्ज़ की हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। फ़रमाया अगर तुम अहले मदीना से होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता (क्योंकि वहां के लोग आदाबे मस्जिद से वाक़िफ़ थे) रसूलल्लाह सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करते हो।

मस्जिद के इस्लामी अहकाम

क़िब्ले की तरफ़ क़स्दन पाँव फैलाना मकरूह है। सोते में हो या जागते में। यूंही क़ुरआन शरीफ़ और कुतुबे शरीआ़या की तरफ़ भी पाँव फैलाना मकरूह है। हां अगर किताबें ऊंचे पर हों कि मुहाज़ात उनकी तरफ़ न हो तो हर्ज नहीं या बहुत दूर हों कि उरफ़न किताब की तरफ़ पाँव फैलाना न कहा जाए।

मसला:– नाबालिग़ का पाँव क़िब्ला रुख़ कर के लेटा दिया यह भी मकरूह है और कराहत उस लेटाने वाले पर आइद होगी।

मसला:– मस्जिद की छत पर वती व बौल व बज़ार हराम है। यूंही जुनब और हैज़ व निफ़ास वाली औरत को उस पर जाना हराम है क्योंकि छत भी मस्जिद के हुक्म में है और मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है।

मसला:– बच्चे और पागल को जिनसे नजासत का गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है वरना मकरूह। जो लोग जूतियां मस्जिद के अन्दर ले जाते हैं। उनको इसका ख़्याल करना चाहिए कि अगर नजासत लगी हो तो साफ़ करलें और जूता पहने मस्जिद में चले जाना बे अदबी है।

मसला:– मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर क़ुरआन लिखना अच्छा नहीं और जिस बिछौने या मुसल्ले पर अस्माए इलाही लिखे हों उसका बिछाना या किसी और इस्तेमाल में लाना जाइज़ नहीं और यह भी ममनूअ़ है कि अपनी मिलकियत से उसे जुदा करदे क्योंकि दूसरे के इस्तेमाल न करने का क्या इत्मीनान लिहाज़ा वाजिब हैकि उसको सबसे ऊपर किसी ऐसी जगह रखें कि उसके ऊपर कोई चीज़ न हो।

अशआ़र लिखे दस्तरख़्वान का इस्लामी हुक्म

बाज़ दस्तरख़्वान पर अशआ़र छाप देते हैं उनका बिछाना और उन पर खाना शरअ़न ममनूअ़ है आजकल कसरत से लोग इसमें गिरिफ़्तार हैं उनको इस चीज़ से इजतनाब करना चाहिए।

मसला:– मस्जिद का कूड़ा झाड़कर किसी ऐसी जगह न डालें जहां बेअदबी हो।

मसला: – मस्जिद में कुंवां नहीं खोदा जा सकता और अगर क़बल मस्जिद वह कुंवां था और अब मस्जिद में आगया तो बाक़ी रखा जाएगा।

मस्जिद में सवाल करना

हराम है और उस साइल को देना भी मना है। मस्जिद में गुम शुदा चीज़ तलाश करना मना है। हदीस में है जब देखो कि कोई गुमी हुई चीज़ मस्जिद में तलाश करता है तो कहो ख़ुदा उसको तेरे पास वापस न करे। क्योंकि मस्जिदें इस लिए नहीं बनीं (यानी यह चीज़ आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ है)।

मसला: – मस्जिद में शेअ़र पढ़ना नाजाइज़ है अलबत्ता अगर वह शेअ़र हम्द व नअ़त और मनक़बत व वअ़ज़ और हिकमत का हो तो जाइज़ है।

मस्जिद में खाना-पीना किसको जाइज़ है

मस्जिद में खाना–पीना, सोना, मुअ़तकिफ़ के सिवा किसी को जाइज़ नहीं। लिहाज़ा जब खाने पीने वग़ैरह का इरादा हो तो एतिकाफ़ की नीयत कर के मस्जिद में जाए कुछ ज़िक्रे इलाही के बाद खा पी सकता है।

मसला: – मस्जिद में कच्चा लहसन, प्याज़ खाना या खाकर जाना जाइज़ नहीं जब तक कि बू बाक़ी हो। क्योंकि फ़रिश्तों को उससे तकलीफ़ होती है। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं। जो उस बदबूदार दरख़्त से खाए वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए। इस लिए कि मलाइका को उस चीज़ से ईज़ा होती है जिससे आदमी को होती है। यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू हो जैसे गुन्दना, मूली, मिट्टी का तेल, वह दिया सलाई जिसके रगड़ने में बू आती है। रियाह ख़ारिज करना। जिसको गुन्दा दहनी का आरज़ा हो या कोई बदबूदार ज़ख़्म हो या कोई दवा बदबूदार लगाई हो तो जब तक बू मुनक़तअ़ न हो उस को मस्जिद में आने की मुमानिअ़त है।

मस्जिद को चौपाल न बनाइए

मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं। न आवाज़ बुलन्द करना जाइज़। हदीस में हैकि मस्जिद में मुबाह बातें करना नेकियों

को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है। अफ़सोस कि इस ज़माने में मस्जिदों को लोगों ने चौपाल बना रखा है यहां तक कि बाज़ों को मस्जिदों में गालियां बकते देखा जाता है। *अल ऐयाज़ु बिल्लाहि तआला* मस्जिद में आने के बाद बजाए ज़िक्रे इलाही के दुनियवी बातें करते हैं। मुक़द्दमात का ज़िक्र, वकीलों की बहस का तज़किरा, गवाहों की गवाही का बयान वग़ैरह—वग़ैरह ख़ुराफ़ात में मशग़ूल हो जाते हैं अल्लाह तआला हमें हिदायत दे। *आमीन।*

मसला:– तनख़्वाह दार मुअ़ल्लिम को मस्जिद में बैठकर तालीम की इजाज़त नहीं और अगर तनख़्वाह दार न हो तो इजाज़त है।

मसला:– मस्जिद का चिराग़ घर ले जाना जाइज़ नहीं और मस्जिद में तिहाई रात तक चिराग़ जला सकते हैं। अगरचे जमाअ़त हो चुकी हो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। हां अगर वाक़िफ़ ने शर्त करदी हो या वहां तिहाई रात से ज़्यादा जलाने की आ़दत हो तो जला सकते हैं। अगरचे शब भर की हो।

मस्जिद में इमाम के तक़र्रुर और दीगर उमूर का हक़ किसको है

जिसने मस्जिद बनवाई तो मरम्मत और लोटे, चटाई, चिराग़, बत्ती वग़ैरह का हक़ उसी को है और अज़ान व इक़ामत व इमामत का अहल है तो उसका भी वही मुस्तहिक़ है। वरना उसकी राए से हो यूंही उसके बाद उसकी औलाद और कुम्बे वाले ग़ैरों से औला हैं।

मसला:– बानीए मस्जिद ने एक को इमाम व मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया और अहले मुहल्ला ने दूसरे को तो अगर वह अफ़ज़ल है जिसे अहले मुहल्ला ने पसन्द किया है तो वही बेहतर है और अगर बराबर हों तो जिसे बानी ने पसंद किया है वह होगा।

मस्जिदों के मरातिब

सब मस्जिदों से अफ़ज़ल मस्जिदे हराम शरीफ़ है। फिर मस्जिदे नबवी। फिर मस्जिदे क़दस फिर मस्जिदे क़ुबा। फिर और जामा मस्जिदें फिर मुहल्ला फिर शारए़ आम की मस्जिद।

मसला:– मस्जिदे मुहल्ला में नमाज़ पंजगाना पढ़ना। अगरचे जमाअ़त क़लील हो। मस्जिदे जामा से अफ़ज़ल है। अगरचे वहां बड़ी

जमाअत हो बल्कि अगर मस्जिदे मुहल्ला मे जमाअत न हुई हो तो तन्हा जाए और अज़ान व इक़ामत कहे नमाज़ पढ़े। यह मस्जिद जामा की जमाअत से अफ़ज़ल है।

मसला:- जब चन्द मस्जिदें बराबर हों तो वह मस्जिद इख़्तियार करे जिसका इमाम ज़्यादा इल्म व सलाह वाला हो और अगर इसमें बाराबर हों तो जो ज़्यादा क़रीब हो।

मसला:- मस्जिदे मुहल्ला का इमाम अगर *मआज़ल्लाह* ज़ानी या सूदख़्वार या उस में और कोई ऐसी ख़राबी हो जिस की वजह से उसके पीछे नमाज़ मना हो तो मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद को जाए और अगर उससे हो सकता हो तो उस इमाम को मअज़ूल करदे।

मसला:- अज़ान के बाद मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं। हदीस में फ़रमाया कि अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफ़िक़ लेकिन इस हुक्म से वह शख़्स मुस्तसना है जो किसी काम के लिए गया और जमाअत क़ाइम होने से पहले वापसी का इरादा रखता है। यूंही जो शख़्स दूसरी मस्जिद की जमाअत का मुनतज़िम हो तो उसे चला जाना चाहिए।

मसला:- अगर उस वक़्त की नमाज़ पढ़ चुका है तो अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकता है। मगर ज़ुहर व इशा में इक़ामत हो गई हो तो न जाए नफ़्ल की नीयत से शरीक होने का हुक्म है और बाक़ी तीन नमाज़ों में अगर तकबीर हुई और यह तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाना वाजिब है।

नमाज़े असर का वक़्त

वक़्ते ज़ुहर ख़त्म होने के बाद शुरू होता है और आफ़ताब डूबने तक रहता है लेकिन वक़्ते असर दो क़िस्म पर है। कामिल और नाक़िस. वक़्ते ज़ुहर ख़त्म होने के बाद से ग़ुरूब में बीस मिनट रह जाने तक वक़्ते कामिल है। फिर ग़ुरूब तक वक़्ते नाक़िस है जिसको मकरूह भी कहते हैं।

उन बिलाद में वक़्ते असर कम अज़ कम एक घंटा पैंतीस मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे छः मिनट होता है। इसकी तफ़सील यह है। 24/अक्तूबर से आख़िर माह तक एक घंटा छत्तीस मिनट फिर यकुम

नवम्बर से 18/फ़रवरी तक तक़रीबन एक घंटा पैंतीस मिनट साल में यह सबसे छोटा वक़्ते असर है। उन बिलाद में असर का वक़्त कभी इससे कम नहीं होता। फिर 19/फ़रवरी से ख़त्म माह तक एक घंटा छत्तीस मिनट फिर मार्च के हफ़्तए अव्वल में एक घंटा सैंतीस मिनट। हफ़्तए दोम में एक घंटा अड़तीस मिनट। हफ़्तए सोम में एक घंटा चालीस मिनट। फिर 11/मार्च से आख़िर माह तक एक घंटा इकतालीस मिनट फिर अप्रैल के हफ़्तए अव्वल में एक घंटा तैंतालीस मिनट। दूसरे हफ़्ता में एक घंटा पैंतालीस मिनट। तीसरे हफ़्ते में एक घंटा अड़तालीस मिनट। फिर बीस अप्रैल से आख़िर माह तक एक घंटा पचास मिनट। फिर मई के हफ़्तए अव्वल में एक घंटा तरेपन मिनट, हफ़्ता दोम में एक घंटा पचपन मिनट। हफ़्ते सोम में एक घंटा अट्ठावन मिनट। फिर बाईस मई से आख़िर माह तक दो घंटे एक मिनट फिर जून के पहले हफ़्ते में 2 घंटे तीन मिनट। हफ़्तए दोम में दो घंटे चार मिनट हफ़्ता सोम में 2 घंटे पांच मिनट। फिर 22/जून से आख़िर माह तक दो घंटे छः मिनट फिर जुलाई के हफ़्ते अव्वल में दो घंटे पांच मिनट। दूसरे हफ़्ते में दो घंटे चार मिनट। तीसरे हफ़्ते में दो घंटे दो मिनट। फिर 23/जुलाई को दो घंटे एक मिनट। उसके बाद से आख़िर माह तक दो घंटे। फिर अगस्त के पहले हफ़्ते में एक घंटा अट्ठावन मिनट। दूसरे हफ़्ते में एक घंटा पचपन मिनट। तीसरे हफ़्ते में एक घंटा इक्यावन मिनट। फिर 23/व चौबीस अगस्त को एक घंटा पचास मिनट। फिर उसके बाद से आख़िर माह तक एक घंटा अड़तालीस मिनट। फिर हफ़्तए अव्वल सितम्बर में एक घंटा छियालीस मिनट। दूसरे हफ़्ते में एक घंटा चवालीस मिनट। तीसरे हफ़्ते में एक घंटा बयालीस मिनट। फिर 23/व 24/सितम्बर में एक घंटा इकतालीस मिनट। फिर उसके बाद आख़िर माह तक एक घंटा चालीस मिनट। फिर हफ़्तए अव्वल अक्तूबर में एक घंटा उनतालीस मिनट। हफ़्तए दोम में एक घंटा अड़तीस मिनट। हफ़्तए सोम में 23/अक्तूबर तक एक घंटा सैंतीस मिनट ग़ुरूबे आफ़ताब से पेशतर वक़्ते असर शुरू होता है।

मसला:- असर की नमाज़ में अब्र के दिन ताजील मुस्तहब है वरना हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है मगर न इतनी ताख़ीर कि क़ुर्से आफ़ताब में ज़र्दी आजाए। तजरबे से साबित हुआ कि क़ुर्से आफ़ताब में यह ज़र्दी उस

वक़्त आजाती है। जब ग़ुरूब में बीस मिनट बाक़ी रहते हैं तो उसी क़दर वक़्ते कराहत है। यूंहीं बाद तुलूअ़ 20 मिनट के बाद जवाज़े नमाज़ का वक़्त हो जाता है।

मसला:- ताख़ीर से मुराद यह हैकि वक़्ते मुस्तहब के दो हिस्से किए जायें पिछले हिस्से में अदा करें।

मसला:- असर की नमाज़ वक़्ते मुस्तहब में शुरू की थी। मगर इतना तूल दिया कि वक़्ते मकरूह आगया तो उसमें कराहत नहीं।

असर की नमाज़ और सुन्नतें पढ़ने वाले के लिए दुआए रसूल

असर में आठ रकअ़तें हैं पहले चार रकअ़तें सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा फिर चार फ़र्ज़।

हदीस:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर रहम करे। जिसने असर से पहले चार रकअ़तें पढ़ीं।

हदीस:- उम्मुल मोमेनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा रिवायत फ़रमाती हैंकि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो असर से पहले चार रकअ़त पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके बदन को आग पर हराम फ़रमा देगा।

महबूबे ख़ुदा की मुहब्बत व ताज़ीम नमाज़ से ज़्यादा अहम है

फ़राइज़ में ज़्यादा अहम अरकाने अरबआ़ हैं। यानी नमाज़, रोज़ा ज़कात, हज और इन चारों में सबसे ज़्यादा अहम नमाज़ है और नमाज़ों में सब नमाज़ों से ज़्यादा अहम नमाज़े असर है क़ुरआन करीम में इर्शाद फ़रमाया। حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (तर्जुमा) नमाज़ों की पाबन्दी करो। ख़ुसूसन नमाज़े असर की लेकिन महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम की ताज़ीम व मुहब्बत नमाज़े असर से भी ज़्यादा अहम है और यह अहमियत इस वाक़ए से साबित होती है कि ग़ज़वए ख़ैबर से पलटते हुए हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने मंज़िले सहबा में नमाज़े असर अदा कर के अमीरुल

मोमेनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ानू पर सरे अक़दस रखकर आराम फ़रमाया और अमीरूल मोमेनीन ने अभी नमाज़े असर न पढ़ी थी। जब वक़्त तंग होने पर आया तो बड़ी ख़्याल मुज़तरिब हुए कि अगर उठता हूं तो महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम के ख़्वाबे राहत में ख़लल आता है और अगर बैठा रहता हूं तो नमाज़े असर जाती रहेगी। (जो तमाम नमाज़ों से ज़्यादा अहम है।) बिल–आख़िर ताज़ीम व मुहब्बत का पल्ला ग़ालिब आया और शेरे खुदा ने हुज़ूरे पुर नूर के जगा देने पर नमाज़ जाने को गवारा किया। यहां तक कि आफ़ताब डूब गया। अब ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद महबूबे खुदा की चश्मे हक़–बीं खुली मौला अली को मुज़तरिब पाया, सबब दरियाफ़्त किया तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं ने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलेहि वसल्लम ने दस्ते मुश्किल कुशाई बुलन्द फ़रमाया और अपने रब अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज़ की कि इलाही अली तेरे रसूल की ख़िदमत में था। फिर आफ़ताब को हुक्म दिया कि पलट आए फ़ौरन डूबा हुआ आफ़ताब उफ़क़े ग़रबी से खींचा हुआ चला आया।

माहे शक़ गशता की सूरत देखो
कांप कर महर की तलअ़त देखो
मुस्तफ़ा प्यारे की क़ुदरत देखो
कैसे एजाज़ हुआ करते हैं

वक़्ते असर हो गया। अमीरुल मोमेनीन ने नमाज़ अदा फ़रमाई फिर डूब गया। देखिए अगर ख़िदमते रसूल नमाज़ से अहम न होती तो शेरे खुदा नमाज़ का क़ज़ा होना कभी गवारा न फ़रमाते। नीज़ हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलेहि वसल्लम उनको तम्बीह फ़रमाते कि तुमने फ़र्ज़े इलाही को क्यों तर्क कर दिया जब देखा था कि वक़्त जा रहा है तो हमें जगा देते और नमाज़ पढ़ लेते लेकिन न मौला अली ने जगाया न हुज़ूरे अक़दस ने, न जगाने पर तम्बीह फ़रमाई तो मालूम हुआ कि मौला अली जिस काम में मसरूफ़ थे। यानी ख़िदमते रसूल वह नमाज़ से अहम था। अल्लाह तआला ने उसको पसन्द फ़रमाया। इसी वास्ते उनको यह इम्तियाज़ अता फ़रमाया कि डूबे हुए आफ़ताब को नमाज़ अदा करने के लिए उनकी ख़ातिर लौटा दिया।

मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज़
वह भी नमाज़े असर जो आला ख़तर की है
साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रूअ़ हैं
असलुल उसूल बन्दगी उस ताजवर की है

वक़्ते मग़रिब

ग़ुरूबे आफ़ताब से ग़ुरूबे शफ़क़ तक है। शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सपेदी का नाम है जो जानिबे मग़रिब में सुर्ख़ी डूबने के बाद जुनूबन शिमालन सुबह सादिक़ की तरह फैली हुई रहती है और यह वक़्त उन शहरों में कम से कम एक घंटा अठारह मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा पैंतीस मिनट होता है।

फ़ाइदा:- हर रोज़ की सुबह और मग़रिब दोनों के वक़्त बराबर होते हैं।

मसला:- रोज़े अब्र के सिवा मग़रिब में हमेशा तअजील मुस्तहब है और दो रकअत से ज़ाइद की ताख़ीर मकरूहे तन्ज़ीही और अगर बग़ैर उज़्र इतनी ताख़ीर की कि सितारे गुथ गए तो मकरूहे तहरीमी है।

नमाज़े मग़रिब

की सात रकअतें हैं। पहले तीन फ़र्ज़ फिर दो सुन्नते मुअक्किदा फिर दो नफ़्ल। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व आलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मग़रिब के बाद की दो रकअ़तें (सुन्नत) जल्दी पढ़ो कि वह फ़र्ज़ के साथ पेश होती हैं। नीज़ उन्हीं दो रकअत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया जो शख़्स बाद नमाज़े मग़रिब कलाम करने से पहले दो रकअ़तें (सुन्नत) पढ़े उसकी नमाज़ इल्लिय्यीन में उठाई जाती है।

सलात अव्वाबीन

की छः रकअ़तें हैं।

हदीस:- हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु रिवायत करते हैंकि ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो शख़्स मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े और उनके दर्मियान में कोई बुरी बात न कहे तो बारह बरस की इबादत के बराबर

की जाएंगी।

मसला: – इन छः रकअतों में इख़्तियार हैकि सब एक सलाम से पढ़े या दो से या तीन से और तीन सलाम से यानी हर दो रकअत पर सलाम फेरना अफ़ज़ल है।

वक़्ते इशा व वित्र

गुरूबे शफ़क़ से तुलूअ़े फ़जर तक है।

मसला: – अगरचे इशा व वित्र का वक़्त एक है मगर बाहम उनमें तरतीब फ़र्ज़ है अगर इशा से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ली तो होगी ही नहीं। अलबत्ता भूल कर अगर वित्र पहले पढ़ लिए या बाद को मालूम हुआ कि इशा की नमाज़ बे वज़ू पढ़ी थी और वित्र वज़ू के साथ तो वित्र होगए।

उन शहरों का हुक्म जहां इशा का वक़्त नहीं आता

जिन शहरों में इशा का वक़्त ही न आए और शफ़क़ डूबते ही या डूबने से पहले फ़जर तुलूअ़ कर आए जैसे बलग़ारिया, लन्दन कि उन जगहों में हर साल चालीस रातें ऐसी होती हैं कि इशा का वक़्त आता ही नहीं और बाज़ दिनों में सेकेण्डों और मिन्टों के लिए होता है तो वहां वालों को चाहिए कि उन दिनों के इशा व वित्र की क़ज़ा पढ़ें।

मसला: – इशा में तिहाई रात तक ताख़ीर मुस्तहब है और आधी रात तक मुबाह यानी आधी रात होने से पहले फ़र्ज़ पढ़ लेने चाहियें और इतनी ताख़ीर कि रात ढल जाए मकरूह है और अब्र के दिन इशा में तअ़जील मुस्तहब है।

मसला: – नमाज़े इशा से पहले सोना और बाद नमाज़ दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी कहना सब मकरूह है ज़रूरी बातें और तिलावते क़ुरआन मजीद और ज़िक्र और दीनी मसाइल और सालेहीन के क़िस्से। मेहमान से बात–चीत करने में हर्ज नहीं। यूंही तुलूअ़े फ़जर से तुलूअ़े आफ़ताब तक ज़िक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है।

औक़ाते मकरूह

तुलूअ़ व ग़ुरूब व निस्फ़ुन्–नहार इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़्ल न अदा न क़ज़ा। यूंहीं सज्दए

तिलावत व सज्दए सह्व भी। अलबत्ता उस रोज़ अगर असर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगरचे आफ़ताब डूबता हो पढ़ ले। मगर नमाज़े असर में इतनी ताख़ीर करना हराम है। तुलूअ़ से मुराद आफ़ताब का किनारा ज़ाहिर होने से बीस मिनट तक है और ग़ुरूब से मुराद जब से आफ़ताब पर निगाह ठहरने लगे डूबने तक है। यह वक़्त भी बीस मिनट होता है। निस्फ़ुन्–नहार से मुराद निस्फ़ुन्–नहार शरअ़ी से निस्फ़ुन्–नहार हक़ीक़ी तक है। जिसको ज़हवए कुबरा हकते हैं। यानी तुलूअ़े ज़ुहर से ग़ुरूबे आफ़ताब तक आज जो वक़्त है उसके बराबर–बराबर दो हिस्से करें पहले हिस्से के ख़त्म पर इबतदाए निस्फ़ुन्–नहार शरअ़ी है और उस वक़्त से आफ़ताब ढलने तक नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।

मसला:– जनाज़ा अगर औक़ाते मकरूह में लाया गया तो उसी वक़्त पढ़ें कोई कराहत नहीं कराहत उस सूरत में है कि पेशतर से तैयार मौजूद है और ताख़ीर की यहां तक कि वक़्ते कराहत आगया।

मसला:– उन औक़ात में आयते सज्दा पढ़ी तो बेहतर यह हैकि सज्दे में ताख़ीर करे। यहां तक कि वक़्ते कराहत जाता रहे और अगर वक़्ते मकरूह ही में कर लिया तो भी जाइज़ है और अगर वक़्ते ग़ैर मकरूह में पढ़ी थी तो वक़्ते मकरूह में सज्दा करना मकरूहे तहरीमी है।

मसला:– उन औक़ात में तिलावते क़ुरआन मजीद बेहतर नहीं, बेहतर यह है कि ज़िक्र दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहे।

बारह वक़्तों में नवाफ़िल पढ़ना मना है

और उन बारह वक़्तों में से छटे और बारहवें वक़्त में फ़राइज़ व वाजिबात और नमाज़े जनाज़ा व सज्दए तिलावत की भी मुमानअ़त है
(1) तुलूअ़े फ़जर से तुलूअ़े आफ़ताब तक सिवाए दो रकअ़त सुन्नते फ़जर के कोई नफ़्ल नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसला:– नमाज़े फ़जर के बाद से तुलूअ़े आफ़ताब तक अगरचे वक़्त वसीअ़ बाक़ी हो अगर सुन्नते फ़जर फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी थी और अब पढ़ना चाहता हो तो जाइज़ नहीं।

मसला:– अगर कोई शख़्स तुलूअ़े फ़जर से पेशतर नमाज़े नफ़्ल पढ़ रहा था एक रकअ़त पढ़ चुका था कि फ़जर तुलूअ़ कर आई तो दूसरी

रकअत भी पढ़कर पूरी करले और यह दोनों सुन्नते फ़जर के क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकतीं और अगर चार रकअ़त की नीयत की थी और एक रकअ़त के बाद तुलूअ़े फ़जर हुआ और चारों रकअ़तें पूरी करली तो उनमें पिछली दो रकअ़तें सुन्नते फ़जर के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगी। (2) अपने मज़हब की जमाअ़त के लिए इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्म जमाअ़त तक नफ़्ल व सुन्नत पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज़े फ़जर क़ाइम हो चुकी और जानता हैकि सुन्नत पढ़ेगा तब भी जमाअ़त मिल जाएगी अगरचे क़अ़दे में शिरकत होगी तो हुक्म है कि जमाअ़त से अलग और दूर सुन्नते फ़जर पढ़कर शरीके जमाअ़त हो और अगर जानता है कि सुन्नत में मशग़ूल होगा तो जमाअ़त जाती रहेगी तो सुन्नतों को छोड़ कर जमाअ़त में शरीक होजाए और जमाअ़त छोड़ कर सुन्नतों में मशग़ूल रहना नाजाइज़ और गुनाह है और बाक़ी नमाज़ों में अगरचे जमाअ़त मिलना मालूम हो सुन्नतें पढ़ना जाइज़ नहीं। (3) नमाज़े असर से आफ़ताब ज़र्द होने तक नफ़्ल मना है। (4) ग़ुरूबे आफ़ताब से फ़र्ज़े मग़रिब अदा करने तक नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मना है। (5) जिस वक़्त इमाम अपनी जगह से ख़ुतबए जुमा के लिए खड़ा हो उस वक़्त से फ़र्ज़े जुमा ख़त्म होने तक नमाज़े नफ़्ल मकरूह है यहां तक कि जुमा की सुन्नतें भी। (6) ऐन ख़ुतबे के वक़्त अगरचे पहला हो या दूसरा और जुमा का हो या ख़ुतबए ईदैन या कसूफ़ व इस्तिसक़ा या हज व निकाह का हो हर नमाज़ हत्ता कि क़ज़ा भी नाजाइज़ है मगर साहबे तरतीब के लिए ख़ुतबए जुमा के वक़्त क़ज़ा की इजाज़त है।

मसला: - जुमा की सुन्नतें शुरू करने के बाद इमाम ख़ुतबे के लिए अपनी जगह से उठा तो चारों रकअ़तें पूरी करे। (7) नमाज़े ईदैन से पेशतर नफ़्ल नमाज़ मकरूह है ख़्वाह घर में पढ़े या ईदगाह व मस्जिद में (8) नमाज़े ईदैन के बाद नफ़्ल मकरूह है जब कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े। घर में पढ़ना मकरूह नहीं। (9) हज के मौक़े पर अरफ़ात में जो ज़ुहर व असर मिलाकर पढ़ते हैं। उनके दर्मियान में और बाद में भी नफ़्ल व सुन्नत मकरूह है। (10) हज के मौक़े पर मुज़दलफ़ा में जो मग़रिब व इशा जमा किए जाते हैं फ़क़त उनके दर्मियान में नफ़्ल व सुन्नत का पढ़ना मकरूह है बाद में मकरूह नहीं। (11) फ़र्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि सुन्नते फ़जर व ज़ुहर मकरूह है। (12) जिस बात से दिल बटे और दफ़ा कर सकता

हो उसे बेदफा किए हर नमाज़ मकरूह है मसलन पाएख़ाना या पेशाब या रियाह का गलबा हो तो ऐसी हालत में नमाज़ मकरूह है। लेकिन जब वक़्त जाता हो तो पढले बाद में फेर ले। यूहीं खाना सामने आगया और उसकी ख़्वाहिश हो तो बावजूद ख़्वाहिश नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मसला: - फ़जर और ज़ुहर के पूरे वक़्ते अव्वल से आख़िर तक बिला कराहत हैं उन नमाज़ों को अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ा जाएगा असलन कराहत न होगी।

नमाज़े इशा

की सतरह रकअ़तें हैं पहले चार सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा फिर चार फ़र्ज़ फिर दो सुन्नते मुअक्किदा फिर दो नफ़्ल फिर तीन वित्र वाजिब फिर दो नफ़्ल।

नमाज़े वित्र

हदीस: - हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि हुज़ूर पुर नूर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वह हम में से नहीं।

मसला: - वित्र वाजिब है अगर सह्वन या क़स्दन न पढ़ा तो क़ज़ा वाजिब है और साहबे तरतीब के लिए अगर यह याद है कि नमाज़े वित्र नहीं पढ़ी है और वक़्त में गुंजाइश भी है तो फ़जर की नमाज़ फ़ासिद है। ख़्वाह शुरू करने से पहले याद हो या दर्मियान में याद आजाए।

मसला: - वित्र की नमाज़ बैठकर या सवारी पर बग़ैर उज़्र नहीं हो सकती।

मसला: - नमाज़े वित्र तीन रकअ़त है और उसमें क़अ़दा ऊला वाजिब है और कअ़दा ऊला में सिर्फ़ *अत्तहियातु* पढ़कर खड़ा हो जाए, न दुरूद पढ़े न सलाम फेरे जैसे मग़रिब में करते हैं उसी तरह करें और अगर क़अ़दा ऊला में भूलकर खड़ा होगया तो लौटने की इजाज़त नहीं बल्कि सज्दा सहव करे।

वित्र पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

वित्र की तीनों रकअ़तों में मुतलक़न क़िरात फ़र्ज़ है और हर एक

में बाद फ़ातिहा सूरत मिलाना वाजिब। तीसरी रकअत में किरात से फ़ारिग़ होकर रुकूअ से पहले कानों तक हाथ उठाकर *अल्लाहु अकबर* कहे जैसे तकबीरे तहरीमा में करते हैं। फिर हाथ बांध ले और दुआए क़ुनूत पढ़े दुआए क़ुनूत का पढना वाजिब है और इस में किसी ख़ास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं बेहतर वह दुआयें हैं जो नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम से साबित हैं और उनके इलावा कोई और दुआ पढ़े जब भी हर्ज नहीं। सब में ज़्यादा मशहूर दुआ यह है।

दुआए क़ुनूत

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ
الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى
عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

(तर्जुमा) इलाही हम तुझसे मदद तलब करते हैं और मग़फ़िरत चाहते हैं और तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और हर भलाई के साथ तेरी सना करते हैं और हम तेरा शुक्र करते हैं नाशुक्री नहीं करते और हम जुदा होते हैं और उस शख़्स को छोड़ते हैं जो तेरा गुनाह करे। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं और सज्दा करते हैं और तेरी ही तरफ़ दौड़ते हैं और सअ़ी करते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुंचाया जाएगा।

नफ़्स की इस्लाह का इस्लामी तरीक़ा

हम पहले बयान कर चुके हैं कि नमाज़ में नमाज़ी जो कुछ पढ़े उसके माना समझता जाए माना के समझने से मुख़्तलिफ़ फ़वाइद हासिल हो सकेंगे जैसे अ़ज़मते इलाही, मुहब्बते रसूल, गुनाहों से नफ़रत, इबादात की जानिब रग़बत, हुक़ूक़े इबाद अदा करने की तौफ़ीक़, ज़ुल्म से इजतनाब, ग़ीबत और दरोग़ गोई से परहेज़। अल–हासिल अवामिर व नवाही बजा लाने और अख़लाक़े फ़ाज़िला हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब

होगी। इस नजरिया के मातहत मज़कूरा बाला दुआए क़ुनूत के हर–हर फ़िक़रे पर ग़ौर करता जाए और उसके माना समझता जाए और यह देखता जाए कि मैं बारगाहे इलाही में ख़ुदावन्दे क़ुद्दूस को मुख़ातिब कर के जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूं वह सही है या नहीं और मेरे रोज़मर्रा के आमाल इसके मुताबिक़ हैं या नहीं अल्लाह तआला ने तरह–तरह की नेअ़मतें अता फ़रमाई उन का शुक्रिया तो यह था कि बन्दे का कोई क़ौल और कोई फ़ेअ़ल ख़ुदा और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ न होता। लेकिन हुक़ूक़ुल्लाह की अदाएगी में कोताही की और हुक़ूक़ुल इबाद तल्फ़ किए दिन में सैकड़ों मर्तबा झूट बोला, ग़ीबत की उसके बावजूद रात को नमाज़े वित्र में खड़ा होकर अपने मअ़बूदे हक़ीक़ी को मुख़ातब कर के यूं कहता है। *नश्कुरु–क व ला नक्फ़ुरु–क* हम तेरा शुक्र करते हैं नाशुक्री नहीं करते अफ़सोस! कि बहालते नमाज़ अपने मौला को मुख़ातब कर के बन्दा झूट बोलने की जसारत करता है हालांकि उसके मौला पर कोई चीज़ मख़फ़ी नहीं। पस माना समझने से बन्दे को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि मैं बारगाहे इलाही में जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूं। मेरा अमल इसके मुताबिक़ नहीं और रफ़्ता–रफ़्ता वह अपने आमाल को अपने क़ौल के मुताबिक़ करने की कोशिश करेगा और इस तरीक़े से नफ़्स की इस्लाह हो जाएगी।

मसला:– दुआए क़ुनूत आहिस्ता पढ़े। इमाम हो या मुनफ़रिद या मुक़तदी अदा हो या क़ज़ा रमज़ान में हो या और दिनों में।

मसला:– अगर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल गया और रुकूअ़ में चला गया तो न क़ियाम की तरफ़ लौटे न रुकूअ़ में पढ़े और अगर क़ियाम की तरफ़ लौट आया और दुआए क़ुनूत पढ़ी और सज्दे में चला गया, रुकूअ़ न किया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी बल्कि गुनहगार होगा और अगर सिर्फ़ *अलहम्दु* पढ़कर रुकूअ़ में चला गया था तो लौटे और सूरत व क़ुनूत पढ़े फिर रुकूअ़ करे और आख़िर में सज्दा सहव करे। यूंही अगर *अलहम्दु* भूल गया और सूरत पढ़ली थी तो लौटे और फ़ातिहा व सूरत व क़ुनूत पढकर फिर रुकूअ़ करे।

मसला:– क़ुनूते वित्र में मुक़तदी इमाम की मुताबअ़त करे। अगर मुक़तदी क़ुनूत से फ़ारिग़ न हुआ था कि इमाम रुकूअ़ में चला गया तो मुक़तदी भी इमाम का साथ दे और अगर इमाम ने बे क़ुनूत पढ़े रुकूअ़ कर

दिया और मुक़तदी ने अभी कुछ न पढ़ा तो मुक़तदी को अगर रुकूअ फ़ौत होने का अन्देशा हो जब तो रुकूअ कर दे। वरना क़ुनूत पढ़कर रुकूअ में जाए और इस ख़ास दुआ की हाजत नहीं जो दुआए क़ुनूत के नाम से मशहूर है बल्कि मुतलक़न कोई दुआ जिसे क़ुनूत कह सकें पढ़ले।

मसला:- भूल कर पहली या दूसरी में दुआए क़ुनूत पढ़ली तो तीसरी में फिर पढ़े यही राजेह है।

मसला:- मस्बूक़ इमाम के साथ क़ुनूत पढ़े बाद को न पढ़े और अगर इमाम के साथ तीसरी रकअत के रुकूअ में मिला है तो बाद में जो पढ़ेगा उसमें क़ुनूत न पढ़े।

अगर दुआए क़ुनूत मशहूर याद न हो

या दुआए क़ुनूत न पढ़ सके तो यह पढ़े।

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(तर्जुमा) ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको दुनिया और आख़िरत में भलाई दे और हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा।

क़ुनूते नाज़िला पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

मुसलमानों पर कोई हादसा या मुसीबत नाज़िल होने के अय्याम में सिर्फ़ नमाज़े फ़जर की रकअते अख़ीरा के रुकूअ के बाद क़ौमा में या रुकूअ से पेशतर इमाम का दुआए क़ुनूते नाज़िला पढ़ना और उसमें दफ़ए मुसीबत, हिफ़ाज़ते मुस्लिमीन, हलाकते आदा की दुआएं करना जाइज़ है। मगर ख़िलाफ़े ऊला है। बेहतर यह हैकि नमाज़ से फ़ारिग़ होकर दुआएं की जाएं।

क़ुनूते नाज़िला हुज़ूर पुर नूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने सिर्फ़ चन्द रोज़ एक माह या इससे कम पढ़ी। फिर तर्क फ़रमा दी थी इस तर्क का बाइस बाज़ सहाबए किराम के ख़्याले मुबारक में तो यह है कि ज़रूरत न रही थी और बाज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन यह फ़रमाते हैं कि क़ुनूते नाज़िला मनसूख़ हो गई। इस लिए हुज़ूर ने तर्क फ़रमा दी थी। अल-हासिल मनसूख़ियत व अदमे मनसूख़ियत सहाबा किराम में मुख़्तलिफ़ फ़ीह है।

अइम्मए दीन हज़रत इमामे आज़म और उनके साहिबैन ने हज़रात सहाबा किराम के दोनों गरोहों के अक़वाल व अफ़आल पर नज़र कर के बाद तहक़ीक़ व तनक़ीह यह नतीजा अख़ज़ फ़रमाया कि क़ुनूते नाज़िला सिर्फ़ नमाज़े फ़जर में जाइज़ है मगर ख़िलाफ़े औला है। बेहतर यह हैकि बाद नमाज़ के दुआ की जाए ताकि ख़िलाफ़े औला का इर्तकाब भी न हो और मुसलमान इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार से भी महफ़ूज़ रहें फ़जर के सिवा यह क़ुनूत और किसी नमाज़ में जाइज़ नहीं। पस जो शख़्स सिवाए फ़जर के और नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ेगा। उसकी नमाज़ क़ाबिले इआदा होगी यानी दोबारा पढ़नी होगी।

मसला: – बेहतर यह है कि वित्र की पहली रकअत में सूरए क़दर और दूसरी में सूरए अल–काफ़िरून और तीसरी में सूरए इख़लास पढ़े और कभी–कभी और सूरतें भी पढ़ लिया करे। सूरए अल–काफ़िरून और सूरए इख़लास का तर्जुमा और उसके क़दरे हालात बयान किए जा चुके। यहां सिर्फ़ सूरए क़दर का तर्जुमा बयान करते हैं।

सूरए क़दर का तर्जुमा

इसमें एक रुकूअ़ पांच आयतें तीस कल्मे एक सौ बारह हरफ़ हैं। और यह सूरत मदनी है और बाज़ों ने मक्की कहा है।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ
كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

(तर्जुमा) बेशक हमने इसे (यानी क़ुरआन मजीद को लौहे महफ़ूज़ से आसमाने दुनिया की तरफ़ यक–बारगी) शबे क़दर में उतारा (जो शर्फ़ व बरकत वाली रात है।) और तुम क्या जानो शबे क़दर क्या है। शबे क़दर (उन) हज़ार महीनों से बेहतर है (जो शबे क़दर से ख़ाली हों। इस एक रात में नेक अमल करना हज़ार रातों के अमल से बेहतर है) इसमें फ़रिश्ते और जिब्रईल उतरते हैं (ज़मीन की तरफ़) अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। (और जो बन्दा खड़ा या बैठा यादे इलाही में मशग़ूल होता है। फ़रिश्ते उसको सलाम और उसके हक़ में दुआ व इस्तिग़फ़ार करते हैं।) शबे क़दर

सलामती है सुबह चमकने तक (कि अल्लाह तआला उसमें ख़ैर ही मुक़द्दर फ़रमाता है। बख़िलाफ़ दूसरी रातों के कि उसमें बलाएं भी मुक़द्दर की जाती हैं) शबे क़दर के बाक़ी हालात क़दरे तफ़सील के साथ माहे रमज़ानुल मुबारक के ख़ुसूसियात में आएंगे। जो हमारी किताब "इस्लामी महीने" में दर्ज हैं।

दाँत मज़बूत रखने का इस्लामी तरीक़ा

दाँतों के मज़बूत रहने और हमेशा क़ाइम रखने के लिए मशाइख़ किराम से एक अमल मनक़ूल हुआ है जिस पर अमल करने वाले बफ़ज़्लिही तआला कामयाब हैं। फ़क़ीर कातिबुल हुरूफ़ भी इस पर आमिल है और इसी अमल की बरकत से कुल दाँत महफ़ूज़ हैं। हालांकि मौजूदा दौर में पचपन–छप्पन साल की उमर तक बिलउमूम कुल दाँत बाक़ी नहीं रहते। यहां पर उस अमल को तहरीर किया जाता है कि मुसलमान भाई इससे फ़ाइदा हासिल करें और वह यह कि हमेशा वित्र की पहली रकअ़त में सूरए नसर दूसरी रकअ़त में सूरए लहब और तीसरी रकअ़त में सूरए इख़लास पढ़ा करें कभी नाग़ा न हो। सूरए इख़लास का तर्जुमा और उसके मुख़तसर हालात पहले बयान किए जा चुके हैं। इस वक़्त सूरए नसर और सूरए लहब का तर्जुमा ज़ैल में दर्ज किया जाता है।

सूरए नसर का तर्जुमा

यह सूरत मदनी है इस में एक रुकूअ़ तीन आयतें सतरह कल्मे सत्तर हरफ़ हैं। اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

तर्जुमाः— जब अल्लाह की मदद और फ़तह आए (ऐ महबूब तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मनों के मुक़ाबले में इससे या आम फ़ुतूहाते इस्लाम मुराद हैं या ख़ास फ़तहे मक्का) और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज–फ़ौज दाख़िल होते हैं (जैसा कि बाद फ़तहे मक्का हुआ कि लोग अतराफ़ अर्ज़ से शौक़े ग़ुलामी में चले आते थे और शरफ़े इस्लाम से मुशर्रफ़ होते थे) तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे

बख़्शिश चाहो। (उम्मत के लिए) बेशक वह बहुत तौबा क़ुबूल करने वाला है। (इस सूरत के नाज़िल होने के बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ की बहुत कसरत फ़रमाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि यह सूरत हज्जतुल विदाअ़ में बमक़ामे मेना नाज़िल हुई थी इसके बाद आयत اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ नाज़िल हुई इसके नाज़िल होने के बाद अस्सी रोज़ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फ़रमा रहे फिर आयते कलालह नाज़िल हुई उसके बाद हुज़ूर पचास रोज़ तशरीफ़ फ़रमा रहे फिर आयत وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ नाज़िल हुई उसके बाद हुज़ूर इक्कीस रोज़ या सात रोज़ दुनिया में तशरीफ़ फ़रमा रहे। इस सूरते मुबारका के नाज़िल होने के बाद सहाबा किराम ने समझ लिया था कि दीन कामिल हो गया तो अब हुज़ूर दुनिया में ज़्यादा तशरीफ़ न रखेंगे। चुनांचे इस सूरत के नाज़िल होने के बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फ़रमाया कि एक बन्दे को अल्लाह तआला ने इख़्तियार दिया चाहे दुनिया में रहे चाहे उसकी मुलाक़ात क़ुबूल करे। इस बन्दे ने मुलाक़ाते इलाही इख़्तियार की। यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमया। आप पर हमारी जानें, हमारे माल, हमारे आबा, हमारी औलादें सब क़ुरबान।

सूरए तब्बत का तर्जुमा

यह सूरत मक्की है। इसमें एक रुकूअ़ पांच आयतें बीस कल्मे सत्तर हुरूफ़ हैं। जब नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर पहुंच कर अ़रब वालों को दावत दी। हर तरफ़ से लोग आए और हुज़ूर ने उनसे अपने सिदक़ व अमानत की शहादतें लेने के बाद फ़रमाया। اِنِّیْ لَكُمْ نَذِيْرٌ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ (तर्जुमा) मैं तुमको अज़ाबे शदीद से पेशतर डराने वाला हूं। उस पर अबू लहब ने हुज़ूर से कहा कि तुम तबाह हो जाओ तुमने हमें इस लिए जमा किया था। अबू लहब के इस कहने पर यह सूरत नाज़िल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम की तरफ़ से

जवाब दिया।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۔ तबाह हो जायें अबू लहब के दोनों हाथ। और वह तबाह हो ही गया। مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۔ उसे कुछ काम न आया उसका माल और न जो कमाया (यानी उसकी औलाद। जब अबू लहब ने पहली आयत सुनी तो कहने लगा जो कुछ मेरे भतीजे कहते हैं अगर सच है तो मैं अपनी जान के लिए अपने माल व औलाद को फ़िदया कर दूंगा। इस आयत में उसका रद फ़रमाया गया कि यह ख़्याल ग़लत है। उस वक़्त कोई चीज़ काम आने वाली नहीं) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۔ अब धंसता है लपट मारती आग में वह और उसकी जोरू लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाती हुई (उसका नाम उम्मे जमील था जो अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन थी। रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसको अ़दावत व अ़नाद था। बावजूद यह कि बहुत दौलतमन्द और बड़े घराने की थी। लेकिन इन्तिहाई अ़दावत के बाइस खुद अपने सर पर कांटों का गट्ठा लाकर रास्ते में डालती थी। ताकि हुज़ूर और हुज़ूर के असहाब को ईज़ा व तकलीफ़ पहुंचे और हुज़ूर की ईज़ा रसानी उसको इतनी प्यारी थी कि वह इस काम में दूसरे से मदद भी लेना गवारा नहीं करती थी। فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۔ उस के गले में खजूर की छाल का रस्सा होगा। (जिस से कांटों का गट्ठा बांधती थी। एक रोज़ यह बोझ उठाकर ला रही थी कि थक कर आराम लेने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई। एक फ़रिश्ते ने बहुक्मे इलाही उसके पीछे से उस गट्ठे को खींचा वह गिरा और रस्सी से गले में फांसी लग गई जिससे वह मर गई।)

मसला:– जिसे आख़री शब में जागने पर एतेमाद हो तो बेहतर यह है कि पिछली रात में वित्र पढ़े।

मसला:– अव्वल शब में वित्र पढ़कर सो रहा। फिर पिछले को जागा तो दोबारा वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं।

तहज्जुद पढ़े बग़ैर तहज्जुद का सवाब

वित्र के बाद दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ना बेहतर है। इसकी पहली रकअ़त में *इज़ाज़ुल ज़ि–लतिल* दूसरी में *कुल या अय्युहल काफ़िरून*

पढ़ना अफ़ज़ल है। हदीस में हैकि अगर रात में न उठा तो यह दो रकअ़तें तहज्जुद के काइम मक़ाम हो जएंगी।

मसला: – इन दो रकअ़तों का भी खड़े होकर पढ़ना बैठकर पढ़ने से अफ़ज़ल है जैसे कि और नवाफ़िल का भी यही हुक्म है। अवाम में यह ग़लत मशहूर हैकि इनको बैठकर पढ़ना अफ़ज़ल है।

सूरए इज़ाज़ुलज़िलत का तर्जुमा

इसका नाम सूरए ज़ुलज़िलत भी है। हिजरत से पहले नाज़िल हुई और बाज़ ने कहा कि हिजरत के बाद इसमें एक रुकूअ़ आठ आयतें पैंतीस कल्मे और एक सौ उन्तालीस हरफ़ हैं। إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ‎.‎ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ‎.‎ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

तर्जुमा:– जब ज़मीन थर–थरा दी जाए (क़ियामत क़ाइम होने के नज़दीक या रोज़े क़ियामत) जैसा उसका थर–थराना ठहरा है (और ज़मीन पर कोई दरख़्त कोई इमारत कोई पहाड़ बाक़ी न रहे हर चीज़ टूट–फूट जाए) और ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक दे (यानी ख़ज़ाने और मुर्दे जो उसमें हैं वह सब निकल कर बाहर आपड़ें) और आदमी कहे उसे क्या हुआ (कि ऐसी मुज़तरिब हुई और इतना शदीद ज़लज़ला आया कि जो कुछ उसके अन्दर था। सब बाहर फेंक दिया।) उस दिन वह अपनी ख़बरें बताएगी (और जो नेकी बदी उस पर की गई सब बयान करेगी। हदीस शरीफ़ में है। हर मर्द व औरत ने जो कुछ उस पर किया उसकी गवाही देगी कहेगी फ़लां रोज़ यह किया फ़लां रोज़ यह) इस लिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा (कि अपनी ख़बरें बयान करे और जो अमल उस पर किए गए थे उनकी ख़बरें दे) उस दिन लोग अपने रब की तरफ़ फिरेंगे। कई राह हो कर (कोई दाहिनी तरफ़ से होकर जन्नत की तरफ़ जाएगा। कोई बायीं जानिब से दोज़ख़ की तरफ़) ताकि वह अपना किया हुआ दिखाए जायें। तो जो एक ज़र्रे भर भलाई करे उसे देखेगा। और जो एक ज़र्रा भर बुराई करे उसे देखेगा।

क़ियामत में मोमिने कामिल का इस्लामी इम्तियाज़

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया कि हर मोमिन (जो कबीरा गुनाह से मुजतनब रहे) और काफ़िर को रोज़े क़ियामत उसके नेक व बद आमाल दिखाए जाएंगे। मोमिन को उसकी नेकियां और बदियां दिखा कर अल्लाह तआला बदियां बख़्श देगा और नेकियों पर सवाब अता फ़रमाएगा और काफ़िर की नेकियां रद कर दी जाएंगी क्योंकि कुफ़्र के सबब अकारत हो चुकीं और बदियों पर उसको अज़ाब किया जाएगा। इबतेदाए इस्लाम में बाज़ लोग यह ख़्याल रखते थे कि सग़ीरा गुनाहों पर मुवाख़िज़ा न होगा और बाज़ क़लील चीज़ के सदक़ा करने से बई ख़्याल शरम करते थे कि इस पर क्या अज्र मिलेगा। इस आयत को नाज़िल कर के बताया गया कि नेकी थोड़ी सी भी कार–आमद होती है और गुनाह छोटा सा भी वबाल होता है बाज़ मुफ़स्सेरीन ने यह फ़रमाया कि पहली आयत मोमेनीन के हक़ में है और पिछली कुफ़्फ़ार के। इस तक़दीर पर आयत के माना यह होंगे कि हर मोमिन अपनी भलाई की जज़ा पाएगा। अगरचे वह भलाई ज़र्रा बराबर हो और हर काफ़िर अपनी बुराई की सज़ा पाएगा अगरचे वह बुराई ज़र्रा बराबर हो। इस सूरत की तिलावत सवाब में निस्फ़ क़ुरआन के बराबर है पस दो मर्तबा पढ़ने से पूरे क़ुरआन का सवाब मिलेगा।

बीमारी का इस्लामी इम्तियाज़

फ़िल हक़ीक़त बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेअमत है इसके मुनाफ़े बे–शुमार हैं अगरचे आदमी को बज़ाहिर उससे तकलीफ़ पहुंचती है मगर दर–हक़ीक़त आराम व राहत का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। यह ज़ाहिरी बीमारी जिसको आदमी समझता है दर–हक़ीक़त रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। हक़ीक़ी बीमारी रूहानी अमराज़ हैं क्योंकि यह बहुत ख़ौफ़ की चीज़ है और इसी को मर्ज़े मुहलिक समझना चाहिए। बहुत मोटी सी बात है जिसको हर शख़्स जानता है कि कोई कितना ही ग़ाफ़िल हो मगर जब मर्ज़ में मुब्तला होता है तो किस क़दर ख़ुदा को याद करता है और किस क़दर तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और यह

तो बड़े रुतबे वालों की शान है कि तकलीफ़ का भी उसी तरह इस्तेक़बाल करते है। जैसे राहत का यह समझते हुए कि – 'आँचे अज़ दोस्त मी रसद नेको अस्त' मगर हम जैसे कमज़ोर बन्दे कम अज़ कम इतना तो करें कि सबर व इस्तक़लाल से काम लें और जज़अ व फ़ज़अ कर के आते हुए सवाब को हाथ से जाने न दें और यह बात तो हर शख़्स जानता हैकि बे सबरी से आई हुई मुसीबत जाती न रहेगी और इस बड़े सवाब से महरूम हो जाना दोहरी मुसीबत है। बहुत से नादान बीमारी में निहायत बेजा कल्मे बोल उठते हैं बल्कि बाज़ कुफ़्र तक पहुंच जाते हैं। *मआज़ल्लाह* मौला तआला की तरफ़ ज़ुल्म की निस्बत कर देते हैं ऐसे लोग तो बिल्कुल ही *ख़सिरद दुन्या वल् आख़िरति:* के मिस्दाक़ बन जाते हैं। अब हम बीमारी के बाज़ फ़वाइद जिनका ज़िक्र अहादीस में वारिद हुआ है बयान करते हैं ताकि मुसलमान अपने प्यारे और बरगुज़ीदा रसूल के इर्शादात बगोशे दिल सुनें और उन पर अमल करें। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। *आमीन।*

हदीस: – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर पुर नूर ने इर्शाद फ़रमाया। मुसलमान को जो अज़ीयत पहुंचती है। मर्ज़ हो या उसके सिवा कुछ और अल्लाह तआला उसके गुनाहों को दूर फ़रमा देता है जैसे दरख़्त से पत्ते झड़ते हैं।

बुख़ार की इस्लामी तासीर

हदीस: – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैकि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम उम्मुल साइब (नामी ख़ातून) के पास तशरीफ़ ले गए। फ़रमाया तुम्हें क्या हुआ जो कांप रही हो अर्ज़ की बुख़ार है। ख़ुदा इसमें बरकत न करे। फ़रमाया बुख़ार को बुरा न कहो क्योंकि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को।

बीमारी में तन्दुरुस्ती के नेक आमाल बग़ैर किए लिखे जाते हैं

हदीस: – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। बन्दा जब इबादत के अच्छे तरीक़े पर हो।

फिर बीमार हो जाए तो जो फ़रिश्ता उस पर मुक़र्रर है उससे फ़रमाया जाता है उसके लिए वैसे ही आमाल लिख। जब मर्ज़ में मुब्तला न था। यहां तक कि मैं उसे मर्ज़ से रिहा करूं या अपनी तरफ़ बुला लूं यानी मौत दे दूं।

हदीस: - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पुर नूर सय्यदे यौमुन्नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जब क़ियामत के दिन मुसीबत ज़दा मुसलमानों को सवाब दिया जाएगा तो राहत व आराम वाले तमन्ना करेंगे। काश दुनिया में क़ैंचियों से हमारी खालें काटी जातीं। ताकि इन जैसा सवाब हमको भी मिलता।

अयादते मरीज़ का इस्लामी इम्तियाज़

हदीस: - अमीरुल मोमेनी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया जो मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और शाम को जाए तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उसके सिले में उसको जन्नत में एक बाग़ दिया जाएगा।

अयादत का इस्लामी तरीक़ा

हदीस: - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम एक अराबी की अयादत को तशरीफ़ ले गए और आदते करीमा यह थी कि जब किसी मरीज़ की अयादत को तशरीफ़ ले जाते तो यह कल्मात फ़रमाते थे। لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی- (तर्जुमा) कोई हर्ज की बात नहीं। इन्शा अल्लाह यह मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है। उस अराबी से यही फ़रमाया नीज़ फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम बेहतरीन अयादत यह है कि मरीज़ के पास से जल्द उठ आये। ज़्यादा देर तक न बैठे नीज़ इर्शाद फ़रमाया जब तुम मरीज़ के पास जाओ तो उससे अपने लिए दुआ करने की दरख़्वास्त करो। क्योंकि उसकी दुआ मलाइका की दुआ के मानिन्द है नीज़ फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला

अलैहि वआलेहि वसल्लम। जब मरीज़ के पास जाओ तो उमर के बारे में दिल खुशकुन बात करो। क्योंकि यह बात किसी चीज़ को रद न करेगी और उसके जी को अच्छा मालूम होगा।

हदीस:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैंकि सरवरे अम्बिया महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत को जाए तो सात बार यह दुआ पढ़े।

اَسْئَلُ اللّٰہَ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ اَنْ یَّشْفِیَکَ. अगर मौत नहीं आती है तो उसे शिफ़ा हो जाएगी। दुआ का तर्जुमा यह है। मैं अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूं जो अर्शे करीम का मालिक है इस बात का कि तुझे शिफ़ा अता फ़रमाए।

मौत का इस्लामी तरीक़ा

दुनिया गुज़श्तनी व गुज़ाश्तनी है। आख़िर एक दिन मौत आनी है जब यहां से कूच करना ही है तो वहां की तैयारी चाहिए। जहां हमेशा रहना है उस वक़्त को हर लम्हा पेशे नज़र रखना चाहिए। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फ़रमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफ़िर बल्कि जैसे राह चलता आदमी तो मुसाफ़िर जिस तरह एक अजनबी शख़्स होता है और राहगीर जैसे रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता। क्योंकि राह खोटी होगी और मनज़िले मक़सूद तक पहुंचने में नाकामी होगी। उसी तरह मुसलमान को चाहिए कि दुनिया में न फंसे और न ऐसे तअल्लुक़ात पैदा करे जो मक़सूदे असली के हासिल करने में आड़े आयें और मौत को कसरत से याद करे क्योंकि उसकी दुनियवी तअल्लुक़ात की बेख़ कुनी करती है और किसी मुसीबत पर मौत की आरज़ू न करे क्योंकि उसकी मुमानअत आई है और नाचार करनी ही है तो यूं कहें। इलाही मुझे ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे लिए ख़ैर हो और मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह तआला से नेक गुमान रखे उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे। हदीस में फ़रमाया कोई न मरे मगर इस हाल में कि अल्लाह तआला के साथ नेक गुमान रखता हो। क्योंकि इर्शादे

इलाही है। اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ (तर्जुमा) मेरा बन्दा मुझसे जैसा गुमान रखता है। मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूं। एक जवान के पास हुज़ूर तशरीफ़ ले गए और वह क़रीबुल मौत थे! फ़रमाया तुम अपने आपको किस हाल में पाते हो अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह से उम्मीद है और अपने गुनाहों का ख़ौफ़। फ़रमाया यह दोनों उम्मीद व ख़ौफ़ उस वक़्त जिस बन्दे के दिल में होंगे अल्लाह उसे वह देगा जिसकी उम्मीद रखता है और उस चीज़ से अमन में रखेगा जिससे ख़ौफ़ करता है। रूह क़ब्ज होने का द क़्त बहुत सख़्त वक़्त है क्योंकि उसी पर सारे अमल का मदार है बल्कि ईमान के तमाम उख़रवी नताइज उसी पर मुरत्तब होते हैं। क्योंकि एतेबार ख़ात्मे ही का है और शैताने लईन ईमान लेने की फ़िक्र में है। जिसको अल्लाह तआ़ला उसके मकर से बचाए और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए वही कामयाब होगा। नबीए मुकर्रम रसूले मुअ़ज़्ज़म सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं जिसका आख़री कलाम *ला इला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि* हो वह जन्नत में दाख़िल होगा।

मसला:– जब मौत का वक़्त क़रीब आए और अलामतें पाई जाएं तो सुन्नत यह हैकि दाहिनी करवट पर लेटा कर क़िब्ले की तरफ़ मुंह कर दें और जाँकनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई हो उसके पास बुलन्द आवाज़ से यह पढ़ें। اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ मगर इस के कहने का उसे हुक्म न करें। खुद पढ़े जायें और जब वह कल्मा पढ़ले तो मौक़ूफ़ कर दें। हाँ अगर कल्मा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर पढ़ें ताकि उसका आख़री कलाम *ला इला–ह इल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि* हो जाए।

मसला:– मौत के वक़्त हैज़ व निफ़ास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं। मगर जिसका हैज़ व निफ़ास मुन्क़तअ़ हो गया और अभी ग़ुस्ल नहीं किया उसे और जुनब को आना न चाहिए और कोशिश की जाए कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न रहे अगर यह चीज़ें हों तो फ़ौरन निकाल दी जायें। क्योंकि जहां यह होती हैं मलाइकए रहमत नहीं आते। नज़अ़ के वक़्त अपने और उसके लिए दुआए ख़ैर करते रहें। कोई बुरा कल्मा ज़बान से न निकालें क्योंकि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है

मलाइका उस पर आमीन कहते हैं। नज़अ में सख़्ती देखें तो सूरए यासीन शरीफ़ और सूरए रअद शरीफ़ पढ़ें और मरने वाले के पास खुशबू होना मुस्तहब है इस लिए लोबान या अगर बत्तियां सुलगा दें।

रूह निकलने के बाद इस्लामी तरीक़ा

यह हैकि एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर लेजा कर गिरह देदें ताकि मुंह खुला न रहे और आँखें बन्द कर दी जायें और उंगलियां और हाथ पाँव सीधे कर दिए जायें।

आँखें बन्द करने का इस्लामी तरीक़ा

आँखें बन्द करते वक़्त यह दुआ पढ़ी जाए।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

(तर्जुमा) अल्लाह के नाम के साथ और रसूलल्लाह की मिल्लत पर आँखें बन्द करता हूं। ऐ अल्लाह तू इस काम को इस पर आसान कर और इसके मा बअ़द को इस पर सहल कर और अपनी मुलाक़ात से तू इसे नेक बख़्त कर और जिसकी तरफ़ निकला (यानी आख़िरत) इसे उससे बेहतर कर जिससे निकला। (यानी दुनिया)।

मसला:– मय्यत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और उसको चारपाई या तख़्त वग़ैरह किसी ऊंची चीज़ पर रखें ताकि ज़मीन की सील न पहुंचे।

मसला:– मरते वक़्त मआज़ल्लाह उसकी ज़बान से कल्मए कुफ़्र निकला तो कुफ़्र का हुक्म न देंगे। क्योंकि मुम्किन है कि मौत की सख़्ती में अक्ल जाती रही हो और बेहोशी में यह कल्मा निकल गया और बहुत मुम्किन है कि उसकी बात पूरी समझ में न आई हो। क्योंकि ऐसी शिद्दत की हालत में आदमी पूरी बात साफ़ तौर पर अदा करे दुशवार होता है।

मसला:– मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ हो या और किसी क़िस्म का दैन तो उसको जल्द से जल्द अदा करदें क्योंकि हदीस में हैकि मय्यत की रूह मुक़ैयद रहती है जब तक दैन अदा न किया जाए।

मसला :- मय्यत के पास तिलावते क़ुरआन मजीद जाइज़ है जब कि उसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हो और तस्बीह व दीगर अज़कार में मुतलक़न हर्ज नहीं।

मसला :- ग़ुस्ल व कफ़न व दफ़न में जल्दी चाहिए क्योंकि हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई है।

मौत के एलान में कोई हर्ज नहीं

पड़ोसियों और उसके दोस्त अहबाब को बज़रीआ़ एलाने आम मुत्तला कर दिया जाए क्योंकि इससे नमाज़ियों की कसरत होगी और उसके लिए दुआ करेंगे इस लिए कि उन पर हक़ है कि उसकी नमाज़ पढ़ें और दुआ करें।

मसला :- औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बायें जानिब से पेट चाक कर के बच्चा निकाला जाए और अगर औरत ज़िन्दा है और उसके पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाए और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी ही तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जाइज़ नहीं।

मसला :- अगर आदमी ने क़स्दन किसी का माल निगल लिया और मर गया तो अगर इतना माल छोड़ा है कि तावान दे दिया जाए तो तरका से तावान अदा करें। वरना पेट चीर कर माल निकाला जाएगा और बिला क़स्द है तो चीरा न जाए।

मसला :- हामला औरत मर गई और दफ़न कर दी गई। किसी ने ख़्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ है तो महज़ उस ख़्वाब की बिना पर क़ब्र खोदना जाइज़ नहीं।

मय्यत के ग़ुस्ल का इस्लामी तरीक़ा

मय्यत को नहलाना फ़र्ज़े किफ़ाया है। बाज़ लोगों ने ग़ुस्ल दे दिया तो सबसे साक़ित हो गया। ग़ुस्ल का तरीक़ा यह हैकि जिस तख़्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पांच या सात बार धूनी दें। यानी जिस चीज़ में वह ख़ुशबू सुलगती हो उसे इतनी बार तख़्ते के गिर्द फिराएं। फिर उस पर मय्यत को लेटा कर नाफ़ से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दें।

फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिन्जा कराए फिर नमाज़ का सा वज़ू कराए यानी मुंह फिर केहुनियों समेत हाथ धोयें। फिर सर का मसह करें। फिर पाँव धोयें। मगर मय्यत के वज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। हाँ कोई कपड़ा या रूई की फुरीरी भिगो कर दाँतों और मसूड़ों और होंटों और नथनों पर फेर दें। फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो गुल खैरू से धोयें यह न हो तो पाक साबुन इस्लामी कारख़ाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वरना ख़ाली पानी भी काफ़ी है। फिर बायें करवट पर लेटा कर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहायें कि तख़्ते तक पहुँच जाये फिर दाहिनी करवट पर लिटा कर यूहीं करें और बेरी के पत्ते का जोश दिया हुआ पानी न हो तो ख़ालिस पानी नीम गरम काफ़ी है। फिर टेक लगाकर बैठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरें। अगर कुछ निकले धो डालें। वज़ू व ग़ुस्ल का इआदा न करें। फिर आख़िर में सर से पाँव तक काफ़ूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता पोंछ दें।

मसला:– एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मर्तबा सुन्नत। जहां ग़ुस्ल दें, मुस्तहब यह है कि पर्दा करलें ताकि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा न देखे। नहलाते वक़्त ख़्वाह उस तरह लेटायें जैसे क़ब्र में रखते हैं या क़िब्ले की तरफ़ पाँव कर के या जो आसान हो करें।

मय्यत को ग़ुस्ल कौन दे?

बेहतर यह है कि नहलाने वाला मय्यत का सबसे ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार हो। वह न हो या नहलाना न जानता हो तो कोई और शख़्स जो अमानतदार और परहेज़गार हो। नहलाने वाला बातहारत हो। जुनब या हैज़ वाली औरत ने ग़ुस्ल दिया तो कराहत है मगर ग़ुस्ल हो जाएगा और बे वज़ू नहलाए तो कराहत भी नहीं।

मसला:– नहलाने वाला मुअ़तमद शख़्स हो कि पूरी तरह ग़ुस्ल दे और जो अच्छी बात देखे मसलन चेहरा चमक उठा या मय्यत के बदन से खुशबू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखी। मसलन चेहरे का रंग सियाह हो गया या बदबू आई या सूरत या आज़ा में

तग़ैयुर आया तो उसे किसी से न कहे और ऐसी बात कहना जाइज़ भी नही क्योंकि हदीस में इर्शाद हुआ है कि अपने मुर्दो की ख़ूबियां ज़िक्र करो और उनकी बुराइयों से बाज़ रहो।

मसला: – अगर कोई बद मज़हब मरा और उसका रंग सियाह हो गया या और कोई बुरी बात ज़ाहिर हुई तो उसका बयान करना चाहिए। क्योंकि उससे लोगों को इबरत व नसीहत होगी।

क्या ग़ुस्ल देने पर उजरत लेना जाइज़ है

अगर वहां पर उसके सिवा और भी नहलाने वाले हों तो नहलाने पर उजरत ले सकता है मगर अफ़ज़ल यह हैकि न ले और अगर कोई दूसरा नहलाने वाला न हो तो उजरत लेना जाइज़ नहीं।

मसला: – मर्द को मर्द नहलाए और औरत को औरत। मय्यत छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी। छोटे से मुराद यह हैकि हद्दे शहवत को न पहुंचे हों।

क्या औरत शौहर को ग़ुस्ल दे सकती है

औरत अपने शौहर को ग़ुस्ल दे सकती है जब कि मौत से पहले या बाद कोई ऐसा अमर वाक़ेअ़ न हुआ हो। जिससे उसके निकाह से निकल जाए। मसलन शौहर के लड़के या बाप को शहवत से छुआ या बोसा लिया या मआ़ज़ल्लाह मुरतद हो गई अगरचे ग़ुस्ल से पहले ही फिर मुसलमान हो गई कि इन वजूह से निकाह जाता रहा और अजनबिया हो गई लिहाज़ा ग़ुस्ल नहीं दे सकती।

मसला: – औरत को तिलाक़ रजअ़ी दी हुनूज़ इद्दत में थी कि शौहर का इन्तिक़ाल हो गया तो ग़ुस्ल दे सकती है और बाइन तिलाक़ दी थी तो अगरचे इद्दत में हो ग़ुस्ल नहीं दे सकती।

क्या शौहर औरत को ग़ुस्ल दे सकता है

औरत मर जाए तो शौहर न उसे नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मुमानअ़त नहीं। अवाम में जो यह मशहूर है कि शौहर औरत के जनाज़े को न कन्धा दे सकता है, न क़ब्र में उतार सकता है, न मुंह देख सकता है यह महज़ ग़लत है सिर्फ़ नहलाने और उसके बदन को बिला

हाइल हाथ लगाने की मुमानअ़त है।

मय्यत को बजाए गुस्ल तयम्मुम कब कराया जाए

औरत का इन्तिकाल हुआ और वहां कोई औरत नहीं कि नहलावे तो तयम्मुम कराया जाए। फिर तयम्मुम कराने वाला महरम हो तो हाथ से तयम्मुम कराए और अजनबी हो अगरचे शौहर तो हाथ पर कपड़ा लपेट कर जिन्से ज़मीन पर हाथ मारे और तयम्मुम कराए और शौहर के सिवा कोई और अजनबी हो तो कलाइयों की तरफ़ नज़र न करे और शौहर को इसकी मुमानअ़त नहीं और इस मसले में जवान और बुढ़िया दोनों का एक हुक्म है।

मसला:- मर्द का इन्तिकाल हुआ और वहां न कोई मर्द है न उसकी बीबी तो जो औरत वहां है उसे तयम्मुम कराए फिर अगर वह औरत महरम है तो तयम्मुम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हाजत नहीं और अजनबी हो तो कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराए।

मसला:- ऐसी जगह इन्तिकाल हुआ कि पानी वहां नहीं मिलता तो तयम्मुम करायें और नमाज़ पढ़ें और नमाज़ के बाद अगर कब्ल दफ़्न पानी मिल जाए तो नहला कर नमाज़ का इआ़दा करें।

मसला:- खुन्सा मुश्किल का इन्तिकाल हुआ तो उसे न मर्द नहला सकता है न औरत बल्कि तयम्मुम कराया जाए और तयम्मुम कराने वाला अजनबी हो तो हाथ पर कपड़ा लपेट ले और कलाइयों पर नज़र न करे यूंही खुन्सा मुश्किल किसी मर्द या औरत को गुस्ल नहीं दे सकता। खुन्सा मुश्किल छोटा बच्चा हो तो उसे मर्द भी नहला सकते हैं और औरतें भी।

मसला:- मय्यत से ग़ुस्ल उतर जाने और उस पर नमाज सही होने में नीयत और फ़ेअ़ल शर्त नहीं यहां तक कि मुर्दा अगर पानी में गिर गया या उस पर मेंह बरसा कि सारे बदन पर पानी बह गया तो ग़ुस्ल हो गया। मगर ज़िन्दों पर जो ग़ुस्ले मय्यत वाजिब है तो यह उस वक़्त बरीउज़्ज़िम्मा होंगे कि नहलायें। लिहाज़ा अगर मुर्दा पानी में मिला तो बनीयते ग़ुस्ल उसे तीन बार पानी में हरकत देदें ताकि ग़ुस्ले मसनून अदा हो जाए और एक बार हरकत दी तो वाजिब अदा होगया मगर सुन्नत का मुतालबा रहा और बिला नीयत नहलाने से बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे। मगर

सवाब न मिलेगा। मसलन किसी को सिखाने की नीयत से मय्यत को गुस्ल दिया तो वाजिब साकित हो गया मगर ग़ुस्ले मय्यत का सवाब न मिलेगा। नीज ग़ुस्ल हो जाने के लिए यह भी ज़रूरी नहीं कि नहलाने वाला मुकल्लफ या अहले नीयत हो लिहाज़ा नाबालिग़ या काफ़िर ने नहला दिया तो ग़ुस्ल अदा हो गया। यूहीं अगर औरत अजनबिया ने मर्द को या मर्द ने औरत को ग़ुस्ल दिया तो ग़ुस्ल अदा हो गया अगरचे उनको नहलाना जाइज़ न था।

अगर मय्यत का पूरा जिस्म न मिले तो क्या करें

किसी मुसलमान का आधे से ज़्यादा धड़ मिला तो ग़ुस्ल व कफ़न देंगे और जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ के बाद वह बाक़ी टुकड़ा भी मिला तो उस पर दोबारा नमाज़ न पढ़ेंगे और आधा धड़ मिला तो अगर उसमें सर भी है जब भी यही हुक्म है और अगर सर न हो या तूल में सर से पाँव तक दाहिना या बायां एक जानिब का हिस्सा मिला तो उन दोनों सूरतों में न ग़ुस्ल है न कफ़न न नमाज़ बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफ़न करदें।

अगर मालूम नहीं कि मय्यत मुस्लिम है या काफ़िर

तो अगर उसकी वज़अ क़तअ मुसलमानों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है या मुसलमानों के मुहल्ले में मिला तो ग़ुस्ल दें और नमाज़ पढ़ें वरना नहीं।

मसला:– मुसलमान मुर्दे काफ़िर मुर्दों में मिल गए तो अगर ख़तना वग़ैरह किसी अलामत से शनाख़्त कर सकें तो मुसलमानों को जुदा कर के ग़ुस्ल व कफ़न दें और नमाज़ पढ़ें और अगर इम्तियाज़ न होता हो तो ग़ुस्ल दें और नमाज़ में ख़ास मुसलमानों के लिए दुआ की नीयत करें और उनमें अगर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो तो मुसलमानों के मक़बरे में दफ़न करें वरना अलाहिदा।

काफ़िर मुर्दे का इस्लामी हुक्म

काफ़िर मुर्दे के लिए ग़ुस्ल व कफ़न व दफ़न नहीं बल्कि एक कपड़े में लपेट कर किसी गढ़े में दाब दें। यह भी उस वक़्त करें जब कि उसका कोई हम मज़हब न हो या उसे ले न जाए वरना मुसलमान हाथ न लगाए। न उसके जनाज़े में शिरकत करे और अगर बवजहे क़राबत क़रीबा शरीक

हो तो दूर–दूर रहे और अगर मुसलमान ही उसका रिश्तेदार है और उसका हम मज़हब कोई न हो या ले नहीं और बलिहाज़े क़राबत ग़ुस्ल व कफ़न व दफ़न करले तो जाइज़ है। मगर किसी अमर में सुन्नत का तरीक़ा न बरते बल्कि नजासत धोने की तरह उस पर पानी बहाए और चीथड़े में लपेट कर तंग गढ़े में दबा दे यह हुक्म काफ़िर असली का है और मुरतद जैसे क़ादियानी या वहाबी का हुक्म यह है कि मुतलक़न न उसे ग़ुस्ल दें न कफ़न बल्कि कुत्ते की तरह किसी तंग गढ़े में ढकेल कर मिट्टी से बग़ैर हाइल के पाट दें।

मसला:– मय्यत के दोनों हाथ करवटों में रखें सीने पर न रखें कि यह कुफ़्फ़ार का तरीक़ा है। बाज़ जगह नाफ़ के नीचे इस तरह रखते हैं जैसे नमाज़ के क़ियाम में यह भी न करें।

ग़ुस्ल के बर्तन वग़ैरह के मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी हिदायत

बाज़ जगह दस्तूर हैकि उमूमन मय्यत के ग़ुस्ल के लिए कोरे घड़े, बधने लाते हैं इसकी कुछ ज़रूरत नहीं घर के इस्तेमाली घड़े, लोटे से भी ग़ुस्ल दे सकते हैं और बाज़ यह जिहालत करते हैं कि ग़ुस्ल के बाद तोड़ डालते हैं यह नाजाइज़ व हराम है क्योंकि माल ज़ाअ़े करना है और अगर यह ख़्याल हो कि नजिस होगए तो यह भी फ़ुज़ूल बात है। क्योंकि अव्वलन तो उस पर छींटें नहीं पड़तीं और पड़ीं भी तो मय्यत का ग़ुस्ल नजासते हुकमिया दूर करने के लिए है पस मुस्तअ़मल पानी की छींटें पड़ीं और मुस्तअ़मल पानी नजिस नहीं। जिस तरह ज़िन्दों के वज़ू व ग़ुस्ल का पानी नजिस नहीं होता और अगर फ़र्ज़ किया जाए कि नजिस पानी की छींटें पड़ी तो धो डाले धोने से पाक हो जायेंगे और अक्सर जगह वह घड़े, बधने मस्जिदों में रख देते हैं अगर नीयत यह हो कि नमाज़ियों को आराम पहुंचेगा और उसका मुर्दे को सवाब तो यह अच्छी नीयत है और रखना बेहतर और अगर यह ख़्याल हो कि घर में रखना नहूसत है तो निरी हिमाक़त है और बाज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं यह भी हराम है।

कफ़न का इस्लामी तरीक़ा

मय्यत को कफ़न देना फ़र्ज़े किफ़ाया है और कफ़न के तीन दर्जे हैं (1) कफ़ने ज़रूरत (2) कफ़ने किफ़ाया (3) कफ़ने सुन्नत। मर्द के लिए

कफ़ने सुन्नत तीन कपड़े हैं– (1) चादर (2) तहबन्द (3) कफ़नी। औरत के लिए पांच, तीन यह और (4) ओढ़नी (5) सीना बन्द। कफ़ने किफ़ायत मर्द के लिए दो कपड़े हैं। (1) चादर (2) तहबन्द और औरत के लिए तीन (1) चादर (2) तहबन्द (3) ओढ़नी या (1) चादर (2) कफ़नी (3) ओढ़नी। कफ़ने ज़रूरत दोनों के लिए यह कि जो मयस्सर आए और।

कफ़न की इस्लमी मिक़दार

चादर की मिक़दार यह हैकि मय्यत के क़द से इस क़दर ज़्यादा हो कि दोनों तरफ़ बांध सकें और तहबन्द सर से क़दम तक यानी चादर से इतना छोटा जो बन्दिश के लिए ज़्यादा था और कफ़नी गर्दन से घुटनों के नीचे तक और यह आगे और पीछे दोनों तरफ़ बराबर हो और जाहिलों में जो रिवाज हैकि पीछे कम रखते हैं यह ग़लती है। चाक और आस्तीन उसमें न हों। मर्द और औरत की कफ़नी में फ़र्क़ है। मर्द की कफ़नी मूंढे पर चीरें और औरत के लिए सीने की तरफ़। ओढ़नी तीन हाथ की होनी चाहिए। यानी डेढ़ गज़ सीना बन्द पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर यह हैकि रान तक हो।

कफ़न के लिए सवाल करना कब जाइज़ है

बाज़ मुहताज कफ़ने ज़रूरत पर क़ादिर होते हैं मगर कफ़ने सुन्नत मयस्सर नहीं, वह कफ़ने सुन्नत के लिए लोगों से सवाल करते हैं यह नाजाइज़ है। क्योंकि सवाल बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं और यहां ज़रूरत है नहीं अलबत्ता अगर कफ़ने ज़रूरत पर भी क़ादिर न हो तो बक़दर कफ़ने ज़रूरत सवाल करें ज़्यादा नहीं। हां अगर बग़ैर मांगे मुसलमान खुद कफ़ने सुन्नत पूरा करदें तो इंशा आल्लाह तआला पूरा सवाब पायेंगे।

कफ़न किस क़ीमत का होना चाहिए

कफ़न अच्छा होना चाहिए यानी मर्द ईदैन व जुमा के लिए जैसे कपड़े पहनता था और औरत जैसे कपड़े पहन कर मैके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिए। हदीस में है मुर्दों को अच्छा कफ़न दो क्योंकि वह बाहम मुलाक़ात करते और अच्छे कफ़न से खुश होते हैं सपेद कफ़न बेहतर है। क्योंकि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने

फ़रमाया अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़े में कफ़नाओ।

मसला :- कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ या रेशम का कफ़न, मर्द को ममनूअ है और औरत के लिए जाइज़ यानी जो कपड़े ज़िन्दगी में पहन सकता है उसका कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में नाजाइज उसका कफ़न भी नाजाइज़।

कफ़ने नाबालिग़ का इस्लामी तरीक़ा

जो नाबालिग़ हदे शहवत को पहुंच गया वह बालिग़ के हुक्म में है। यानी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिए जाते हैं उसे भी दिए जाएं और हदे शहवत पर पहुंचने की उमर का अन्दाज़ा लड़कों में बारह साल और लड़कियों में नौ बरस है और इससे छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े दिए जायें तो अच्छा है और बेहतर यह हैकि दोनों को पूरा कफ़न दें अगरचे एक दिन का बच्चा हो।

कफ़न से बचे हुए कपड़े का इस्लामी हुक्म

कफ़न का कपड़ा सवाल कर के लाए। उसमें से कुछ बच रहा तो अगर मालूम हैकि यह कपड़ा फ़लां ने दिया था तो उसे वापस कर दें। वरना दूसरे मुहताज के कफ़न में सर्फ़ कर दें यह भी न हो तो सदक़ा कर दें और अगर चन्दे से कफ़न ख़रीदा गया तो बचे हुए कपड़े को चन्दा देहिन्दगान की इजाज़त के मुताबिक़ सर्फ़ करें और अगर यह मुम्किन न हो तो सदक़ा कर दें।

कफ़न पहनाने का इस्लामी तरीक़ा

यह हैकि मय्यत को ग़ुस्ल देने के बाद बदन किसी पाक कपड़े से आहिस्ता पोंछ लें ताकि कफ़न तर न हो और कफ़न को एक या तीन या पांच या सात बार धूनी दे लें। इससे ज़्यादा नहीं फिर कफ़न यूं बिछायें कि पहले चादर फिर तहबन्द फिर कफ़नी फिर मय्यत को उस पर लेटायें और कफ़नी पहनायें। दाढ़ी और तमाम बदन पर खुशबू मलें और माथे, नाक, हाथ, घुटने क़दम पर काफ़ूर लगायें फिर तहबन्द लपेटें। पहले बायें जानिब से फिर दाहिनी तरफ से फिर चादर लपेटें। पहले बायें तरफ़ से फिर दाहिनी तरफ़

से ताकि दाहिना हिस्सा ऊपर रहे और सर और पाँव की तरफ़ बांध दें। ताकि उड़ने का अन्देशा न रहे औरत को कफ़नी पहना कर उसके बाल के दो हिस्से कर के कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी निस्फ़ पुश्त के नीचे बिछा कर सर पर लाकर मुंह पर मिस्ले निक़ाब डाल दें ताकि सीने पर रहे क्योंकि इस का तूल निस्फ़ पुश्त से सीने तक है और अर्ज़ एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है और यह जो लोग कहा करते हैं कि ज़िन्दगी की तरह उढ़ाते हैं। यह महज़ बेजा व ख़िलाफ़े सुन्नत है फिर बदस्तूरे साबिक़ तहबन्द व चादर लपेटें। फिर सबके ऊपर सीना बन्द बालाए पिस्तान से रान तक लाकर बांध दें।

मसला:- मर्द के बदन पर ऐसी ख़ुशबू लगाना जाइज़ नहीं। जिसमें ज़ाफ़रान की आमेज़िश हो औरत के लिए जाइज़ है।

मसला:- अगर मुर्दे को जानवर खा गया और कफ़न पड़ा मिला पस अगर मय्यत के माल से दिया गया था तो तरका में शुमार होगा और अगर किसी और ने दिया था अजनबी या रिश्तेदार ने तो देने वाला मालिक है जो चाहे करे।

चादर और जानमाज़ का इस्लामी हुक्म

हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ़ने सुन्नत के इलावा ऊपर से एक चादर उढ़ाते हैं वह तकियादार या किसी मिस्कीन को दी जाती है और एक जानमाज़ होती है जिस पर इमाम जनाज़े की नमाज़ पढ़ाता है वह सदक़ा कर देते हैं ख़्वाह इमाम ही को या किसी और को अगर यह चादर व जानमाज़ मय्यत के माल से न हों बल्कि किसी ने अपनी तरफ़ से दी है और आदतन वही देता है जिसने कफ़न दिया बल्कि कफ़न के लिए जो कपड़ा लाया जाता है, वह इसी अन्दाज़ से लाया जाता है जिसमें यह दोनों भी हो जाएं जब तो ज़ाहिर है कि उसकी इजाज़त है और उसमें कोई हर्ज नहीं और अगर मय्यत के माल से है तो दो सूरतें हैं। एक यह कि वरसा के सब बालिग़ हों और सब की इजाज़त से हो तो जब भी जाइज़ है और अगर इजाज़त न दी तो जिसने मय्यत के माल से मंगाया और तसद्दुक़ किया उसके ज़िम्मे यह दोनों चीज़ें हैं। यानी उसमें जो क़ीमत सर्फ़ हुई तरका में शुमार की जाएगी और वह क़ीमत ख़र्च करने वाला अपने पास से देगा।

दूसरी सूरत यह हैकि वरसा में कुल या बाज़ नाबालिग़ हैं तो अब वह दोनों चीज़ें तरके से हरगिज़ नहीं दी जा सकतीं। अगरचे उस नाबालिग़ ने इजाज़त भी देदी हो क्योंकि नाबालिग़ के माल को सर्फ़ कर लेना हराम है। लोटे, घड़े मौजूद होते हुए ख़ास मय्यत के नहलाने के लिए ख़रीदे तो इसमें भी यही तफ़सील है।

तीजा दसवां चालीसवां

शशमाही, बरसी के मसारिफ़ में भी यही तफ़सील है कि अपने माल से जो चाहे ख़र्च करे और मय्यत को सवाब पहुंचाए और मय्यत के माल से यह मसारिफ़ उसी वक़्त किए जायें जब कि सबके सब वारिस बालिग़ हों और सबकी इजाज़त भी हो वरना नहीं मगर जो बालिग़ हो वह अपने हिस्से से कर सकता है। एक सूरत और भी है कि मय्यत ने वसीयत की हो तो दैन अदा करने के बाद जो बचे उसकी तिहाई में वसीयत जारी होगी अक्सर लोग इसे से ग़ाफ़िल हैं या नावाक़िफ़ क्योंकि इस क़िस्म के तमाम मसारिफ़ कर लेने के बाद अब जो बाक़ी रहता है उसे तरका समझते हैं। उन मसारिफ़ में न वारिस से इजाज़त लेते हैं और न नाबालिग़ वारिस होना मुज़िर जानते हैं यह सख़्त ग़लती है इससे कोई यह न समझे कि तीजे, दसवीं, चालीसवीं को मना किया जाता है क्योंकि यह तो ईसाले सवाब है इसे कौन मना करेगा। हां मना वह करे जो वहाबी हो बल्कि नाजाइज़ तौर पर जो उनमें सर्फ़ करते हैं उससे मना किया जाता है कोई अपने माल से करे या वरसा बालिग़ ही हों उनसे इजाज़त लेकर करे तो असलन मुमानअ़त नहीं बल्कि ईसाले सवाब होने की हैसियत से तीजा, दसवां, चालीसवां वग़ैरह सुन्नत हैं।

जनाज़ा ले चलने का इस्लामी तरीक़ा

जनाज़े को कंधा देना इबादत है हर शख़्स को चाहिए कि इबादत में कोताही न करे सुन्नत यह हैकि चार शख़्स जनाज़ा उठायें हर शख़्स यके बाद दीगरे चारों पायों को इस तरह कंधा दे कि पहले दाहिने सिरहाने कंधा दे फिर दाहिनी पाइनती फिर बायें सिरहाने फिर बायें पाइनती और हर मर्तबा दस-दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम होंगे। हदीस में है जो चालीस क़दम जनाज़ा लेकर चले उसके चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिऐ जायेंगे नीज़ हदीस में है जो जनाज़े के चारों पायों को कंधा दे अल्लाह

तआला उसकी हतमी मग़फ़िरत फरमाएगा।

मसला: - छोटा बच्चा शीरख़्वार या अभी दूध छोड़ा हो या उससे कुछ बड़ा उसको अगर एक शख़्स हाथ पर उठाकर चले तो हर्ज नहीं और यके बाद दीगरे लोग हाथों हाथ लेते रहें और अगर कोई शख़्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाज़े को हाथ पर लिए हो जब भी हर्ज नहीं और उससे बड़ा मुर्दा हो तो चारपाई पर ले जाएं।

जनाज़ा ले चलने की इस्लामी रफ़्तार

जनाज़ा मुअ़तदिल तेज़ी से ले जाएं न बहुत आहिस्ता न बहुत तेज़ और यह ख़्याल रहे कि ले चलने में मय्यत को झटका न लगे और साथ जाने वालों के लिए अफ़ज़ल यह हैकि जनाज़े से पीछे चलें दाहिने बायें न चलें और अगर कोई आगे चले तो उसे चाहिए कि इतनी दूर रहे कि साथियों में न शुमार किया जाए और सबके सब आगे हों तो मकरूह है।

मसला: - औरतों को जनाज़ा के साथ जाना नाजाइज़ है।

मसला: - जनाज़ा ले चलने में सिरहाना आगे होना चाहिए और जनाज़े के साथ आग ले जाने की मुमानअ़त है।

जनाज़े के साथ चलने वालों के लिए इस्लामी तरीक़ा

जनाज़े के साथ चलने वालों को सुकूत की हालत में होना चाहिए। मौत और क़ब्र के हालात व अहवाल पेशे नज़र रखें दुनिया की बातें न करें न हंसे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने एक शख़्स को जनाज़े के साथ हंसते देखा। फ़रमाया तू जनाज़े में हंसता है तुझसे कभी कलाम न करूंगा और ज़िक्र करना चाहें तो दिल में करें और ज़िक्र बिलजहर की भी इजाज़त है।

मसला: - जनाज़ा जब तक रखा न जाए। साथियों को बैठना मकरूह है और रखने के बाद बेज़रूरत खड़ा न रहे और अगर लोग बैठे हों और नमाज़ के लिए वहां जनाज़ा लाया गया तो जब तक रखा न जाए खड़े न हों यूंही अगर किसी जगह बैठे हों और वहां से जनाज़ा गुज़रा तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं। हां जो शख़्स साथ जाना चाहता है वह उठे और जाए। जब जनाज़ा रखा जाए तो यूं न रखें कि क़िब्ले को पाँव हो या सर बल्कि आढा रखें कि दाहिनी करवट क़िब्ले को हो।

जनाजा उठाने पर उजरत लेना-देना कैसा है

जाइज़ है जब कि और उठाने वाले भी मौजूद हों मगर जो सवाब जनाज़ा ले चलने पर हदीस में बयान हुआ उसे न मिलेगा क्योंकि उसने तो बदला ले लिया।

मसला:- जो शख़्स जनाज़े के साथ हो उसे बग़ैर नमाज पढ़े वापस न होना चाहिए और नमाज़ के बाद औलियाए मय्यत से इजाज़त लेकर वापस हो सकता है और दफ़न के बाद औलिया की इजाज़त की ज़रूरत नहीं।

जनाज़े के साथ जाना नफ़्ल नमाज से अफज़ल है

मय्यत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई नेक शख़्स हो तो उसके जनाज़े के साथ जाना नफ़्ल नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।

नमाज़े जनाज़ा के इस्लामी अहकाम

नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े किफ़ाया है कि एक ने भी पढ़ली तो सब बरीउज़्ज़िम्मा हो गए। वरना जिस-जिसको ख़बर पहुंची थी और न पढ़ी गुनहगार हुआ इसके लिए जमाअत शर्त नहीं। एक शख़्स भी पढ़ले फ़र्ज़ अदा हो जाएगा।

नमाज़े जनाज़ा के शराइत

नमाज़े जनाज़ा वाजिब होने के लिए वही शराइत हैं जो और नमाज़ों के लिए हैं। यानी क़ादिर, बालिग़, आक़िल, मुसलमान होना एक बात इसमें ज़्यादा है यानी उसकी मौत की ख़बर होना।

नमाज़े जनाज़ा में मुसल्ली के मुतअल्लिक़ शराइत

तो वही हैं जो मुतलक़ नमाज़ के लिए हैं यानी मुसल्ली का नजासते हुकमिया व हक़ीक़िया से पाक होना। नीज़ उसके कपड़े और जगह का पाक होना। सतरे औरत, क़िब्ला को मुंह होना। नीयत, इसमें वक़्त शर्त नहीं और तकबीरे तहरीमा रुक्न है शर्त नहीं।

नमाज़े जनाज़ा जूते पर खड़े होकर पढ़ना जाइज़ है या नहीं

बाज़ लोग जूता पहने और बहुत लोग जूते पर खड़े होकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं अगर जूता पहने पढ़ी तो जूता और उसके नीचे की ज़मीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है। बक़दर मानेअ़ नजासत होगी तो उसकी नमाज़ न होगी और अगर जूते पर खड़े होकर पढ़ी तो जूते पाक होना ज़रूरी है वरना नमाज़ न होगी।

मसला:- जनाज़ा तैयार है जानता है कि वज़ू या ग़ुस्ल करेगा तो नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। पस उसके लिए हुक्म है कि तयम्मुम कर के पढ़ले।

मसला:- नमाज़े जनाज़ा में इमाम का बालिग़ होना शर्त है ख़्वाह इमाम मर्द हो या औरत, नाबालिग़ ने नमाज़ पढ़ाई तो न होगी।

नमाज़े जनाज़ा में मय्यत से मुतअ़ल्लिक़ शराइत

सात हैं (1) मय्यत का मुसलमान होना।

मसला:- मय्यत से मुराद वह है जो ज़िन्दा पैदा हुआ फिर मर गया तो अगर मुर्दा पैदा हुआ बल्कि अगर निस्फ़ से कम बाहर निकला उस वक़्त ज़िन्दा था और अक्सर बाहर निकलने से पेशतर मर गया तो उसकी भी नमाज़ न पढ़ी जाए।

मसला:- छोटे बच्चे के मां–बाप दोनों मुसलमान हों या एक ही मुसलमान है उसकी पढ़ी जाए और दोनों काफ़िर हैं तो नहीं।

सात अशख़ास की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए

हर मुसलमान की नमाज़ पढ़ी जाए अगरचे कैसा ही गुनहगार हो मगर चन्द क़िस्म के लोग हैंकि उनकी नमाज़ नहीं। (I) बाग़ी जो इमामे बरहक़ पर नाहक़ ख़ुरूज करे और उसी बग़ावत में मारा जाए। (II) डाकू कि डाके में मारा गया। इन दोनों को न ग़ुस्ल दिया जाए न इनकी नमाज़ पढ़ी जाए मगर जब कि बादशाहे इस्लाम ने उन पर क़ाबू पाया और क़त्ल किया तो नमाज़ व ग़ुस्ल है। या वह न पकड़े गए न मारे गए बल्कि वैसे ही मरे तो भी ग़ुस्ल व नमाज़ है। (III) जो लोग नाहक़ पासदारी से लड़ें बल्कि जो उनका तमाशा देख रहे थे और पत्थर आकर लगा और मर गए तो उनकी नमाज़ नहीं हां उनके मुतफ़र्रिक़ होने के बाद मरे तो नमाज़ है। (IV) जिसने

कई शख़्स को गला घोंट कर मार डाले (V) जो लोग शहर में रात को हथियार लेकर लूट मार करें वह भी डाकू हैं। उस हालत में मारे जाएं तो उनकी भी नमाज़ न पढ़ी जाए। (VI) जिसने अपनी माँ या बाप को मार डाला उसकी भी नमाज़ नहीं। (VII) जो किसी का माल छीन रहा था और उस हालत में मारा गया तो उसकी भी नमाज़ नहीं। (2) मय्यत के बदन व कफ़न का पाक होना।

मसला: – बदन पाक होने से यह मुराद हैकि उसे ग़ुस्ल दिया गया हो या ग़ुस्ल नामुम्किन होने की सूरत में तयम्मुम कराया गया हो और कफ़न पहनाने से पेशतर उसके बदन से नजासत निकली तो धो डाली जाए और बाद में ख़ारिज हुई तो धोने की हाजत नहीं और कफ़न पाक होने का यह मतलब है कि पाक कफ़न पहनाया जाए और बाद में अगर नजासत ख़ारिज हुई और कफ़न आलूदा हुआ तो हर्ज नहीं। (3) जनाज़े का वहां मौजूद होना यानी कुल या अक्सर या निस्फ़ मअ़ सर के मौजूद होना लिहाज़ा ग़ाइब की नमाज़ नहीं हो सकती। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने बाज़ अशख़ास की ग़ाइबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी मगर यह आपके ख़ुसूसियात से है हमारे लिए जाइज़ नहीं। (4) जनाज़ा ज़मीन पर रखा हो या हाथ पर हो मगर क़रीब हो। अगर जानवर वग़ैरह पर लदा हो तो नमाज़ न होगी। (5) जनाज़ा मुसल्ली के आगे क़िब्ले को होना अगर मुसल्ली के पीछे होगा तो नमाज़ सही न होगी और अगर जनाज़ा उल्टा रखा यानी इमाम के दाहिने मय्यत का क़दम हो नमाज़ हो जाएगी। मगर क़स्दन ऐसा किया तो गुनहगार हुए। (6) मय्यत के उस हिस्सए बदन का छुपा होना जिसका छुपाना फ़र्ज़ है। (7) मय्यत इमाम के मुहाज़ी हो यानी अगर मय्यत एक है तो उसका कोई हिस्सए बदन इमाम के मुहाज़ी हो और चन्द हों तो किसी एक का हिस्सए बदन इमाम के मुहाज़ी होना काफ़ी है।

नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का इस्लामी तरीक़ा

नमाज़े जनाज़ा में दो फ़र्ज़ हैं (1) चार बार *अल्लाहु अकबर* कहना। (2) क़ियाम बग़ैर उज़्र बैठकर या सवारी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, न हुई और अगर वली या इमाम बीमार था उसने बैठकर पढ़ाई और मुक़तदियों ने खड़े होकर पढ़ी तो हो गई।

मसला: – नमाज़े जनाज़ा में तीन चीज़े सुन्नते मुअक्किदा है। (1) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सना। (2) नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम पर दुरूद (3) मय्यत के लिए दुआ।

नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा यह है: – कि कान तक हाथ उठाकर *अल्लाहु अकबर* कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ़ के नीचे हस्बे दस्तूर बांध ले और सना पढ़े यानी سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ फिर बग़ैर हाथ उठाए *अल्लाहु अकबर* कहे और दुरूद शरीफ़ पढ़े बेहतर दुरूद वह है जो नमाज़ में पढ़ा जाता है। फिर *अल्लाहु अकबर* कह कर अपने और मय्यत और तमाम मोमेनीन व मोमेनात के लिए दुआ करे। दुआ यह है।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ

(अगर मय्यत औरत हो तो *अ–ज–रहा* पढ़े) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (अगर औरत हो तो *बअ़दहा* पढ़े) (तर्जुमा) ऐ अल्लाह तू बख़्श दे हमारे ज़िन्दा और मुर्दा और हमारे हाज़िर व ग़ाइब को और हमारे छोटे और बड़े को और हमारे मर्द और औरत को ऐ अल्लाह हम में से तू जिसे ज़िन्दा रखे तो उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हम में से तू जिसको वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे ऐ अल्लाह तआला तू हमें उसके अज्र से महरूम न रख और उसके बाद हमें फ़ितने में न डालना।

अगर मय्यत मजनून या नाबालिग़ लड़का हो

तो तीसरी तकबीर के बाद दुआए मज़कूर के बजाए यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

और अगर लड़की हो तो दोनों जगह اِجْعَلْهَا और شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً कहे मजनून से मुराद वह है जो बालिग़ होने से पहले मजनून हुआ और अगर जुनून आरज़ी है तो उसके लिए वही दुआ है जो औरों के लिए की जाती है। उस दुआ का तर्जुमा यह है। ऐ अल्लाह तू उसको हमारे लिए पेश रौ कर और उसको हमारे लिए ज़ख़ीरा कर और उसको हमारी शफ़ाअ़त करने वाला बना और उसकी शफ़ाअ़त हमारे हक़ में क़ुबूल फ़रमा। दुआ पढ़ने के

बाद चौथी तकबीर कहे और हाथ खोल कर सलाम फेर दे। सलाम में मय्यत और फ़रिश्तों और हाज़रीने नमाज़ की नीयत करे उसी तरह जैसे और नमाज़ों के सलाम में नीयत की जाती है। यहां यह बात ज़ाइद है कि मय्यत की भी नीयत करे।

मसला:- तकबीर व सलाम को इमाम के साथ कहे बाक़ी *सुबहा-न-क अल्लाहुम्म* और दुरूद शरीफ़ और दुआ आहिस्ता पढ़ी जाए और सिर्फ़ पहली मर्तबा *अल्लाहु अकबर* कहते वक़्त हाथ उठाए फिर हाथ उठाना नहीं।

नमाज़े जनाज़ा में सफ़ों का इस्लामी तरीक़ा

बेहतर यह है कि नमाज़े जनाज़ा में तीन सफ़ें करें क्योंकि हदीस में है जिसकी नमाज़ तीन सफ़ों ने पढ़ी उसकी मग़फ़िरत होजाएगी और अगर कुल सात ही शख़्स हों तो एक इमाम हो और तीन पहली सफ़ में और दो दूसरी में और एक तीसरी सफ़ में।

नमाज़े जनाज़ा में इमामत का हक़ किसको पहुंचता है

शरअ़न इमामत का हक़ बादशाहे इस्लाम को है फिर क़ाज़ीए शरअ़ फिर इमामे जुमा फिर इमामे मुहल्ला फिर वली को इमामे मुहल्ला का वली पर तक़द्दुम मुस्तहब है और यह भी उस वक़्त जब कि इमामे मुहल्ला वली से अफ़ज़ल हो वरना वली बेहतर है।

मसला:- वली से मुराद मय्यत के अ़सबा हैं और नमाज़ पढ़ाने में औलिया की वही तरतीब, जो निकाह में है सिर्फ़ फ़र्क़ इतना हैकि नमाज़े जनाज़ा में मय्यत के बाप को बेटे पर तक़द्दुम है और निकाह में बेटे को बाप पर। अलबत्ता अगर बाप आलिम नहीं और बेटा आलिम है तो नमाज़े जनाज़ा में भी बेटा मुक़द्दम है और अगर अ़सबा न हों तो ज़विल-अरहाम ग़ैरों पर मुक़द्दम हैं।

मसला:- मय्यत का वलीए अक़रब (सबसे ज़्यादा नज़दीक का रिशतेदार) ग़ाइब है और वलीए अब्अ़द (दूर का रिशतेदार) हाज़िर है तो यही अब्अ़द नमाज़ पढ़ाए ग़ाइब होने से मुराद यह है कि इतनी दूर है कि उसके आने के इन्तेज़ार में हर्ज हो।

मसला:– औरत का कोई वली न हो न ज़विल–अरहाम हो तो शौहर नमाज़ पढाए वह भी न हो तो पड़ोसी। यूंही मर्द का वली न हो न ज़विल–अरहाम तो पड़ोसी औरों पर मुक़द्दम है।

मसला:– औरतों और बच्चों को नमाज़े जनाज़ा की वलायत नहीं और वली और बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि किसी और को नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की इजाज़त दे दें।

नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की वसीयत बातिल है

मय्यत ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज़ फ़लां पढ़ाए या मुझे फ़लां शख़्स ग़ुस्ल दे तो यह वसीयत बातिल है और इसके बातिल होने का मतलब यह हैकि इस वसीयत से वली का हक़ जाता न रहेगा। हां वली को इख़्तियार है कि खुद न पढ़ाए और उससे पढ़वा दे जिसके हक़ में वसीयत की है।

मसला:– जिन चीज़ों से तमाम नमाज़ें फ़ासिद होती हैं। नमाज़े जनाज़ा भी उनसे फ़ासिद हो जाती है। सिवा एक बात के कि औरत मर्द के मुहाज़ी होजाए नमाज़े जनाज़ा फ़ासिद न होगी।

नमाज़े जनाज़ा में इमाम के खड़े होने का इस्लामी तरीक़ा

मुस्तहब यह है कि मय्यत के सीने के सामने इमाम खड़ा हो और मय्यत से दूर न हो मय्यत ख़्वाह मर्द हो या औरत बालिग़ हो या नाबालिग़ यह हुक्म उस वक़्त है जब कि एक ही मय्यत की नमाज़ पढ़ानी हो और अगर मय्यत चन्द हों तो एक के सीने के मुक़ाबिल और क़रीब खड़ा हो।

मसला:– इमाम ने पांच तकबीरें कहीं तो पांचवीं तकबीर में मुक़तदी इमाम की मुताबअ़त न करे बल्कि चुप खड़ा रहे। जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ सलाम फेर दे।

मसला:– उस वक़्त आया कि बाज़ तकबीरें हो चुकी हैं तो फ़ौरन शामिल न हो, उस वक्त हो जब इमाम तकबीर कहे और अगर इन्तेज़ार न किया बल्कि फ़ौरन शामिल हो गया तो इमाम के तकबीर कहने से पहले जो कुछ अदा किया उसका एतेबार नहीं और अगर वहीं मौजूद था मगर तकबीरे तहरीमा के वक़्त इमाम के साथ *अल्लाहु अकबर* न कहा ख़्वाह ग़फ़लत की वजह से देर हुई या हुनूज़ नीयत ही करता रह गया तो यह शख़्स उसका इंतेज़ार न करे कि इमाम दूसरी तकबीर कहे तो उसके साथ

शामिल हो बल्कि फौरन ही शामिल हो जाए।

नमाज़े जनाज़ा में मस्बूक़ और लाहिक़ के अहकाम

मस्बूक़ यानी जिसकी बाज़ तकबीरें फौत हो गयीं वह अपनी बाकी तकबीरें इमाम के सलाम फेरने के बाद कहे और अगर यह अंदेशा हो कि दुआयें पढ़ेगा तो पूरी करने से पहले लोग मय्यत को कंधे तक उठा लेंगे तो सिर्फ़ तकबीरें कह ले दुआयें छोड़ दे। लाहिक़ यानी जो शुरुअ में शामिल हुआ मगर किसी वजह से दर्मियान की बाज़ तकबीरें रह गयीं मसलन पहली तकबीर इमाम के साथ कही मगर दूसरी और तीसरी जाती रहीं तो इमाम की चौथी तकबीर से पेशतर यह तकबीर कह ले।

मसला:- चौथी तकबीर के बाद जो शख़्स आया तो जब तक इमाम ने सलाम न फेरा शामिल हो जाये और इमाम के सलाम के बाद तीन बार *अल्लाहु अकबर* कहले।

अगर कई जनाज़े जमा हों

तो एक साथ सबकी नमाज़ें पढ़ सकता है यानी एक ही नमाज़ में सबकी नीयत करले और अफ़ज़ल यह है कि सबकी अलाहिदा—अलाहिदा पढ़े और जब अलाहिदा—अलाहिदा पढ़े तो उनमें जो अफ़ज़ल है उसकी पहले पढ़े फिर उसकी जो उसके बाद में अफ़लज़ है। (अ़ला हाज़ल क़यास)

चन्द जनाज़ों की तरतीब का इस्लामी तरीक़ा

चन्द जनाज़ों की एक साथ नमाज़ पढ़ाई तो इख़्तियार हैकि सबको आगे पीछे रखें यानी सबका सीना इमाम के मुक़ाबिल हो या बराबर रखें यानी एक की पाइनती या सिरहाने दूसरे को और उस दूसरे की पाइनती या सिरहाने तीसरे को व अ़ला हाज़ल क़यास। अगर आगे पीछे रखे तो इमाम के क़रीब उसका जनाज़ा हो जो सब में अफ़ज़ हो। फिर उसके बाद जो अफ़ज़ल हो व अ़ला हाज़ल क़यास। और अगर फ़ज़ीलत में बराबर हों तो जिसकी उमर ज़्यादा हो उसे इमाम के क़रीब रखें यह हुक्म उस वक़्त है जब सब एक जिन्स के हों और अगर मुख़्तलिफ़ जिन्स के हों तो इमाम के क़रीब मर्द हो उसके बाद लड़का फिर ख़ुन्सा फिर औरत फिर मुराहिक़ यानी नमाज़ में जिस तरह मुक़्तदियों की सफ़ में तरतीब है उसका

अक्स यहां है और अगर आज़ाद व ग़ुलाम के जनाज़े हों तो आज़ाद को इमाम के करीब रखेंगे अगरचे नाबालिग़ हो। उसके बाद ग़ुलाम को और किसी ज़रूरत से एक ही क़ब्र में चन्द मुर्दे दफ़न करें तो तरतीब अक्स करें यानी क़िब्ले को उसे रखें जो अफ़ज़ल है जबकि सब मर्द या सब औरतें हों वरना क़िब्ले की जानिब को रखें। फिर लड़के फिर खुन्सा फिर औरत फिर मुराहिक़ा को।

मसला:- नमाज़े जनाज़ा में इमाम बेवज़ू हो गया और किसी को अपना ख़लीफ़ा किया तो जाइज़ है।

अगर मय्यत को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ़न कर दिया

और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज़ पढ़कर दफ़न करें और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की कोई तादाद मुक़र्रर नहीं कि कितने दिन तक पढ़ी जाए क्योंकि यह मौसम और ज़मीन और मय्यत के जिस्म व अर्ज़ के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ है। गर्मी में जल्द फटेगा और जाड़े में बहुत देर से, या शोर ज़मीन में जल्द ख़ुश्क होगा और ग़ैर शोर में देर से और फ़रबे जिस्म जल्द फटेगा, लाग़र देर में।

नामज़े जनाज़ा मस्जिद में मकरूह है

मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा मुतलक़न मकरूहे तहरीमी है। ख़्वाह मय्यत मस्जिद के अन्दर हो या बाहर सब नमाज़ी मस्जिद में हों या बाज़, क्योंकि हदीस में नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ने की मुमानअत आई है। शारऐ आम और दूसरे की ज़मीन पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है जब कि मालिके ज़मीन मना करता हो।

मसला:- जुमे के दिन किसी का इन्तिक़ाल हुआ तो अगर जुमा से पहले तजहीज़ व तकफ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें। इस ख़्याल से रोक रखना कि जुमे बाद मजमा ज़्यादा होगा मकरूह है।

नमाज़े मग़रिब के वक़्त जनाज़ा आया

तो फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें। यूंही किसी और फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त जनाज़ा आए और जमाअत तैयार हो तो फ़र्ज़ व सुन्नत

पढ़कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें बशर्ते कि नमाज़े जनाज़ा की ताख़ीर में जिस्म ख़राब होने का अन्देशा न हो।

मसला:- नमाज़े ईद के वक़्त जनाज़ा आया तो पहले ईद की नमाज़ पढ़ें फिर जनाज़ा फिर ख़ुतबा और गहन की नमाज़ के वक़्त आए तो पहले जनाज़ा फिर गहन की नमाज़।

मसला:- मुसलमान मर्द या औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ यानी अक्सर हिस्सा बाहर होने के वक़्त ज़िन्दा था फिर मर गया तो उसको ग़ुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे वरना उसे वैसे ही नहला कर एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देंगे उसके लिए ग़ुस्ल व दफ़न बतरीके मसनून नहीं और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जाएगी यहां तक कि सर जब बाहर हुआ था उस वक़्त चीख़ता था मगर अक्सर हिस्सा निकलने से पेशतर मर गया तो नमाज़ न पढ़ी जाएगी अक्सर की मिक़दार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीने तक अक्सर है और पाँव की जानिब से हो तो कमर तक अक्सर है।

मसला:- बच्चे की माँ या जनाई ने ज़िन्दा पैदा होने की शहादत दी तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाएगी। मगर वारिस होने के बारे में उसकी गवाही मुअतबर नहीं यानी बच्चा अपने बाप फ़ौत शुदा का वारिस क़रार नहीं दिया जाएगा, न बच्चे की वारिस उसकी माँ होगी यह हुक्म उस वक़्त है कि खुद बाहर निकला हो और अगर किसी ने हामिला के शिकम पर ज़रब लगाई कि बच्चा मरा हुआ बाहर निकला तो वारिस होगा और वारिस बनाएगा।

बहर सूरत बच्चे का नाम रखा जाए

बच्चा ज़िन्दा पैदा हो या मुर्दा उसकी ख़िलक़त तमाम हो या नातमाम बहरहाल उसका नाम रखा जाए और क़ियामत के दिन उसका हशर होगा।

मसला:- मुसलमान का बच्चा काफ़िरा से पैदा हुआ और वह उसकी मनकूहा न थी। यानी बच्चा ज़ेना का है तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाए।

क़ब्र व दफ़न का इस्लामी तरीक़ा

मय्यत को दफ़न करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और यह जाइज़ नहीं कि मय्यत को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ़ से दीवारें क़ाइम कर के बन्द कर दें।

दफ़न में अम्बियाए किराम की ख़ुसूसियत

जिस जगह इन्तिक़ाल हुआ उस जगह दफ़न न करें क्योंकि यह बात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़ास है बल्कि मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करें। मक़सद यह है कि उसके लिए कोई ख़ास मदफ़न न बनाया जाए। मय्यत बालिग़ हो या नाबालिग़।

मसला:- क़ब्र की लम्बाई मय्यत के क़द बराबर हो और चौड़ाई आधे क़द के और गहराई कम से कम क़द के और बेहतर यह है कि गहराई मय्यत के क़द बराबर हो और मुतवस्सित दर्जा यह कि सीने तक हो। इस मिक़दार से मुराद यह हैकि लहद या सन्दूक़ इतना हो। यह नहीं कि जहां से खोदनी शुरू की वहां से आख़िर तक यह मिक़दार हो।

क़ब्र दो क़िस्म की होती है

अव्वल लहद कि क़ब्र खोद कर उसमें क़िब्ला की तरफ़ मय्यत के रखने की जगह खोदें, दोम सन्दूक़ जो हिन्दुस्तान में उमूमन राइज है। लहद सुन्नत है अगर ज़मीन इस क़ाबिल हो यह ही करें और नरम ज़मीन हो तो सन्दूक़ में हर्ज नहीं।

मसला:- क़ब्र के अन्दर चटाई वग़ैरह बिछांना नाजाइज़ है क्योंकि यह बे सबब माल ज़ाऐ करना है।

मसला:- ताबूत कि मय्यत को लकड़ी वग़ैरह के सन्दूक़ में रखकर दफ़न करें यह मकरूह है मगर जब ज़रूरत हो जैसे ज़मीन बहुत तर है तो हर्ज नहीं और इस सूरत में सुन्नत यह है कि उसमें मिट्टी बिछा दें और दाहिने बायें ख़ाम ईंटें लगादें और ऊपर कहगल कर दें अर्ज़ यह कि अन्दर का हिस्सा मिस्ल लहद के हो जाए और लोहे का ताबूत मकरूह है।

मसला:- क़ब्र के उस हिस्सा में कि मय्यत के जिस्म से क़रीब है पक्की ईंट लगाना मकरूह है। क्योंकि ईंट आग से पकती है। अल्लाह तआला मुसलमानों को आग के असर से बचाए।

क़ब्र में उतरने वाले अशख़ास की तादाद

मुअय्यन नहीं दो–तीन जो मुनासिब हों उतरें और बेहतर यह कि उतरने वाले क़वी व नेक व अमीन हों कि कोई बात नामुनासिब देखें तो

लोगों पर जाहिर न करें।

जनाज़ा क़ब्र से किस तरु रखा जाए

जनाज़ा क़ब्र से क़िब्ले की जानिब रखना मुस्तहब है ताकि मय्यत क़िब्ले की जानिब से क़ब्र में उतारी जाए यूं नहीं कि क़ब्र की पाइनती रखें और सर की जानिब क़ब्र से मिलायें।

औरत को क़ब्र में कौन उतारे

औरत को उसके क़रीब के रिश्तेदार, यह न हों तो दूसरे रिश्तेदार यह भी न हों तो परहेज़गार अजनबी के उतारने में मुज़ाइक़ा नहीं।

मसला:– मय्यत को क़ब्र में रखते वक़्त यह दुआ पढ़ें *बिस्मिल्लाहि व अ़ला मिल्लति: रसूलिल्लाहि* (तर्जुमा) अल्लाह ही के नाम के साथ हम तुमको रखते हैं और रसूलल्लाह ही की मिल्लत पे सुपुर्द करते हैं।

मय्यत को क़ब्र में किस तरह लेटायें

मय्यत को दाहिने तरफ़ करवट पर लेटायें और उसका मुंह क़िब्ले को करें अगर क़िब्ला की तरफ़ मुंह करना भूल गए और तख़्ते लगाने के बाद याद आया तो तख़्ते हटा कर क़िब्ला रू करदें और मिट्टी देने के बाद याद आया तो नहीं यूंही अगर बायें करवट पर रखा या जिधर सिरहाना होता उधर पाँव किए तो अगर मिट्टी देने से पहले याद आया ठीक कर दें वरना नहीं।

क़ब्र में रख कर कफ़न की बन्दिश खोल दें

क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रही और न खोली तो हर्ज नहीं क़ब्र में रखने के बाद लहद को कच्ची ईंटों से बन्द करदें और ज़मीन नरम हो तो तख़्ते लगाना भी जाइज़ है तख़्तों के दर्मियान झरी रह गई तो उसे ढेले वग़ैरह से बन्द करदें। सन्दूक़ का भी यही हुक्म है।

औरत के लिए पर्दा किया जाए

औरत का जनाज़ा हो तो क़ब्र में उतारने से तख़्ते लगाने तक क़ब्र को कपड़े वग़ैरह से छुपाए रखें। मर्द की क़ब्र को दफ़न करते वक़्त न छुपायें

अलबत्ता मुंह वग़ैरह कोई उज़्र हो तो छुपाना जाइज़ है। औरत का जनाज़ा भी ढका रहे।

मिट्टी देने का इस्लामी तरीक़ा

मुस्तहब यह है कि सिरहाने की तरफ़ दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें। पहली बार कहें। مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ दूसरी बार وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ तीसरी बार وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى तर्जुमा (1) उसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया (2) और उसी में तुमको लौटाएंगे। (3) और उसी से दोबारा तुमको निकालेंगे। बाक़ी मिट्टी खुरपी या फ़ावड़े वग़ैरह से क़ब्र में डालें और जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली उससे ज़्यादा डालना मकरूह है।

क़ब्र बनाने का इस्लामी तरीक़ा

क़ब्र चौखुटी न बनायें बल्कि उसमें ढाल रखें जैसे ऊँट का कुहान और उस पर पानी छिड़कना बेहतर है और उसकी ऊंचाई एक बालिश्त या कुछ ज़्यादा हो।

मसला:– जहाज़ पर इन्तिक़ाल हुआ और किनारा क़रीब न हो तो ग़ुस्ल व कफ़न देकर नमाज़ पढ़कर समुन्दर में डुबो दें।

क़ब्र पर क़ुब्बा बनाने का इस्लामी तरीक़ा

उल्मा व सादात की क़ब्रों पर क़ुब्बा वग़ैरह बनाने में हर्ज नहीं और क़ब्र को पुख़्ता न किया जाए यानी अन्दर से पुख़्ता न की जाए और अगर अन्दर ख़ाम हो ऊपर पुख़्ता तो हर्ज नहीं।

दफ़्न के बाद क्या अमल मुस्तहब है

यह कि क़ब्र पर सूरए बक़र का अव्वल सिरहाने पढ़ें यानी *अलिफ़ लाम मीम* से *मुफ़लिहून* तक और सूरए बक़र का आख़िर पाइनती पढ़ें यानी *आमनर्रसूल* से ख़त्म सूरत तक।

मसला:– दफ़्न के बाद क़ब्र के पास इतनी देर ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में ऊँट ज़बह कर के गोश्त तक़सीम कर दिया जाए क्योंकि लोगों के ठहरने से मय्यत को उन्स होगा और नकीरैन का जवाब देने में वहशत न होगी और इतनी देर तक तिलावते क़ुरआन और मय्यत के लिए

दुआ व इस्तिग़फ़ार करें और यह दुआ करें कि सवाले नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे।

मसला:– क़ब्र पर बैठना, सोना, चलना, पाख़ाना–पेशाब करना सख़्त हराम है।

क़ब्रिस्तान में नये रास्ता का इस्लामी हुक्म

क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उससे गुज़रना नाजाइज़ है ख़्वाह नया होना उसे मालूम हो या उसका गुमान हो और अगर अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र तक जाना चाहता है मगर क़ब्र पर गुज़रना पड़ेगा तो वहां तक जाना मना है दूर ही से फ़ातिहा पढ़ दे।

क़ब्रिस्तान में जूतियां पहन कर न जाए

एक शख़्स को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जूते पहने देखा। फ़रमाया जूते उतार दो। न क़ब्र वाले को तुम ईज़ा दो न वह तुम्हें।

मसला:– क़ब्र पर क़ुरआन पढ़ने के लिए हाफ़िज़ मुक़र्रर करना जाइज़ है जब कि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों क्योंकि उजरत पर क़ुरआन मजीद पढ़ना और पढ़वाना नाजाइज़ है और अगर उजरत पर पढ़वाना चाहे तो उसके लिए हीला शरई यह है कि अपने काम काज के लिए नौकर रखे फिर उससे यह काम ले।

शजरा या अहद नामा रखने का इस्लामी तरीक़ा

क़ब्र में शजरा या अहद नामा रखना जाइज़ है और बेहतर यह है कि मय्यत के मुंह के सामने क़िब्ले की जानिब ताक़ खोद कर उसमें रखें और अल्लामा मुहम्मद अलाउद्दीन मुसन्निफ़ दुर्रे मुख़तार क़ुद्देस सिर्रहु ने फ़रमाया कि कफ़न पर अहद नामा लिखना जाइज़ है इससे मग़फ़िरत की उम्मीद की जाती है मय्यत के सीने और पेशानी पर *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* लिखना जाइज़ है। एक शख़्स ने इसकी वसीयत की थी इन्तिक़ाल के बाद सीने और पेशानी पर *बिस्मिल्लाह* शरीफ़ लिख दी गई फिर किसी ने उन्हें ख़्वाब में देखा हाल पूछा। कहा जब मैं क़ब्र में रखा गया। अज़ाब के फ़रिश्ते आए। फ़रिश्तों ने जब पेशानी पर *बिस्मिल्लाह* शरीफ़ देखी तो मुझसे कहा

कि तू अजाब से बच गया। यू भी हो सकता है कि पेशानी पर *बिस्मिल्लाह* शरीफ लिखें और सीना पर कलमा तय्यबा *ला इला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि* मगर नहलाने के बाद कफ़न पहनाने से पेशतर कल्मे की उंगली से लिखें रोशनाई से न लिखे।

अहद नामा किसको कहते हैं

उस चीज़ को कहते हैं जिस पर वह अहद लिखा हो जो बन्दा और रब तबारक व तआला के दर्मियान आलमे अरवाह में रोज़े अज़ल हुआ था। इस अहद पर दलालत करने वाले मुख़्तसर अल्फ़ाज़ उल्माए किराम के तहरीर करदा यह हैं لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

तर्जुमाः– अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद बरहक़ नहीं और अल्लाह बड़ा है। अल्लाह यकता के सिवा कोई मअ़बूद बरहक़ नहीं। न उसका कोई शरीक। उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सब ख़ूबियां। कोई मअ़बूद बरहक़ अल्लाह के सिवा नहीं और न ताक़त है और न क़ुव्वत मगर अल्लाह के साथ जो बुलन्दी व अ़ज़मत वाला है।

और मुफ़स्सल अल्फ़ाज़ यह हैं–

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِنِّیْ
اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِیْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰى نَفْسِیْ وَتُقَرِّبْنِیْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَعِّدْنِیْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّیْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ
فَاجْعَلْ لِّیْ عَهْدًا عِنْدَكَ تُوَفِّيْنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

तर्जुमाः– ऐ अल्लाह आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले बातिन और ज़ाहिर के जानने वाले बहुत मेहरबानी वाले। रहमत वाले। बेशक मेरा तुझसे इस दुनियवी ज़िन्दगी में यह अहद है कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि तू ही मअ़बूद बरहक़ है। तुझ यकता के सिवा कोई मअ़बूद बरहक़ नहीं न तेरा कोई शरीक और गवाही देता हूं कि मुहम्मद तेरे बन्दे और तेरे रसूल

है। (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) पस मेरे मुआमिले को मेरे ऊपर मत छोड़ देना और मुझको शर से करीब और खैर से बईद मत करना और मुझको तेरी रहमत ही पर भरोसा है तू मेरा यह अहद अपने नज़दीक महफूज़ फरमाले ताकि कियामत के दिन तू मुझको उसकी जज़ा अता फरमाए क्योंकि तू वादा खिलाफी नहीं फरमाता।

ज़ियारते कुबूर के अय्याम

ज़ियारते क़ुबूर मुस्तहब है। हर हफ्ते में एक दिन ज़ियारत करे। जुमा या जुमेरात या हफ्ता या पीर के दिन मुनासिब है और सब में अफ़ज़ल रोज़े जुमा वक़्ते सुबह है। औलियाए किराम के मज़ाराते तय्यिबा पर सफ़र कर के जाना जाइज़ है। वह अपने ज़ाइर को नफ़ा पहुंचाते हैं और अगर वहां कोई बात खिलाफ़े शरअ हो जैसे औरतों से इख़्तेलात तो उसकी वजह से ज़ियारत तर्क न की जाए क्योंकि ऐसी बातों से नेक काम तर्क नहीं किया जाता। बल्कि उसे बुरा जाने और मुम्किन हो तो बुरी बात ज़ाइल करे।

मसला:- औरतों के लिए भी ज़ियारते क़ुबूर जाइज़ है। मगर असलम तरीक़ा उनके हक़ में यह है कि ज़ियारते क़ुबूर के लिए न जाएं।

ज़ियारते क़ुबूर का इस्लामी तरीक़ा

ज़ियारते क़ुबूर का तरीक़ा यह है कि पाइनती की जानिब से जाकर मय्यत के सामने खड़ा हो। सिरहाने से न आए कि मय्यत के लिए बाइसे तकलीफ़ है। क्योंकि मय्यत को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा कि कौन आता है फिर यूं कहे।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ۔

तर्जुमा:— सलाम हो तुम पर ऐ क़ौमे मोमेनीन और हम भी इंशा अल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। फिर फ़ातिहा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने फ़ासिले पर बैठे जितने फ़ासिले पर ज़िन्दगी में बैठ सकता था।

फ़ातिहा में क्या पढ़े

अगर याद हो तो *अल्हम्द* शरीफ़ और *अलिफ़ लाम मीम* से *मुफ़लिहून* तक और आयतुल कुर्सी और *आमनर्रसूलु* से आख़िर सूरा तक और सूरए *यासीन* और *तबा-र कल्लज़ी* और *अलहाकुमुत्-तकासुरु*

एक–एक बार और *कुल हुवल्लाहु* ग्यारह बार पढ़े और इन सबका सवाब अमवात को पहुंचाए हदीस में है जो ग्यारह बार *कुल हुवल्लाहु* शरीफ़ पढ़कर उसका सवाब अमवात को पहुंचाए तो अमवात की गिनती बराबर उसे सवाब मिलेगा और अगर यह सब याद न हो तो जो याद हो उसे पढ़कर अमवात को सवाब पहुंचाए।

किस चीज़ का सवाब पहुंचाया जा सकता है

नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और हर क़िस्म की इबादत और हर अमले नेक फ़र्ज़ व नफ़्ल का सवाब अहया और अमवात दोनों को पहुंचा सकते हैं। पहुंचाने वाले के सवाब में कुछ कमी नहीं होती बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद है कि सबको पूरा मिलेगा। यह नहीं कि उस सवाब की तक़सीम हो कर टुकड़ा मिले बल्कि यह उम्मीद है कि सवाब पहुंचाने वाले के लिए उन सबके मजमूआ के बराबर मिलेगा। मसलन कोई नेक काम किया जिसका सवाब कम अज़ कम दस मिलेगा। उसने दस अमवात को पहुंचाया तो हर एक को दस–दस मिलेगा और उसको एक सौ दस और हज़ार को पहुंचाया तो उसे दस हज़ार दस व अ़ला हाज़ल क़यास।

ईसाले सवाब का इस्लामी तरीक़ा

बारगाहे इलाही में यूं अर्ज़ करे ऐ अल्लाह इस पर (जिस चीज़ का सवाब पहुंचाना चाहता है) अपने फ़ज़ल व करम से सवाब अता फ़रमा। मैं इस सवाब को हुज़ूर पुर नूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूं। हुज़ूर के तुफ़ैल में तमाम अम्बियाए किराम की ख़िदमात में और ख़ुल्फ़ाए राशेदीन। जुमला सहाबा किराम। जुमला उम्महातुल मोमेनीन। शुहदाए करबला ख़ुसूसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु की ख़िदमत में ताबईन और तबअ़ ताबईन अइम्मए मुजतहेदीन ख़ुसूसन इमामे आज़म रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु की ख़िदमत में। जुमला, सिलसिलों के मशाइख़ व औलियाए एज़ाम और अहले बैत किराम ख़ुसूसन हुज़ूर ग़ौस पाक शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु की ख़िदमत में आपके वालिदैन करीमैन और अज़वाजे मुतह्हरात और तमाम अहले सिलसिला की ख़िदमात में और ख़ुसूसन हुज़ूर ग़रीब नवाज़ ख़्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु

तआला अन्हु की खिदमत में। आपके वालिदैन करीमैन और अहलिया मुहतरमा और तमाम अहले सिलसिला की खिदमात में और जुमला मोमेनीन व मोमेनात की खिदमात में खुसूसन फ़लां की (अपने उस अज़ीज़ का नाम ज़िक्र करे जिसको सवाब पहुंचाना चाहता है) ख़िदमत में।

तलक़ीन का इस्लामी तरीक़ा

दफ़न के बाद मुर्दा को तलक़ीन करना मशरूअ़ है। हदीस में वारिद हैकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम फ़रमाते हैं। जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई वफ़ात पाए और उसकी मिट्टी दे चुको तो तुम में एक शख़्स क़ब्र के किनारे खड़ा होकर कहे। या फ़लां इब्ने फ़लाना (फ़लां की जगह उसका नाम और फ़लाना की जगह उसकी मां का नाम ज़िक्र करे) वह सुनेगा और जवाब न देगा फिर कहे या फ़लां इब्ने फ़लाना वह सीधा होकर बैठ जाएगा। फिर कहे या फ़लां इब्ने फ़लाना उस पर वह कहेगा हमें रहनुमाई कर अल्लाह तआ़ला तुझ पर रहम फ़रमाए। मगर तुम्हें उसके कहने की ख़बर नहीं होती फिर कहे।

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا

तर्जुमाः— तू उसे याद कर जिस पर तू दुनिया से निकला (यानी यह गवाही कि उसके सिवा कोई मअ़बूद बरहक़ नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं और यह कि तू अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के नबी और क़ुरआन के इमाम होने पर राज़ी था।) हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमातें हैं कि इस तलक़ीन को सुनकर नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे चलो। हम इसके पास क्या बैठें जिसे लोग उसकी हुज्जत सिखा चुके, इस पर किसी ने हुज़ूर से अर्ज़ की अगर उसकी माँ का नाम मालूम न हो। फ़रमायाः हव्वा की तरफ़ निस्बत करे यानी माँ के नाम की जगह लफ़्ज़े हव्वा बयान करे।

मसलाः – क़ब्र पर से तर घास नोचना न चाहिए। क्यों कि वह तस्बीह करती है और तस्बीह से रहमत उतरती है और मय्यत को उन्स होता है और नोचने में मय्यत का हक ज़ाए करना है।

ताज़ियत का इस्लामी तरीक़ा

ताजियत मसनून है। हदीस में वारिद हुआ जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताजियत करे। कियामत के दिन अल्लाह तआला उसे किरामत का जोड़ा पहनाएगा। ताजियत में यह कहे। अल्लाह तआला मय्यत की मगफिरत फ़रमाए और उसको अपनी रहमत में ढांके और आपको सब्र दे और इस मुसीबत पर सवाब अता फ़रमाए।

मसला: – ताज़ियत का वक़्त मौत से तीन दिन तक है। उसके बाद ताजियत मकरूह है मगर जब ताज़ियत करने वाला या जिसकी ताजियत की जाए वहां मौजूद न हो या मौजूद है मगर उसे इल्म नहीं तो बाद तीन यौम के ताज़ियत करने में हर्ज नहीं।

किस-किस की ताज़ियत की जाए

मुस्तहब यह है कि मय्यत के तमाम अक़ारिब को ताज़ियत करें छोटे–बड़े, मर्द–औरत सबको मगर औरत को उसके महारिम ही ताज़ियत करें।

मसला: – मय्यत के अइज़्ज़ा का घर में बैठना कि लोग उनकी ताज़ियत को आयें इसमें हर्ज नहीं और मकान के दरवाज़े पर या शारअ़े आम पर बिछौने बिछाकर बैठना जैसे आजकल लोग करते हैं बुरी बात है।

अहले मय्यत के लिए खाना भेजने का इस्लामी तरीक़ा

मय्यत के पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार मय्यत के घर वालों के वास्ते उस दिन और रात के लिए खाना भेजें और उन्हें इसरार कर के खिलायें। यह खाना भेजना सिर्फ़ पहले दिन सुन्नत है। उसके बाद मकरूह और यह खाना सिर्फ़ घर वाले खायें और उन्हीं के लाइक़ भेजा जाए। ज़्यादा नहीं औरों को वह खाना मना है।

मसला: – मय्यत के घर वाले तीजा वग़ैरह के दिन दावत करें तो नाजाइज़ व बिदअ़ते क़बीहा है क्योंकि दावत तो ख़ुशी के वक़्त मशरूअ़ है न कि ग़म के वक़्त और अगर फ़ुक़रा व मसाकीन को खिलायें तो बेहतर है।

मुसीबत पर सब्र करने का इस्लामी इम्तियाज़

मुसीबत पर आदमी सब्र करे तो उसे दो सवाब मिलते हैं एक

मुसीबत का दूसरा सब्र का और जज़अ फ़ज़अ से दोनों जाते रहते हैं।

हदीस: – सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंची उसे याद कर के *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन* कहे अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज़ हो गया हो तो उस पर अल्लाह तआला नया सवाब अता फ़रमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन कि मुसीबत पहुंची थी।

अपने मुर्दों को तकलीफ़ मत पहुंचाओ

हदीस: – सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया। ऐ अल्लाह के बन्दो अपने मुर्दों को तकलीफ़ न दो। जब तुम रोने लगते हो वह भी रोता है।

हदीस: – नीज़ फ़रमाया जो शख़्स मरता है और रोने वाला उसकी ख़ूबियां बयान करके रोता है तो अल्लाह तआला उस मय्यत पर दो फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाता है जो उसे कोंचते हैं और कहते हैं क्या तू ऐसा था।

मसला: – आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बुलन्द न हो तो उसकी मुमानअत नहीं। बल्कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात पर बुका फ़रमाया। जिसमें आवाज़ बुलन्द न थी।

मसला: – मरने पर तीन दिन से ज़्यादा सोग जाइज़ नहीं मगर औरत शौहर के मरने पर चार महीने दस दिन सोग करे।

शहीद की तारीफ़

इस्तलाहे फ़िक़ह में शहीद उस मुसलमान आक़िल, बालिग़, ताहिर को कहते हैं जो बतौरे ज़ुल्म किसी आलए जारिहा से क़त्ल किया गया और नफ़्से क़त्ल से माल वाजिब न हुआ हो और उसने दुनिया से नफ़ा भी न उठाया हो। ऐसे शहीद का हुक्म यह है कि ग़ुस्ल न दिया जाए वैसे ही ख़ून समेत दफ़न कर दें पस जिस मक़तूल में यह आठ बातें पाई जायेंगी वह फ़ुक़हाए किराम की इस्तलाह में शहीद है और अगर उनमें से एक बात भी न पाई जाए तो शहीद नहीं मगर शहीद न होने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि उसको ग़ुस्ल दिया जाएगा। यह नहीं कि शहादत का सवाब भी न पाये

बल्कि फिकही शहीद के सिवा छत्तीस अशखास और हैं जिनको आख़िरत में शहादत का सवाब मिलेगा बल्कि बाज़ औक़ात आख़िरत से पेशतर दुनिया ही में उनकी इम्तियाज़ी शान ज़ाहिर कर दी जाती है। जिस पर वाक़िआ ज़ैल रौशन दलील है।

फ़रिश्ते ग़ुस्ल दे रहे हैं

हिजरत के तीसरे साल बतारीख़ 7/माहे शव्वाल रोज़ शम्बा जंगे उहद वाक़ेआ हुई। हनज़ला नामी एक सहाबी हैं जिनका निकाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उबय की हमशीरा (जमीला) के साथ उस जंग की शब में हुआ था और यह शब उनके लिए शबे ज़िफ़ाफ थी सुबह उठ कर ग़ुस्ल शुरू किया और अभी सर की एक जानिब ही धोने पाए थे कि कान में आवाज़ आई يَا خَيْلَ اللهِ ऐ अल्लाह के शहसवारो चलो। उस आवाज़ का सुनना था कि दिल की दुनिया में हलचल मच मई। ईमानी जज़बात ने मुशतइल होकर क़ाबू से बाहर कर दिया इतना ज़ब्त भी न हो सका कि ग़ुस्ल को पूरा कर लेते। ग़ुस्ल को नातमाम छोड़ा फ़ौरन हथियार लेकर मैदाने जंग में आ कूदे और बहुत से काफ़िरों को मौत के घाट उतार कर जामे शहादत नोश फ़रमाया। इख़्तेतामे जंग पर सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हनज़ला की लाश नहीं मिलती। फ़रमाया उन्हें ज़मीन व आसमान के दर्मियान फ़रिश्ते ग़ुस्ल दे रहे हैं। जाओ उनकी अहलिया से वाक़िआ दरियाफ़्त करो। लोगों ने जाकर दरियाफ़्त किया तो उन्हों ने वही बताया कि ग़ुस्ल को तमाम किये बग़ैर (बहालते जनाबत) चले गए थे। मौला तआला को उनकी यह अदा पसन्द आई और उनके दीनी जज़बात का एहतेराम दुनिया में इस तरह ज़ाहिर फ़रमाया कि उनके ग़ुस्ल की ख़िदमत फ़रिश्तों के मासूम हाथों से अंजाम दिलवाई इसी वाक़िआ के पेशे नज़र इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर बहालते जनाबत शहादत पाई तो ग़ुस्ल दिया जाएगा। हमारे लिए इस वाक़िआ में यह तालीम है कि मुसलमान की शान यह है कि वह अज़ीज़ व अक़ारिब बल्कि माल व दौलत ज़न व फ़रज़न्द सबकी मुहब्बत पर दीन की मुहब्बत ग़ालिब रखता है और किसी की मुहब्बत दीन की ख़िदमत से उस को रोक नहीं सकती।

मसला:- शहीद के बदन पर जो चीज़ें अज़ क़िस्मे कफ़न न हों

उतार ली जाएं जैसे पोसतीं, ज़िरह, टोपी, खौद, हथियार, रूई का कपड़ा और अगर कफ़ने सुन्नत में कुछ कमी पड़े तो इज़ाफ़ा किया जाए और पाजामा न उतारा जाए और अगर कमी है मगर पूरा करने को कुछ नहीं तो पोसतीं और रूई का कपड़ा न उतारें शहीद के सब कपड़े उतार कर नये कपड़े देना मकरूह है।

मसला:- जैसे और अमवात को ख़ुशबू लगाते हैं शहीद को भी लगायें और शहीद का ख़ून न धोया जाए। ख़ून समेत दफ़न करें और अगर कपड़े में नजासत लगी हो तो धो डालें और शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए।

इसके सिवा छत्तीस शहीद और हैं

(1) जो ताऊन से मरा शहीद है। (2) जो डूब कर मरा शहीद है। (3) जो ज़ातुलजनब (नमूनिया) में मरा शहीद है। (4) जो पेट की बीमारी में मरा शहीद है। (5) जो जल कर मरा शहीद है। (6) जिसके ऊपर दीवार वग़ैरह ढह पड़े और मर जाए शहीद है। (7) वह औरत कि बच्चा होने या कंवारे पन में मर जाए शहीद है।

दरबारे इलाही में एक मुक़द्दमे की पेशी और फ़ैसला

सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलेहि वसल्लम ने फ़रमाया जो ताऊन में मरे उनके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दरबार मे मुक़द्दमा पेश होगा। शहीद कहेंगे यह हमारे भाई हैं यह वैसे ही क़त्ल किए गए जैसे हम और बिछौनों पर वफ़ात पाने वाले कहेंगे यह हमारे भाई हैं यह अपने बिछौनों पर मरे जैसे हम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाएगा इनके ज़ख़्म देखो अगर इनके ज़ख़्म मक़तूलों के मुशाबा हों तो यह उन्हीं में हैं और उन्हीं के साथ हैं। देखेंगे तो उनके ज़ख़्म शहीद के ज़ख़्म के मुशाबा होंगे। इसी वास्ते शुहदा में शामिल कर दिए जाएंगे। (8) सफ़र में मरे तो शहीद है। (9) सिल की बीमारी में मरा तो शहीद है। (10) सवारी से गिर कर या मिर्गी से मरा तो शहीद है। (11) बुख़ार में मरा तो शहीद है (12) माल (13) या जान (14) या अहल (15) या किसी हक़ के बचाने में क़त्ल किया गया तो शहीद है। (16) इश्क़ में मरा तो शहीद है बशर्ते कि पाक दामन हो और छुपाया हो (17) किसी दरिन्दे ने फाड़ खाया तो शहीद है।(18) बादशाह

ने ज़ुल्मन कैद किया और मर गया तो शहीद है। (19) बादशाह ने ज़ुल्मन मारा और मर गया तो शहीद है।(20) किसी मूज़ी जानवर के काटने से मरा तो शहीद है (21) इल्मे दीन की तलब में मरा तो शहीद है। (22) मुवज़्ज़िन जो तलबे सवाब के लिए अज़ान कहता हो मरने पर शहीद है (23) ताजिर रास्त–गो मरे तो शहीद है। (24) जिसे समुन्दर के सफ़र में मतली और कै आई और मर गया तो शहीद है। (25) जो अपने बाल बच्चों के लिए सओ़ करे उनमें अहकामे इलाही क़ाइम करे और उन्हें हलाल खिलाए तो मरने पर शहीद है। (26) जो हर रोज़ पचीस बार यह पढ़े शहीद है اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (तर्जुमा) ऐ अल्लाह मेरे लिए मौत में बरकत अता फ़रमा और मौत के मा बाद में। (27) जो चाश्त की नमाज़ पढ़े और हर महीने में तीन रोज़े रखे और वित्र को सफ़र व हज़र में कभी तर्क न करे वह शहीद है। (28) फ़सादे उम्मत के वक़्त सुन्नत पर अमल करने वाला शहीद है बल्कि उसके लिए सौ शहीदों का सवाब है। (29) जो मर्ज़ में لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ चालीस बार कहे और उस मर्ज़ में मर जाए तो शहीद है और अगर अच्छा हो गया तो मग़फ़िरत हो जाएगी। (30) कुफ़्फ़ार के मुक़ाबला के लिए सरहद पर घोड़ा बांधने वाला शहीद है। (31) जो हर रात में सूरए यासीन शरीफ़ पढ़े। (32) जो बातहारत सोया और मर गया शहीद है। (33) जो नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वआलेहि वसल्लम पर सौ बार दुरूद शरीफ़ पढ़े शहीद है। (34) जो सच्चे दिल से यह सवाल करे कि अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊं शहीद है। (35) जो जुमे के दिन मरे शहीद है। (36) जो सुबह को اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ तीन बार पढ़कर सूरए हशर की पिछली तीन आयतें पढ़े तो अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुकर्रर फ़रमाएगा। कि उसके लिए शाम तक इस्तिग़फ़ार करें और अगर उस दिन में मरा तो शहीद है और जो शख़्स शाम को यह अमल करे तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे और अगर उस दर्मियान में मर गया तो शहीद है।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا وَنَاصِرِنَا وَمَلَاذِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

تَمَّتْ بِالْخَيْر